महानगर नई दिल्ली गुरुवार 19 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

एलओसी पर कभी भी बिगड़ सकते हैं हालात

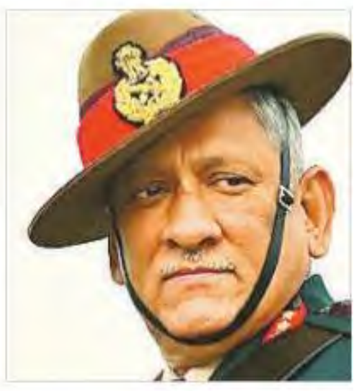

जनरल रावत ने कहा, भारतीय सेना पूरी ताकत से हर कार्रवाई के लिए तैयार

- **रक्षा** मंत्रालय लगातार कर रहा निगरानी
- **उत्तरी** कमान के कमांडर का सियाचिन दौरा, तैयारियों का जायजा लिया
- **रक्षा** मंत्रालय ने सुंदरबनी सेक्टर में सभी फील्ड कमांडरों को बैट हमलों को पूरी तरह नाकाम बनाने की रणनीति के साथ ही आतंकरोधी व घुसपैठरोधी तंत्र की समीक्षा कर व्यापक स्तर पर सतर्क रहने को कहा है।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा पर हालात खराब होने की चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। इसके मद्देनजर भारतीय सेना किसी भी समय और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

जनरल रावत की चेतावनी ऐसे वक्त में सामने आई है, जब एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से संघर्षविराम उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है, जो खुद को ही खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वह अपने आप ही अनियंत्रित हो रहा है। इस कारण पाकिस्तान पोषित आतंकी और वहां की सेना लगातार अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बीच, रक्षा मंत्रालय हालात की लगातार निगरानी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों बाकी पेज 8 पर

नागरिकता कानून पर रोक से इनकार, केंद्र को नोटिस

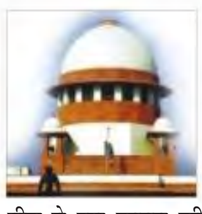

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का निश्चय किया लेकिन उसने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संशोधित नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और आइयूएमएल की याचिकाओं सहित 59 याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ इस मामले में अब अगले साल बाकी पेज 8 पर

‘कांग्रेस ने रोक की मांग नहीं की’

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को दावा किया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून (सीएस) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम स्थगन की मांग नहीं की और आरोप लगाया कि इस बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं।

पार्टी ने कहा कि यह कानून भारत के वैश्विक बाकी पेज 8 पर

एनआरसी के खिलाफ पटनायक

ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजद एनआरसी का समर्थन नहीं करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करती है।

– विस्तृत खबर पेज 8 पर

नंदकिशोर आचार्य व शशि थरूर को साहित्य अकादेमी पुरस्कार

मृणाल वल्लरी
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

साहित्य अकादेमी ने हिंदी के लिए नंदकिशोर आचार्य, अंग्रेजी के लिए सांसद डॉ. शशि थरूर, उर्दू के लिए प्रो. शाफे किदवई और पंजाबी भाषा के लिए किरपाल कजाक समेत 23 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को 2019 का अकादेमी पुरस्कार देने का बुधवार को एलान किया। प्रेस को जारी बयान में साहित्य अकादमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने बताया कि सात कविता-संग्रह, चार उपन्यास, छह कहानी-संग्रह, तीन निबंध संग्रह, एक-एक कथेतर गद्य, आत्मकथा और जीवनी के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार घोषित किए गए हैं।

नंदकिशोर आचार्य

शशि थरूर

पुरस्कारों की अनुशंसा 23 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समितियों द्वारा की गई। साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया। श्रीनिवासराव ने बताया कि हिंदी में नंदकिशोर आचार्य को उनके कविता संग्रह ‘छीलते हुए अपने को’ के लिए प्रतिष्ठित बाकी पेज 8 पर

सीलमपुर में आठ गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सीलमपुर में हुई हिंसा के मामले में बुधवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी।

पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। जामिया हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मुहम्मद खान थाने पहुंचे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं बाकी पेज 8 पर

भारत में हिंसा पर संरा चिंतित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा और सुरक्षा कर्मियों के कथित तौर पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल करने पर चिंता जाहिर करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने की अपील की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त बाकी पेज 8 पर

मिस्त्री को बहाल करने का आदेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस का अध्यक्ष बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि मिस्त्री फिर से टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त बाकी पेज 8 पर

निर्भया मामले में अक्षय की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में अपने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए चौथे मुजरिम अक्षय कुमार सिंह की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इस मामले में तीन अन्य मुजरिमों की पुनर्विचार याचिकाएं अदालत पहले ही खारिज कर चुका है।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के तीन सदस्यीय पीठ ने बाकी पेज 8 पर

लॉटरी पर 28 फीसद दर से जीएसटी

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों और निजी क्षेत्र के लॉटरी के लिए 28 फीसद की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि लॉटरी की नई दर मार्च 2020 से प्रभावी होगी। जीएसटी परिषद ने बुने गए और बिना बुने गए थैलों पर जीएसटी की दर घटाकर बाकी पेज 8 पर

म्यूच्युअल फ़ंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन हैं,
योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Mohd. Shahid S/o Mr. Ziauddin, R/o H.No.2729, IInd Floor, Gali Masjid Kale Khan, Kucha Chelan, Darya Ganj, New Delhi-110002, inform that name of my wife has been wrongly written as Fatima in my minor son's Xth Certificate educational documents. The actual name of my wife is Fatima Parveen respectively which may be amended accordingly. 0040524600-1

I,Manoj Kumar, S/o Bhaskhar Somasekharan R/o-J-9c MIG flats Ashok Vihar Phase-1, Delhi-110052, have changed name Manoj Kumar Pillai for future. 0040524648-2

I,Manoj Kumar Goel S/o Vijay Kumar Goel R/o-MP3/803, EIDECO Aamantran,Sector-119,Noida, UP,have changed my name to Manoj Goel Permanently. 0040524669-1

I,Arti Bala Bhutani W/o Hemant Kumar, R/o Emaar Emerald Estate,A-704,Sec-65,Gurgaon-122018, have changed my name to Arti Bala. 0070688751-1

I, Vikash Soni W/o Mr. Shekhar Arora, R/o A-76, First Floor, Majlis Park, Near Azadpur Mandi, Adarsh Nagar, Delhi-110033, have changed my name from Vikash Soni to Teena Arora for all purposes. 0040524593-1

I, Vijay Kalra,R/o-D-33, New Multan Nagar, New Delhi-110056,have changed my son's name from Krrish Kalra to Ishaan Kalra for future. 0040524648-3

I, Vani Miglani W/o Sh. Siddhant Taneja R/o C 228 Surajmal Vihar, New Delhi, India-110092, have changed my name to Vani Taneja for all future purposes. 0040524635-1

I, Susan Thomas D/O John Thomas R/O-M-143, 2nd Floor Opp Church Laxmi Nagar Delhi-110092 changed my name to Suzan Thomas. 0040524670-2

I, Suman D/o Dayal Kohli R/o A2/258, 3rd Floor, Prateek Apartment, Paschim Vihar, West Delhi-110063, have changed my name to Suman Kohli for all purposes. 0040524584-1

I, Sneh Lata W/o Ravinder Kumar R/o-21-B, C-5, B-Block, Janakpuri, New Delhi, have changed my name to Sneha Kumar. 0040524648-6

I, Shruti Gupta W/O Kapil Parashar R/O CD-34, Second floor, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed my name to Shruti Parashar. 0040524702-1

I, Shital Singh S/o Asha Singh R/o B-7, Tagore Garden Extn., Delhi-110027, have changed my name to SHEETAL SINGH permanently. Shital Singh and Sheetal Singh both are one and same person. 0040524587-1

I, Sandesh S/o Sh. Anand Kumar R/o-1/5057, Gali No-3, Balbir Nagar, Delhi-110032 have changed my name to Sandesh Jain. 0040524634-3

I, Service No.30864-T Rank Sqardron Leader Inform that I have changed my name from Annavita Dwivedi to Annvita Dwivedi for all purposes. I Annvita Dwivedi D/o Awadhesh Dwivedi R/o A-1G01, Tulip, Orange, Sector-70 Gurugram (HR). 0060071630-1

I, Sapan Chander S/o Agni Mohan R/o H.No.A-1352, Gautampuri Phase-I, Badarpur, Delhi-110044 have changed my name to Sapan Chandra. 0040524648-4

I, Ritesh S/O Govind Ram Gupta R/O-37, Gali No.1, Rajendra Park, Nangloi, Delhi-41, Have Changed My Name To Ritesh Aggarwal. 0040524670-3

I, Renu Bansal D/o Ram Lal Bansal, W/o Dhiraj Kumar Garg R/o-GD-138 Pitampura Delhi-110034, changed my name to Nandini Garg. 0040524670-8

I, Rekha Aggarwal W/O Raju Aggarwal R/O B-33, I-Floor, Maharana Pratap Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Rekha Gupta. 0040524639-5

I, Raju Kumar S/o Budh Ram R/o-B-441, Delhi-Admin-Flats, Timarpur, Delhi-110054. have changed the name of my minor daughter "Disha" to "Disha Singh" for all purposes in future. 0040524702-4

I, Rajesh Kumar S/o Bachan Singh R/o-RZ-F-762/21/B/C Gali No.5, Raj Nagar Part-2, Palam Colony, New Delhi-110077, inform that name of mine has been wrongly written as Rajesh Yadav in my minor son Sumit Yadav(15-Years) Educational Documents.The actual name of mine is Rajesh Kumar which may be amended accordingly. 0040524702-9

I Ekta Alias Ekta Singh D/o Virendra Singh R/o B-133, Gali No-6, Gangajal Nagar Nigam, Rahul Vihar First, Ghaziabad, Vijai Nagar, UP-201009, have changed my name to Ekta Singh 0070688741-1

I, Praveen Satti S/O Mahanand Sati R/o G26, Phase-VI, AyaNagar, New Delhi-110047, have changed my name to Praveen Sati. 0040524634-10

I, Poonam Dikshit D/o Shri R K Dikshit, R/o H.No.6019, Sector-B, Pocket 8, Vasant Kunj, New Delhi-110070,have changed my married name post the orders for Decree of Divorce passed by Saket Family Court on 20/01/2014 from my married name Poonam Sahai to Poonam Dikshit whose DOB is 16 May 1974, for all future purposes. 0040524646-1

I, Pooja W/O Dheeraj Madan R/O Hno.21, Ward No.15, Geeta Colony, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Pooja Madan. 0040524634-4

I, Pooja Rani W/O Sumit Gupta R/O 143, I-Floor, Pkt-26, Sector-24, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Pooja Gupta. 0040524639-2

I, Pooja Anand W/o Mayank Verma R/o M-53, Second Floor, Vikas Puri, Delhi-110018, have changed my name to PRISHA VERMA permanently. Pooja Anand and PRISHA VERMA both are same and one person. 0040524588-1

I, Pavani D/O Puneet Chawla R/O Hno.9, Roadno.42, West Punjabi Bagh, Central Market, Delhi-110026. Changed My Name To Pavni. 0040524639-1

I, Parvesh Kumar S/o Tirath Ram R/o-J-45, IInd-Floor, Vikaspuri, New Delhi have changed my name to Parvesh Sharma for future. 0040524634-9

I, Parveen Kumar S/o Dharampal R/o-WZ-37, Nangli Jalib JanakPuri New Delhi-110058, have changed my name from Parveen Kumar to Parveen Grewal. 0040524634-5

I, Parveen Kumar Bansal S/o Rud Mal Bansal R/o-17-B, DDA Flat, B-Block Vivek-Vihar, Ph-2 Delhi-110095, have changed my name to Parveen Bansal, for all purposes 0040524702-7

I, Pankaj Verma R/o Flat No.136, Capital Apartment Pocket-6, Plot No-10, Dwarka, Sector-1A, New Delhi, have changed my minor daughter's name from Shivanya Verma to Vaanya Verma for all purposes. 0040524609-1

I, Rekha Rajora, D/O Sita Ram Rajora, R/O 706, Chint Purni Colony, Near GVM Girls College Gate no 2 Sonipat, have changed my name from Rekha Rajora to Ananyaa Rajput for all future purposes 0120008047-1

I, Pankaj Sharma S/o Rattan Chand Sharma R/o H.No.102, Second Floor, Avtar Enclave, Paschim Vihar Delhi-110063, have changed my minor son's name from Amulaya Sharma to Amulya Sharma, permanently. 0040524591-1

I, Pankaj Kumar @ Pankaj Kumar Sagar S/o Om Prakash R/o RZ-B-9 Gali No.21 Sadh Nagar-2 Palam Colony New Delhi-110045 changed my name to Pankaj Sagar 0040524639-6

I, Omprakash Lekhwal S/o Shri Ganpat Ram R/o D-2 , Type-4, Police Station, Rajouri Garden, New Delhi, informs that I have changed my name from Omprakash to Omprakash Lekhwal for all purposesin future. 0040524599-1

I, Neha Uppal W/o Rajat Kataria R/o-1411, New Housing-Board-Colony, Near Sai-Baba-Chowk, Panipat, Haryana-132103, have changed my name to Neha Kataria. 0040524634-7

I, Naincy D/O Charanjeet Singh R/O-T-481/3a, Prem Nagar Road, Baljeet Nagar, Patel Nagar, Delhi-08. Have Changed My Name To Nancy 0040524702-2

I, Naghma W/o Javed Alam Syed R/o Flat No.802, Aster-6, Supertech Emerald Court, Sector-93A, Noida(U.P.) have changed my name to Naghma Neyaz for all purposes. 0040524619-1

I, NARESH KUMAR alias NARESH KUMAR ARORA S/o Padam Lal R/o 63, JK Apartment, A-3, Paschim Vihar, Delhi-110063, have changed my name to NARESH ARORA. 0040524590-1

I, Munni W/o Vineet Rana R/o E-350, Sector-15, Noida, U.P.-201301,have changed my name to Meena Rana for all future purposes. 0040524648-1

I, Menka Sethi also known as Kumkum Wife of Shri Dharminder Kumar Resident of House No. 3-G/25, NIT, Faridabad-121001, have changed my name to Kumkum Baweja for all future purposes. 0040524596-1

I, Manjit Kaur W/O Charanjeet Singh R/O T-481/3a, Prem-Nagar Road, Baljeet-Nagar, Patel-Nagar, Delhi-008 Have Changed My Name To Manjeet Kaur 0040524702-3

I Neeraj R/O H. No. 447/21, Om Nagar, Gurgaon, Haryana have changed my name to Neeraj Tyagi for all purposes. 0070688747-1

I Nancy D/O Anil Kumar Add-D-163 Gf, Block-D Fateh-Nagar Tilak Nagar Delhi-110018. Changed My Name To Nancy Kumar. 0040524702-6

I Mohammed Yusuf Shah S/O Bhure Shah R/O-J-13 Batla-House New Delhi. Changed My Name As Yusuf Shah For All Future Purposes. 0040524670-4

I, Mandeep Singh Bindra R/o C-2/191 Janakpuri Delhi-110058 have changed my minor Daughter's name from Sehajleen Kaur to Sehajleen Kaur Bindra. 0040524634-2

I, Mandeep Singh Bindra R/o C-2/191 Janakpuri Delhi-110058 have changed my minor Daughter's name from Gurleen Kaur to Gurleen Kaur Bindra. 0040524634-1

I, Mahima Anand W/o Kapil Anand R/o-194/4 GaliNo-13, Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Mahima Sharma. 0040524634-8

I, Lalit singh bisht R/o 22015, Tower Walnut, Mahagun Mywoods ,have changed my name to Lalit Bisht. 0070688744-1

I, Khushdeep Randhawa W/o Ravneet Singh Randhawa R/o-14/3, Tarapore Officers Enclave, Rangpuri, Vasant Kunj, New Delhi-110070 have changed my name to Khushdeep Kaur Randhawa. 0040524648-5

I, Kartik S/O Naveen Pujari R/O 13-C Firozshah Road New Delhi-01,have changed my name to Kartik Pujari for all purpose. 0130014084-1

I, Jagdish Kumar S/o Narain Das Kataria R/o-1411, New Housing-Board-Colony, Sai-Baba Chowk, Panipat, Haryana-132103, have changed my name to Jagdish Kataria. 0040524634-6

I, Kanchan Kumar S/o Mathura Paswan R/o Jhuggi No.61, Rajasthani Camp, Sarita Vihar, Delhi-110076, have changed my minor son's name from Gautam Kumar to Gaurav Kumar, permanently. 0040524597-1

I, Kabita Kusum W/o Himanshu Kumar Sonu, H.No.201, Ground-Floor, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, U.P.201010 Changed My Name To Kavita Kusum. 0040524715-2

I, Himanshu Kumar Sonu, R/O-B-2102, Ats Haciendas, Ahinsakhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.201014, Changed My Minor Son's Name Kavyansh Shrivastav To Kavyansh Himanshu Srivastav. 0040524715-1

I, Dheeraj Kumar S/O Sohan Lal Madan R/O Hno.21, Wardno.15, Geeta Colony, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Dheeraj Madan. 0040524639-3

I, Dharminder Kumar S/o Late Sh. Ganesh Dass, Resident of House No. 3-G/25, NIT, Faridabad-121001, have changed my name to Dharminder Kumar. Will be known as Dharminder Kumar for all purposes. 0040524598-1

I, Brahma Kumar Meera alias B.K.Meera D/o Sh.Hem Raj R/o-9-A, Rajpur-Road, Civil-Lines, Delhi-110054. have changed the name from Brahma Kumar Meera alias B.K.Meera to Brahma Kumari Meera, for all purposes in future. 0040524702-5

I, Ashwani Kumar S/o Sardari Lal Sharma R/o 9844, Gali Zameer Wali, Nawab Ganj, Azad Market, Delhi-110006, have changed my name to Ashwani Sharma for all purposes. 0040524650-1

I, Anjali Srivastva D/O Lt. Col. P. N. Srivastva R/o B-419 Rajajipuram, Lucknow-226017 have changed my name & would like to be known as Anjalli Srivastva for all future purposes. 0060071629-2

I, Amit Kumar S/o Late Shri Rakesh Bhardwaj R/o H.No-607, Sector-14A, Vasundhara Ghaziabad U.P-201012, have changed my name to Amit Kumar Bhardwaj. 0040524594-1

I, ARMY NO.14832021F, Rank: SEP/MT NAME: Uday Thunder, S/o Joydev Thunder, R/O-HQ COY, IHQ of MOD(Army) TPT unit ASC, New Delhi-110021, and permanent address at Vill:Kanchia, Radhanagar, Pachim Medinipur, West Bengal-721212, have changed my son name from Bibak Thander to Bibek Thander. 0040524648-7

I hitherto known as Sumitra W/o Sh.Hansraj R/o H.No.869, Sector-9, Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name and shall hereafter be known as Sumitra Dhankhar. 0040524648-10

I Virender Kumar Alias Virender Kumar Sharma S/o Ram Nath R/o 550, Janta Flats, Groop-1, Pocket-C, Hastsal, Delhi-110059, have changed my name to Virender Kumar Sharma 0070688752-1

I Shailja Wadhawan W/o Varun Wadhawan R/o E-51 2nd Floor BaliNagar Delhi-110015 Changed My Child Name Pratham Wadhwan To Pratham Wadhawan. 0040524639-8

I, Silky Kumari, W/o Vivek Kumar Agarwal, R/o I-12A07 (13th floor) Ace City, Bisrakh, Noida Ext.- 201306, have changed my name to Silky Agarwal. 0070688746-1

I Sulekha Rani W/o Rajesh Kumar R/o H-451-452, H1 Block, Jahangir Puri Delhi-110033, have changed my name to Sulekha for all purposes 0070688748-1

I Ruchi Lamba W/o Ajay Nayyar R/o Flat 2011, Siena Tower, Mahagun Moderne Society, Gautam Budh Nagar, Sector-78, Noida, UP-201301, have changed my name to Ruchi Nayyar 0070688745-1

I Seema D/o Sh.Madan Pal W/o Sh.Ravinder Kumar R/o H.No. D-55, Street No.9, Near Jain Mandir, Shahdara, Shahdara S.O., East Delhi, Delhi-110032 have changed my name to Mamta for all purposes. 0040524583-2

I Sachiin Bharrgava S/o Anoop Bhargava R/o 79, Bank-Vihar, Pitampura, New Delhi-110034 have changed my name from Sachin Bhargava to Sachiin Bharrgava for all purposes. 0040524670-7

I Rekha Rani W/o Sanjeev Aggarwal R/o Near Railway Road Bye Pass Aggarwal Colony, Hodal Have Change Name To Rekha Aggarwal W/O Sanjeev Aggarwal. 0040524639-9

I, Ashok Jain S/o Shanti Lal Jain R/o-E-1/11 Krishna Nagar Delhi-110051, have changed my name to Ashok Kumar Jain 0040524702-8

I Mohamad Haneef S/o Mohmad Bassir R/o E-50 Shakur Pur Colony Saraswati Vihar Delhi-110034, changed my name to Mohammad Hanif. 0040524639-7

I Hari Rawat W/O Bhagwat Singh R/O-Kh.No.8/24 Gali No.19 C Block Kamal Pur Kamal Vihar Burari-110084 Have Changed My Name To Hari Devi. 0040524670-5

I Dilraj Singh alias Dilraj Singh Bhatti S/o Sh.Pratap Singh R/o.H.No.C-219, Pul-Pehlad pur, New Delhi-110044, all names are one and same person. 0040524634-4

I Bhagwat Singh Rawat S/O Ganga Singh Rawat R/O-Khasra No.8/24 Gali No.19 C Block KamalPur Kamal Vihar Burari-110084.Have Changed My Name To Bhagwat Singha. 0040524670-6

I Aslam Mohammad S/O Mohd Alam R/O 314 Gali Garhiya Matia Mahal Jama Masjid-110006 chanted my name to Mohd Aslam 0040524670-1

I Amit Dheer S/o Sh. B.N. Dheer R/o C2A/193-194, Janakpuri, New Delhi-110058 have changed my name to Amit Narain Dheer for all purposes. 0040524583-1

I Amit Alias Amit Kumar S/o Roopwant Singh R/o Narnaul, Mahendragarh, Haryana-123001, have changed my name to Amit Kumar. 0070688739-1

I Aanchal D/o Sh.Ved Parkash Saini W/o Sh.Rajender Kumar R/o E-2/131C, Near Shastri Nagar Metro Station, Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed my name to Aanchal Saini for all purposes. 0040524583-3

खोया-पाया

I, Prashant Kushwaha. S/O Ganga. Ram Kushwaha R/o-H No-246 E-Block. OmVihar Phase-5 Uttam Nagar N.D-59 have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8216720 CBSE- Delhi. 0040524648-12

I,Anil Kumar Gupta s/o-D C Gupta R/O-H.No-1,Model-Town-3,ND-110009,have.lost my original-Exchange,Deed Dt.27/1/2014,property-no.K-1,Model-Town-3,ND-110009,executed between Mr.Manmeet Singh and Ms Eliza Gupta registered,vide document-no.793,Book-1,Voli-No.4974,pages-115-122,before sub-Registrar-VIA.Finder-contact(M)9310680999. 0040524669-2

I Neetu Verma D/o Sh. Shanti Swaroop Verma R/o A-74, Street No.3, Brij Puri, Dayal pur, Delhi-110094 have lost Agreement to Sell, Affidavit, Will, Receipt, Possession Letter executed on 20-01-2000 by Sardar Singh in favour of Sutainder Pal of Property No.7/20, Geeta Colony, Delhi-110031. Finders may contact at Mobile No.9990572204. 0040524583-4

I, AMAR CHUG S/o ved parkash R/o H.No-12-B sikka colony sonipat haryana have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-2205138 cbse-panchkula. 0040524648-11

I, Kamal Singh S/o Bachche Singh R/O-29-A East-Guru Angad-Nagar Street-2 Delhi-110092. Changed My Minor Child Namebiren Singh (old Name) To Biren Bhandari. 0040524715-3

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public that my client Sh. Subhash Chander son of Shri Randhir Singh, resident of F-946, Double Storey Govt. Flats, Timarpur, Delhi is hereby disowned his son namely Shekhar Sharma, who is not under his control, from all his moveable and immovable properties. By way of this notice, the general public is informed not to deal with the above person in respect of any manner whatsoever and if anybody does so he/she shall be doing so at his own cost and shall be liable and responsible for the same and my above named client shall not be held responsible in any circumstances.

Jawahar Narang
Advocate

Dated: 14.12.2019

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Umang S/o Sh. Sunil Kumar R/o H.No. 16/1029-E, Tank Road, Karol Bagh, Delhi-110005 do hereby declare that name of my father has been wrongly written as Sunil in my 10th and 12th class marksheet and certificate. The actual name of my father is Sunil Kumar, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client **Shri Krishan** s/o Late Rameshwar Dass & his wife **Madhu Gupta** R/o H. No. 51, FF, Pkt-28, Sec-24, Rohini, Delhi-110085, disowned their son **Puneet Aggarwal** and his wife **Neha Bansal** and their to be children from their all movable immovable properties my clients had broken all relations from them but now they have admitted their fault and my clients willfully withdraw the said disowning published in Jansatta Dt.27/11/2019 without any condition.

Sd/-
G.L. GOSWAMI
(Advocate)
3530, QUTAB ROAD,
Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

Public in general hereby informed that my clients Sh. Harinder Singh, S/O. Sh. Surjeet Singh & Smt. Raminder Kaur, W/o. Sh. Harinder Singh, both R/o. 56, South Anarkali Extension, Chander Nagar, Delhi-110051, have disowned their son namely Amardeep Singh and Smt. Paramjeet Kaur, W/o. Sh. Amardeep Singh because of their disobedience and bad habits of gambling of their son.
Hence my clients debar their son and daughter in law namely Amardeep Singh and Smt. Paramjeet Kaur, W/o. Sh. Amardeep Singh from their movable and immovable properties. Anybody dealing with them in any manner in respect of the properties of my clients shall be doing so at their own risks and consequences.

Sd/-
M. DEV KAMAL (Advocate)
Ch. No. 206, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN ON BEHALF OF MY CLIENT WHO INTENDS TO PURCHASE THE 79-C, DDA FLATS, SHAHPUR JAT., NEW DELHI- 110049 FROM MR ARVIND KUMAR SHARMA S/O LT. SH TIKA RAM SHARMA. THAT IF ANY PERSON(S) HAVING ANY OBJECTION / CLAIM IN THE SAID PROPERTY IS/ARE HEREBY REQUESTED TO INTIMATE IN WRITING TO THE UNDERSIGNED WITHIN 10 DAYS FROM THE DATE OF THIS NOTICE AT BELOW ADDRESS:

Sd/-
ATUL GUPTA (ADVOCATE)
CHAMBER NO. 369, THIRD FLOOR,
LAWYER'S BLOCK, SAKET COURT
COMPLEX, NEW DELHI 110017

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, BAI DEEPAK S/o BAI RAGHUNATH residing at E-80/181, Rajiv Camp. Jhilmil Colony, Krishna Market, Delhi-110095, declare that name of my father & Mother and my name wrongly written as " B RAGHUNATH" & "B REVATI " and "B DEEPAK" My 10th class & 12 class all Documents (C.B.S.E. Board Delhi) 10th class Roll No. 8611853 & 12th class Roll No., 9614867. The actual name of my father & Bother & my is "BAI RAGHUNATH" & BAI REBATI and "BAI DEEPAK", which may be amendded accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Bai Raghunath S/o Bai Nalla residing at E-80/181, Rajeev Camp, Jhilmil Colony, Krishna Market, Delhi-110095, declare that name of my Daughter & my wife and my name has been wrongly written as "B KAIPANA" & "B REVATI" AND "B RAGHUNATH" in her School records She is study in class 5th from A.C.C.G.S.B.V. at Jhilmil Colony, Delhi-110095 and her date of birth is 17/08/2009, The actual name of my Daughter & my wife and my is "BAI KAIPANA" & BAI REBATI" & "BAI RAGHUNATH" which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, BAI NAGESHWAR S/o BAI RAGHUNATH residing at E-80/181, Rajeev Camp, Krishna Market, Jhilmil Colony, Delhi-110095, declare that name of my father & Mother and my name wrongly written as "B RAGHUNATH" & "VEERAWATI" and "B NAGESHWAR" My 10th class & 12th class all Documents (C.B.S.E Board Delhi). The actual name of my father & Mother & my is "BAI RAGHUNATH" & "BAI REBATI" and "BAI NAGESHWAR", which may be amendded accordingly.

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS **SH. RAHUL GOEL S/O SH. MUKESH GOEL AND SH. ATUL GOEL ALL RIO 20/207. NAI BASTI GALI NO-3, BAHADUR GARH, HARYANA-124507** SEVERE ALL RELATIONS & DEBAR THEIR FATHER SH, MUKESH GOEL S/O LATE SH. RAJ KUMAR GOEL FROM ALL MOVABLE- IMMOVABLE PROPERTY(S) DUE TO MISCONDUCT & MISBEHAVIOR. MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY OF HIS ACTS IN FUTURE WHATSOEVER.

Sd/-
MANISH DIXIT (ADVOCATE)
CHAMBER AT: 1421, ROHINI COURTS, DELHI

PUBLIC NOTICE

Under instructions from and on behalf of my client general public is hereby informed that **Smt. Suman Sharma** W/o Sh. Ramesh Chand Sharma R/o Plot No.M-46, First Floor, Sainik Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 has debarred her son **Sh. Arun Kumar Sharma** & his wife **Pankaj Thakur** from all her movable & immovable properties & assets, as they have become unfaithful dishonest, disobedient & bad behavior towards my client. My client and other family members will not be responsible for their any kind of liabilities, dealings, acts criminal proceeding, obligation, financial transaction, claims etc. My client has severed all relations with them. **KK TYAGI** (Advocate) Off: UG-19, Suneja Tower-1, D.C., Janakpuri, Delhi.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients Ashok Kumar Datta S/o Sh. Bodhraj Datta & Suman Datta W/o Ashok Kumar Datta both R/o 57, Block-BE, Hari Nagar, Delhi do hereby disown and debar their son Kuber Datta & daughter in law Monika Datta alongwith their Grand sons Shivam Datta and Pious Datta both sons of Kuber and Monika Datta from all their movable & immovable properties with immediate effect because they are out of control of my clients. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her own risk, cost & responsibility.

B.B.N. Rao (Advocate)
S.R. IInd-B, Campus,
Janak Puri New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

This Notice has been issued for Gen. Public, under instruction from and on behalf of my client **Rajiv Sabharwal S/o Sh. K.L. Sabharwal, Owner of Flat No. L-1/287 A, Ground Floor, DDA LIG Flats, Kalkaji New Delhi**, has applied for conversion of said flat into freehold in DDA. Demand Letter & NOC of the above flat has been lost. An FIR has lodged in Crime Branch Delhi.
Any person(s) claiming any right, having any objection, may write/contract with above named person at above address/Phone No. 9810556606 within 15 days, publication of this notice. The person(s) Claiming any right, interest, objections in respect thereof, can inform to Director/Dy. Director (LAB (H) Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Date: 19/12/2019
Place: New Delhi
(Soham Prakash Verma)
Advocate Chamber no. 66, Saket Court Complex, New Delhi-17

किसी की भी नागरिकता को खतरा नहीं : नकवी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून से किसी मुसलिम या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई प्रश्नचिह्न या खतरा नहीं है और इस विषय पर सभी को 'दुष्प्रचार' से सावधान रहना चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक दिवस कार्यक्रम के दौरान नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि हमें दुष्प्रचार के दानवों से होशियार रहना चाहिए। संशोधित नागरिकता कानून नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक तरक्की में बराबर के हिस्सेदार–भागीदार हैं। हम सभी को एनआरसी और संशोधित नागरिकता बिल को जोड़ कर देश को गुमराह करने के षड्यंत्र को परास्त करना है।

नकवी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अमानवीय अपमान को मानवीय सम्मान दिलाने की भावना से भरपूर है और यह अमानवीय अन्याय से पीड़ितों को मानवीय न्याय दिलाने के संकल्प की अभिव्यक्ति है। इसे भारतीय नागरिकों की नागरिकता के साथ जोड़ना छल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों के लिए जन्नत साबित हुआ है जबकि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम बन गया है। बंटवारे के बाद हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों ने पंथनिरपेक्षता का रास्ता चुना, वहीं पाकिस्तान ने इस्लामी राष्ट्र का रास्ता चुना। हिंदुस्तान के बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत हैं और यही भारत की अनेकता में एकता की ताकत है। कुछ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते, वह औंधे मुंह गिरता है। उन्होंने कहा कि जो लोग अमन को 'अफवाह से अगवा' करने की कोशिश कर रहे हैं, वे नाकाम होंगे और अंततः सत्य की ही जीत होगी।

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client Sh. Pushpinder Singh S/o Late Arjan Singh R/o C-56, Sector-41, NOIDA has debarred & disowned his son Mr. Amardeep Singh and daughter in law Mrs. Harpreet Kaur from all movable and immovable properties, due to their disrespectful behavior and my client has also severed all his relations/ties with them for all purposes & intent.

(RAVINDER SINGH THETHI)
ADVOCATE
Chamber No.G-205, G-Block,
2' Floor, Karkardooma Courts,
Delhi-110032

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती [illegible] कुमारी, पत्नी श्री दीपक कुमार चौधरी, निवासी क्वार्टर नम्बर 7, [illegible] नरैना, नई दिल्ली–110028, जो कि संपत्ति [illegible]–836, द्वितीय तल बिना छत, ग्राम नरैना, नई दिल्ली–110028 के कानूनी मालिक मैसर्स [illegible] एंड [illegible] निवासी 429 [illegible] फ्लोर, [illegible], ग्राम नरैना, नई दिल्ली–110028 से [illegible] एवज में खरीदने के इच्छुक हैं।
यदि किसी व्यक्ति का कथित सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कोई अधिकार, हित, हक, दावा, अधिभार, किसी भी प्रकार का प्रभार है तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नीचे दिये गये पते पर [illegible] है और ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि कथित सम्पत्ति किसी भी दावे, हित, प्रभार, अधिभार आदि से मुक्त है।
यह सूचना **दिनांक 19 दिसम्बर 2019** को प्रकाशित।

रवि [illegible] (अधिवक्ता)
जेआरएस एसोसिएट्स, बी–88, सैक्टर–40,
नोएडा–201301, जिला–गौतम बुद्ध नगर (यूपी)

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mr. Kishan Singh acquired the property i.e Property bearing No. 14, Khasra No. 32/18/1, 18/2, Gaunchhi, Faridabad, vide sale Deed dt. 10.07.2000, further Mr. Kishan Singh died leaving behind L'rs Mrs. Reena, Mr. Sanju, Mrs. Mamta, Mr. Devender Singh, Mr. Mukesh and Mrs. Magan Devi after that the other L'rs executed two transfer deeds dt. 11.10.2019 and 30.10.2019 in favour of Mrs. Magan Devi and Mrs. Magan Devi is the undisputed owner of said property till date.OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Giri - Advocate
H.No. 26/161, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general public that my client Sh. Narinder Kapoor son of Late Sh. Hari Kishan Kapoor R/o 1/7 Moti Nagar, New Delhi-110015 has purchased the property No. 11/31 Moti Nagar, New Delhi-110015 from Sh. Sarabjit Singh son of Sh. Surjeet Singh presently R/o 11/31 Moti Nagar New Delhi-15 who claims to be competent to sell the same. Any person having any right or claim, of any nature, on the said property may file his claim with the undersigned for consideration within 7 days of publication of this notice failing which no claim of any nature whatsoever shall be considered and it shall be taken that he/they have abandoned or relinquished their rights in the said property in favor of my said client.

Amar Lal Dua (Advocate)
C-55, C.L. Joseph Block,
Tis Hazari Courts Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to the public at large that my clients Digvijay Singh Lamba @ Digvijay Singh, Sh. Daanvir Karan Singh Lamba @ Daanvir Karan Singh both sons of Late S. Hardeep Singh Lamba and Smt. Kanwal Lamba @ Kanwaljeet Lamba W/o Late S. Hardeep Singh Lamba, all resident of 249, Gujranwala Town, Part-III, Delhi-110009 have right, claim and interest in property bearing No. E-141, IIIrd Floor, Kamla Nagar, Delhi-110007. It is further informed to the public at large that Late S. Hardeep Singh Lamba @ Hardeep Singh entered into an Agreement to Sell dated 18.08.2018 in continuation of the earlier Agreement to Sell dated 02.09.2016 for purchase of property bearing No. E-141, IIIrd Floor, Kamla Nagar, Delhi-110007 with Smt. Rajni Jain W/o Sh. Uday Jain R/o E-141, IIIrd Floor, Kamla Nagar, Delhi-110007 for a total consideration of Rs. 75,00,000/- and out of the said consideration amount Smt. Rajni Jain is already in receipt of Rs. 52,00,000/- vide separate receipt and due date for registration of Sale Deed for the above property is on or before 31.12.2019 in terms of the Agreement to sell dated 18.08.2018. Anyone dealing with her or her husband Sh. Uday Jain or any of their associates, representatives etc. shall be doing at his/her/their own risks/costs/consequences and our clients and their family members shall not be responsible for his/her/their acts, deeds and dealings or caused to be done with public at large in any manner whatsoever. It is further informed that anyone from the public at large has any objection or grievance of any nature whatsoever in such event the same is advised to contact the undersigned within 15 days from the date of public notice.

Sd/-
DINKAR KUMAR (Advocate)
CH No. 184-A, FF, Patiala House Courts, N.D.- 01

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं : जावडेकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। देश में मेट्रो ने यह साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों में विरोधाभासी संबंध होने की धारणा पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के कार्यकाल में व्यापक पैमाने पर फैली थी। केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में सतत विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

जावडेकर ने कहा कि 20 साल पहले दिल्ली मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बताया कि इस समय मेट्रो के 274 स्टेशन हैं और नेटवर्क का दायरा बढ़कर 311 किमी क्षेत्रफल हो गया है। मेट्रो के काम में जितने पेड़ काटे गए, उसके पांच गुना अधिक पेड़ लगाए गए। इस वजह से 20 साल बाद हरित क्षेत्र बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संकट से उबरने का रास्ता सुझाया है। भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व की वैश्विक भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हो सका है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे आगे विकसित देश रहे हैं और इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी वे नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मामला हाल ही में मैड्रिड सम्मेलन में उठाया गया था। उन्होंने सभी देशों में कूलिंग एक्शन प्लान भी लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय चाहता है कि एसी का सामान्य तापमान 24 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाए। इससे बिजली की भी बचत होगी। इसके लिए जल्द ही संबंधित कंपनियों से चर्चा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 2014 में हम तीन हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा बिजली का उत्पादन करते थे। प्रधानमंत्री ने पहले इस लक्ष्य को बढ़ाकर एक लाख मेगावॉट तक करने की घोषणा की थी। इस समय देश में 80 हजार मेगावॉट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 4.50 लाख मेगावॉट किया है।

Classifieds
EXPRESS EDUCATION

M. PURI ONLINE
GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT IAS HOW TO CRACK IT
FREE SEMINAR
ROHINI
Sun. 22nd Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
TILAK NAGAR
Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
NIRVANA IAS ACADEMY
www.nirvanaias.com
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005
LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

तीन वरिष्ठ नागरिकों की मौत

गोधरा, 18 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात के पंचमहल जिले में बुधवार को तेज गति से आ रही एक कार की चपेट में आने से तीन वरिष्ठ नागरिकों की मौत हो गई। शेहरा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गोधरा तालुका के रेना मोरवा क्षेत्र में हुई। चालक अपना नियंत्रण वाहन से खो बैठा था और विपरित दिशा से आ रहे वाहन से टकराने से बचने के लिए उसने गाड़ी मोड़ी जिसकी चपेट में तीनों वरिष्ठ नागरिक आ गए। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर तीनों बुजुर्ग नागरिकों की मौत हो गई और चालक फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि वह फरार चल रहे चालक की तलाश कर रहे हैं।

www.readwhere.com

ASSOCHAM
Celebrating 100 Years

Annual Conference

New India: Aspiring $5 Trillion Economy

20 December 2019, Vigyan Bhawan, New Delhi

"Aim is to make India a 5 trillion dollar economy in the shortest possible time."

Inaugural Address at 11.00 a.m.

Inaugural Address by Hon'ble Prime Minister, Narendra Modi

$5 Trillion would require India's Own Growth Model

Chair: Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance and Corporate Affairs • Time: 12.10hrs-13.00hrs

Anil Agarwal
Chairman, Vedanta Resources Ltd.

Gautam Adani
Chairman, Adani Group

Ajay Piramal
Chairman, Piramal Group

Sajjan Jindal
Managing Director, JSW Group

Junaid Kamal Ahmad
Country Director, World Bank

Strengthening India's Global Positioning

Chair: Piyush Goyal, Union Minister of Railways and Commerce & Industry • Time: 13.00hrs-13.45hrs

Jai Shroff
Global CEO, UPL Ltd.

Atanu Chakraborty
Secretary, Department of Economic Affairs

Deepak Bagla
MD & CEO, Invest India

Naveen Munjal
MD, Hero Electric

Driving India's Growth Engines – MSMEs and Infrastructure

Chair: Nitin Gadkari, Union Minister for Road Transport & Highways and MSME • Time: 14.30hrs-15.15hrs

Ram Mohan Mishra
Special Secretary and
Development Commissioner, MSME

Shailesh Pathak
CEO, L&T - IDPL

Darshan Hiranandani
MD & CEO, H Energy

Anil K. Agarwal
Chairman, Cosmos Group

Creating a Vibrant Regulatory System for New India

Chair: Ravi Shankar Prasad, Union Minister for Law & Justice, Comm., Electronics and IT • Time: 15.30hrs-16.30hrs

Amitabh Kant
CEO, NITI Aayog

Aruna Sundararajan
Former Secretary, Deptt. of Telecomm.

Ramkumar Ramamoorthy
Chairman & MD, Cognizant India

Dilip Modi
Chairman, Spice Group

Role of Women in New India: A Roadmap to $5 Trillion Economy

Chair: Smriti Irani, Union Minister for Textiles and Women & Child Development • Time: 16.45hrs-17.30hrs • **Moderator: Sheeren Bhan**

Saroj Pandey
MP, Rajya Sabha

Navneet Ravi Rana
MP, Lok Sabha

Dipali Goenka
CEO and Jt. MD, Welspun India

Kavita Bhartia
Founder, Ogaan

Juhi Chawla
Actress

CNBC Roundtable with New India CEOs

Moderator: Parikshit Luthra

Bejul Somaia
Partner
Lightspeed Venture

Vidit Aatrey
CEO
Meesho

Amit Sharma
CEO
ShopX

Rahul Pandit
MD & CEO
Hamstede Living

Ashneer Grover
Co-founder & CEO
Bharatpe

Anshoo Sharma
Founder & CEO
Magicpin

Amit Singh
Founder & CEO, Shuttl

"The Industry looks forward to exchange of ideas that will help sustain India as one of the fastest growing large economies of the world."

Balkrishan Goenka, President, ASSOCHAM

Niranjan Hiranandani
Sr. Vice President, ASSOCHAM

Vineet Agarwal
Vice President, ASSOCHAM

Deepak Sood
Secretary General, ASSOCHAM

Partners

WELSPUN GROUP Leading Tomorrow Together · Hiranandani · TCI LEADERS IN LOGISTICS · Reliance Industries Limited Growth is Life · adani · JSW · LARSEN & TOUBRO · Mahindra Rise. · UPL · Spice money

Media Partners

business today · CNBC · BW BUSINESSWORLD

Knowledge Partner

PRIMUS PARTNERS

SREI · BOEING · GMR · HDFC BANK · iron triangle · mku · MARUTI SUZUKI · SBI · smc Moneywise. Be wise. · SIGNATURE GLOBAL · Coca-Cola · Radico Radico Khaitan Limited · VISA

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India: 5, Sardar Patel Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 110021 • E-mail: assocham@nic.in • Website: **www.assocham.org** | **Entry by Invitation only** | Follow us on:

www.readwhere.com

खबरों में शहर

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा/गाजियाबाद, 18 दिसंबर।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों के सभी स्कूल ठंड के चलते गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली से सटे दोनों जिलों के प्रशासनों ने बुधवार शाम अलग-अलग आदेश जारी किए। गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) बी एन सिंह ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों को ठंड के कारण अगले दो दिन तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा कि शीतलहर के कारण नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे।

जामिया में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

नागरिकता कानून की ओट में जामिया और सीलमपुर में हो रही हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की गई है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल भारती ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में आसन्न चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की स्थिति बनाई जा रही है ताकि चुनाव को आगे के लिए टाला जा सके। इसमें पूरी तरह राजनीति नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जहां जामिया में छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगी हैं वहीं सीलमपुर भड़की हिंसा में स्थानीय लोगों का काफी परेशानी हो रही है। इन दोनों जगहों पर जिस तरह घटना सामने आई है उसकी न्यायिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

उदित की अगुआई में सभा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति-जनजाति परिसंघ की अगुआई में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ बुधवार को जंतर-मंतर पर पूर्व सांसद उदित राज के नेतृत्व में एक दिवसीय प्रतोरोध सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उदित राज ने कहा कि देश जिस अराजकता के दौर से गुजर रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। अर्थव्यवस्था कोमा में है और महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि सवाल उठाने वालों को पुलिसिया दमन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह काला कानून समूचे राष्ट्र के खिलाफ है।

मेट्रो स्टेशन पर तमंचे के साथ छात्र गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 18 दिसंबर।

बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर अवैध हथियार लेकर घुस रहे बीबीए के छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर-39 के एसएचओ नीरज मलिक ने बताया कि युवक अवैध हथियार लेकर घुस रहा था, जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने उसे तमंचे सहित हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम बाबर खान बताया है। वह दिल्ली का रहने वाला है और ग्रेटर नोएडा स्थित एक कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

नागरिक मंच दिल्ली : 'नागरिक समाज एवं बदलते समय में एक नागरिक का सवाल' पर संगोष्ठी और मेधा पाटकर, एनडी पंचोली और कमाल खान को नागरिक सम्मान 2019, गांधी शांति प्रतिष्ठान सभागार, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आइटीओ, दोपहर दो बजे।

फिल्म

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : फिल्म महोत्सव, सीडी देशमुख सभागार, सेंटर परिसर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संगीत पाठक की कलाकृतियों की प्रदर्शनी, सेंटर एनेक्स आर्ट गैलरी, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे।

दिल्ली में बढ़ेगी कृषि भूमि की सर्कल दर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

दिल्ली में कृषि भूमि का सर्कल दर बढ़ेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने कृषि भूमि की दरों को 53 लाख से बढ़ाकर 2.25 से पांच करोड़ के बीच करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल बाद कृषि भूमि की दरों में इजाफा करने का मसविदा स्वीकार किया गया है। जल्द ही इसे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के लोगों को बढ़ी हुई दरों का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब किसी भी जमीन का अधिग्रहण होगा तो उसके लिए 2.25 करोड़ से पांच करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को होगा। अब तक दिल्ली के अंदर कृषि भूमि का सर्कल रेट 53 लाख रुपए प्रति एकड़ होता था। जब हमारी सरकार आई थी, तब दो-तीन साल पहले इसको बढ़ाया था, लेकिन उसको उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक ही कैबिनेट ने फैसला लिया है।

केंद्र से दिल्ली का पैसा बढ़ाने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

केंद्रीय करों में दिल्ली सरकार ने मांगी अधिक हिस्सेदारी

निगमों की हालत सुधारने व प्रदूषण से लड़ने के लिए भी पैसा मांगा

दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय करों समेत अन्य मदों में पैसा बढ़ाने की सिफारिश की है। इस मामले में बुधवार को दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजा गया है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली को केंद्र सरकार से मिलने वाले करों के हिस्से में 2001-02 से इजाफा नहीं हुआ है। दिल्ली की वित्तीय स्थिति में सुधारने के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए।

दिल्ली सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट में इसके लिए प्रावधान करने क सिफारिश की है। पत्र में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि आयोग ने भी टैक्स से होने वाली आय का सभी राज्यों में एक समान तौर पर वितरण करने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को इस मद में केवल 325 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया जा रहा है। जबकि देश के अन्य राज्यों के लिए यह हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली को भी केंद्रीय करों से अधिक पैसा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 7150 करोड़ क बजट प्रावधान को आगामी वित्त वर्ष 2020-21 में 8150 करोड़ किए जाने की भी सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तौर पर उपलब्ध कराई जाने वाली राशि भी दिल्ली सरकार ने बढ़ाने की मांग की है। सरकार के मुताबिक 18 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली को अब तक इस मद में केवल 472 करोड़ रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि दिल्ली का बजट इस समय-सीमा में आठ गुना से अधिक तक हो गया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि दिल्ली के स्थानीय निकायों को अधिक आर्थिक मदद की जरूरत है। वित्त आयोग ने भी इन निकायों को 2015-20 के बीच 2,87,436 करोड़ की आर्थिक सहायता को स्वीकार किया है। इन क्षेत्रों की आबादी भी 32 लाख से बढ़कर 62 लाख तक पहुंच गई है। इन क्षेत्रों में अधिक कार्य करन के लिए स्थानीय निकायों को अधिक मदद करने की आवयकता है। इसलिए सरकार का अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाए।

दिल्ली सरकार ने अन्य कई वित्तीय परेशानियों का हवाला देते हुए, दिल्ली में बार-बार होने वाले प्रदूषण का भी हवाला दिया है। इसमें कहा किया गया है कि केंद्र सरकार ने कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इस योजना के लिए दिल्ली समेत पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब को केंद्र सरकार ने सहायता राशि जारी की थी। इस राशि के इस्तेमाल के बाद भी कृषि अपशिष्ट जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए केंद्र सरकार को अधिक फंड का इंतजाम करना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जा सके। इसकी मदद से दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी।

उत्तरी निगम में संपत्ति करदाताओं पर पड़ेगी तिहरी मार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

उत्तरी निगम के रिहायशी संपत्ति करदाताओं पर संपत्तिकर की तिहरी मार पड़ने वाली है। स्थायी समिति अध्यक्ष ने सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों को असंगत व जनविरोधी करार दिया है। निगम क्षेत्र के रिहायशी संपत्ति करदाताओं पर भाजपा ने तीन तरह से संपत्ति कर बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त करों की मार की है। नेता विपक्ष सुरजीत सिंह पवार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इन तीनों तरह के करों की वृद्धि 229 फीसद होगी। नेता विपक्ष ने कहा कि गैर रिहायशी संपत्तियों पर भी संपत्तियों के वार्षिक कर मूल्य पर एक फीसद का शिक्षा उपकर लगाकर करों की वृद्धि की है जो व्यापारी व कारोबारियों के धंधों में मंदी के कारण और कमर तोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि अग्नि, वर्षा और भूकंप पीड़ितों के लिए 2020-21 के लिए 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया है। 2019-20 के लिए एक लाख रुपए का प्रावधान किया है। भाजपा से उनकी मांग है कि इस मद में 2019-20 के लिए और 2020-21 के लिए कम से कम पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए और इसमें से रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में लगी भीषण आग में मृतकों के संबंधियों को व घायलों को मुआवजा-सहायता राशि दी जाएगी।

विपक्ष जानबूझकर फैला रहा है हिंसा : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली चुनाव में हार की वजह से विपक्ष जानबूझकर हिंसा फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा का लाभ आम आदमी पार्टी को नहीं होगा। इसका सीधा लाभ विपक्ष को होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति को लेकर काफी वे चिंतित हैं और चाहते हैं दिल्ली में शांति बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। लेकिन यह विरोध संविधान के दायरे में होना चाहिए। इस वक्त यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने वाली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटें इस बार 65 आएंगी या 70। ऐसे में विपक्ष द्वारा जानबूझकर हिंसा फैलाई जा रही है। इससे पूर्व हुए 2015 के चुनाव में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से अपील है कि ऐसी नकारात्मक ताकतों का विरोध करें। हर तरीके से दिल्ली की शांति व अमन चैन को खराब नहीं होने दें। जो भी ऐसी ताकतें है, उनका जवाब हम चुनाव में देगी।

उन्होंने कहा कि हर बार केवल एक ही बयान आ रहा है कि आम आदमी पार्टी यह सब करा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी को इसका क्या फायदा है, जिसको फायदा हो सकता है दंगे वहीं फैला रहा है। जामिया के मामले मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के दंगे चुनाव का ध्यान में रखकर कराए जा रहे है। ये वे लोग करा रहे है, जिनको चुनाव में हारने का अंदेशा है।

हाई कोर्ट से कराई जाए जामिया मामले की जांच : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

प्रदेश कांग्रेस ने जामिया विश्वविद्यालय व सीलमपुर में हुई हिंसा तथा जामिया विश्वविद्यालय में घुसकर छात्रों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायधीश से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली व मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में राजधानी में हुई हिंसा के लिए भाजपा व आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए यह मांग की। चोपड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा व आप की मिलीभगत से हिंसा हुई। यह दोनो दलों के सुनियोजित षडयंत्र का परिणाम है।

नागरिकता संशोधन कानून पर 'आप' व कांग्रेस को बहस की चुनौती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अफवाह न फैलाएं क्योंकि यह कानून शरणार्थियों को नागरिकता अधिकार देने का कानून है। इस कानून से किसी भी नागरिकता नहीं छिनेंगे। वे कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले को लेकर नुक्कड़ सभा को सम्बोधित कर रहे थे और जनता से 22 दिसंबर को रामलीला मैदान आने की अपील करने के लिए पहुंचे थे।

मनोज तिवारी ने कहा कि सीलमपुर की घटना को लेकर 15 लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं इनमें से 5 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के नाम हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली की शांति को भंग करने का काम दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं। लोकतंत्र को सभी को अपनी बात करने का हक है लेकिन हिंसा के लिये समाज में कोई जगह नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून को लोग पढ़ नहीं रहे हैं सिर्फ अफवाहों के पीछे भाग रहे हैं जो दुखद है और जिसका फायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं और आग में घी डालकर माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं।

विद्यार्थियों को समर्थन देने पहुंचे कन्हैया कुमार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार बुधवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन न केवल मुसलिमों को बचाने की लड़ाई है बल्कि पूरे देश की रक्षा की लड़ाई है। विश्वविद्यालय के गेट नंबर सात के बाहर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि लोगों को राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर अधिक चिंतित होना चाहिए जो कि नागरिकता संशोधन कानून के मुकाबले कहीं अधिक खतरनाक है।

कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन संविधान को बचाने वाले प्रदर्शनों में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी देशभर में लागू होती है तो हम सभी को नोटबंदी के दिनों की तरह लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा।

जामिया के शिक्षक बोले, हम एक और विभाजन नहीं चाहते

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया शिक्षक संघ (जेटीए) ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को खारिज करते हुए कहा कि हम लोग एक और विभाजन नहीं चाहते। जेटीए के सदस्यों ने बुधवार को शांति मार्च निकालकर सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को समर्थन देने वाले सभी विश्वविद्यालयों का आभार व्यक्त किया। संघ ने कहा कि परिसर में पुलिस की बर्बरता की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषण समिति की स्थापना की गई है। जामिया परिसर में पुलिस की कार्रवाई में 50 से अधिक विद्यार्थी घायल हुए थे।

शिक्षक संघ ने विद्यार्थियों के खिलाफ दायर मामलों को वापस लेने और रविवार को पुलिस की कार्रवाई के दौरान संपत्ति को हुई क्षति के लिए पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। शिक्षक संघ ने कहा कि बेकसूर विद्यार्थियों पर बलप्रयोग करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मार्च के दौरान करीब 500 से अधिक शिक्षकों और शोधार्थियों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखीं थीं जिन पर सीएस के खिलाफ और जामिया के समर्थन में नारे लिखे हुए थे।

मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने भारत का एक बड़ा नक्शा ले रखा था जिस पर देशभर के उन स्थानों को दिखाया गया था, जहां विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जेटीए के सचिव माजिद जमील ने कहा कि 13 दिसंबर को सीएए के विरोध में हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

शांति और अमन की अपील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

जामियानगर और शाहीनबाग में पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय लोगों की अमन कमेटी के साथ बैठक हुई। दक्षिणी क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त देवेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में इलाके में शांति और अमन चैन के लिए एक दूसरे से सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि स्थानीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफवाह और फर्जी प्रोपगेंडा पर ध्यान नहीं देते हुए इस प्रकार के लोगों की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए।

हरीश खुराना को मानहानि मामले में अदालत से जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में भाजपा नेता हरीश खुराना को बुधवार को जमानत दे दी। खुराना और भाजपा के अन्य नेताओं ने सरकारी स्कूलों में कमरों (क्लासरूम्स) के निर्माण में भ्रष्टचार का आरोप लगाया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने खुराना को 20,000 रुपए के निजी मुचलके और 20,000 रुपए की जमानत राशि पर जमानत दे दी। अदालत ने भाजपा नेता हंसराज हंस और परवेश वर्मा तथा शिअद नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ पेश नहीं होने और अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन को नजरअंदाज करने के लिए जमानती वारंट भी जारी किया।

दस्तावेजों की जांच के बाद बिल्डरों को मिलेगा जीरो पीरियड का लाभ

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 18 दिसंबर।

बिल्डरों को दिए जाने वाले जीरो पीरियड का लाभ दस्तावेजों की जांच और निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किया जाएगा। जो बिल्डर परियोजना मानकों को पूरा करते होंगे, उन्हें ही यह लाभ मिलेगा। इसके लिए परियोजनाओं के एक-एक मामले की पूरी पड़ताल की जाएगी। इस कसौटी पर सफल होने वाली बिल्डर परियोजनाओं को इसका लाभ मिलेगा। चार फरवरी 2020 तक ग्रुप हाउसिंग विभाग में बिल्डर जीरो पीरियड के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शहर में 116 परियोजनाएं चल रही हैं। जीरो पीरियड का लाभ देने के लिए कैबिनेट के हालिया फैसले से पहले ही प्राधिकरण 52 बिल्डर परियोजनाओं को जीरो पीरियड का लाभ दे चुका है। दो परियोजनाओं का अध्ययन किया जाना बाकी है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार तब भी सभी बिल्डरों ने अपनी परियोजनाओं के लिए जीरो पीरियड का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रखा था। लेकिन नए निर्देश के बाद बिल्डरों ने दोबारा आवेदन करना शुरू कर दिया है। इसमें वे बिल्डर भी शामिल हैं, जिनको लाभ मिल चुका है। इसी वजह से प्राधिकरण अब प्रत्येक परियोजना के मामलों के भौतिक सत्यापन के बाद लाभ देने पर फैसला लेगा। चार फरवरी तक आने वाले सभी आवेदनों की दस्तावेजी जांच के बाद भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यहां निर्माण कार्य की प्रगति देखी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह लाभ केवल उन परियोजनाओं को मिलेगा, जो अपने खरीदारों को जून 2021 तक देंगे।

जीरो पीरियड का लाभ आम्रपाली, जेपी इंफ्राटेक, श्रीसी व यूनिटेक की दर्जनों परियोजनाओं के लाखों खरीदारों को नहीं मिलेगा। इन सभी परियोजनाओं का मामला कोर्ट में चल रहा है। इन बिल्डर परियोजनाओं के खरीदार सरकार से स्ट्रेस फंड जारी करने की मांग कर रहे हैं।

विजय दिवस : विजयगाथा सुन नम हुईं परिजनों की आंखें

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 18 दिसंबर।

सेक्टर- 37 स्थित शहीद स्मारक में बुधवार को विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सेना के तीनों अंगों के प्रतिनिधियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। आयोजन में तब शहीदों के परिवारों की आंखे नम थी, जब उनके वीर प्रियजनों की वीरगाथाओं का मंच से स्मरण किया गया। सुबह 10 बजे मुख्य अतिथि के रूप में एयर मार्शल एचएस अरोड़ा ने सर्व प्रथम श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मेजर जनरल राजपाल पुनिया, मेजर जनरल एसपी गोस्वामी, रियर एडमिरल संजय मिश्रा समेत 38 शहीदों के परिवारों, समुदायों के मुख्य प्रतिनिधियों, आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य, एवीआई अध्यक्ष कर्नल आईपी सिंह, ब्रिगेडियर शशि वैध समेत अन्य ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों का सम्मान किया। आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा के विद्यार्थियों ने देशभक्ति समूह गान प्रस्तुत किया। एयर मार्शल ने शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और विद्यालय के छात्रों को उपहार बांटे।

विद्यार्थियों के लिए लिया अन्य माध्यमों से परीक्षा कराने का निर्णय : रजिस्ट्रार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के रजिस्ट्रार का कहना है कि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों का भविष्य बचाने के मकसद से अन्य माध्यमों से परीक्षाएं कराने का निर्णय किया है। उनके मुताबिक आंदोलन कर रहे कुछ विद्यार्थियों की वजह से अन्य विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार के मुताबिक जो विद्यार्थी अपनी मर्जी से परीक्षाएं नहीं देना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के नियम के मुताबिक अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण के लिए योग्य नहीं रहेंगे। जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें इसका हर अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वविद्यालय के वास्तविक विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना विश्वविद्यालय की शीर्ष प्राथमिकता है। स्कूलों के डीन और केंद्रों के प्रमुख परीक्षाओं का कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं जो जेएनयू की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा।

छात्र संघ ने दो विद्यार्थियों पर कार्रवाई का विरोध किया

जेएनयू छात्र संघ ने दो विद्यार्थियों पर जेएनयू प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध किया है। छात्र संघ का कहना है कि करीब 50 दिनों से हम छात्रावास नियमावली वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जेएनयू कुलपति ने इस दौरान पुलिस द्वारा हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश कराई है। हमें दिल्ली की सड़कों पर मारा गया घसीटा गया लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुलपति मामले में प्राथमिक सबूतों के आधार पर विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया। ये आरोप कुलपति ने विद्यार्थियों पर लगाए कि उन पर हमला किया गया। कुलपति ने खुद विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है। वो खुद अब तक गायब हैं और परिसर को पुलिस जोन बना दिया गया है।

www.readwhere.com

आधी आबादी की उम्मीदों को मजबूत पंख

समरसता व सद्भाव का सेतु

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिये गरीब की गरिमा को सुरक्षा कवच मिला है तो 'सुमंगला' ने बालिकाओं के सुनहरे भविष्य का रास्ता खोल दिया है।

गरीबों और वंचितों को उनका हक दिलाना संविधान की आत्मा का सम्मान है। कन्यादान एक पवित्र कार्य है। राज्य सरकार ने 2017-2018 में गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। योजना के तहत हर जोड़े की शादी के लिए पहले 35 हजार रुपये दिये जा रहे थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है।

- योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह व सुमंगला योजना से महिला सशक्तिकरण को नया आयाम

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नयी इबारत लिखी है। हर वर्ग की महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य व पोषण तथा सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत 'आपकी सखी- आशा ज्योति' केन्द्रों के संचालन, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 181 महिला हेल्पलाइन ने महिलाओं को संबल दिया है तो सामाजिक सुरक्षा के लिए चलायी जा रही ढेरों पेंशन योजनाओं से महिलाओं की दशा बदलने लगी है। इन योजनाओं का संचालन इस गहनता से किया जा रहा है कि किसी भी वजह से कोई पात्र महिला इनका लाभ उठाने से वंचित न रह जाये। इन योजनाओं के प्रभाव को विस्तार देते हुए प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' तथा 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' जैसी दो और महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं।

इनमें से सामूहिक विवाह योजना ने उन गरीब परिवारों को राहत दी है, जो गरीबी की वजह से समय से बेटियों का विवाह नहीं कर पाते थे और परेशान रहते थे। दहेज और सामाजिक दिखावे की वजह से कर्ज लेने को मजबूर होते थे। इसी तरह दीपावली से दो दिन पहले शुरू की गयी 'कन्या सुमंगला योजना' ने लड़कियों की जिन्दगी में नया उजाला किया है। इससे भ्रूण हत्या और बाल विवाह की कुप्रथाओं के खिलाफ जनमानस में जागरूकता का स्तर बढ़ाने में तो मदद मिली ही है, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी कामयाबी का रास्ता खुल रहा है।

सामूहिक विवाह योजना

24,318
जोड़ों का विवाह एक ही दिन में कराया गया

21 हजार
के लक्ष्य के सापेक्ष

14 नवम्बर 2019 का दिन उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक पावन पर्व बन गया। इस दिन पूरे प्रदेश में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत व्यापक पैमाने पर सामूहिक विवाह कराये गये। इस एक दिन में पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में 24,318 बेटियों के विवाह कराये गये।

प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' गरीब कन्याओं की शादी के लिए वरदान साबित हो रही है। जो परिवार गरीबी के कारण समय से बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाते थे और परेशान रहते थे, उन्हें राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकारी खर्च पर गरीब पात्र व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। हाल ही में आयोजित कार्यक्रम तो इस शृंखला की एक कड़ी भर है।

योजना में अब तक 96,164 जोड़ों का विवाह

सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देकर समाज को एकता के सूत्र में बांधने व दिखावे के लिए होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के साथ ही सामूहिक विवाह को स्वीकार्यता देने का श्रेय 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' को जाता है। समाज ने दिल खोलकर इस योजना को समर्थन दिया है। इसी का परिणाम हुआ कि 14 नवम्बर को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में 24,318 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। इनमें अल्पसंख्यक वर्ग के 3,020 जोड़े थे। इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,810 जोड़े, अनुसूचित जाति के 12,487 और सामान्य वर्ग के 1,001 जोड़े सामूहिक विवाह समारोहों में शामिल होकर विवाह बंधन में बंधे। इस योजना के तहत इससे पहले 71,846 जोड़ों की गृहस्थी बसायी गयी थी। इस तरह इन्हें मिलाकर दो वर्ष में अब तक कुल 96,164 जोड़ों का विवाह 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत कराया गया है।

सर्व धर्म समभाव व समरसता को बढ़ावा

पूरे प्रदेश में हुए इस समारोह के मंडपों में मंत्र और आयतें एक साथ गूंजीं और एक देश एक मंच की तस्वीर साफ देखी गई। एक ही मंच पर हिंदू और मुस्लिम कन्याओं की शादियां हुईं। पूरे प्रदेश में हुए सामूहिक विवाह समारोह की खास बात यह रही कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पहले इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक विवाह योजना में पंजीकरण नहीं कराते थे। सभी वर्गों की सहभागिता के साथ इस आयोजन ने समरसता की नयी मिसाल पेश की है।

96,164
जोड़ों का विवाह हुआ है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक

- अल्पसंख्यक वर्ग: **11,840**
- अन्य पिछड़ा वर्ग: **31,294**
- अनुसूचित जाति-जनजाति: **48,672**
- सामान्य वर्ग: **4,358**

विवाह के बाद नवदम्पति की गृहस्थी बसाने व जरूरी वैवाहिक सामग्री की व्यवस्था के लिए अनुदान राशि 35,000 रुपये को बढ़ाकर की गयी

51,000 रुपये

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बालिकाओं के पोषण, शिक्षा और स्वावलम्बन की नयी राह

इस वर्ष दीपावली से ठीक दो दिन पहले धनतेरस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बालिकाओं की तकदीर में शिक्षा और बेहतर भविष्य का उजाला लिख दिया। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की शुरुआत की।

महिला सशक्तिकरण की अपनी प्रतिबद्धता को विस्तार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के पोषण, शिक्षा एवं स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की अवधारणा को मजबूत करते हुए लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, उन्हें स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना भी इस योजना का उद्देश्य है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली इस योजना के तहत 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को छह चरणों में 15,000 रुपये तक प्रदान किये जा रहे हैं।

कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदेश की उन सभी बच्चियों को प्राप्त होगा, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। इस योजना का लाभ परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को दिया जाएगा, परन्तु किसी महिला को द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्ची होने पर तीसरी संतान के रूप में कन्या को भी 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' का लाभ मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया है। प्रदेश सरकार नारी को एक ऐसा माहौल देने की ओर अग्रसर है, जिसमें हर नारी यह विश्वास करने लगी है कि वह भी तरक्की के ऊंचे पायदान पर पहुंच सकती है।

हर बालिका को समुचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जरूरत के मुताबिक समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित फील्ड स्तर के अधिकारियों को समुचित सहयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्हें योजना का प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहायता करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है। विस्तृत कार्यक्षेत्र के चलते ग्रामीण इलाकों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराने का दायित्व भी इसी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी निभा रहे हैं। पोस्टर-बैनरों से भी योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र बालिका लाभ पाने से छूट न जाये।

पूर्ण सुरक्षा

हर लाभार्थी बालिका को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक छह चरणों में 15 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ छह श्रेणियों में

प्रथम श्रेणी
नवजात बालिकाओं को, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो, 2000 रुपये की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

द्वितीय श्रेणी
इसमें वे बालिकाएं शामिल होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व न हुआ हो। उन्हें 1000 रुपये एकमुश्त दिये जायेंगे।

तृतीय श्रेणी
इस श्रेणी में वे बालिकाएं शामिल हैं, जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। उन्हें एकमुश्त 2000 रुपये प्रदान किये जायेंगे।

चतुर्थ श्रेणी
वे बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो इस श्रेणी में आयेंगी। उन्हें 2000 रुपये एकमुश्त प्रदान किये जायेंगे।

पंचम श्रेणी
इसमें वह बालिकाएं शामिल हैं, जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नौवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। उन्हें 3000 रुपये एकमुश्त प्रदान किये जायेंगे।

षष्टम श्रेणी
वे सभी बालिकाएं शामिल हैं, जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू सत्र में स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। उन्हें 5000 रुपये एकमुश्त प्रदान किये जायेंगे।

1,200 करोड़ रुपये
कन्या सुमंगला का बजट

बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच बनेगी

'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' राज्य सरकार की एक सार्थक पहल है। यह योजना भ्रूण हत्या, लैंगिक असमानता समाप्त करने, बालिकाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने व बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच पैदा करने में सहायक होगी। टीकाकरण होने से बच्चियों की सेहत अच्छी होगी। मां-बाप पर उनकी पढ़ाई का बोझ घटेगा। उच्च शिक्षा में प्रवेश बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बनेगी

मातृ और शिशु मृत्युदर में आयी प्रभावी कमी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण व कल्याण के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' सहित तीन दर्जन से अधिक योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य सरकार ने इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही, जरूरत के अनुसार अपनी योजनाएं भी शुरू की हैं। इससे प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी आयी है।

पीलीभीत में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम, दिया नवदम्पतियों को आशीर्वाद

पीलीभीत जिले में बिलसंडा के नूरानपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने इस आयोजन में शादी करने वाले 525 जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इनमें से 18 मुस्लिम जोड़े भी थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' है। इसके तहत प्रदेश भर में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव सभी जरूरतमन्दों को योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है।

हर माता-पिता का सपना होता है कि बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन आर्थिक कमजोरी से उनके अरमान दबे रह जाते हैं। ऐसे में योगी सरकार की 'सामूहिक विवाह योजना' गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद! आपकी सरकार की वजह से हमारी शादी हो पायी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लखनऊ के सरोजनीनगर ब्लॉक परिसर में 30 जोड़ों का विवाह हुआ। इनमें 28 जोड़ों का विवाह हिन्दू और 2 दो जोड़ों का निकाह इस्लामिक रीति-रिवाज से किया गया। सभी नये जोड़ों को सरकार की ओर से 35 हजार रुपये के चेक और जरूरी घरेलू सामग्री प्रदान की गयी। इसी तरह सीतापुर रोड स्थित सौभाग्य लॉन में 51 जोड़ों का विवाह हुआ। यहां 47 जोड़े हिंदू रीति-रिवाज से परिणय सूत्र में बंधे। वहीं चार मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। इन्हें मिलाकर राजधानी में कुल 400 जोड़ों की शादी हुई।

जनसत्ता

सुरक्षा का संकट

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाने में जिस तरह से वक्त लग रहा है, उससे लोगों के भीतर ये आशंकाएं पैदा होना स्वाभाविक ही है कि कहीं कोई दोषी कोई फंदे पर लटकने से बच तो नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए है कि इस कांड के दोषियों के खिलाफ मौत का फरमान जारी करने के मामले में अदालत ने सुनवाई सात जनवरी तक के लिए टाल दी है। हाल में जिस तरह की तैयारी की खबरें आई थीं, उससे यह लग रहा था कि जल्द ही इस मामले में दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पीड़ित पक्ष सहित देश भर में इस पर निराशा का माहौल बना। हालांकि अदालतें कानून के हिसाब से चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक दोषी की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। इससे पहले इस साल जुलाई में तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी थी। इससे यह तो साफ हो गया है कि अदालतों से दोषियों को अब किसी भी तरह की तरह की राहत मिलने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका के विकल्प बचे हैं।

बलात्कार-हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जिस तेजी से मामलों का निपटारा होना चाहिए, वह मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में बेहद मुश्किल है। न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचती चली जाती है कि कई बार न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। निर्भया कांड को सात साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक बचाव पक्ष के लोग कानूनी दांवपेंचों का सहारा लेते हुए बचाव का कोई न कोई रास्ता निकालने की जुगत में हैं। वरना एक दोषी का वकील अदालत के समक्ष ऐसा विचित्र तर्क क्यों रखता कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण जीवन छोटा होता है, उसके मुवक्किल के साथ अन्याय हुआ है, या उसका मामला मीडिया के दबाव से प्रभावित रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस मामले में मीडिया और देशभर में चले आंदोलन से जो दबाव बना, उसी से अदालतों ने भी इसमें फुर्ती दिखाई। वरना देशभर में हजारों मामले ऐसे होंगे जो सालों से लटके पड़े होंगे और जिनकी सुनवाई के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी। अपराधी, आरोपी और दोषी न्यायिक व्यवस्था की इसी खामी का फायदा उठाते हैं और ज्यादातर मामलों में सजा नहीं हो पाती।

निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा की दिशा में केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, जिस तरह के सख्त कानून बनाए, राज्यों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए जो कड़े निर्देश दिए थे, वे एक तरह से बेअसर ही साबित हुए। राज्यों ने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों महिलाओं के प्रति ऐसे अपराधों का ग्राफ काफी ऊंचा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड तक ने सबको हिला दिया था। आरोपी सत्तारूढ़ दल का विधायक था, इसलिए लंबे समय तक बचता रहा। सात साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी न जाने कितनी वारदात हुई हैं, लेकिन किसी भी मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित अदालतों के गठन का फैसला हुआ है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रति सरकार की उदासीनता एक बड़ी समस्या है। इसी से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। अदालतों की अपनी मजबूरियां हैं। स्थानीय पुलिस की भी इसमें बड़ी भूमिका रहती है। अपराधियों को अक्सर मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, यह गंभीर सवाल है।

विध्वंस का महिमामंडन

कोई भी समाज अपने सभ्य होने के क्रम में अतीत की नकारात्मक छवियों और गलतियों को दूर करता है और आगे की राह को ज्यादा से ज्यादा सौहार्दपूर्ण बनाता है। बीते हुए दौर में अगर किन्हीं वजहों से कोई सामूहिक बर्ताव सवालों के घेरे में खड़ा होता है तो उसे दुरुस्त करने या उससे बचने की कोशिश ही समाज को मानवीय बनाने के लिए आगे के सफर पर ले जा सकती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अतीत की किसी ऐसी अराजक गतिविधि का भी महिमामंडन किया जाता है जिसे एक सभ्य और विकासमान समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक के मंगलुरु शहर के एक स्कूल में सांस्कृतिक समारोह के दौरान जिस गतिविधि का आयोजन किया गया, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आज भी सामाजिक सौहार्द के सामने किस तरह चुनौतियां खड़ी हैं। गौरतलब है कि आरएसएस से जुड़े स्कूल श्रीराम विद्या मंदिर में आयोजित वार्षिक खेल समारोह के दौरान एक हिस्से में बाबरी मस्जिद के ढांचे के विध्वंस का नाट्य रूपांतरण दिखाया गया, जिसमें ढेर सारे बच्चे भाग ले रहे थे और दर्शकों में भी बच्चों की बड़ी तादाद थी।

पहली नजर में यह एक सामान्य-सी बात लग सकती है, लेकिन इस प्रस्तुति में सोच और अभिव्यक्ति के कई ऐसे स्तर दिखते हैं जो व्यक्ति और समूह की सोच के दायरे को और संकीर्ण कर सकते हैं। अव्वल तो छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जिस तरह अराजक तरीके से गिराया गया था, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका समर्थन करना संभव नहीं है। वह एक गैरकानूनी और अराजकता फैलाने वाली गतिविधि थी और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समूचे विवाद पर अपने फैसले में उसे गलत ठहराया है। अगर इसे इसी तरह इतिहास के एक ब्योरे के रूप में बच्चों के सामने रखा जाता है या उन्हें इस समूचे प्रसंग से परिचित कराया जाता है तो उसका एक स्पष्टीकरण हो सकता है। लेकिन अराजक विध्वंस की उस घटना का महिमामंडन करती कोई प्रस्तुति आखिर एक सभ्य व्यवस्था में जीते बच्चों और दूसरे लोगों के भीतर किस तरह का संदेश देगी? अब इस प्रस्तुति के आयोजन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जाहिर है, यह इस मामले का कानूनी पहलू है और जरूरी कार्रवाई होगी, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इस तरह की प्रस्तुति का खयाल आयोजकों को क्यों आया!

एक राजनीतिक समूह की कोई विचारधारा हो सकती है। उसका उपयोग देश की राजनीति में हो सकता है। लेकिन किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर अतीत की किसी ऐसी घटना के महिमामंडन में शामिल किया जाए, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने भी गलत ठहराया है, तो उसे कैसे देखा जाएगा! यह छिपा नहीं है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद ने बहुत लंबे दौर तक देश की राजनीति और सामाजिक सोच को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह मामला फिलहाल अपने अंजाम तक पहुंच गया लगता है। इस फैसले के बाद जागरूक और संवेदनशील समूहों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस अध्याय को पीछे छोड़ कर अब सौहार्द के सफर पर आगे बढ़ा जाए, ताकि संबंधित दोनों धार्मिक समुदायों के बीच प्रेम और विश्वास का माहौल फिर से तैयार हो। लेकिन अतीत की किसी घटना ने देश में दो समुदायों के बीच दूरी की जो रेखा खींची थी, अगर उसे और गहरा करने की कोशिश की जाएगी तो उसके कोई सकारात्मक नतीजे नहीं सामने आ सकते।

कल्पमेधा

स्त्रियों की उन्नति और अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर है।

– अरस्तू

देश की विरासत से खिलवाड़

स्वामी अग्निवेश

संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में सभी धर्मों, जातियों और लिंगों को बराबरी का अधिकार दिया था। ऐसे में यह कानून भारतीय संस्कृति, संविधान में दिए गए समानता के अधिकारों के साथ ही आजादी के संघर्ष के दौरान निर्मित सामाजिक-राजनीतिक मूल्यों के खिलाफ जाता है।

नागरिकता संशोधन कानून-2019 को लेकर समूचा देश आक्रोशित है। जगह-जगह से धरने-प्रदर्शन और विरोध की खबरें आ रही हैं। विपक्ष के साथ ही देश के बुद्धिजीवियों ने भी इसे देश के सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरनाक बताया है। धार्मिक आधार पर भेदभाव वाले इस कानून की चारों ओर आलोचना हो रही है और इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को बदलने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत के इतिहास में अभी तक किसी को धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता देने से मना नहीं किया गया है। लेकिन इस कानून के बाद भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे मुसलमान भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएंगे।

देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान इस कानून से डरा और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। न सिर्फ मुसलमान, बल्कि पूर्वोत्तर के हिंदू भी इस कानून को अपने हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में भी इसका विरोध करते हुए जन समुदाय सड़कों पर है। देश और दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राएं इसका मुखर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के जामिया, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में धरना-प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसी भी लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार उसके जिंदा रहने का सुबूत होता है। लेकिन जिस तरह से छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, वह निंदनीय है। देश में व्यापक नागरिक समाज इसके विरोध में उतर आया है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों ने इसे लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम बंगाल में तो इसका विरोध उग्र रूप अख्तियार करता जा रहा है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में तनावपूर्ण हालात हैं। सेना और पुलिस की तैनाती के बाद भी प्रदर्शनकारी कर्फ्यू तोड़ सड़कों पर हैं।

भारतीय समाज को संविधान से मिले समानता और कानूनी बराबरी के अधिकार को खंडित करने वाले इस कानून पर पूरी दुनिया की नजर है, जो कूटनीतिक तौर पर देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआइआरएफ) ने स्पष्ट कहा कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून 'गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम' है। भारत के इस कदम से यूएससीआइआरएफ बेहद चिंतित है। आयोग ने कहा, 'धार्मिक बहुलवाद भारत और अमेरिका दोनों ही देशों की नींव है और हमारे साझा मूल्यों में से एक है। नागरिकता के लिए धर्म को आधार बनाना बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करता है।'

देश भर में हो रहे हिंसक और उग्र विरोध को देखते हुए ही गृहमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून में बदलाव का संकेत दिया है। उनका कहना है कि हम इसका समाधान ढूंढ़ने के लिए सोच सकते हैं। इस अधिनियम से पूर्वोत्तर के लोगों के संस्कृति, भाषा, सामाजिक पहचान और राजनीतिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने विरोध करने वालों का कपड़ा देखने की बात कह कर इस मामले में सत्तापक्ष का रुख साफ कर दिया है। सवाल है कि विरोध करने वालों का कपड़ा और रंग देख कर क्या किसी देश में न्याय किया जाता है? ऐसे में क्या यह समझा जाए कि देश में जो उग्र विरोध हो रहा है उसे शांत करने में शासन-प्रशासन की कोई रुचि और जिम्मेदारी नहीं है?

सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को इस कानून में कुछ सहूलियत देने की बात कर रही है। लेकिन सवाल केवल पूर्वोत्तर का नहीं है। सवाल देश के इतिहास, परंपरा, चरित्र और संविधान की मान्यताओं का है। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी इस कानून को अपने नागरिकता पर संकट का आहट मान कर सड़कों पर उतर चुकी है। अल्पसंख्यकों को भय है कि हिंदुत्व की पैरोकार सरकार कहीं धीरे-धीरे उसे दोयम दर्जे का नागरिक न घोषित कर दे। विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून-2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में उन मुसलमानों को नागरिकता देने के दायरे से बाहर रखा गया है जो भारत में शरण लेना चाहते हैं।

सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और

अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होती है और वे भारत में शरण चाहते हैं। इन देशों में मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता है। ऐसे में हम वहां से आए अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं। सरकार की यह दलील सही नहीं है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में न सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, बल्कि अहमदिया मुसलमानों के साथ भी भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं। दूसरा, सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर ही कोई एक देश से दूसरे देश में जाकर नागरिकता नहीं पाना चाहता। आधुनिक समय में रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए भी लोग दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका में भारत और एशिया के कई देशों के लाखों लोग नागरिक हैं। उन्हें उनका धर्म देख कर नागरिकता नहीं दी गई है। धर्म को नागरिकता की कसौटी बनाना आधुनिक राष्ट्र-राज्य के विचार का ही विरोध है।

सवाल यहीं से उठना शुरू होता है। भारत सदियों से धर्मनिरपेक्ष चरित्र का देश रहा है। जंगे आजादी में हर जाति और धर्म का खून बहा है। भारत की धार्मिक और जातीय एकता अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनी रही। अंत में देश छोड़ने के पहले से ही भारतीय उपमहाद्वीप को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की साजिशें शुरू हो गई थीं। जिन्ना और मुसलिम लीग के नाम से उन्हें एक मोहरा मिल गया था। लेकिन देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा होने के बावजूद हमारे नेताओं ने धर्म के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में सभी धर्मों, जातियों और लिंगों को बराबरी का अधिकार दिया था। ऐसे में यह कानून भारतीय संस्कृति, संविधान में दिए गए समानता के अधिकारों के साथ ही आजादी के संघर्ष के दौरान निर्मित सामाजिक-राजनीतिक मूल्यों के खिलाफ जाता है।

नागरिकता कानून का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि केंद्र सकार ने इस कानून को बना कर जिन्ना के द्वि-राष्ट्रवाद को स्वीकार कर लिया है। इस कानून से भारत की वह पहचान और विशेषता खंडित हो गई, जिसका जिक्र स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद में अपने भाषण में किया था। विवेकानंद ने कहा था-'जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों-करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी।'

ऐसे में संशोधित नागरिकता कानून न केवल देश के गणतंत्र को छिन्न-भिन्न कर देगा, बल्कि देश की संस्कृति और उसकी परंपरा को भी रौंदने का काम करेगा। यह गैर-संवैधानिक तो है ही, साथ ही भारत की बहुधार्मिक, बहुनस्लीय और बहुभाषी संस्कृति और देश की हजारों साल पुरानी सौहार्दपूर्ण विरासत को भी मटियामेट करने वाला है।

मंजिल की बुनियाद

शिवांशु राय

दुनिया मेरे आगे

दसवीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने कहा- 'बुनियाद मजबूत कर रहा हूं, इमारत तो बहुमंजिला ही बनाना है।' ऐसा उसके मुंह से पहली बार मैंने सुना था। यह बात मेरे जेहन में बैठ गई। वास्तव में जीवन का यही तो निर्विवाद सत्य है, जिसकी बिसात पर सफलता की सीढ़ियों का निर्माण होता हैं। जीवन के शुरुआत से अंत तक अनंत भ्रमों में दिग्भ्रमित होकर हम अपने लक्ष्य से दूर त्वरित परिणाम और लक्ष्यों के लिए वैकल्पिक रास्ते की तलाश में अपनी बुनियादी संरचनाओं को खोखला करते जाते हैं और परिणामस्वरूप विफलता के कालजयी परिणामों से रूबरू होना पड़ता है। लक्ष्य के निर्धारण में मनुष्य को अनेक समस्याएं सामने आती हैं जो इस सुदूर सफर की शुरुआत में सबसे पहली बाधा होती है। लक्ष्य के निर्धारण के बाद भी मनुष्य अपने उतावलेपन जैसी मानसिकता पर काबू नहीं रख पाता। वास्तव में यह और भी खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि इंसान उस वक्त दो राह पर खड़ा हो गया रहता है।

मनुष्य जीवन मे अनेक दुश्वारियां आती हैं, जिससे व्यक्ति का मन विचलित होने लगता है। हिम्मत टूटने लगती है, पर धैर्य धारण ही एक ऐसा अस्त्र होता है जो उम्मीदों को मन में दृढ़ता से संजोए रखता है। माना जाता है कि मानवीय जीवन महत्त्वाकांक्षा से भरा हुआ होता है। ऐसे में महत्त्वाकांक्षाओं को जल्दी पूरा करना भी मनुष्य का लक्ष्य होता है। यही उतावलापन उसे अनेक गलतियों की तरफ धकेलता है, जिससे व्यक्ति अपेक्षित परिणाम न मिलने से टूट जाता है। इस अवस्था में भी धैर्य व्यक्ति को ढांढ़स दिए रहता है। दुनिया में इसके तमाम उदाहरण हैं। बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले दस हजार बार नाकाम प्रयास किया था। बावजूद इसके जब उन्होंने सफलता पाई तो उनके शब्द थे- 'मैं हारा नहीं, बल्कि मैंने ऐसे हजार रास्ते खोजे, जिनसे सफलता नहीं मिल सकती'। कितना सुंदर नजरिया है।

धैर्य भले ही इंसान को दिग्भ्रमित होने से रोकता है, पर इंसान के अंदर धैर्यवान और संकल्प भाव का संचार एकाग्रता के कारण ही आता है। आमतौर पर मनुष्य का मन विचलित अवस्था में अधिक रहता है, जिसका मुख्य कारण है तमाम प्रकार की मन में उठ रही उत्सुकताएं। यह अवस्था कुछ समय के लिए आवश्यक भी रहती है, लेकिन हम विचलित मन से अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति नही कर सकते, क्योंकि विचलित मन व्यक्ति को एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने, संकल्पित भाव से अडिग रहने और धैर्य रखने से रोकता है। कभी-कभी विचलित स्वभाव नकारात्मकता को भी जन्म देता है। इस कारण व्यक्ति सकारात्मक चीजों की तरफ से विमुख होने लगता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होने लगती है, मानसिक व्याकुलता में वृद्धि होती है। उतावलेपन में व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, जो कभी-कभी पतन का कारक बन जाता है। एकाग्रता सबसे पहले मानसिक रूप से व्यक्ति को दृढ़, संयमी और धैर्यवान बनाती है। दृढ़ता व्यक्ति को साहसी बनाती है और साहसी व्यक्ति ही अपने जीवन में निर्णायक कदम उठा सकता है।

मजबूत बुनियाद के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा दो प्रकार से व्यक्ति के अंदर आती है- बाहरी और आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा के स्वरूप को देखें तो इसमें स्थायित्व नहीं होता, बल्कि ये क्षणिक होती है, जिसका बिखरना तय है। यह सिर्फ प्रेरक पर निर्भर करती है। जब तक प्रेरक विद्यमान है, तब तक ही बाहरी प्रेरणा व्यक्ति को प्रेरित करता है। यह कभी-कभी व्यक्ति के अंदर मानसिक दबाव, तनाव आदि भी पैदा कर देता है, जिससे उसके अंदर हीनभावना उत्पन्न हो जाती है। इससे कार्य-क्षमता और रचनात्मकता में गिरावट आने लगती है। दूसरी ओर, अंदरूनी प्रेरणा व्यक्ति के अंदर दो कारणों से उत्पन्न होती है। पहला अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने और दूसरा जिम्मेदारियों के निर्वहन का दायित्व समझने पर। जिम्मेदारियां व्यक्ति को अपने लक्ष्य और संकल्प को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह सर्वविदित है कि जिम्मेदारियों की कमी प्रेरणा को भी छीन लेती है। इससे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक प्रेरणा का संचार होने लगता है। यानी कुल मिला कर आंतरिक प्रेरणा हमेशा व्यक्ति में बनी रहती है और यह सकारात्मकता का संचार करते हुए उसे धैर्यवान और संकल्पित बनाती है। इसके बाद इंसान की सबसे बड़ी चुनौती दौड़ में खुद को बनाए रखने की होती है, क्योंकि इससे अपनी वास्तविकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कड़ी में इच्छा और इरादा में फर्क करना मनुष्य सीख जाता है, क्योंकि इच्छा डगमग हो सकती है, उसका सौदा हो सकता है, पर इरादे को कोई किसी भी कीमत पर हिला नहीं सकता। और यही मंजिल की ओर राह प्रशस्त करने का जरिया बन जाती है।

इस तरह जिंदगी के रंगमंच पर सफलता की राह में किसी भी मनुष्य को लक्ष्य का निर्धारण, धैर्यपूर्वक और संकल्पित होकर आंतरिक प्रेरणा को उद्वेलित करते हुए उसे आत्मसात करना अहम है। इसी राह पर एक मजबूत बुनियाद की शुरुआत होती है जो भविष्य में व्यक्ति को हर मोड़ पर अलग-अलग तरीकों से मददगार होती है और यही अवस्था स्थायित्व का भी निर्माण करती है।

प्रतिभा का ठौर

इसमें दो राय नहीं कि राष्ट्रप्रेम हर व्यक्ति के लिए सर्वोपरि होना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में देशवासियों को योगदान देना चाहिए। प्रतिभासंपन्न व्यक्ति ही किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक संपदा होती है। इन्हीं की दशा और दिशा पर देश का भविष्य निर्धारित होता है। इन्हीं की बहुलता के कारण कोई देश समृद्ध, खुशहाल और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी माना जा सकता है। देश-विदेश के जिज्ञासु, विद्वान और प्रतिभासंपन्न लोग इसी कारण हमारे देश में खिंचे चले आते थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी है।

प्रतिभा का पलायन कोई नई समस्या नहीं है और न ही किसी एक देश तक सीमित है। यह समस्या दशकों पुरानी है और विश्व के अधिकतर विकासशील देश इससे पीड़ित हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक नुकसान भारत का हो रहा है, क्योंकि प्रतिभासंपन्न लोगों के क्षेत्र में भारत काफी धनी है, लेकिन सबसे अधिक प्रतिभाओं का पलायन यहीं से हो रहा है। हालांकि पहले भी प्रतिभाओं का पलायन होता रहा है, लेकिन इस समस्या को उदारीकरण ने और हवा दी है। साठ से नब्बे के दशकों में ज्यादातर बीस-पच्चीस वर्ष की आयु की युवा प्रतिभाएं ही देश से पलायन करती थीं। नए होने के कारण इन्हें इस उम्र में दूसरे देश के वातावरण और कार्य शैली में ढलने में आसानी होती थी। दूसरा, उस समय अधिकतर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि ही जाते थे।

आज भारत से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति विदेश पलायन कर जाते हैं, जिससे भारत में उच्चस्तरीय प्रतिभाओं की कमी हो जाती है। भारत से डॉक्टर व्यापक रूप से विदेशों में पलायन कर रहे हैं, जबकि भारत में जनसंख्या से अनुपात में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। विशेषकर भारत के गांव डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। अब वक्त आ गया है और विकास को गति देने के लिए प्रतिभाओं के पलायन को रोकना आवश्यक है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां और वातावरण बनाना होगा। यह सरकार की इच्छाशक्ति और महत्त्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वह इस दिशा में जितनी शीघ्र ठोस कदम तो उचित होगा। भारत सरकार को प्रतिभा पलायन जैसे मुद्दे के लिए सख्त कदम उठाने ही होंगे। देश की प्रतिभाएं अगर देश के ही हित में काम करें तो यह सबसे बेहतर होगा। इसी रास्ते हम अपना वास्तविक सामाजिक विकास कर पाएंगे।

● *अनु मिश्रा, बिदुना, सिवान*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कसौटी पर संबंध

नागरिकता संशोधन कानून के अमल में आने के बाद पड़ोसियों से हमारे संबंध प्रभावित होंगे। भारत का अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध भले ही मधुर न हों, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध घनिष्ठ रहे हैं। बल्कि बांग्लादेश तो हमारा वह पड़ोसी देश है, जिसको अस्तित्व प्रदान करने में भारत का बड़ा योगदान था और इसी कारण उससे हमारे संबंध बड़े ही घनिष्ठ रहे। अफगानिस्तान से वैसे तो भारत की सीमा नहीं मिलती, फिर भी हमारे संबध उस देश से बड़े ही मधुर रहे हैं। और पिछले पंद्रह वर्षों में भारत ने वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बड़ा योगदान दिया है। वहां के बहुत सारे नागरिकों ने भारत में शरण भी ले रखी है। ऐसे में हाल में पारित नागरिकता कानून इन दोनों मित्रों से हमारे संबंध को कसौटी पर खड़ा होने का कारण बनता नजर आ रहा है। हमने अगर सभी पड़ोसियों को इसमें सम्मिलित किया होता तो संबंधों पर प्रभाव कम पड़ता, पर वर्तमान रूप में यह कानून हमें अपने पड़ोसियों से दूर करने का कारण बन जाएगा। अपने पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ना हमारे हित में कदापि नहीं हो सकता। इसलिए समझदार नागरिक को देशहित में इस कानून का विचार करना चाहिए।

● *वारिस हुसैन, दिल्ली*

लोकतंत्र का कठघरा

सरकार का आरटीआई कार्यकर्ता और खोजी पत्रकार से हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहता है। इसीलिए 2010 में असम का कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अखिल गोगोई पर माओवादी होने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में बढ़ते विरोध को देखते हुए मामला वापस लिया गया। ठीक उसी दृश्य को दोहराते हुए नागरिकता कानून के विरोध में रैली आयोजित करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा उन पर यूएपीए जैसे खतरनाक कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले अगस्त में ही पारित इस कानून के तहत एनआइए का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी किसी को भी आतंकवादी करार दे सकता है। अखिल गोगोई को इसका पहला शिकार बनाया गया है। सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक इस कानून में यह है कि इसकी कोई न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। अभियुक्त सिर्फ गृह सचिव के पास अपील कर सकता है। यह पद कितना निष्पक्ष होता है, सभी को मालूम है। वर्तमान सरकार जिस तरह के कदम उठाए जा रही है, उसका जवाब में उसे भविष्य में देना पड़ सकता है। देश का लोकतंत्र एक दिन सबको कठघरे में खड़ा करता है।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

किसका विश्वास

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध संसद से लेकर सड़क तक पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल देश में फिर नोटबंदी के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि डॉ आंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया, उसका लोहा अंग्रेजों ने भी माना था। गांधी और आजाद ने इसे सराहा था। ऐसे कानून को छेड़ कर सरकार विचित्र नीतियां थोपने का काम कर रही है। देश की मिट्टी में सभी का खून शामिल है। देश किसी एक समुदाय का कैसे हो सकता है। गांधी के देश में सरकार ऐसी सोच वाली विचाधारा लागू कर रही है, जिनकी देश की आजादी में कोई भूमिका नहीं रही।

पूर्ण बहुमत की सरकार का यह मतलब नहीं कि पूरे संविधान को बदलने का प्रण कर लिया जाए। नोटबंदी के समय भी देश हित का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया गया था कि इससे आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, काले धन पर लगाम लगेगा। मगर क्या हुआ, यह देश की जनता देख रही है। जहां देश में चर्चा अर्थव्यवस्था को सुधारने, नौकरी के अवसर तलाशने-बनाने की होनी चाहिए, वहां फिजूल के मुद्दों से लोगों का ध्यान बंटाया जा रहा है। सरकार का नारा- 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास', केवल मुहावरा ही साबित हुआ है।

● *मोहम्मद आसिफ, जामिया नगर, दिल्ली*

नई दिल्ली

www.readwhere.com

चमड़े के उत्पादन में कई तकनीक का होता है उपयोग

चमड़े के उत्पादन की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कई स्तरों पर कई तरह की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। चमड़ा बनाने का काम टैनरी (चमड़ा बनाने का कारखाना) में होता है। पहले जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तो टैनरी का काम बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब नई तकनीक और रसायनों के उपयोग से इसके स्तर में काफी सुधार आया है। अब रसायनों के उपयोग से इसका शोधन आसान हो गया है।

सूचनापट्ट

दाखिले

आंबेडकर विवि, दिल्ली

आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) के द स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल आंत्रप्रन्योरशि ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में दाखिले शुरू किए हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को या तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की ओर से आयोजित कैट देनी होगी या फिर उन्हें एयूडी की ओर से एमबीए के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इतना ही नहीं उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकता है ताकि बेस्ट स्कोर के आधार पर उसे दाखिला मिले सके। एयूडी की परीक्षा 23 फरवरी 2020 को आयोजित होगी। सत्र जुलाई 2020 से शुरू होगा।

अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2019

बीएसडीयू, जयपुर

भारतीय स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय (बीएसडीयू), जयपुर ने बैचलर ऑफ वोकेशन (बीवोक) और मास्टर ऑफ वोकेशन (एमवोक) में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रिगेडियर (डॉक्टर) एसएस पाब्ला के मुताबिक बीएसडीयू में विद्युत कौशल, मोटर वाहन कौशल, बढ़ई कौशल, निर्माण कौशल, उद्यमिता कौशल, विनिर्माण कौशल, कार्यालय प्रशासन कौशल, धातु निर्माण कौशल, आइटी-नेटवर्किंग कौशल, मशीनलर्निंग एआइ कौशल, आतिथ्य एवं पर्यटन कौशल आदि पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। बीवोक में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को पीसीएम के साथ बारहवीं पास या दसवीं के बाद दो साल की आइटीआइ प्रमाणपत्र होना चाहिए। एमवोक में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी के पास बीवोक, बीटेक (संबंधित क्षेत्र में) होना जरूरी है। विश्वविद्यालय मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी देता है।

अंतिम तिथि : 15 जनवरी, 2020

इग्नू, दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में जनवरी सत्र के लिए 150 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इनमें सर्टिफिकेट से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल हैं। अधिकतर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के मुताबिक सभी पाठ्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर मौजूद है।

अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2019

प्रवेश परीक्षा

नीट यूजी-2020

देश के सभी मेडिकल संस्थानों में एबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी परीक्षा 2020) के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन (जिपमेर) में भी इसी परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। अभ्यर्थी राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) और नीट की संयुक्त आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को 27 मार्च से इस परीक्षा के प्रवेश पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। 3 मई 2020 को एनटीए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। 4 जून को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

अंतिम तिथि : 30 दिसंबर, 2019

छात्रवृत्ति

द जेएन टाटा एंडोवमेंट

द जेएन टाटा एंडोवमेंट की ओर से लोन छात्रवृत्ति के लिए उन विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस योजना के तहत वे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते जो पहले से इस योजना के तहत किसी पाठ्यक्रम के लिए लाभ ले चुके हैं। चयनित उम्मीदवारों को उनकी शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर यात्रा अनुदान और उपहार पुरस्कार भी प्राप्त होगा। देश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान, कॉलेज से स्नातक पूरा कर चुके विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं। या फिर जो विद्यार्थी जिन्होंने विदेश से अपने दो वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के दूसरे वर्ष की शुरुआत कर रहे हों। विद्यार्थी ने अपनी पूर्व परीक्षा में कम से कम 60 फीसद अंक हासिल किए हों। एक लाख से 10 लाख रुपए तक की लोन छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

अंतिम तिथि : 9 मार्च, 2020

बेटियों को बचाने का पहला कदम

मीना

बेटी पैदा होने का मतलब खर्च बढ़ जाना। उसकी शादी और दहेज के लिए भी धन इकट्ठा करना पड़ेगा। बेटी के जन्म पर परिवार में ऐसी चिंताएं फैल जाती हैं। आज कितने ही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान शुरू हो गए हों, लेकिन फिर भी बेटियों की हत्या रुक नहीं रही है। कभी बलात्कार, कभी एसिड अटैक तो कभी गर्भ में ही लड़की के भ्रूण को मार डालना। बेटी की पैदाइश पर मातम नहीं खुशियां मनें इसकी ही कोशिश कर रही हैं वाराणसी की डॉ शिप्रा धर।

वाराणसी में डॉ शिप्रा अपना छोटा सा अस्पताल चलाती हैं, जहां वे बेटी के पैदा होने पर प्रसव खर्च नहीं लेती हैं। वे बताती हैं कि हमने जुलाई 2014 में शुरुआत की थी। वे बताती हैं कि हमने ज्यादातर घरों में देखा कि जब लड़की पैदा होती थी तब मायूसी और मातम जैसा छा जाता था। तब मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस समय तो लोगों को दुख न हो कि बेटी हुई है। हमने सोचा कि कुछ उपहार दे देंगे। लेकिन फिर मेरे पति ने कहा कि इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो जब लड़की पैदा हो तो किसी भी तरह का कोई प्रसव शुल्क मत लो। तो अब हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते। जब महिलाएं यहां नर्सिंग होम में प्रसव के लिए आती हैं और उनकी बेटी हो जाए और ऊपर से जब फीस देने का समय आता है तब घर वाले कहते हैं कि अरे मैडम एक तो पेट चीर दिया, लड़की निकाल दी अब ऊपर से आप पैसे भी मांगेंगी। ये बात वे तब नहीं कहते जब लड़का हो जाए और ऑपरेशन करना पड़े। लड़की होने के बाद हाय, तौबा मचा देते हैं। ये सब सुनते-सुनते मैं परेशान हो गई थी। और मैं खुद एक महिला हूं। तो लड़कियों के लिए समाज का ऐसा नजरिया देखकर बहुत दुख होता था।

शिप्रा बताती हैं कि मेरा घर ऊपर है और नीचे नर्सिंग होम है। तो जिस दिन लड़का पैदा होता था उस दिन मेरे बच्चों को ऊपर पता चल जाता था कि आज किसी लड़के की डिलीवरी हुई है। काम के बाद जब मैं ऊपर जाती थी तब बच्चे पूछते थे कि मम्मी आज लड़का हुआ न। तो हम पूछते थे कैसे पता। तो बच्चे बताते कि आज नीचे बहुत हल्ला हो रहा था न। बेटे के बाद घर वाले खुशी से कहते हैं 'अरे बेटा भइले ला। दादी बन गऐलु।' और बेटी के बाद कोई खुशी नहीं होती। सब शांत। सब सन्नाटा।

बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें

डॉ शिप्रा बताती हैं कि साल 2000 से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर लड़का लड़की का भेदभाव इतना देखा कि लगा कि अब बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए तब हमने बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच का नारा दिया। बिना किसी सरकारी मदद के शिप्रा लोगों की मदद करती हैं। वे कहती हैं कि जब आवश्यकताओं को कम कर दो तो खर्च कम हो जाता है। बस इसी सोच पर हॉस्पिटल चला रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अब तो कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जो पूरे नौ महीने कहीं और दिखाते हैं और प्रसव के समय मेरे पास आते हैं। फिर बाद में कुबूलते हैं कि हमें मालूम था कि यहां लड़की पैदा होने पर प्रसव का शुल्क नहीं लिया जाता। शिप्रा बताती हैं कि कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आपकी जैसी बने।

लैंगिक असमानता

मुहिम में पति ने की मदद

शिप्रा बताती हैं कि उनके पिता जब शिप्रा छोटी थीं तब गुजर गए थे। जिससे उनका पालन-पोषण अपने ननिहाल में हुआ। वे महिला सोच के बीच पली बढ़ीं। वे बताती हैं कि मेरी इस मुहिम में मेरे पति ने बहुत मदद की। मेरी ससुराल के लोग भी मेरे काम से बहुत खुश थे। लेकिन जब शुरूआत की थी तब समस्या आई थी। क्योंकि तब बच्चे छोटे थे। पर संघर्ष करते रहे और आज सब कुछ सबके सामने है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा

शिप्रा बताती हैं कि जब कोई मेरे काम के बारे में कहता है कि मोदी जी से प्रेरणा लेकर शुरू किया। तब हम गर्व से कहते हैं कि नहीं हमने मोदी जी से पहले शुरूआत की थी। मोदी जी का बेटी बचाओ अभियान बाद में शुरू हुआ। शिप्रा बताती हैं कि बेटी बचाओ अभियान से हमें फायदा ये हुआ कि हमारे काम को भी पहचान मिलने लगी। शिप्रा की अब तक दो बार प्रधानमंत्री मोदी से बात हो चुकी है। वे बताती हैं कि मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले जब वाराणसी आए थे एक कार्यक्रम में। जिसमें 10 विशिष्ट जनों को बुलाया गया था। तो उसमें से हम भी एक थे। हम सब ने भी अपने काम के बारे में बताया। फिर मोदी जी ने अपने भाषण के बीच में मेरे काम के बारे में बोला। तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। हम तो रोने ही लगे थे। इतने बड़े आदमी ने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला।

शिप्रा कहती हैं कि अभी भी समाज को बहुत बदलने की जरूरत है। हमने शुरुआत की है। लेकिन फिर भी लोगों को लड़कियों के प्रति अपनी सोच बदलने में बहुत समय लगेगा। शिप्रा अपने काम के अनुभव सांझा करते हुए कहती हैं कि अब तो ऐसे केस आते हैं जिसमें लड़की होने पर लोग खुशी जताते हैं और कहते हैं मैडम बधाई हो लक्ष्मी आई है। अब मेरा पैसा नहीं लगेगा। शिप्रा खुश होकर कहती हैं कि जो डायलॉग हम लोगों से बोलते थे अब वो मुझे बोलते हैं।

गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं

शिप्रा मुफ्त प्रसूति कराने के अलावा गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हैं। उनके यहां आसपास कई बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके अलावा वे हर शनिवार को ओपीडी भी मुफ्त रखती हैं। ताकि गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकें। शिप्रा बताती हैं कि हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन समाज में अभी और लोगों को भी कोशिश करने की जरूरत है। तभी हमारी बेटियां गर्भ में मरने से बच पाएंगी।

सफलता के लिए खुद से कीजिए प्रतिस्पर्धा

परामर्श

किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में जीत या हार अधिक मायने नहीं रखती। दोनों ही स्थितियां आपको वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। अगर आप किसी परीक्षा में अच्छे अंक आने या कामयाब होने से अहंकारी हो जाते हैं तो ऐसी कामयाबी आपके लिए किसी काम की नहीं। इसी तरह अगर किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में विफल होने पर आप निराश हो जाते हैं तो भी वह प्रतियोगिता आपके लिए व्यर्थ है।

प्रतियोगिताएं मनुष्य के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत होती हैं। ये आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। इन प्रतियोगिताओं में हमेशा आपका मुकाबला आपके सहपाठियों या भाई-बहनों से होता है। यह मुकाबला गलत मोड़ तब ले लेता है, जब आपका उद्देश्य दूसरे को हराना बन जाता है। हालांकि प्रतियोगिता और तुलना किसी भी विद्यार्थी के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं लेकिन इनका उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ना चाहिए। उसे प्रतियोगिता को खुद के आगे बढ़ने की एक सीढ़ी के तौर पर देखना चाहिए न कि किसी और के बढ़ने को अपने रास्ते की रुकावट के तौर पर।

सबसे पहले खुद को जानें : हर व्यक्ति हर क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। इस बात को जल्द से जल्द स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी खूबियों को जानें और उन्हें मजबूत करें। इसी प्रकार अपनी कमियों को भी जानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति की कमियां बाद में उसकी सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं।

अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करें : दूसरों के परिणामों से खुद का मूल्यांकन नहीं करें। आप अपने लिए नए-नए लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। आपका मुकाबला खुद से होना चाहिए जिसमें आप अपने पिछले कल से अपने आने वाले कल का मुकाबला करें और हर आने वाले कल को पिछले कल से बेहतर बनने के लिए कोशिश करें।

मेहनत पर अधिक ध्यान दें : जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तब आप उनके परिणाम पर ध्यान देते हैं। ऐसा करने की बजाय आप अपनी मेहनत पर भरोसा करें और अपने कमजोर पक्ष को मजबूत करने में जुट जाएं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और जीवन में सफलता पाने के लिए इससे बचने का कोई उपाय होता ही नहीं है।

दूसरों की सोच की परवाह न करें : कई बार हम दूसरों के कहने और सोचने की बहुत अधिक परवाह करते हैं। दूसरों के कहने पर न जाएं और न ही उससे परेशान हों। खुद की क्षमताओं को पहचानें और पूरी लगन से अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाएं। दोस्तों द्वारा समझाई गईं चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं, इसलिए खुद को न समझ आने वाली चीजों को अपने दोस्तों से समझें। दोस्तों की अच्छी आदतों से भी सीख लें। हालांकि इसके लिए आपके पास बेहतर दोस्त होने जरूरी हैं।

अन्य लोगों की सफलता पर खुश हों : दूसरों की सफलता से उदास या निराश न हों, बल्कि इसे उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम समझ सीख लें और खुशी जाहिर करें। इससे आपके अंदर निराशा का भाव नहीं रहेगा और आप बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।

युवा शक्ति डेस्क

चमड़ा प्रौद्योगिकी में लाखों नौकरियां

सुशील राघव

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मुताबिक चमड़ा क्षेत्र में पांच सालों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। आज चमड़े का सामान युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। फैशन और ट्रेंड का इस उद्योग पर बहुत प्रभाव है। भारत का विश्व में चमड़े के उत्पादन और जूते व चमड़े के उत्पाद में लगभग 13 फीसद हिस्सा है। चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक फीसद से कम का योगदान देता है और जूता उद्योग लगभग दो फीसद योगदान देता है। हमारे देश से पश्चिमी देशों को चमड़े का सामान और जूतों का निर्यात होता है। चमड़े का उपयोग हर तरह के उत्पाद बनाने में होता है। यह उद्योग 2020 तक 9.0 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। प्रौद्योगिकी का हर उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और चमड़ा उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। इस क्षेत्र में आकर युवा अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

चमड़ा डिजाइनिंग/ टेक्नोलॉजी में बीटेक या बीएससी करने के लिए 12वीं में भौतिक, रसायन और गणित विषय होने चाहिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआइटी) में प्रवेश के लिए जेईई-मेन की परीक्षा पास करनी होती है। उसके आधार पर देश के अन्य इंजीनियरिंग संस्थान भी बीटेक में दाखिला देते हैं। चमड़ा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर करने के लिए विद्यार्थियों के पास चमड़ा प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम

- बीएससी (चमड़ा डिजाइन) ● बीटेक (चमड़ा प्रौद्योगिकी) ● एमटेक (चमड़ा प्रौद्योगिकी)
- डिप्लोमा (चमड़ा उत्पाद डिजाइन) ● डिप्लोमा (जूते डिजाइन एवं उत्पादन) ● सर्टिफिकेट कोर्स (जूते डिजाइन एवं कटिंग) ● कंप्यूटर एडेड शू डिजाइनिंग

संस्थान

- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
- केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र, आगरा
- एवी फैशन एवं जूता तकनीकी संस्थान, चंडीगढ़
- चमड़ा सरकारी संस्थान, आगरा
- प्रौद्योगिकी एवं चमड़ा तकनीकी सरकारी कॉलेज, कोलकाता
- कर्नाटक चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरु
- पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता
- भारत विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, चेन्नई

अवसर

विदेश में भी हैं मौके

उद्योग के लोगों का कहना है कि चमड़ा प्रौद्योगिकी के जानकारों की मांग विदेश में बहुत है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों में ऐसे चमड़ा प्रौद्योगिकी के जानकारों की मांग लगातार बढ़ रही है जो प्रदूषण कम करके इस कार्य को पूरा कर सकें। इतना ही नहीं चमड़े के उत्पादों के डिजाइनरों की भी वहां की कंपनी में जबर्दस्त मांग है। विदेश में काम करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को अच्छे वेतन के साथ विदेश में उच्च गुणवत्ता के जीवन का आनंद भी प्राप्त होता है।

जरूरी गुण

- तकनीक को आसानी से ग्रहण करने क्षमता
- विज्ञान में रुचि, रसायनों का ज्ञान
- अच्छी संचार क्षमता, प्रबंधन के भी गुण
- संगठनात्मक, योजना बनाने और प्रयोगशाला में काम करने का कौशल
- क्रमबद्ध ढंग से सटीक काम करने की क्षमता
- कंप्यूटर की भी जानकारी हो
- कला में दिलचस्पी
- नई तकनीकी को अपनाने की क्षमता

कार्य

चमड़ा प्रौद्योगिकीविद का काम दफ्तर और मार्केटिंग दोनों क्षेत्रों में होता है। ऑफिस में वह चमड़ा प्रोसेसिंग और उत्पाद डिजाइनरों के साथ काम करता है, जबकि वह मार्केटिंग और सेल्स में ग्राहकों को चमड़े की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी देने का काम करता है। इसके साथ वह चमड़े के उत्पाद बनाने में जुटे तकनीकी के जानकारों को भी नए उत्पाद और नई गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है। चमड़ा प्रौद्योगिकीविद तकनीकी डिजाइनर, स्टायलिश डिजाइनर और गुणवत्ता नियंत्रण जांचकर्ता के साथ भी मिलकर काम करते हैं। वे एक्सपोर्ट हाउस, सरकारी संस्थानों, चमड़ा फर्म, चमड़ा उत्पाद उद्योग के अलावा विश्वविद्यालय और संस्थानों में प्राध्यापक भी बन सकते हैं।

वेतनमान

इस क्षेत्र में अधिकतर नौकरियां निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं। स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उम्मीदवार को इस उद्योग में 15 से 20 हजार रुपए महीने की नौकरी मिलने की संभावना होती है। इसके बाद अनुभव बढ़ने के साथ वेतनमान भी बढ़ता जाता है। नामी कंपनी में नौकरी मिलने पर वेतन भी अच्छा मिलता है। इतना ही नहीं, इस पाठ्यक्रम को करने वाले अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं जिसमें वे कई हजार से लेकर लाखों रुपए प्रति माह तक भी कमा सकते हैं।

www.readwhere.com

पटनायक नागरिकता कानून के समर्थन में, पर एनआरसी के खिलाफ

भुवनेश्वर, 18 दिसंबर (भाषा)।

ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजद एनआरसी का समर्थन नहीं करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करती है क्योंकि यह सिर्फ विदेशियों पर लागू होता है, भारतीयों पर नहीं। उन्होंने ओड़ीशा के लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर यकीन नहीं करें और शांति बनाए रखें।

पटनायक ने पहली बार दो विवादास्पद मुद्दों पर बीजद का रुख स्पष्ट किया और संशोधित नागरिकता कानून को उनकी पार्टी के समर्थन को उचित ठहराते हुए कहा कि यह सिर्फ विदेशियों पर लागू होता है, भारतीयों पर नहीं। पटनायक ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा, 'संशोधित नागरिकता कानून का भारतीयों से कोई लेना-देना नहीं है। यह सिर्फ विदेशियों पर लागू होता है।' उन्होंने कहा कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में बीजद सांसदों ने यह साफ किया कि पार्टी राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही राज्य की राजधानी में लोगों ने कानून के विरोध में शांतिपूर्ण रैली निकाली थी और पटनायक से अनुरोध किया था कि वह संशोधित नागरिकता कानून व एनआरसी पर बीजद सरकार का रुख स्पष्ट करें। मुसलिम समुदाय के सदस्यों ने पटनायक के बयान का स्वागत किया है। विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने उनके रुख को लेकर पटनायक की निंदा की है।

ओड़ीशा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा, 'नवीन बाबू ओड़ीशा के लोगों को मूर्ख मानते हैं। लोगों को पता है कि दिल्ली दरबार में बीजद क्या कर रहा है। सीएए को हां कहना और एनआरसी के लिए न कहना, मुख्यमंत्री के दोहरे मापदंड के अलावा कुछ भी नहीं है।' पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता खरवेल स्वैन ने भी पटनायक के बयान की निंदा की। स्वैन ने पत्रकारों से कहा, 'मुख्यमंत्री एनआरसी का विरोध अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए वैसे ही कर रहे है जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। एनआरसी का विरोध करके पटनायक घुसपैठियों को ओड़ीशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।' भाजपा के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज हरिचंदन ने पटनायक के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

'कांग्रेस ने रोक की मांग नहीं की'

पेज 1 का बाकी

दायित्वों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का निश्चय किया। लेकिन उसने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ यचिका में कांग्रेस ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून 'असंवैधानिक' है और यह पूर्व की सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए अंतरराष्ट्रीय संधियों के खिलाफ जाता है। सिंघवी ने कहा, 'अदालत में दायर याचिका में बुधवार की मुख्य याचिका हमारी थी जो जयराम रमेश ने दायर की थी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी याचिकाकर्ता ने अंतरिम रोक की मांग नहीं की थी। हमने अंतरिक रोक की मांग नहीं की थी। हमने केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की थी।' कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी याचिका को लेकर झूठी बातें फैलायी जा रही हैं। इस संबंध में 55-60 याचिकाएं थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि वे मुख्य याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं जिस पर 22 जनवरी को अगली सुनवाई होगी । उन्होंने कहा, 'यह कानून संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें प्रताड़ना का पता लगाने का कोई प्रावधान नहीं है और यह चुनिंदा है। इसमें अजीब बात यह है कि कानून में 'प्रताड़ना' शब्द का जिक्र नहीं है। यह केवल बयानों तक सीमित है।'

बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यौन अपराधों के संदर्भ में अपराध न्याय व्यवस्था का आकलन करने के लिए इनका स्वतः संज्ञान लिया ।प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसने राष्ट्र के मानस को झकझोर दिया था।

जजों ने कहा कि इस तरह के मामलों में विलंब ने हाल के समय में आंदोलन और लोगों के मन में अशांति को जन्म दिया।

पीठ ने इस तरह के मामलों में जांच, साक्ष्य जुटाना, फारेंसिक और मेडिकल साक्ष्य, पीड़ित के बयान दर्ज करना और मुकदमे की सुनवाई की समय सीमा सहित अनेक पहलुओं पर सभी राज्यों और हाई कोर्ट से सात फरवरी, 2020 तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

पीठ ने कहा कि बलात्कार से संबंधित कानून के प्रावधानों पर अमल और स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने की आवश्यकता है। पीठ ने अदालत की मदद के लिए इस मामले में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

तीनों सेनाओं के प्रमुख एनडीए के एक ही बैच के होंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

थल सेना, नौसेना और वायुसेना -तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की 1976 बैच के कैडेट होंगे। सैन्य बलों में तीन दशक के बाद यह अनूठा संयोग बना है, जब एनडीए के तीन दोस्त अपनी-अपनी सेना के शीर्ष कमांडर होंगे। अगले थल सेना के प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के नाम पर सरकार की मुहर लगने के बाद यह तस्वीर बन रही है। 31 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत होने के बाद नरवाणे 13 लाख की क्षमता वाली भारतीय थलसेना की कमान संभालेंगे। ऑपरेशन और कमांड का लंबा अनुभव रखने वाले नरवाणे, जनरल बिपिन रावत के बाद सबसे अनुभवी सेना अधिकारी हैं।

अनूठा संयोग

मनोज मुकुंद नरवाणे, वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने 1976 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) का 56वां कोर्स एक साथ किया था। भारतीय सेना के इतिहास में यह दूसरी बार है, जब तीनों सेनाओं के प्रमुख एनडीए के 1976 बैच के कैडेट होंगे।

इससे पहले 1991 में तत्कालीन थलसेना प्रमुख सुनीत फ्रांसिस रोडरिग्ज, नौसेना प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास और एअर चीफ मार्शल निर्मल चंद्र सूरी ने तीनों सेनाओं का नेतृत्व किया था, उन तीनों ने भी एनडीए का कोर्स एक साथ किया था। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाणे 13वें सेना प्रमुख हैं, जिन्होंने एनडीए से कोर्स किया है। एनडीए से पढ़ाई करने वाले 11 कैडेट्स नौसेना और नौ कैडेट्स वायुसेना की कमान संभाल चुके हैं। बाकी सेना प्रमुखों ने भारतीय सैन्य अकादमी, वायुसेना अकादमी और नौसेना अकादमी से पढ़ाई की है।

मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 31 मई को 24वें प्रमुख बने थे। वे हेलिकॉप्टर पायलट भी रहे हैं। एअर चीफ मार्शल भदौरिया 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख बने थे। वे फाइटर पायलट रहे हैं। सेना प्रमुख बनने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल नरवाणे पैराट्रूपर विंग से हैं।

एनडीए कैडेट के तौर पर तीन साल का कोर्स पूरा करने के बाद तीनों अपनी-अपनी कमान में पहुंचे और जून-जुलाई 1980 में अफसर के तौर पर कमीशन मिला। नरवाणे और भदौरिया एनडीए में लीमा स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। एडमिरल सिंह हंटर में थे। एडमिरल सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल नरवाणे कुछ साल तक एक ही स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं। सैन्य प्रमुख 62 साल की उम्र तक या तीन साल तक (जो भी पहले हो) सेवा दे सकता है। दूसरी तरफ थ्री-स्टार जनरल (लेफ्टिनेंट जनरल, एअर मार्शल और वाइस एडमिरल) 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं।

एलओसी पर कभी भी बिगड़ सकते हैं हालात

पेज 1 का बाकी

के अनुसार, इस साल अगस्त से अब तक संघर्षविराम उल्लंघन की नौ सौ से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तानी चौकियों को कई बार अच्छा-खासा नुकसान हुआ है। सोमवार को रात में की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के दो कमांडो और तीन घुसपैठिए मारे गए। लेकिन पाकिस्तानी सैन्य चौकियों से लगातार हिमाकत की जा रही है। इसके मद्देनजर भारतीय सेना चौकसी बरत रही है।

बुधवार को उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेट जनरल रणबीर सिंह ने लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया और वहां सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, अग्रिम चौकियों पर सैन्य कमांडरों के लगातार दौरे जारी हैं। इसी क्रम में आज का सियाचिन दौरा था। लेफ्टिनेट जनरल रणबीर सिंह के साथ फायर एंड फ्यूरी कार्प के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी थे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, संघर्षविराम उल्लंघन की घटनाओं, खासकर सुंदरबनी सेक्टर में सोमवार रात को बैट हमले के बाद सभी फील्ड कमांडरों को तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर दुश्मन को मुहंतोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी अग्रिम इलाकों में घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने व नाके स्थापित करने के लिए कहा है।

सैन्य प्रशासन और रक्षा मंत्रालय लगातार एलओसी की स्थिति की निगरानी कर रहा है। इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में लगातार धुंध पड़ रही है। सीमावर्ती इलाकों में नाले जमे हुए हैं या फिर उनमें पानी का बहाव बहुत कम है। इसका फायदा पाकिस्तानी सेना घुसपैठ के लिए उठाना चाहती है। इस कारण घुसपैठ की कोशिश में संघर्षविराम उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं।

रक्षा मंत्रालय ने सुंदरबनी सेक्टर में सभी फील्ड कमांडरों को बैट हमलों को पूरी तरह नाकाम बनाने की रणनीति के साथ ही आतंकरोधी व घुसपैठरोधी तंत्र की समीक्षा कर व्यापक स्तर पर सतर्क रहने को कहा है। उन्हें दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तत्कालीन प्रभावी जवाबी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि आतंकियों के पुराने गाइडों की निशानदेही की जाए। स्थानीय लोग उनकी गतिविधियों की सूचना स्थानीय चौकियों को दें। सभी फील्ड कमांडरों को उन चौकियों व इलाकों को चिह्नित करने के लिए कहा गया है, जहां से पाकिस्तानी सेना सबसे ज्यादा गोलाबारी व घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके आधार पर जवाबी कार्रवाई को अमल में लाने के लिए कहा गया है।

निर्भया मामले में अक्षय की याचिका खारिज

पेज 1 का बाकी

पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि 2017 के निर्णय पर फिर से विचार का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कहा कि इस याचिका में दी गई दलीलों पर अदालत पहले ही अपने मुख्य फैसले में विचार कर चुकी है। पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका किसी अपील पर बार-बार सुनवाई के लिए नहीं होती और शीर्ष अदालत मौत की सजा बरकरार रखते समय पहले ही सारे पहलुओं पर विचार कर चुकी है। उसे मुख्य फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जिसके लिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। जजों ने कहा- हमें 2017 में सुनाई गई मौत की सजा के फैसले पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं मिला। पीठ द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज करने का फैसला सुनाते ही मुजरिम अक्षय के वकील वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा।

दिल्ली सरकार की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि कानून में दया याचिका दायर करने के लिए एक हफ्ते के समय का प्रावधान है। जजों ने कहा-हम इस सबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यदि कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को कोई समय उपलब्ध है तो यह याचिकाकर्ता पर निर्भर है कि वह इस समय सीमा के भीतर दया याचिका दायर करने के अवसर का इस्तेमाल करे। पीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि दोषी ने एक बार फिर अभियोजन के मामले और अदालतों के निष्कर्षों को उठाया है लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि अक्षय ने भी पुनर्विचार याचिका में ठीक वैसे ही आधार बताए हैं जो अन्य तीन दोषियों ने अपनी याचिकाओं में उठाए थे। दोषी के वकील ने जांच में खामियों का मुद्दा उठाया तो पीठ ने कहा कि इन सब पर निचली अदालत, हाई कोर्ट और शीर्ष अदालत पहले ही विचार कर चुकी है। पीठ ने सवाल किया कि सारी सुनवाई पूरी हो जाने के बाद क्या आप जांच को चुनौती दे सकते हैं। सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी शिनाख्त परेड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि मीडिया का दबाव अभी भी है। इस संबंध में उन्होंने हाल ही में तेलंगाना में सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों की मुठभेड़ का भी जिक्र किया। अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्भया के माता-पिता भी अदालत में मौजूद थे।

इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में याचिका का विरोध करते हुए तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें मानवता रोती है और यह मामला उन्हीं में से एक है। मेहता ने कहा- कई ऐसे अपराध होते हैं जहां भगवान बच्ची (पीड़िता) को ना बचाने और ऐसे दरिंदे को बनाने के लिए शर्मसार होते होंगे। ऐसे अपराधों में मौत की सजा को कम नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो होना तय है उससे बचने के लिए निर्भया मामले के दोषी कई प्रयास कर रहे हैं और कानून को जल्द अपना काम करना चाहिए।

भारत में हिंसा पर संरा चिंतित

पेज 1 का बाकी

की प्रवक्ता ने जिनेवा में कहा कि यह चिंता की बात है कि नागरिकता कानून की प्रकृति मूल रूप से भेदभावपूर्ण है। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, 'ऐसी पहल का स्वागत होना चाहिए, यह कानून नागरिकता पाने के इच्छुक सभी समुदायों के लिए पहले से मौजूद मार्गों पर प्रभाव नहीं डालेगा।'

संशोधित नागरिकता कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। विधेयक के इस माह संसद में पेश होने के बाद से ही देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसने इसके पारित होकर कानून बनने के बाद उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून 'असंवैधानिक एवं विभाजनकारी' है।गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा, 'हम संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में हो रही हिंसा और सुरक्षा बलों के कथित तौर पर अत्यधिक बल के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। हम संयम बरतने और अभिव्यक्ति व राय रखने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के अधिकारों के पूर्ण सम्मान का आग्रह करते हैं।'

दुजारिक से पूछा गया था कि सीएए के खिलाफ भारत में जारी प्रदर्शन को लेकर क्या महासचिव कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। साथ ही दुजारिक ने कहा कि वह अधिनियम पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट की टिप्पणियों का भी जिक्र करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त की प्रवक्ता ने जिनेवा में कहा कि यह चिंता की बात है कि सीएए की प्रकृति मूल रूप से भेदभावपूर्ण है। संशोधित कानून भारत के संविधान में निहित समानता के कानून और नागरिक व राजनीतिक अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध व नस्लीय भेदभाव -उन्मूलन के लिए हुई संधि के तहत भारत के दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को कमतर करता है। भारत इस अनुबंध व संधि का हिस्सा है जो नस्लीय, जातीय या धार्मिक आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त की प्रवक्ता ने कहा, 'नागरिकता प्रदान करने संबंधी व्यापक भारतीय कानून पहले से मौजूद हैं, इन संशोधनों का राष्ट्रीयता तक लोगों की पहुंच पर भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।' भारत ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून विभिन्न देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण पहले से भारत में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

नागरिकता कानून पर रोक से इनकार, केंद्र को नोटिस

पेज 1 का बाकी

22 जनवरी को सुनवाई करेगी। पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस दलील से भी सहमत हुई कि आम जनता को इस कानून के उद्देश्यों और विवरण से अवगत कराया जाना चाहिए। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि इस कानून के प्रावधानों के बारे में जनता को जागरूक बनाने के लिए आडियो-वीडियो माध्यम का इस्तेमाल करने पर विचार करें। वेणुगोपाल ने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की और कहा कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने नए कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया। अटार्नी जनरल ने इसका विरोध किया और कहा कि कम से कम चार ऐसे फैसले हैं जिनमें यह व्यवस्था दी गई है कि कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जजों ने कहा- हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इस कानून पर रोक लगाने के बारे में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी को दलीलें दी जा सकती हैं।

एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अभी नियम बनाए जाने हैं। इंडियन यूनियन मुसलिम लीग ने भी इस कानून को चुनौती दी है। इस दल ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून संविधान में प्रदत्त समता के मौलिक अधिकार का हनन करता है और इसका मकसद अवैध तरीके से भारत आए शरणार्थियों में से एक वर्ग को धर्म के आधार पर अलग करना है।

इस याचिका में नागरिकता संशोधन कानून के क्रियान्वयन के साथ ही विदेशी नागरिक आदेश, 2015 और पासपोर्ट (आगमन के नियम) संशोधन विनियमन 2015 पर अंतिरम रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कानून को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में कहा है कि क्या भारत में नागरिकता देने या इससे इनकार करते समय धर्म एक पहलू हो सकता है? याचिका में कहा गया है कि इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण कानूनी सवाल अदालत के विचारार्थ उठाए गए हैं।

इसके अलावा राजद के मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, एआइएमआइएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, आल असम स्टूडेंट्स यूनियन, सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, रिहाई मंच, पीस पार्टी, वकील मनोहर लाल शर्मा और कानून के छात्रों ने भी नागरिक संशोधन कानून को चुनौती दी है। संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इसे अपनी संस्तुति देकर कानून का रूप प्रदान कर दिया था।

मिस्त्री को बहाल करने का आदेश

पेज 1 का बाकी

किए जाएं। साथ ही, उसने इस पद पर एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को गैरकानूनी बताया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश चार सप्ताह बाद अमल में आएगा। टाटा संस को अपील करने के लिए यह समय दिया गया है।

न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिका मिस्त्री और दो निवेश कंपनियों की तरफ से दाखिल की गई थी। जुलाई में न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साइरस मिस्त्री टाटा संस के छठे अध्यक्ष थे और उन्हें इस पद से 24 अक्तूबर 2016 को हटा दिया गया था। रतन टाटा के बाद उन्होंने दिसंबर 2012 में अध्यक्ष का पद संभाला था।

इस वाद में निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण ने टाटा संस को पब्लिक फर्म से बदल कर प्राइवेट फर्म बनाने की कार्रवाई को भी रद्द कर दिया है।

टाटा संस में मिस्त्री के परिवार की हिस्सेदारी 18.4 फीसद है। मिस्त्री ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में उन्हें पद से हटाए जाने को चुनौती दी थी। मिस्त्री के परिवार की कंपनी साइरस इन्वेस्टमेंटस एंड स्टर्लिंग इनवेस्टमेंट्स ने टाटा संस और रतन टाटा समेत 20 अन्य के खिलाफ उत्पीड़न और कुप्रबंधन का मामला दर्ज कराया था।

कंपनी कानून, 2013 की धारा 244 कंपनी के किसी शेयरधारक को कंपनी के खिलाफ उत्पीड़न और कुप्रबंधन का मामला दर्ज कराने की अनुमति देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कंपनी के निर्गमित शेयरों का कम से कम 10 फीसद हिस्सा उसके पास होना चाहिए।

एनसीएलटी के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने पर साइरस मिस्त्री के पक्ष को आंशिक जीत मिली थी। एनसीएलएटी ने 10 फीसद शेयरधारिता की शर्त को हटा दिया, लेकिन मामले को फिर विचार के लिए एनसीएलटी में भेज दिया था।

पिछले साल जुलाई में एनसीएलटी ने मिस्त्री को पद पर बहाल किए जाने की याचिका खारिज कर दी और कुप्रबंधन व अल्पांश हिस्सेदारों के उत्पीड़न के आरोपों को भी खारिज कर दिया था। उसके बाद मिस्त्री ने मुंबई एनसीएलटी के निर्णय के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की।

लॉटरी पर 28 फीसद दर से जीएसटी

पेज 1 का बाकी

18 फीसद करने का भी निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि बैठक में औद्योगिक पार्क स्थापित करने में सुविधा के लिए औद्योगिक भूखंडों के दीर्घकालिक पट्टों पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय भी किया गया है। परिषद ने जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 के तहत विवरण दाखिल नहीं करने के मामलों में जुर्माने में ढील देने का निर्णय लिया है। जीएसटी परिषद ने बुधवार को पहली बार किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मतदान का सहारा लिया और लॉटरी पर कर को लेकर यह नौबत आई। इस मुद्दे पर राज्यों के बीच मतैक्य नहीं हो पा रहा था और बहुमत से लॉटरी पर 28 फीसद की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय हुआ। इससे पहले परिषद की 37 बैठकों में एकमत से निर्णय लिए जाते रहे। सूत्रों ने बताया कि 38वीं बैठक में जब लॉटरी पर कर का मुद्दा रखा गया तो राज्यों में मतैक्य का अभाव रहा। इस कारण मामले में बहुमत से निर्णय लेने के लिए मतदान का सहारा लिया गया। सूत्रों ने कहा कि लॉटरी पर एक मार्च से 28 फीसद की दर से एकसमान कर प्रभावी होगा। अभी लॉटरी पर कराधान में दो तरह की व्यवस्था है। इसके तहत राज्य की लाटरी की राज्य में बिक्री पर 12 फीसद और राज्य के बाहर की बिक्री पर 28 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

उन्होंने बताया कि 21 राज्यों ने 28 फीसद की दर से जीएसटी लगाने का समर्थन किया, जबकि सात राज्यों ने इसका विरोध किया। लॉटरी उद्योग लंबे समय से 12 फीसद की दर से एकसमान कर लगाने और पुरस्कार की राशि को करमुक्त करने की मांग कर रहा था। उसका कहना था कि दोहरे कर से लॉटरी उद्योग की वृद्धि पर असर पड़ रहा है।

जीएसटी परिषद ने लॉटरी पर कर को लेकर राज्यों में मतैक्य लाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुंगंतिवार की अध्यक्षता में मंत्रियों के आठ सदस्यीय समूह का गठन किया गया था।

दरअसल

नंदकिशोर आचार्य व शशि थरूर को साहित्य अकादेमी पुरस्कार

पेज 1 का बाकी

पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंग्रेजी में कथेतर गद्य 'एन एरा ऑफ डार्कनेस' के लिए थरूर को साहित्य अकादेमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। थरूर कांग्रेस नेता हैं और केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा सदस्य हैं। राव के मुताबिक, 'सवनेह-सर सैयद : एक बाजदीद (जीवनी) के लिए शाफे किदवई को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा, असमिया में जयश्री गोस्वामी महंत को 'चाणक्य' (उपन्यास), मणिपुरी में बेरिल थंगा (एल. बिरमंगल सिंह) को 'ई अमादी अदुनगीगी ईठत' (उपन्यास), तमिल में चो. धर्मन को 'सूल' (उपन्यास), और तेलुगु में बंदि नारायणा स्वामी को 'सेप्ताभूमि' (उपन्यास) के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार दिया जाएगा। श्रीनिवासराव ने कहा कि बोडो में फुकन चंद्र बसुमतारी को 'आखाइ आथुमनिफ्राय' (कविता), कोंकणी में निलबा आ. खांडेकार को 'ध वड्र्स' (कविता), मैथिली में कुमार मनीष अरविंद को 'जिनगीक ओरिआओन करैत' (कविता), मलयालम में वी. मधुसूदनन नायर को 'अचन पिरन्ना वीदु' (कविता), मराठी में अनुराधा पाटील को 'कदाचित अजूनही' (कविता), संस्कृत में पेन्ना-मधुसूदन को 'प्रज्ञाचाक्षुषम' (कविता) के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

कहानी संग्रह के लिए अब्दुल अहद हाजिनी (कश्मीरी) को 'अख याद अख कयामत', तरुण कांति मिश्र (ओड़िया) को 'भास्वती', किरपाल कजाक (पंजाबी) को 'अंतहीन', रामस्वरूप किसान (राजस्थानी) को 'बारीक बात', काली चरण हेम्ब्रम (संथाली) को 'सिसिरजली', ईश्वर मूरजाणी (सिंधी) को 'जीजल' के लिए सम्मानित किया जाएगा। बांग्ला में 'घुमेर दरजा थेले' (निबंध) के लिए चिन्मय गुहा को, डोगरी में 'बंदरालता दर्पण' (निबंध) के लिए ओम शर्मा 'जंद्रयाड़ी' को, गुजराती में 'मोजमा रे' वुं रे!' (निबंध) के लिए रतिलाल बोरीसागर को, कन्नड़ में विजया को 'कुड़ी एसारू' (आत्मकथा) के लिए पुरस्कार दिया जाएगा।

श्रीनिवासराव के मुताबिक इन पुस्तकों को संबंधित भाषा के त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन-प्रक्रिया का पालन करते हुए पुरस्कार के लिए चुना है। नियमानुसार कार्यकारी मंडल ने निर्णायकों के बहुमत के आधार पर अथवा सर्वसम्मति के आधार पर चयनित पुस्तकों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। पुरस्कार एक जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2017 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को दिया गया है। साहित्य अकादेमी पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। घोषित पुरस्कार 25 फरवरी 2020 को दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह (साहित्योत्सव) में दिए जाएंगे।

सीलमपुर में आठ गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

किया गया। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई ऐसा करने से हमें नहीं रोक सकता। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि यह प्रदर्शन नियंत्रण में किया जाए और हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

सीलमपुर हिंसा मामले में पहले छह और बाद में दो कुल मिलाकर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सीलमपुर और जाफराबाद में फ्लैग मार्च किया। बुधवार सुबह सभी मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट खोल दिए गए और सेवा सामान्य कर दी गई। क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस फेसबुक और ट्विटर पर भी नजर बनाए हुए है जिससे झूठी और गलत न्यूज फैलाई गई है। धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। बुधवार को क्षेत्र के कुछ स्कूल और बाजारों में दुकानें सुबह खुल गईं। हर्ष विहार और सोनिया विहार पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर-पूर्व दिल्ली में एहतियाती कदम उठाते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उधर जामिया हिंसा मामले में आरोपित बनाए जाने के बाद बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मुहम्मद खान जामिया नगर पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि वह समर्पण करने थाने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। मामला अपराध शाखा में स्थानांतरित होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। जामिया नगर थाने में दर्ज इस मामले में छह और लोगों को आरोपित बनाया गया है। खान 2009 में उपचुनाव और साल 2013 में विधानसभा चुनाव जीते थे।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में युवाओं को 50 फीसद किराए में छूट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत युवाओं को मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के सफर में 50 फीसद तक छूट मिलेगी। रेल मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा की है। इसका मकसद युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों से जोड़ना है। यह राहत द्वितीय श्रेणी व शयन श्रेणी के लिए होगी। योजना के तहत एक छात्र दूसरे राज्य जाने के लिए प्रतिमाह 5000 रुपए तक का लाभ ले सकेगा।

रेल मंत्रालय के मुताबिक सामान्य रेल सेवा में ही योजना का लाभ स्कूल व कॉलेज के छात्र ले सकेंगे। विशेष ट्रेन या कोच के लिए यह राहत लागू नहीं होगी। योजना के तहत एक छात्र को एक ही बार 300 किलोमीटर तक की यात्रा का लाभ मिलेगा। छात्र को इस छूट के लिए रेलवे द्वारा जारी फार्म को संबंधित शिक्षण संस्थान से प्रमाणित करवाकर लाना होगा।

300 किलोमीटर के दायरे में सफर करने वाले युवाओं को होगा लाभ

यह फार्म मुख्य व्यवसायिक प्रबंधक के नाम पर होगा, जो छात्र को छूट दिए जाने का आदेश देगा। आरक्षण शुल्क समेत अन्य शुल्क का भुगतान छात्र को करना होगा। यह आदेश आने व जाने दोनों दिशाओं के लिए लागू होगा।

दुर्घटना पीड़ित के परिवार को नौ वर्षों बाद 30 लाख का मुआवजा

ठाणे, 18 दिसंबर (भाषा)।

ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2011 में एक सड़क दुर्घटना में मरे एक व्यक्ति के परिवार को 30 लाख का मुआवजा दिया है। हाल में दुर्घटना में शामिल वाहन के मालिक और बीमा कंपनी को दावा दाखिल किये जाने की तिथि से 7.5 फीसद सालाना ब्याज के साथ मुआवजा देने के निर्देश दिए थे।

विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में कैरियर के अवसर सी-डैक CDAC

प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है, जो निम्न ग्रुप-ए पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है-

क्र.	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की सं.	श्रेणी
1	केंद्र प्रमुखः संयुक्त/सह निदेशक	13 13A	2	अनारक्षित 2
2	प्रबंधक (मासंवि)	12	3	अनारक्षित 2 एससी 1 एसटी 1 ईडब्लूएस 1
3	प्रबंधक (विधि)	12	2	
4	वरिष्ठ मासंवि अधिकारी	11	2	अनारक्षित 2 ओबीसी 2 ईडब्लूएस 1
5	वरिष्ठ विधि अधिकारी	11	2	
6	क्रय अधिकारी	10	1	
7	वित्त अधिकारी	10	2	एससी 2

कार्य स्थलः पुणे, मोहाली, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, सिलचर और पटना

आवेदन कैसे करें: इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना के लिए www.cdac.in पर "careers" पर जाएं और 12 जनवरी, 2019 तक ऑनलाइन आवेदन करें।

ध्यान दें: इस संबंध में परिशिष्ट/आगे संचार, अगर कोई हो तो, केवल सी-डैक की वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा-

निदेशक (मासंवि) विज्ञापन सं. **CORP/GR.A/03/2019**

davp-06132/11/0010/1920

पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाली महिला पर मामला दर्ज

पालघर, 18 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के पालघर जिले के मानिकपुर थाने में पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और गाली-गलौज करने के आरोप में 44 साल की एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पालघर पुलिस के पीआरओ हेमंत काटकर ने बताया कि प्रतिमा देशमुख धोले पर भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 353 (हमला) और 332 (सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझ कर हमला करना) और महाराष्ट्र पुलिस कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब प्रतिमा के पति शौमिक धोले को पूछताछ के लिए पुलिस ने सोमवार को थाने बुलाया था।

विज्ञापन संख्या: 20/514

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड

एनएचपीसी लिमिटेड
में
निदेशक (परियोजनाएं)

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

19 फरवरी, 2020 (15:00 बजे तक) है।

जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉगइन करें।

न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

NHHFDL

पंजीकृत कार्यालय : न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड मैज़नाईन तल, एम-4, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-।।, नई दिल्ली-110049
कॉरपोरेट कार्यालयः सी-1, सैक्टर-3, नोएडा-201301, फोन. 0120-4180500

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 54) (के अधीन न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड (इसके बाद "अधिनियम" के अनुसार) का प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार **श्री राहुल बंसल, श्रीमती मधु बाला बंसल और श्री नरेंद्र कुमार बंसल** को दिनांक 18.09.2019 को मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रु. 33,54,370/- (रु. तैंतीस लाख चौवन हजार तीन सौ सत्तर मात्र), लोन खाता नं. NHS/N/HEA/NOI/0216/0007 साथ में भविष्य का ब्याज एक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), के नियम 8 और 9 साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रुप से जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड (एनएचएचएफडीएल) के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. 33,54,370/- (रु. तैंतीस लाख चौवन हजार तीन सौ सत्तर मात्र), लोन खाता नं. NHS/N/HEA/NOI/0216/0007 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा(8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

ओल्ड सम्पत्ति नं. 155, नया सम्पत्ति नं. 240, कपूर बेकरी के पास, मोहल्ला सोहन लाल, सिहानी गेट, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – लायक राम मित्तल की सम्पत्ति, दक्षिण में – हरकिशोर इत्यादि का मकान, पूरब में – विक्रेता की सम्पत्ति, बंधु नाली और सरकारी रोड, पश्चिम में – अमीचंद का मकान

दिनांक: 17.12.2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लि. — कब्जा सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालयः साधना हाउस, 2रा तल, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400018, टेली: 22 66523500, फैक्सः +91 22 24972741
CIN: U6592MH2007PL169791, अंचल कार्यालयः एलडीए कॉलोनी, बी2/बी70, कानपुर रोड, फीनिक्स माल के निकट, लखनऊ-226005

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54 के अंतर्गत) महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ वास्तविक वसूली की तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/सह-ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथियों को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथियों से आगे के ब्याज, लागतों तथा चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिये महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों, अनुसूचित सम्पत्ति, बकाया देयता, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचनाऐं तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि, कब्जा की तिथि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण का राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. कब्जा की तिथि 2. मांग सूचना तिथि 3. रु. में बकाया राशि
1.	722416/ XSEMGZB00607843 कृष्ण, रेखा (सांकेतिक कब्जा)	ग्राम पंचायत सम्पत्ति सं. माप 900 वर्ग फीट, गणना रजिस्टर-खसरा नं. 433/1, ग्राम घुखना, परगणा लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 में का सभी भाग तथा हिस्सा।	1. 14.12.2019 2. 23.08.2019 3. रु. 535403/-
2.	653955/ XSEMGZB00549343 नीरज कुमार, सचिन, ज्योति (सांकेतिक कब्जा)	ग्राम पंचायत सम्पत्ति नं. खसरा नं. 28, गोकुल धाम एन्क्लेव, ग्राम बिशोखर परगणा गाजियाबाद, मोदीनगर (एनपीपी), मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201204 का सभी भाग तथा हिस्सा।	1. 14.12.2019 2. 23.08.2019 3. रु. 808788/-
3.	646126/ XSEMGZB00523305 सोविनदर सिंह, सरोज (सांकेतिक कब्जा)	ग्राम पंचायत सम्पत्ति सं. माप 323 वर्ग फीट, गणना रजिस्टर-प्लॉट नंः 3 आरएसएफ/179, सेक्टर-3, 2रा तल, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 का सभी भाग तथा हिस्सा।	1. 14.12.2019 2. 23.08.2019 3. रु. 754692/-
4.	587637/ XSEMGZB00482576 ललित कुमार राव, कृष्ण कुमार, रविन्दर कुमार राव (सांकेतिक कब्जा)	ग्राम पंचायत सम्पत्ति सं. माप 540 वर्ग फीट, गणना रजिस्टर-खसरा नं.-83, कृष्णा कुंज, इन्द्रपुरी कॉलोनी, मोदीनगर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद-मोदी नगर, उत्तर प्रदेश-201004 का सभी भाग तथा हिस्सा।	1. 14.12.2019 2. 23.08.2019 3. रु. 1084506/-

स्थानः गाजियाबाद, तिथिः 19.12.2019 — (शिशिर सुमन), प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनांस लि. के लिये

कार्यालय वसूली अधिकारी-।
ऋण वसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 04/2018 — ई-नीलामी बिक्री सूचना — **दिनांक : 28.11.2019**

केनरा बैंक बनाम मैसर्स राज अरोड़ा एवं अन्य

दिनांक 28.11.2019 के आदेशानुसार केनरा बैंक बनाम मैसर्स राज अरोड़ा एवं अन्य के खाते की निम्नांकित सम्पत्ति की सार्वजनिक ई-नीलामी "ऑनलाइन ई-नीलामी" वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से होगी।

ई-नीलामी की तिथि और समयः दिनांक 26.02.2020, अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे के बीच (5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)

सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
सम्पत्ति डीडीए फ्लैट नं. 134, तृतीय तल, पॉकेट ई, सैक्टर-बी-2, नरेला, नई दिल्ली में स्थित	रु. 10,00,000/- (रु. दस लाख मात्र)	रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र)

नियम व शर्तें

(1) नीलामी/बिक्री वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक विधि द्वारा ई-नीलामी" होगी।

(2) इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सर्विस प्रोवाईडर से यूजर आईडी/पासवर्ड अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। इसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब निर्धारित विधि द्वारा अपेक्षित जमा धरोहर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

(3) धरोहर राशि, **डी डी/पे आर्डर के रुप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi** के पक्ष में दिल्ली में देययोग्य हो जो वसूली अधिकारी-।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक **24.02.2020** को जमा कराना होगा। धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

(4) पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और यदि बोलीदाता अपनी ओर से या अपने मूल कार्यालय की ओर से बोली लगा रहा है तो उसे घोषणा पत्र जमा करना होगा। उत्तरार्द्ध मामले में उसे एथारिटी लेटर जमा करना होगा और डिफॉल्ट के मामले में उनकी बोली अस्वीकार कर दी जायेगी और कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/निरूपण की पुष्टि करने वाले अन्य कोई आलेख तथा ऐसी जमा रसीद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक के पास पहुँच जाये और **वसूली अधिकारी-।, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के पास हार्ड कॉपी पहुँच जानी चाहिए।

(5) सम्भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि. **उद्योग विहार फेज-2, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, हरियाणा (इंडिया), फोन नं. +91-7291981124/25/26 के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। सम्पर्कः श्री विनोद चौहान, जिसका मोबाइल नंबर 09813887931, ई-मेल : support@bankeauctions.com, वेब: https://www.bankeauctions.com से सम्पर्क करें।**

(6) किसी भी पूछताछ हेतु और सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु और अन्य विवरण के लिए सी एच बैंक के ऑफिसर, श्री रंजीत कुमार, मुख्य प्रबंधक, मो. 9773670093 के साथ सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

(7) सम्भावी बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** देखें।

(8) उपरोक्त सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जायेगी।

(9) बोलीदाता अपनी बोली रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।

(10) सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार"** पर की जाएगी।

(11) सफल बोलीदाता को उक्त पैरा 3 में उल्लेखित विवरणानुसार कथित एकाउन्ट में बोली छूटने के अगले दिन यानि अप. 3.00 बजे तक धरोहर राशि को समायोजित करने के बाद अपनी बोली आगम की 25 प्रतिशत राशि को जमा करना होगा। यदि अगले दिवस को अवकाश या रविवार होता है तो उससे अगले कार्य दिवस को।

(12) सम्पत्ति का क्रेता बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत मूल्य सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो निर्धारित विधि द्वारा अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाएगा। उक्त के अलावा क्रेता को 1000/- तक 2 प्रतिशत की दर से तथा रु. 1000/- से अधिक ऐसी राशि की अधिकता पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली के पक्ष में भी जमा करना होगा।

(13) उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर दी जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।

(14) वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

(15) असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-।।। की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची/सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा।

(अनिल कुमार यादव), वसूली अधिकारी-।, डी आर टी-।।।, दिल्ली

ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 (AS AMENDED) AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

ADANI GAS LIMITED

a listed public limited company incorporated under the Companies Act, 1956
Registered Office: Adani House, Near Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat 380009, India
(**Tel:** +91-079-25555555, **Fax:** +91-079-26565500), **CIN:** L40100GJ2005PLC046553 (previously U40100GJ2005PLC046553)

Open offer for acquisition of up to 27,71,46,602 (Twenty Seven Crore Seventy One Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred and Two) fully paid up equity shares having a face value of Re. 1 (Rupee One) each ("Equity Share") of Adani Gas Limited ("Target Company") representing 25.2% (Twenty Five point Two per cent) of the Voting Share Capital (as defined below) from the Public Shareholders (as defined below) of the Target Company by TOTAL HOLDINGS SAS ("Acquirer") with an intention to acquire control of the Target Company pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(1) and 15(1) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI SAST Regulations" and reference to a particular "Regulation" shall mean the particular regulation of the SEBI SAST Regulations), (the "Offer / Open Offer").

This advertisement and corrigendum is being issued by Citigroup Global Markets India Private Limited ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer, pursuant to and in accordance with Regulation 18(7) of the SEBI SAST Regulations in respect of the Offer ("**Offer Opening Public Announcement and Corrigendum**").

This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with:

(a) the public announcement in connection with the Offer, made by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer to NSE and BSE on October 14, 2019 ("**Public Announcement**" or "**PA**");

(b) the detailed public statement in connection with the Offer, published on behalf of the Acquirer on October 21, 2019 in the following newspapers: Financial Express (English, all editions), Jansatta (Hindi, all editions), Jaihind (Gujarati, Ahmedabad edition) and Navshakti (Marathi, Mumbai edition) ("**DPS**"); and

(c) the letter of offer dated December 11, 2019 in connection with the Offer ("**Letter of Offer**").

For the purpose of this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum:

(a) "**Identified Date**" means Friday, December 6, 2019, being the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period.

(b) "**Public Shareholders**" means all holders of the Voting Share Capital of the Target Company, other than the Acquirer, the Existing Promoter Group, the parties to the SPA and the SHA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA and the SHA, pursuant to and in compliance with the SEBI SAST Regulations.

(c) "**Tendering Period**" means December 20, 2019 to January 3, 2020 (both days inclusive);

(d) "**Voting Share Capital**" means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the tenth (10th) working day from the closure of the tendering period of the Open Offer (which may change on account of any future corporate actions).

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

1. **Offer Price:** The Offer Price is INR 149.63 (Rupees One Hundred and Forty Nine and Sixty Three Paise only) per Offer Share. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 5 on page 21 of the Letter of Offer.

2. **Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company:** The committee of independent directors of the Target Company ("**IDC**") published its recommendation on the Offer on December 18, 2019 in the same newspapers where the DPS was published. The relevant extract of the recommendation of the IDC is given below:

1.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	1. Mr. Maheswar Sahu, Chairman 2. Mr. Naresh Kumar Nayyar, Member 3. Mrs. Chandra Iyengar, Member
2.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on a review of the public announcement ("**PA**"), the detailed public statement ("**DPS**") and Letter of Offer ("**LOF**") relating to the Open Offer issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer, the IDC is of the opinion that the Offer Price offered by the Acquirer through the PA, the DPS and the LOF: • is in accordance with the SEBI SAST Regulations; and • appears to be fair and reasonable. However, with regard to reasonableness of the price, IDC would like to draw the attention of shareholders to the current market value of the shares of the Company. The shareholders of the Target Company should independently evaluate the offer and take their own informed decision. They are also advised to seek appropriate tax opinion before taking any decision.
3.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	IDC has taken into consideration the following for making the recommendation: IDC has evaluated the PA, the DPS and the Letter of Offer ("**LOF**") dated December 11, 2019, issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer. Further IDC has engaged Grant Thornton India LLP as Independent Advisors and received its opinion. Based on the above, the IDC is of the opinion that under Regulation 8(2)(a) to (f), the Offer Price of INR 149.63 per share under Regulation 8(2)(a) is the highest price and that the Offer Price of INR 149.63 (Rupees One Hundred and Forty Nine and Sixty Three Paise only) per Offer Share is fair and reasonable and recommends the acceptance of the Open Offer, in light of the following: • The Equity Shares are frequently traded on the stock exchanges within the meaning and definition of "frequently traded shares" under clause (j) of sub-regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI SAST Regulations. • The Offer Price offered by the Acquirers is fair and reasonable in terms of Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations. However, it is advised to the shareholders to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision before participating in the Open Offer.
4.	Details of Independent Advisors, if any.	Grant Thornton India LLP 16th Floor, Tower II, Indiabulls Finance Centre, S B Marg, Elphinstone (W), Mumbai - 400013

3. **Other details of the Offer:**

3.1. The Offer is being made under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations to the Shareholders of the Target Company.

3.2. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI SAST Regulations. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations.

3.3. The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified Date has been completed (either through electronic or physical mode) by December 13, 2019. The Identified Date is relevant for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, parties to the SPA and SHA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA and SHA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (https://www.sebi.gov.in) from which the Public Shareholders can download / print the same.

4. **Instructions to the Shareholders:**

4.1. In case the Equity Shares are held in physical form: As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019. Accordingly, the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialised.

4.2. In case the Equity Shares are held in dematerialised form: Public Shareholders who wish to accept the Offer and tender their Equity Shares can send/deliver the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment duly signed along with all the relevant documents at any of the collection centers of the Registrar to the Offer mentioned in the Letter of Offer during the working hours on or before the date of closure of the Tendering Period in accordance with the procedure as set out in the Letter of Offer. Applicants who cannot hand deliver their documents at the collection centres, may send the same by registered post with acknowledgement due or by courier, at their own risk and cost, to the Registrar to the Offer at its address M/s. Link Intime India Private Limited, Unit – Adani Gas – Offer, (Address: C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India; Telephone number:+91 22 49186200; Fax number: +91 22 49186195; Email: adanigas.offer@linkintime.co.in; and Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande). Public Shareholders who have acquired the Equity Shares but whose names do not appear in the records of the Depositories on the Identified Date or those who have not received the Letter of Offer, may participate in this Offer by submitting an application on a plain paper giving the required details as set out in the Letter of Offer. In the alternate, such holders of the Equity Shares may apply in the form of acceptance-cum-acknowledgement in relation to this Offer that will be annexed to the Letter of Offer, which may also be obtained from the SEBI website (http://www.sebi.gov.in/) or from M/s Link Intime India Private Limited ("Registrar to the Offer"). Please refer to the Letter of Offer for further details.

5. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on October 21, 2019 ("**Draft Letter of Offer**"). Vide its observation letter no SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2019/32278 dated December 4, 2019 ("**Observation Letter**"), SEBI issued its final observations on the Draft Letter of Offer.

6. **Material Updates from the date of the Public Announcement:**

6.1. There have been no material changes in relation to the Offer since the date of the Public Announcement, save as otherwise disclosed in Paragraph 7.1 below and in the DPS, the Draft Letter of Offer and the Letter of Offer.

7. **Status of Statutory and Other Approvals:**

7.1. The CCI Approval is the only regulatory / statutory approval required to consummate the SPA and the SHA as on the date of the Letter of Offer. The CCI Approval was granted by the Competition Commission of India vide its letter dated November 28, 2019 (with reference to Combination Registration No.: C-2019/10/694).

7.2. As on the date of the Letter of Offer, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approval(s) required by the Acquirer to complete the SPA, the SHA and this Offer, other than the CCI Approval. However, in case of any further statutory approval(s) being required by the Acquirer at a later date, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals.

7.3. All Public Shareholders, including non-resident holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender their Equity Shares in the Offer (including without limitation, approval from the RBI, if applicable) and submit copies of such approvals, along with the other documents required for accepting this Offer. In the event that copies of such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit copies of such previous approvals that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares, along with the other documents required to be submitted to accept this Offer. In the event copies of such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Equity Shares.

8. **Revised Schedule of Activities:** The schedule of major activities under the Offer is set out below:

Name of Activity	Original Schedule of Activities (as disclosed in the Draft Letter of Offer) Day and Date	Revised Schedule of Activities Day and Date
Issue of Public Announcement	Monday, October 14, 2019	Monday, October 14, 2019
Publication of the DPS in newspapers	Monday, October 21, 2019	Monday, October 21, 2019
Last date of filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Tuesday, October 29, 2019	Tuesday, October 29, 2019
Last date for public announcement for competing offer(s)*	Wednesday, November 13, 2019	Wednesday, November 13, 2019
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Wednesday, November 20, 2019	Wednesday, December 4, 2019**
Identified Date***	Friday, November 22, 2019	Friday, December 6, 2019
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company	Friday, November 29, 2019	Friday, December 13, 2019
Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	Wednesday, December 4, 2019	Wednesday, December 18, 2019
Last date for upward revision of the Offer Price	Wednesday, December 4, 2019	Wednesday, December 18, 2019
Date of publication of Offer Opening Public Announcement, in the newspapers in which the DPS has been published	Thursday, December 5, 2019	Thursday, December 19, 2019
Date of commencement of the Tendering Period	Friday, December 6, 2019	Friday, December 20, 2019
Date of closure of the Tendering Period	Thursday, December 19, 2019	Friday, January 3, 2020
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	Friday, January 3, 2020	Friday, January 17, 2020
Last date for publication of post-Offer Public Announcement in the newspapers in which the DPS has been published	Friday, January 10, 2020	Friday, January 24, 2020
Date by which the underlying transaction which triggered the open offer may be completed	Friday, July 3, 2020	Friday, July 17, 2020

* There was no competing offer to the Acquirer's Offer.

** Actual date of receipt of SEBI's final observations on the Draft Letter of Offer.

*** The Identified Date is relevant for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, parties to the SPA and SHA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA and SHA) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period.

9. **Other Information:**

9.1. The Acquirer and the President of the Acquirer accept full responsibility for the obligations of the Acquirer as laid down in terms of the SEBI SAST Regulations and for the information contained in this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum.

9.2. All the information pertaining to the Target Company has been obtained from publicly available sources and the accuracy thereof has not been independently verified by the Acquirer or the Manager to the Offer.

9.3. In this Offer Opening Public Announcement and Corrigendum, all references to "**Rs.**" / "**INR**" are to Indian Rupee(s), the official currency of India.

9.4. This Offer Opening Public Announcement and Corrigendum would also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

Manager to the Offer	Registrar to the Offer
citi **Citigroup Global Markets India Private Limited** 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400098 **Tel:** +91 22 61759999, **Fax:** +91 22 61759898 **Website:** www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm **Email:** adanigas.openoffer@citi.com, **Contact Person:** Ms. Garima Maheshwari **SEBI Registration Number:** INM000010718	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 **Tel :** + 91 22 49186200, **Fax :** + 91 22 49186195 **Website:** www.linkintime.co.in, **Email:** adanigas.offer@linkintime.co.in **Contact Person:** Mr. Sumeet Deshpande **SEBI Registration Number:** INR000004058

On behalf of the Acquirer
Sd/-
Authorised Signatory

Date: December 18, 2019
Place: Mumbai

Adfactors 380

Somany Home Innovation Limited

SOMANY HOME INNOVATION LIMITED

(CIN: U74999WB2017PLC222970)
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West Bengal, India - 700001
Tel.:+91-33-22487407/5668; Contact Person: Ms. Payal M Puri, Company Secretary & Compliance Officer
Website: www.shilgroup.com; Email: payal@hindware.co.in

STATUTORY ADVERTISEMENT ISSUED IN COMPLIANCE OF SEBI CIRCULAR NO. CFD/DIL3/CIR/2017/21 DATED 10 MARCH, 2017 READ WITH RULE 19(7) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957 PURSUANT TO GRANT OF RELAXATION BY THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") FROM THE APPLICABILITY OF RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957

A. About the Composite Scheme of Arrangement

The Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench, vide its order dated 26 June, 2019 (certified copy received by the Company on 24 July, 2019) has approved the Composite Scheme of Arrangement amongst HSIL Limited ("Demerged Company"), Somany Home Innovation Limited ("Resulting Company 1") and Brilloca Limited ("Resulting Company 2") and their respective shareholders and creditors under sections 230 to 232 read with section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as **"Scheme"** or **"Composite Scheme of Arrangement"** or **"Scheme of Arrangement"**). Pursuant to the Scheme, (i) Consumer Products Distribution and Marketing Undertaking of HSIL Limitedand (ii) Retail Undertaking of HSIL Limited have been demerged from HSIL Limited and vested into Somany Home Innovation Limited from the Appointed Date of the Scheme, i.e. 01 April, 2018, and (iii) Building Products Distribution and Marketing Undertaking of HSIL Limited has been demerged from HSIL Limited and vested into Brilloca Limited (a wholly owned subsidiary of Somany Home Innovation Limited) from the aforesaid Appointed Date. Pursuant to the aforesaid Scheme, the equity shares of Somany Home Innovation Limited are proposed to be listed at National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) (hereinafter collectively referred to as **"Stock Exchanges"**). **The Company has received in-principle approval for listing of its equity shares on NSE and BSE vide their letter no. NSE/LIST/15 dated 11 October, 2019 and no. DCS/AMAL/SD/IP/1628/2019-20 dated 13 December, 2019 respectively. Further, the Company has also received the relaxation under Rule 19(2) (b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 from SEBI vide their letter no. CFD/DIL2/ADM/AB/P/2019/29592 dated 08 November, 2019 for listing of the equity shares of Somany Home Innovation Limited on Stock Exchanges.**

B. Details of Change of Name and Object Clause

Somany Home Innovation Limited was incorporated on 28 September, 2017 under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Kolkata. The registered office of the Company is situated at 2, Red Cross Place, Kolkata-700001. The Corporate Identification Number (CIN) of the Company is U74999WB2017PLC222970. There is no change in the name of the Company since incorporation.

The main objects of Somany Home Innovation Limited as set forth in its Memorandum of Association are as follows:

1. To import, export, buy, sell, process, manufacture and deal in all kinds of Kitchen Products like Kitchen-Sinks,Chimnays,Hobs,Kitchen Appliances, and Faucets including Chromium-plated Fittings,Bath Tubs & Whirlpools, Shower Enclosures, Home Appliances, Furnitures of all kinds, Electrical Products like Air Purifier, Water Purifier, Air Cooler,Water Heater Lamps etc.,Decorative Materials and Building Chemicals and also products like fire bricks, fire clay fire cement, tiles, sewers, pipes, drain pipes, stone pipes,Hume pipes, concrete pipes and pipes of all kinds, pottery tiles, lime, cement,china and terracotta,ceramic wares,cement (ordinary white coloured Portland alumina blast furnace,silica etc.),cement products of any description (pipes, poles, asbestos sheets, blocks tiles, garden wares etc.)
2. To carry on any other business which may seem to the Company capable of being conveniently carried on and to deal in all kinds of goods and merchandise, machinery, apparatus and materials.
3. To carry on in India or elsewhere any trade business and the export and import of all kinds of produce and merchandise and also business as agents, brokers, factors, financiers,shippers, manufacturers, planters, contractors, engineers, dealers, ship owners, lighter men, carriers by land and sea, dock owners wharfingers and warehouse men.
4. To carry on the business of paviors of and dealers in fire bricks, fire clay fire cement, tiles, sewers, pipes, drain pipes, stone pipes, Hume pipes, concrete pipes and pipes of all kinds,pottery tiles,lime,cement,china and terracotta and ceramic wares and sanitary wares.
5. To Produce, refine, prepare import, export, purchase, sell, treat and generally to deal in all kinds of Sanitary ware (including sanitary ware made of plastic, fiber glass or any other synthetic product), earthenware, stoneware, glass, china, terracotta Porcelain products, bricks, tiles, pottery, pipes, Insulators refractories of all description and or by-products, thereof and building materials generally.
6. To produce, refine, prepare, import, export, purchase, sell and generally to deal in all kinds of cement (ordinary white coloured Portland alumina blast furnace, silica etc.), cement products of any description (pipes, poles, asbestos sheets, blocks tiles, garden wares etc.)

C. Capital Structure

Capital structure of the Company before and after the Scheme is as follows:

Pre Scheme

Particulars	Aggregate Nominal Value (Rs. in Lakhs)
Authorized Share Capital	
7,50,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each	1500.00
Issued, Subscribed and paid-up share capital	
5,00,000 Equity Shares of Rs.2/-each	10.00

Post Scheme

Particulars	Aggregate Nominal Value (Rs. in Lakhs)
Authorized Share Capital	
7,50,00,000 Equity Shares of Rs. 2/- each	1500.00
Issued, Subscribed and paid-up share capital	
7,22,96,395 Equity Shares of Rs 2/- each	1445.93

E. Details of top ten largest shareholders

S. No.	Name of the Shareholders	No. of equity shares held	% of total shareholding
1.	Paco Exports Limited	2,95,95,000	40.94
2.	HDFC Trustee Co Ltd A/C HDFC Housing Opportunities Fund-1140d November 2017 (1)	48,29,610	6.68
3.	Sundaram Mutual Fund A/C Sundaram Emerging Small Cap—Series I	37,18,461	5.14
4.	Rajendra Kumar Somany	34,10,000	4.72
5.	Reliance Capital Trustee Co Ltd- A/C Reliance Capital Builder Fund 4 SR C	29,35,240	4.06
6.	Sandip Somany	22,83,563	3.16
7.	Abakkus Growth Fund-1	16,70,000	2.31
8.	Manav Gupta	11,57,644	1.60
9.	Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited A/C Aditya Birla Sun Life Manufact	10,27,078	1.42
10.	Faering Capital India Evolving Fund	7,50,000	1.04

F. Details of Promoters of the Company

Dr. Rajendra Kumar Somany **DIN:00053557** **Address**:13, Golf Links, Lodhi Road, Delhi—110003	Dr R. K. Somany aged about 82 years, is a promoter of the Company. He is a commerce graduate from St. Xavier's College,Kolkata,He has more than 64 years of experience across various industries.
Mr. Sandip Somany **DIN:00053597** **Address**: 13, Golf Links, Lodhi Road, Delhi—110003	Mr. Sandip Somany, aged about 55 years, is a promoter of the Company. He is a commerce graduate and a diploma holder in Ceramic Manufacturing Technology from the United States (US). He has more than 34 years of work experience in the ceramics and glass industry. Presently, he is a Chairman of the Company.

G. Business of the Company & its Management

Business: Prior to the Scheme, the Company was a wholly owned subsidiary company of HSIL Limited.Pursuant to the Scheme, (i) Consumer Products Distribution and Marketing Undertaking of HSIL Limited and (ii) Retail Undertaking of HSIL Limited have been demerged from HSIL Limited and vested into the Company from the Appointed Date of the Scheme i.e.01 April, 2018. Pursuant to the vesting of aforesaid undertakings of HSIL Limited in the Company, the Company is now engaged in branding, marketing, sales,distribution, trading, service, etc. of various consumer products like air purifiers, air coolers,kitchen appliances,water heaters,exhaust fans, water purifiers etc.,more particularly defined in the Scheme and retail business,consisting of branding, marketing, sales,distribution, trading, service, etc. of furniture, furnishings, home décor,etc., more particularly defined in the Scheme.

Management: The Company is managed by the Board of Directors consisting of following six Directors:

S. No.	Name of Director	Designation	DIN	Date of Appointment
1.	Mr. Sandip Somany	Chairman (Non-Independent Non-executive Director)	00053597	28/09/2017
2.	Mrs. Sumita Somany	Director (Non-Executive Non-Independent) (Additional Director)	00133612	14/09/2019
3.	Mr. Rakesh Kaul	Whole-time Director & CEO (Executive Non-Independent Director) (Additional Director)	08560772	17/09/2019
4.	Mr. Nand Gopal Khaitan	Director (Non-Executive Independent) (Additional Director)	00020588	14/09/2019
5.	Mr. Ashok Jaipuria	Director (Non-Executive Independent) (Additional Director)	00214707	14/09/2019
6.	Mr. Salil Kumar Bhandari	Director (Non-Executive Independent) (Additional Director)	00017566	14/09/2019

Key Managerial Personnel: The following are Key Managerial Personnel of the Company:

Name	Designation	Age (years)	Qualification	Experience (years)	Date of Appointment
Mr. Rakesh Kaul	Whole Time Director & CEO	49	Master's degree in Foreign Trade and Business Administration	24	17/09/2019
Mr. Naveen Malik	Chief Financial Officer	48	Chartered Accountant and L.L.B	24	17/09/2019
Mrs. Payal M Puri	Company Secretary	44	Company Secretary and L.L.B	17	17/09/2019

H. Rationale for the Composite Scheme of Arrangement

The implementation of the Scheme will, inter alia result in:

(a) creation of separate and distinct entities housing the Demerged Undertakings and the Remaining Undertaking (defined in the Scheme);
(b) optimal monetisation and development of each of the respective businesses, including by attracting focussed investors and strategic partners having the necessary ability, experience and interests in the relevant sectors;
(c) dedicated and specialised management focus on the specific needs of the respective businesses; and
(d) benefit to all stakeholders, leading to growth and value creation in long run and maximising the value and return to the shareholders, unlocking intrinsic value of assets, achieving cost efficiencies and operational efficiencies.

I. Financial statements for the last three years

Summary of financial information

Restated Consolidated Balance Sheet of the Company for the financial year ended 31 March, 2019 (Post-Scheme) and the Consolidated Balance Sheet for the financial year ended 31 March, 2018 are as under:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31 March, 2019 Post-Scheme	As at 31 March, 2018
ASSETS		
1 Non-current assets		
(a) Property, plant and equipment	10,565.22	—
(b) Capital work-in-progress	406.88	—
(c) Other intangible assets	230.31	—
(d) Financial assets		
(i) Loans	498.16	—
(e) Deferred tax assets (net)	3,402.58	—
(f) Other non-current assets	387.40	—
Total non-current assets	**15,490.55**	—
2 Current assets		
(a) Inventories	27,929.42	—
(b) Financial assets		
(i) Investments	26.99	8.57
(ii) Trade receivables	35,631.49	—
(iii) Cash and cash equivalents	2,175.51	2.32
(iv) Bank balances other than (iii) above	2.17	—
(v) Loans	2.68	—
(vi) Other financial assets	9,768.22	—
(c) Other current assets	6,534.09	—
Total current assets	**82,070.57**	**10.89**
Total assets	**97,561.12**	**10.89**
EQUITY AND LIABILITIES		
1 Equity		
(a) Equity share capital	—	10.00
(b) Share capital suspense account	1,445.93	
(c) Other equity	24,217.22	(6.25)
Total equity	**25,663.15**	**3.75**
2 Liabilities		
Non-current liabilities		
(a) Financial liabilities		
(i) Borrowings	5,000.00	—
(ii) Other financial liabilities	2,752.92	—
(b) Provisions	492.63	—
(c) Other non-current liabilities	63.21	—
Total non-current liabilities	**8,308.76**	—
Current liabilities		
(a) Financial liabilities		
(i) Borrowings	25,272.00	6.00
(ii) Trade payables		
- Due to micro and small enterprise	2,504.62	—
- Due to others	14,527.13	—
(iii) Other financial liabilities	13,737.80	0.87
(b) Other current liabilities	3,013.33	0.27
(c) Income-tax liabilities (net)	4,283.78	—
(d) Provisions	250.55	—
Total current liabilities	**63,589.21**	**7.14**
Total liabilities	**71,897.97**	**7.14**
Total equity and liabilities	**97,561.12**	**10.89**

Restated Consolidated Statement of Profit and Loss of the Company for the financial year ended 31 March, 2019 (Post-Scheme) and the Consolidated Statement of Profit and Loss for the financial year ended 31 March, 2018 are as under:

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	For the year ended 31 March, 2019 Post-Scheme	For the year ended 31 March, 2018
I	Revenue from operations	1,66,984.56	—
II	Other income	896.49	0.07
III	**Total income**	**1,67,881.05**	**0.07**
IV	**Expenses**		
	Purchases of stock-in-trade	1,08,959.52	—
	Changes in inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress	(571.36)	—
	Employee benefits expense	16,011.93	—
	Finance costs	2,851.69	0.04
	Depreciation and amortisation expense	1,969.15	—
	Other expenses	30,163.36	6.28
	Total expenses	**1,59,384.29**	**6.32**
V	**Profit before exceptional items and tax**	**8,496.76**	**(6.25)**
VI	**Exceptional items**	**(15.36)**	—
VII	**Profit before tax**	**8,481.40**	**(6.25)**
VIII	**Tax expense**		
	(1)Current tax	4,283.99	—
	(2)Deferred tax	(1,272.27)	—
	Total tax expense	**3,011.72**	—
IX	**Profit for the year**	**5,469.68**	**(6.25)**
X	**Other comprehensive income**		
(i)	Items that will not be reclassified to profit or loss		
	(a) Remeasurements of the defined benefit plan	82.13	—
(ii)	Income-tax relating to these items	(28.68)	—
(iii)	Items that will be reclassified to profit or loss		
	(a) Exchange differences on translation of foreign operations	46.99	
	Other comprehensive income, net of tax	**100.44**	—
XI	**Total comprehensive income for the year**	**5,570.12**	**(6.25)**
XII	**Earnings per equity share (of Rs. 2/- each):**		
	Basic and diluted	7.57	(1.25)

* Since the Company was incorporated on 28 September, 2017, financial information for the financial year ended 31 March,2017 are not available.

D. Shareholding Pattern

Statement Showing Shareholding Pattern

Category	Category of Shareholders	No. of Share-holders	No. of fully paid up equity shares held	No. of partly paid up equity shares held	No. of shares underlying Depository Receipts	Total no.of shares held	Shareholding as a % age of total no of Shares (calculated as as per SCRR 1957) (As a % of (A+B+C2)	No. of voting rights held in each class of securities: No.of voting rights Class X	Class Y	Total	Total as % of (A+B+C)	No. of shares underlying outstanding convertiable securities (including warrants)	Shareholding as % assuming full conversion of convertible securities (as a% of diluted share capital) As a % of (A+B+C2)	No of locked in Shares No.(a)	As a% of total shares held (b)	No of Shares pledged or otherwise encumbered No.(a)	As a% of total shares held (b)	No.of equity Shares held in dematerialized form
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)=(IV)+(V)+(VI)	(VIII)	Class X	Class Y	Total	(IX)	(X)	(XI)=(VII)+(X)	(XII)		(XIII)		(XIV)
(A)	Promoter & Promoter Group	7	35672819	0	0	35672819	49.34	35672819	0	35672819	49.34	0	49.34	0	0.00	0	0.00	35672819
(B)	Public	31692	36623576	0	0	36623576	50.66	36623576	0	36623576	50.66	0	50.66	0	0.00	NA	NA	35946305
(C)	Non promoter-non public																	
(C1)	Shares underlying DRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	NA	NA	0
(C2)	Shares held by Employee trust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	NA	NA	0
	Total	**31699**	**72296395**	**0**	**0**	**72296395**	**100.00**	**72296395**	**0**	**72296395**	**100.00**	**0**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**71619124**

Note: In respect of those shareholders who were holding shares in HSIL Limited in Physical form as on the Record Date i.e., 20 August, 2019, the Company has transferred the relevant shares allotted to these physical shareholders in the Suspense Account of the Company maintained with CSDL on 06 December, 2019, as per the direction/advise issued by SEBI. We further confirm/undertake that as soon as the physical shareholders of HSIL Limited dematerialize his/her physical shares, we shall immediately credit the eligible shares of our Company into demat account of such physical shareholders of HSIL Limited out of suspense account as mentioned above.

Statement Showing Shareholding Pattern of the Promoter and Promoter Group

Category	Category & Name of the Shareholders	No. of Shareholders	No. of fully paid up equity shares held	No. of partly paid up equity shares held	No. of shares underlying Depository Receipts	Total no.of shares held	Shareholding as a % age of total no of Shares (calculated as as per SCRR 1957) (As a % of (A+B+C2)	No. of voting rights held in each class of securities: No.of voting rights Class X	Class Y	Total	Total as % of (A+B+C)	No. of shares underlying outstanding convertiable securities (including warrants)	Shareholding as % assuming full conversion of convertible securities (as a% of diluted share capital) As a % of (A+B+C2)	No.of locked in Shares No.(a)	As a% of total shares held (b)	No.of Shares pledged or otherwise encumbered No.(a)	As a% of total shares held (b)	No.of equity Shares held in dematerialized form
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)=(IV)+(V)+(VI)	(VIII)	Class X	Class Y	Total	(IX)	(X)	(XI)=(VII)+(X)	(XII)		(XIII)		(XIV)
(1)	**Indian**																	
(a)	Individuals/Hindu undivided Family	5	6077719	0	0	6077719	8.41	6077719	0	6077719	8.41	0	8.41	0	0.00	0	0.00	6077719
	Rajendra Kumar Somany	1	3410000	0	0	3410000	4.72	3410000	0	3410000	4.72	0	4.72	0	0.00	0	0.00	3410000
	Sandip Somany	1	2283563	0	0	2283563	3.16	2283563	0	2283563	3.16	0	3.16	0	0.00	0	0.00	2283563
	Sumita Somany	1	161000	0	0	161000	0.22	161000	0	161000	0.22	0	0.22	0	0.00	0	0.00	161000
	Divya Somany	1	146912	0	0	146912	0.20	146912	0	146912	0.20	0	0.20	0	0.00	0	0.00	146912
	Shashvat Somany	1	76244	0	0	76244	0.11	76244	0	76244	0.11	0	0.11	0	0.00	0	0.00	76244
(b)	Central Government/ State Government(s)	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
(c)	Financial Institutions /Banks	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
(d)	Any Other (specify) Bodies Corporate	2	29595100	0	0	29595100	40.94	29595100	0	29595100	40.94	0	40.94	0	0.00	0	0.00	29595100
	Paco Exports Limited	1	29595000	0	0	29595000	40.94	29595000	0	29595000	40.94	0	40.94	0	0.00	0	0.00	29595000
	Matterhorn Trust	1	100	0	0	100	0.00	100	0	100	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100
	Sub Total (A)(1)	7	35672819	0	0	35672819	49.34	35672819	0	35672819	49.34	0	49.34	0	0.00	0	0.00	35672819
(2)	**Foreign**																	
(a)	Individuals (Non-Resident Individuals /Foreign Individuals)	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
(b)	Government	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
(c)	Institutions	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
(d)	Foreign Portfolio Investor	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
(e)	Any Other (specify)	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	Sub Total (A)(2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**
	Total Shareholding of Promoter and Promoter Group (A)=(A)(1)+(A)(2)	**7**	**35672819**	**0**	**0**	**35672819**	**49.34**	**35672819**	**0**	**35672819**	**49.34**	**0**	**49.34**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**35672819**

J. Latest Restated Consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 March, 2019 (Post-Scheme) and the Consolidated financial statements for the financial year ended 31 March,2018 alongwith Notes to accounts

Somany Home Innovation Limited
Consolidated balance sheet as at 31 March 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Note	As at 31 March 2019 (post scheme refer note no.36)	As at 31 March 2018
ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	4	10,565.22	—
(b) Capital work-in-progress		406.88	—
(c) Other intangible assets	5	230.31	—
(d) Financial assets			
(i) Loans	6	498.16	—
(e) Deferred tax assets (net)	7	3,402.58	-
(f) Other non-current assets	8	387.40	—
Total non-current assets		**15,490.55**	—
2 Current assets			
(a) Inventories	9	27,929.42	—
(b) Financial assets			
(i) Investments	10	26.99	8.57
(ii) Trade receivables	11	35,631.49	—
(iii) Cash and cash equivalents	12	2,175.51	2.32
(iv) Bank balances other than (iii) above	13	2.17	—
(v) Loans	14	2.68	—
(vi) Other financial assets	15	9,768.22	—
(c) Other current assets	16	6,534.09	—
Total current assets		**82,070.57**	**10.89**
Total assets		**97,561.12**	**10.89**
EQUITY AND LIABILITIES			
1 Equity			
(a) Equity share capital	17	—	10.00
(b) Share capital Suspense account	17A	1,445.93	-
(c) Other equity	18	24,217.22	(6.25)
Total equity		**25,663.15**	**3.75**
2 Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	19	5,000.00	—
(ii) Other financial liabilities	20	2,752.92	—
(b) Provisions	21	492.63	—
(c) Other non-current liabilities	22	63.21	—
Total non-current liabilities		**8,308.76**	—
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	23	25,272.00	6.00
(ii) Trade payables	24		
—Due to micro and small enterprise		2,504.62	—
—Due to others		14,527.13	—
(iii) Other financial liabilities	25	13,737.80	0.87
(b) Other current liabilities	26	3,013.33	0.27
(c) Income-tax liabilities (net)		4,283.78	—
(d) Provisions	27	250.55	—
Total current liabilities		**63,589.21**	**7.14**
Total liabilities		**71,897.97**	**7.14**
Total equity and liabilities		**97,561.12**	**10.89**

Notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.
In terms of our report attached

For Lodha & Co.	**For and on behalf of the Board of Directors**	
Chartered Accountants		
Firm Registration No.:301051E		
N.K. Lodha	**Rakesh Kaul**	**Sandip Somany**
Partner	Whole Time Director and CEO	Chairman
M. No. 85155	DIN: 08560772	DIN: 00053597
Place: Gurugram	**Payal M. Puri**	**Naveen Malik**
Date : 25 September, 2019	Company Secretary ACS No.: 16068	Chief Financial Officer

Somany Home Innovation Limited
Consolidated statement of profit and loss for the year ended 31 March 2019

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	Note	Year ended 31 March 2019 (post scheme refer note no.36)	Year ended 31 March 2018
I	Revenue from operations	28	166,984.56	–
II	Other income	29	896.49	0.07
III	**Total income**		**167,881.05**	**0.07**
IV	**Expenses**			
	Purchases of stock–in–trade	30	108,959.52	–
	Changes in inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress	31	(571.36)	–
	Employee benefits expense	32	16,011.93	–
	Finance costs	33	2,851.69	0.04
	Depreciation and amortisation expense	34	1,969.15	–
	Other expenses	35	30,163.36	6.28
	Total expenses		**159,384.29**	**6.32**
V	**Profit before exceptional items and tax**		**8,496.76**	**(6.25)**
VI	**Exceptional items**		**(15.36)**	
VII	**Profit before tax**		**8,481.40**	**(6.25)**
VIII	**Tax expense**			
	(1) Current tax		4,283.99	–
	(2) Deferred tax		(1,272.27)	–
	Total tax expense		**3,011.72**	–
IX	**Profit for the year**		**5,469.68**	**(6.25)**
X	**Other comprehensive income**			
	(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	(a) Remeasurements of the defined benefit plan		82.13	–
	(ii) Income–tax relating to these items		(28.68)	–
	(iii) Items that will be reclassified to profit or loss Exchange difference on translation of foreign operations		46.99	–
	Other comprehensive income, net of tax		**100.44**	–
XI	**Total comprehensive income for the year**		**5,570.12**	**(6.25)**
XII	**Earnings per equity share (of Rs. 2/- each):**			
	Basic and diluted		**7.57**	**(1.25)**

Notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.
In terms of our report attached

For Lodha & Co.	**For and on behalf of the Board of Directors**	
Chartered Accountants		
Firm Registration No.:301051E		
N.K. Lodha	**Rakesh Kaul**	**Sandip Somany**
Partner	Whole Time Director and CEO	Chairman
M. No. 85155	DIN: 08560772	DIN: 00053597
Place: Gurugram	**Payal M. Puri**	**Naveen Malik**
Date : 25 September, 2019	Company Secretary ACS No.: 16068	Chief Financial Officer

Somany Home Innovation Limited
Consolidated cash flow statement for the year ended 31 March 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31 March 2019 (post scheme refer note no.36)	Year ended 31 March 2018
Cash flows from operating activities		
Profit before tax	8,496.76	(6.25)
Adjustments for:		
Finance Costs	2,851.69	0.04
Interest income	(13.68)	-
Gain on disposal of property, plant and equipment	(0.56)	-
Loss on disposal of property, plant and equipment	19.86	-
Net (gain) arising on current investments	(1.95)	(0.07)
Sundry balances and liabilities no longer required, written back	(1,109.35)	-
Provision for expected credit/impairment loss	402.17	-
Provision for doubtful advances	37.43	-
Bad debts written off	6.87	-
Depreciation and amortisation expenses	1,969.15	-
	12,658.41	**(6.28)**
Movements in working capital:		
(Increase)/decrease in trade and other receivables	(18,552.50)	-
(Increase)/decrease in inventories	(571.83)	-
(Increase)/decrease in other assets	(1,419.11)	-
Increase/(decrease) in trade and other liabilities	15,680.43	1.14
Increase/(decrease) in provisions	116.06	-
	(4,746.95)	**1.14**
Cash generated from operations	**7,911.46**	**(5.14)**
Income taxes paid	(0.21)	-
Net cash generated by operating activities	**7,911.25**	**(5.14)**
Cash flows from investing activities:		
Payments to acquire financial assets	–	(8.50)
Proceeds from sale of financial assets	10.24	-
Interest received	16.14	-
Payments for property, plant and equipment	(3,976.83)	-
Proceeds from disposal of property, plant and equipment	119.04	-
Movement in other bank balances	84.89	-
Net cash used in investing activities	**(3,746.52)**	**(8.50)**
Cash flows from financing activities:		
Proceeds from borrowings	–	6.00
Movement in short term borrowings (net)	(9,406.96)	-
Proceed from capital issue	–	10.00
Interest paid	(2,853.31)	(0.04)
Net cash used in financing activities	**(12,260.27)**	**15.96**
Net increase in cash and cash equivalents:	**(8,095.54)**	**2.32**
Cash and cash equivalents on account of demerger	10,268.73	-
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2.32	-
Cash and cash equivalents at the end of the year	**2,175.51**	**2.32**

Notes 1 to 39 form an integral part of these consolidated financial statements.
In terms of our report attached

For Lodha & Co.	**For and on behalf of the Board of Directors**	
Chartered Accountants		
Firm Registration No.:301051E		
N.K. Lodha	**Rakesh Kaul**	**Sandip Somany**
Partner	Whole Time Director and CEO	Chairman
M. No. 85155	DIN: 08560772	DIN: 00053597
Place: Gurugram	**Payal M. Puri**	**Naveen Malik**
Date : 25 September, 2019	Company Secretary ACS No.: 16068	Chief Financial Officer

Note: For detailed Notes forming integral part of above consolidated financial statements of the Company, may please visit Company's website www.shilgroup.com or please see section titled "Financial Statements" under Section VI- Financial Information of the Information Memorandum which shall be made available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.shilgroup.com.

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF SOMANY HOME INNOVATION LIMITED

1. This report is being issued at your request. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Somany Home Innovation Limited (" the Company") (" SHIL") and its subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as "the Group") and the Statement of Changes in Equity as at 31 March 2019, the Consolidated Statement of Profit & Loss (including Other Comprehensive Income), and the Consolidated Statement of Cash Flows for the year as on 31 March 2019 annexed thereto (the 'Statement'). These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our examination. These financial statements are prepared for limited purpose for filing IM with stock exchange and this to be read with note no.37 and other notes thereon.

Management's Responsibility

2. The preparation of the accompanying Statement is the responsibility of the Management of the Company. This responsibility includes designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement, and applying an appropriate basis of preparation, and making estimates that are reasonable in the circumstances.
3. The Management is also responsible for ensuring that the Company complies with the requirements of the Equity Listing Agreement (where applicable) and for providing all relevant information to the Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges.
4. The financial information have been extracted by the Management from the audited Consolidated financial statements of HSIL Ltd. (the transferor Company, read with no.36) for the year ended 31March 2019.

Auditors Responsibility for Special Purpose Audit report

5. The financial statements referred to in paragraph 4 above, have been audited by us on which we issued an unmodified audit opinion vide our reports dated 3 May 2019. Those financial statements, and the financial statements referred herein this report do not reflect the effect of the events that occurred subsequent to the date of our report on those financial statements. Our examination of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.
6. Our examination was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.
8. This report should not be in any way construed as a re–issuance or re–dating of any of the previous audit reports issued by us nor should it be construed as a new opinion on any of the financial statements referred to therein.
9. The impact of the Scheme has been given in the re-casted Consolidated financial statements of the Group for the financial year 2018-19 w.e.f. 1 April 2018 (i.e. from the appointed date) to consider the impact of transfer of business CPDM & Retail undertakings and BPD Mundertaking from HSIL Ltd to SHIL and Brilloca Ltd respectively (refer Note no.36).

Basis for Opinion

10. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes (Revised 2016) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and Standard on Auditing specified u/s143(10) of the Act which includes the concept of test check and materiality. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

www.readwhere.com

Other Matters

11. We did not audit the financial statements of five subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs.483.67 lacs as at 31 March 2019,total revenues of Rs. 806.81 lacs and total profit /(Loss) after tax of Rs. (29.01) lacs for the year ended on that date,were considered in the audited consolidated financial statements for the year ended 31st March 2019 of the HSIL.These financial statements had been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the stated consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, insofar as it relates to the aforesaid subsidiaries based solely on the reports of the other auditors.

Opinion

12. Based on our examination as above,and in accordance to the information and explanations given and representations provided to us by the management of the Company, we report that:
    i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our examination.
    ii) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of the books.
13. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the said accounts, read with the Significant Accounting Policies and the Notes to Accounts, give a true and fair view inconformity with the accounting principles generally accepted in India:
    i) in the case of the re-stated figures of Balance Sheet, of the state of affairs as at 31 March 2019;
    ii) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the re-stated profit for the year ended 31 March 2019; and
    iii) in the case of the re-stated Cash Flow Statements for the year ended 31 March 2019.

Restriction on Use

14. Our report is intended solely for use of the Management and for inclusion in the Information Memorandum (IM) in connection with the proposed listing of equity shares of the Company with stock exchange in India. Our report should not to be used, referred to or distributed for any other purpose without our written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
FRN – 301051E
N.K. LODHA
Partner
Membership No.85155
UDIN: 19085155AAAADB3918
Place: Gurugram
Date: 25 September 2019

Audit Qualification:

There have been no qualifications or adverse remarks by our Auditors in the restated consolidated financial statement of the Company for the financial year ended 31 March, 2019 and the consolidated financial statement for the financial year ended 31 March, 2018.

Changes in Accounting Policies in the last three years and their effect on profits and reserves of the Company:

There is no change in Significant Accounting Policies of our Company.

SOMANY HOME INNOVATION LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West Bengal, India - 700001
Website: www.shilgroup.com | CIN: U74999WB2017PLC222970 |
Tel.:+91-33-22487407/5668

PART I

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2019

(Rs. in crore)

	Particulars	3 months ended 30 September 2019 (Unaudited)	3 months ended 30 June 2019 (Unaudited)	Year to date figures for the current period ended 30 September 2019 (Unaudited)
		Post Scheme (Refer Note 2)	Post Scheme (Refer Note 2)	Post Scheme (Refer Note 2)
I	Revenue from operations	425.58	377.95	803.53
II	Other income	1.47	3.75	5.22
III	**Total income (I+II)**	**427.05**	**381.70**	**808.75**
IV	**Expenses**			
	a) Purchases of stock-in-trade	306.11	236.18	542.29
	b) Changes in inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress	(17.69)	17.37	(0.32)
	c) Employee benefits expense	40.76	39.38	80.14
	d) Finance cost	7.46	7.95	15.41
	e) Depreciation and amortization expense	11.57	8.81	20.38
	f) Other expenses	69.81	63.59	133.40
	Total expenses (IV)	**418.02**	**373.28**	**791.30**
V	**Profit before exceptional items and tax (III-IV)**	**9.03**	**8.42**	**17.45**
VI	**Exceptional item**	-	-	-
VII	**Profit before tax**	**9.03**	**8.42**	**17.45**
VIII	**Tax expense**			
	a) Current tax	3.07	5.90	8.97
	b) Deferred tax charge/(benefit)	0.01	(3.06)	(3.05)
	Tax expenses (VIII)	**3.08**	**2.84**	**5.92**
IX	**Profit for the period (VII-VIII)**	**5.95**	**5.58**	**11.53**
X	**Other comprehensive income (net of tax)**			
	(A)(i) Items that will not be reclassified to profit or loss	0.41	-	0.41
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	(0.12)	-	(0.12)
	Exchange difference on translation of foreign operations	(0.01)	-	(0.01)
	Total other comprehensive income (X)	**0.28**	**-**	**0.28**
XI	**Total comprehensive income for the period (IX+X)**	**6.23**	**5.58**	**11.81**
XII	**Earnings before interest, depreciation, tax and amortization (EBIDTA) [V+IV (e)+IV(f)]**	**28.06**	**25.18**	**53.24**
XIII	**Paid-up equity share capital (face value Rs.2/- per share) (Refer Note 2)**	**14.46**	**-**	**14.46**
XIV	**Other equity (excluding revaluation reserve)**	-	-	-
XV	**Earnings per share : (of Rs. 2/- each)**			
	(a) Basic (Rs.)	0.82	0.77	1.59
	(b) Diluted (Rs.)	0.82	0.77	1.59

PART II

Segment wise revenue, results, assets and liabilities (Refer Note 5)

(Rs. in crore)

	Particulars	3 months ended 30 September 2019 (Unaudited)	3 months ended 30 June 2019 (Unaudited)	Year to date figures for the current period ended 30 September 2019 (Unaudited)
1	**Segment revenue from operation:**			
	a) Building products	304.06	274.59	578.65
	b) Consumer products	97.27	78.35	175.62
	c) Retail business	23.56	24.41	47.97
	d) Others	3.08	2.64	5.72
	Total	**427.97**	**379.99**	**807.96**
	Less : Inter segment revenue	2.39	2.04	4.43
	Total income from operations	**425.58**	**377.95**	**803.53**
2	**Segment results: Profit(+)/loss(-) (before tax and interest from each segment)**			
	a) Building products	18.49	19.64	38.13
	b) Consumer products	1.87	0.54	2.41
	c) Retail business	(3.98)	(3.90)	(7.88)
	d) Others	0.11	0.09	0.20
	Total profit before unallocable expenditure	**16.49**	**16.37**	**32.86**
	Less: i) Finance costs	7.46	7.95	15.41
	Total Profit before tax	**9.03**	**8.42**	**17.45**
3	**Segment assets**			
	a) Building products	757.87	530.53	757.87
	b) Consumer products	270.13	209.06	270.13
	c) Retail business	82.75	88.11	82.75
	d) Others	5.86	5.71	5.86
	Total	**1,116.61**	**833.41**	**1,116.61**
	Segment liabilities			
	a) Building products	571.59	312.96	571.59
	b) Consumer products	168.04	130.31	168.04
	c) Retail business	103.69	111.51	103.69
	d) Others	4.85	3.26	4.85
	Total	**848.17**	**558.04**	**848.17**

SOMANY HOME INNOVATION LIMITED
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES (CONSOLIDATED)

(Rs. in crore)

	Particulars	As at 30 September 2019 (Un audited) Post Scheme
A	**ASSETS**	
1	**Non-Current Assets**	
	a) Property, plant and equipments	186.58
	b) Capital work in progress	4.70
	c) Other intangible assets	1.79
	d) Financial assets	
	i) Loans	4.39
	e) Deferred tax asset (net)	36.96
	f) Other non-current assets	4.71
	Total Non-Current Assets	**239.13**
2	**Current Assets**	
	a) Inventories	279.61
	b) Financial assets	
	i) Investments	0.27
	ii) Trade receivables	362.51
	iii) Cash and cash equivalents	21.54
	iv) Bank balance other than (iii) above	0.10
	v) Loans	0.03
	vi) Other financial assets	153.04
	c) Other current assets	60.38
	Total Current Assets	**877.48**
	TOTAL ASSETS (A=1+2)	**1,116.61**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**	
1	**Equity**	
	a) Equity share capital	14.46
	b) Other equity	253.98
	Total Equity	**268.44**
2	**Non-Current Liabilities**	
	a) Financial liabilities	
	i) Borrowings	48.75
	ii) Other financial liabilities	92.62
	b) Provisions	4.72
	c) Other non-current liabilities	0.52
	Total Non-Current Liabilities	**146.61**
3	**Current Liabilities**	
	a) Financial liabilities	
	i) Borrowings	197.54
	ii) Trade payables	
	- Due to micro and small enterprise	30.13
	- Due to others	219.72
	iii) Other financial liabilities	216.81
	b) Other current liabilities	20.34
	c) Income tax liabilities	13.82
	d) Provisions	3.20
	Total Current Liabilities	**701.56**
	Total Liabilities (2+3)	**848.17**
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES (B=1+2+3)	**1,116.61**

SOMANY HOME INNOVATION LIMITED
Cash Flow Statement (Consolidated)

(Rs. in crore)

Particulars	As at 30 September 2019 (Post Scheme) (Refer Note No. 2) (Unaudited)
Cash flows from operating activities	
Profit before tax	**17.45**
Adjustments for:	
Finance costs	15.41
Interest income	(0.05)
Gain on disposal of property, plant and equipment	(0.02)
Loss on disposal of property, plant and equipment	0.23
Net (gain) arising on current investments	(0.01)
Sundry balances and liabilities no longer required, written back	(0.17)
Provision for expected credit/impairment loss	3.20
Bad debts written off	0.23
Depreciation and amortisation expenses	20.38
	56.85
Movements in working capital:	
(Increase)/decrease in trade and other receivables	(64.40)
(Increase)/decrease in inventories	(0.32)
(Increase)/decrease in other assets	4.92
Increase/(decrease) in trade and other liabilities	133.16
Increase/(decrease) in provisions	0.90
	74.26
Cash generated from operations	**130.91**
Income taxes paid	(38.00)
Net cash generated by operating activities	**92.91**
Cash flows from investing activities:	
Payments to acquire financial assets	-
Proceeds from sale of financial assets	0.01
Interest received	0.04
Payments for property, plant and equipment	(14.89)
Proceeds from disposal of property, plant and equipment	0.17
Movement in other bank balances	(0.08)
Net cash used in investing activities	**(14.75)**
Cash flows from financing activities:	
Movement in short term borrowings (net)	(55.18)
Payment of lease liabilities	(9.66)
Interest paid	(13.54)
Net cash used in financing activities	**(78.38)**
Net increase in cash and cash equivalents:	**(0.22)**
Cash and cash equivalents at the beginning of the year (post demerger)	**21.76**
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	-
Cash and cash equivalents at the end of the year	**21.54**

Notes:

(1) The above consolidated financial results of Somany Home Innovation Limited ("SHIL" or "Company") for the quarter and period ended 30 September 2019 have been approved by the Board of Directors at their meeting held on 14 November 2019.

(2) I (a) The Board of Directors of the Company in its meeting held on 10 November 2017 had approved a Composite Scheme of Arrangement under section 230 to 232, read with section 66 and other applicable provisions of the Companies Act 2013 and the provisions of other applicable laws, amongst the Company, Brilloca Limited (a wholly owned subsidiary of the Company) and HSIL Limited and their respective shareholders and creditors ("Scheme"). The Scheme provided for the demerger of (i) the Consumer Products Distribution and Marketing Undertaking ("CPDM Undertaking") and Retail Undertaking of HSIL Limited into SHIL, and (ii) the Building Products Distribution and Marketing Undertaking ("BPDM Undertaking") of HSIL Limited into Brilloca Limited. The Scheme was approved by the Hon'ble Kolkata Bench of National Company Law Tribunal vide its order dated 26 June 2019, certified copy of the order dated 22 July 2019 was filed with Registrar of Companies, West Bengal on 5 August 2019 and accordingly the Scheme has come into effect. The Scheme is effective from the Appointed Date i.e. 1 April, 2018. Accordingly due effect of the Scheme have been incorporated.

(b) In terms of the Scheme, the 100 percent equity share capital of 5,00,000 of Rs 2/- each of the Company held by HSIL Limited stands cancelled, and existing shareholders of HSIL Limited have been issued and allotted fully paid up one equity share of SHIL of face value of Rs.2/- each for every one equity share held by them in the HSIL Limited as on the 20 August, 2019 (record date) 7,22,96,395 no. of equity shares of Rs. 2 each and Rs. 1445.93 lacs credited to Share Capital. In terms of the Scheme, the Company have undertaken necessary steps for listing of its equity shares allotted subject to necessary regulatory approvals including the listing approval from stock exchanges.

(c) The necessary steps and formalities in respect of completion of transfers of properties, licences, approvals and investments as required under the Scheme in favour of the Company and Brilloca Limited and modification of charges etc.are under implementation.

(II) As stated above, the aforesaid Scheme of the Company is with HSIL Limited which is erstwhile holding company of SHIL. To give effect of the Scheme from Appointed Date i.e.1 April 2018 and pursuant to the requirements of Ind AS 103 "Business Combination", the Company has accounted this Business Combination involving entities under common control using the pooling of interest method in the financial results, for prior period i.e.with effect from 1st April 2018 as per Ind AS -103.

(3) The Group has adopted Ind AS 116 "Leases" effective 1 April, 2019 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and applied the standard to its leases. This has resulted in recognising right of use assets and corresponding Lease liabilities. The application of Ind AS 116 did not have any significant impact in the financial results for the quarter and period.

(4) Post implementation of the Scheme, the Company has following subsidiaries: Hindware Home Retail Private Limited (Wholly owned); Brilloca limited (Wholly owned), Luxxis Heating Solutions Private Limited (99.99%).

(5) Post implementation of Scheme and transfer of CPDM undertaking, Retail Undertaking to the Company, and transfer of BPDM Undertaking to a wholly owned subsidiary Company i.e. Brilloca Limited, the Group has identified following as reportable segments in accordance with the requirement of IND AS 108- Operating segments:

a) **Consumer Products**: Sales and distribution of consumer products - air purifiers, air coolers, kitchen appliances, water heaters, exhaust fans, water purifiers and related products.
b) **Retail Business:** Sales and distribution of furniture, furnishings, home decor and other related products.
c) **Building Products:** Sales and distribution of building products - sanitary ware, faucets, UPVC and CPVC pipes, fittings and related products.

(6) One of the Subsidiary Company (i.e. Brilloca Limited) has decided to exercise the option permitted under section 155 BAA of the Income Tax Act,1961 as introduced by the taxation laws (amendment ordinance, 2019 from the current financial year),accordingly the provision for income tax and deferred tax balances have been recorded/remeasured using the new tax rate and the resultant impact have been recognised in the current periods statement of profit and loss.

(7) The previous period/year figures have been rearranged /regrouped, whenever considered necessary.

(8) The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the unaudited financial results for the quarter and period ended 30 September 2019.

Place: Gurugram
Date: 14 November, 2019

Rakesh Kaul
Whole Time Director and CEO

INDEPENDENT AUDITOR'S REVIEW REPORT

To
The Board of Directors of
Somany Home Innovation Limited

1. We have reviewed the accompanying Statement of unaudited Consolidated Financial Results of Somany Home Innovation Limited ("the Parent"), which includes its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as 'the Group'), for the quarter ended 30 Sept, 2019 and for the period from 1 April 2019 to 30 Sept 2019 (the "Statement") attached herewith. The Parent is in process of listing of equity shares and voluntarily complied with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (" the Regulations"), in preparation of this Statement.The preparation of the Statement in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS-34, Interim Financial Reporting prescribed u/s 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rule, 2015 (as amended), is the responsibility of the Company's management and has been approved by the Board of Directors of the Parent. The annexed financial statements for the quarter ended 30 Sept, 2019 and for the period from 1 April 2019 to 30 Sept 2019 are prepared considering the effect of the Scheme of arrangement as stated in the foot note no. 2. Our responsibility is to issue a report on the Statement based on our review.
2. This Statement, which is the responsibility of the Parent's Management and approved by the Parent's Board of Directors, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, (Ind AS 34) "Interim Financial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.
3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.
4. The Statement includes the results of the following entities:
    Subsidiary companies
    i. Brilloca Ltd.**
    ii. Hindware Home Retail (P) Ltd.**
    iii. Luxxis Heating Solutions (P) Ltd.**
    iv. Halis International Limited.$
    v. Alchemy International Cooperatief U.A.*
    vi. Haas International B.V^
    vii. QUEO Bathroom Innovations Limited #
    ** Subsidiary of Somany Home Innovation Limited
    $ Subsidiary of Brilloca Ltd
    * Subsidiary of Halis International Limited
    ^Subsidiary of Alchemy International Cooperatief U.A.
    # Subsidiary of Haas International B.V
5. **Other matter**
    We did not review the interim unaudited financial results and other financial information in respect of six (6) subsidiaries (including step down subsidiaries), whose interim financial results/information reflect total assets of Rs.7.48 crores as at 30 Sept 2019 , total revenues of Rs.3.09 crore and Rs.5.74 cores, total net profit /(loss) after tax of Rs.0.17 crore and Rs.0.25 crore and other comprehensive income of Rs. Nil and Rs. Nil for the quarter and six months period ended 30 September 2019, respectively, and cashflows (net) of (Rs.0.10 crores) for the period from 1st April 2019 to 30 Sept 2019 as considered in the statement. According to the information and explanations given to us by the Management, these interim financial results which are certified by the management and other financial information are not material to the Group.
    Our conclusion on the Statement is not modified in respect of the above matter.
6. Based on our review conducted and procedures performed as stated in paragraph 3 above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the aforesaid Indian Accounting Standard specified under Section 133 of the Companies Act, 2013,as amended, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Regulation, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 301051E
(N.K. Lodha)
Partner
Membership No. 85155
Place: Gurugram
Date: 14.11.2019
UDIN: 19085155AAAAEK4619

K. Details of Subsidiary and Group Companies

SUBSIDIARY COMPANIES:

	Hindware Home Retail Private Limited	Luxxis Heating Solutions Private Limited	Brilloca Limited	Hintastica Private Limited
	(Wholly Owned Subsidiary)	(Subsidiary)	(Wholly Owned Subsidiary)	(Wholly Owned Subsidiary)
CIN	U51109WB2005 PTC106307	U74999WB2017 PTC224015	U74999WB2017 PLC223307	U31909WB2019 PTC234717
Date of incorporation	24 November, 2005	26 December, 2017	02 November, 2017	14 November, 2019
Registered Office	2,Red Cross Place Kolkata-700001	2,Red Cross Place Kolkata-700001	2,Red Cross Place Kolkata-700001	2,Red Cross Place Kolkata-700001
	It is engaged in the retail business of furniture's, modular kitchen, home décor and home furnishing through online channel and also engaged in institutional sales on pan India basis.	To import, export, produce, buy, sell, process, manufacture, assemble and deal in all kinds of water heaters, electrical equipments and appliances etc.	To import, export, produce, refine, buy, sell, process, manufacture and deal in all kinds of building material products like sanitary ware (including sanitary ware made of plastic, fiber glass or any other synthetic product), earthenware, stoneware, glass, china, terracotta, Porcelain products, bricks, tiles, pottery pipes, insulators refractories of all description and or by-products thereof and Faucets including Chromium-plated Fittings, Bath Tubs & Whirlpools, Shower Enclosures, Home Appliances, Electrical Products, Decorative Materials and Building Chemicals and also products like fire bricks, fire clay fire cement, tiles, sewers, pipes, drain pipes, stone pipes, Hume pipes, concrete pipes and pipes of all kinds, pottery tiles, lime, cement, china and terracotta, ceramic wares, cement (ordinary white coloured Portland alumina blast furnace, silica etc.), cement products of any description (pipes, poles, asbestos sheets, blocks, ties, garden wares etc.).	To import, export, produce, buy, sell, process, manufacture, assemble and deal in all kinds of water heaters, electrical equipments and appliances etc.
Name of Directors	Mr. Ram Babu Kabra, Mr Niranjan Kumar Goenka, & Mr. Girdhari Lal Sultania	Mr. Sandip Somany, Mr. Girdhari Lal Sultania, & Mr. Niranjan Kumar Goenka	Mr. Sandip Somany, Mr. Girdhari Lal Sultania, & Mr. Niranjan Kumar Goenka, Mr. Ashok Jalpuria, Mr. Salil Kumar Bhandari and Dr. Rainer Siegfried Simon	Mr. Sandip Somany, Mr. Girdhari Lal Sultania, Mr. Niranjan Kumar Goenka & Mr. Rakesh Kaul
Listing Status	Unlisted	Unlisted	Unlisted	Unlisted
Authorised share capital	Rs 1,40,00,00,000 comprising of 5,00,00,000 equity shares of Rs 10/- each and 90,00,000-0% non-cumulative redeemable preference shares of Rs. 100/- each.	Rs 50,00,000 comprising of 5,00,000 equity shares of Rs.10/- each	Rs 10,00,000 comprising of 5,00,000 equity shares of Rs 2/- each	Rs. 50,00,000 comprising of 5,00,000 equity shares of Rs 10/- each.
Issued, subscribed and paid up capital	Rs 2,43,80,000 comprising of 6,40,000 equity shares of Rs. 10/- each and 1,79,800 -0% non-cumulative redeemable preference shares of Rs. 100/- each.	Rs 20,00,000 comprising of 2,00,000 equity shares of Rs 10/- each	Rs 10,00,000 comprising of 5,00,000 equity shares of Rs 2/- each	Rs. 20,00,000 comprising of 2,00,000 equity shares of Rs 10/- each

Share-holding Pattern (As on 16 December, 2019)	Number of equity shares	%age age	Number of equity shares	% age	Number of equity shares	% age	Number of equity shares	% age
Promoter & Promoters Group	640000	100	200000	100	500000	100	200000	100
Public	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**640000**	**100**	**200000**	**100**	**500000**	**100**	**200000**	**100**

Brief financial details as per latest audited financial statements for the FY ended 31 March, 2019

	(Rs.in Lakh)	(Rs.in Lakh)	(Rs.in Lakh)	(Rs.in Lakh)
Total Revenue	803.25	1.31	0.61	-
Net profit / (loss) after tax	27.23	0.28	(0.46)	-
Net Worth	(17.65)	18.49	8.32	-

Stepdown Subsidiaries:

- Halis International Limited (subsidiary of Brilloca Limited)
- Alchemy International Cooperatief U.A. (subsidiary of Halis International Limited)
- Haas International B.V. (subsidiary of Alchemy International Cooperatief U.A.)
- Queo Bathroom Innovations Limited UK (subsidiary of Haas International B.V.)

GROUP COMPANIES:

	HSIL Limited
CIN	L51433WB1960PLC024539
Date of Incorporation	08 February, 1960
Registered Office	2, Red Cross Place, Kolkata-700001
Business activities	It is authorized to conduct, and is inter alia engaged in, the business of manufacturing, preparing, buying, selling, importing, exporting, trading and otherwise dealing in all kinds of building products (sanitaryware, faucets, tiles, other lifestyle products, UPVC and CPVC pipes, fittings, etc.), consumer products, glass packaging products, plastic packaging material, security caps and closures, wind power generation and retail business for home interior solutions.
Name of Directors	Dr. Rajendra Kumar Somany, Mr. Sandip Somany, Mrs. Sumita Somany, Mr. Girdhari Lal Sultania, Mr. Ashok Jalpuria, Mr. Salil Kumar Bhandari, Mr. Vijay Kumar Bhandari, & Mr. Nand Gopal Khaitan
Listing Status	Listed at BSE and NSE
Authorised share capital	Rs. 22,25,00,000 comprising of 11,12,50,000 equity shares of Rs. 2/- each.
Issued, subscribed and paid up capital	The issued share capital is Rs. 14,46,00,440 comprising of 7,23,00,220 equity shares of Rs. 2/- each and subscribed and fully paid up share capital is Rs. 14,45,92,790 comprising of 7,22,96,395 equity shares of Rs. 2/- each.

Shareholding Pattern (As on 30.09.2019)	Number of equity shares	% age
Promoter & Promoters Group	3,56,72,819	49.34
Public	3,66,23,576	50.66
Total	**7,22,96,395**	**100.00**

Brief financial details as per latest audited financial statements for the FY ended 31 March, 2019

		(Rs. in Lakh)
Total Revenue		2,73,954.18
Net profit / (loss) after tax		7,046.71
Net Worth		1,51,451.88

L . Outstanding litigations and defaults of the Company, Promoters, Directors or any of the Group Companies

Except as described below, there are no material outstanding or pending litigations, suits or criminal or civil prosecutions, proceedings or tax liabilities against our Company, our Directors, our Promoters and our subsidiary companies, and there are no defaults, non-payment or overdue of statutory dues, institutional/bank dues and dues payable to holders of any debentures, bonds and fixed deposits, other unclaimed liabilities against our Company or our Directors or our Promoters or our subsidiary companies. Further, no disciplinary action (including penalty) has been taken by SEBI or any stock exchanges against our Promoters in the last 5 (five) financial years.
The summary of outstanding or pending litigations is set out below:

Litigation involving Our Company

Type of proceeding	No. of Cases	Amount involved, to the extent quantifiable (Rs. in Lakh)
Material civil proceedings	2	N/A
Criminal proceedings	18	136.74
Regulatory/ statutory proceedings	Nil	Nil
Taxation proceedings	1	77.77

Litigation involving our Directors

Type of proceeding	No. of Cases	Amount involved, to the extent quantifiable (Rs. in Lakh)
Material civil proceedings	Nil	Nil
Criminal proceedings	2	87.49
Regulatory/ statutory proceedings	Nil	Nil
Taxation proceedings	1	50.00

Litigation involving our Promoters

Type of proceeding	No. of Cases	Amount involved, to the extent quantifiable (Rs. in Lakh)
Material civil proceedings	Nil	Nil
Criminal proceedings	1	N/A
Regulatory/ statutory proceedings	Nil	Nil
Taxation proceedings	Nil	Nil

Litigation involving our subsidiaries

Type of proceeding	No. of Cases	Amount involved, to the extent quantifiable (Rs. in Lakh)
Material civil proceedings	Nil	Nil
Criminal proceedings	199	1789.85
Regulatory/ statutory proceedings	Nil	Nil
Taxation proceedings	18	610.77

*N/A - Not ascertainable

Continuation of legal proceedings (as per para 7.1.6 of the Scheme)

(a) "From the Effective Date, all legal or other proceedings (including before any statutory or quasi-judicial authority or tribunal) by or against HSIL Limited (Demerged Company) under any statute, whether pending on the Appointed Date, or which may be instituted any time in the future and in each case relating to the CPDM Undertaking and/or the Retail Undertaking ("Demerged Undertaking Proceedings") shall be continued and enforced by or against Somany Home Innovation Limited (Resulting Company 1) after the Effective Date, to the extent legally permissible. To the extent such Demerged Undertaking Proceedings cannot be taken over by Resulting Company 1, such proceedings shall be pursued by the Demerged Company as per the instructions of and entirely at the costs and expenses of Resulting Company 1.
(b) If the Demerged Undertaking Proceedings are taken against the Demerged Company in respect of the matters referred to in Paragraph 7.1.6(a) above, it shall defend the same in accordance with the advice of Resulting Company 1 and at the cost of Resulting Company 1, and the latter shall reimburse and indemnify and hold harmless the Demerged Company against all liabilities and obligations incurred by the Demerged Company in respect thereof.
(c) If any Demerged Undertaking Proceedings is pending, the same shall not abate, be discontinued or in anyway be prejudicially affected by reason of this Scheme and the proceedings may be continued, prosecuted and enforced, by or against Resulting Company 1 in the same manner and to the same extent as they would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against the Demerged Company, as if this Scheme had not been made.
(d) In the event of any difference or difficulty on whether any specific legal or other proceedings relates to the CPDM Undertaking or the Retail Undertaking or not, the decision of the Board of Directors of the Demerged Company in this regard shall be conclusive and binding on the Demerged Company and Resulting Company 1."

The outcome of the legal proceedings as stated above are to be read with para 7.1.6 of the Scheme as reproduced above.For further details on Outstanding litigations, please see section titled "Outstanding Litigations and Material Developments" under Section VII - Legal and Other Information of the Information Memorandum which shall be made available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.shilgroup.com

M. Particulars of high, low and average prices of the shares of the listed demerged company-HSIL Limited during the preceding three years

Period	BSE			NSE		
	High (In Rs.)	Low (In Rs.)	Average (In Rs.)	High (In Rs.)	Low (In Rs.)	Average (In Rs.)
2019 (till Record Date being 20.08.2019	305.90	64.95	185.42	303.25	56.70	180.97
2018	509.80	186.00	347.90	513.60	191.00	352.30
2017	564.35	271.65	418.00	564.00	277.00	420.50
2016	369.50	224.00	296.75	369.70	223.60	296.65

*Source: www.bseindia.com and www.nseindia.com

N. Any material development after the date of the last Balance Sheet:

Except as given below, in the opinion of our Board, there have not arisen since the date of last Restated Consolidated Financial Statements as on 31 March, 2019, any circumstances that materially or adversely affect or are likely to affect our profitability taken as a whole or the value of our assets or our ability to pay our material liabilities within the next twelve months.

- The NCLT, Kolkata bench, vide its order dated 26 June, 2019 approved the Composite Scheme of Arrangement amongst HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited and Brilloca Limited and their respective shareholders and creditors under sections 230 To 232 read with section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.
- Our Board of Directors was reconstituted and KMPs were appointed on 14 September, 2019 and 17 September, 2019 respectively.
- In-principle approval for listing of 7,22,96,395 equity shares of Rs. 2/- each of the Company received from National Stock Exchange of India Limited on 11 October, 2019.
- In-principle approval for listing of 7,22,96,395 equity shares of Rs. 2/- each of the Company received from BSE Limited on 13 December, 2019.
- SEBI granted relaxation under Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 vide its letter dated 08 November, 2019.
- Hintastica Private Limited was incorporated on 14 November, 2019 as a wholly owned subsidiary of the Company.
- Our Company has launched two new products, i.e. a new range of Hindware Air Purifier in November 2019 and Hindware Snowcrest Ceiling fans in December 2019.

O. Any other information as may be specified by SEBI from time to time: N.A.

For and on behalf of the Board of Directors of Somany Home Innovation Limited

Place: Kolkata
Date: 18 December, 2019

Name: **Mr. Rakesh Kaul**
Designation: **Whole-time Director & CEO**

www.readwhere.com

अनुसूची-II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
नोएसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	नोएसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	3.12.1986
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, स.स. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	L32109DL1986PLC026273
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1201 बी, 12वां तल, हेमकुन्ट चैम्बर, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	25.6.2019 (270 दिनों की पूर्णता)
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	28.11.2019 (आदेश की प्रति 17.12.2019 को प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर तथा पंजीकरण संख्या	योगेश कुमार गुप्ता सी-17-बी, बेस्मेन्ट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 ykgupta64@yahoo.co.in, liquidator.noesis@gmail.com 011-41076118 IBBI/IPA-003/IP/N00078/2017- 18/10701
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	16.01.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ IV, नई दिल्ली ने 28.11.2019 को (सूचना 17.12.2019 को दी गई) नोएसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा नोएसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 16.01.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 17.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

योगेश कुमार गुप्ता
परिसमापक
नोएसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
आर.सी. नं. 395/18 सिंडीकेट बैंक बनाम मीनाक्षी फर्टिलायजर्स (पी) लि.
"आदेश"

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 16.11.2019 के अनुसार 3.1.2020 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः
यह नीलामी बिक्री वेबसाईट https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समयः 3.1.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
इंडस्ट्रियल एरिया रिचाई, जबलपुर, मध्य प्रदेश में भूमि एवं भवन, प्लॉट नं. 72, माप 79500 वर्ग फीट। यह सम्पत्ति लीज होल्ड सम्पत्ति है। चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः प्लॉट नं. 73 का भाग, पूर्वः निजी भूमि, दक्षिणः प्लॉट नं. 71, पश्चिमः स्वयं का यूनिट	रु. 2,21,49,000.00 (रुपए दो करोड़ इक्कीस लाख उन्चास हजार मात्र)	रु. 22,14,900.00 (रुपए बाईस लाख चौदह हजार नौ सौ मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टलः https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. **ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 395/18 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा** जिसके साथ पहचान के स्व- सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित **प्रति अधिकतम 01.01.2020 के 3.00 बजे अप. तक** रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त ईएमडी वाले लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 395/18' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार"** पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauctiontiger.net देखें एवं/ अथवा सम्पर्क करेंः श्री गणेश अगरवाल, उप. महा प्रबंधक, मो. नं. 9868393928, टेली. नं. 011-24330599 तथा 42268146, सिंडिकेट बैंक तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा, सी-34, 3रा तल, "डीडीए बिल्डिंग सह शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मूलचंद हॉस्पीटल के सामने, ई-मेलः samb.delhi@syndicatebank.co.in
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एबीसी) पताः ए-201/2018, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद-3800006 (गुजरात), सम्पर्क व्यक्तिः श्री राम शर्मा एवं श्री कुशल कोठारी मो. नं. 08000023297, 9978591888, लैंड लाइन नं. 079-41072409/41072410/ 411/ 412, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, kushal@auctiontiger.net support@auctiontiger.net से प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मै ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (एबीसी) पताः ए-201/2018, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद-3800006 (गुजरात), सम्पर्क व्यक्तिः श्री राम शर्मा एवं श्री कुशल कोठारी मो. नं. 08000023297, 9978591888, लैंड लाइन नं. 079-41072409/41072410/ 411/ 412, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, kushal@auctiontiger.net support@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. जो इच्छुक बोलीदाता 01.01.2020 **के 3 बजे अप.** तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो **3.1.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच** आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
10. बोलीदाता **रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र)** के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली खाता **"आरसी नं. 395/18"** के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाए अन्यथा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी।
12. सफल उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली **"आर.सी. नं. 395/18"** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को शेष 75% बोली राशि के साथ 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क का रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।)
13. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
14. रिकवरी अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
15. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा तथा संपत्ति के किसी उपयुक्त भाग में उसे चिपकाकर सीडीज को उपलब्ध कराएं तथा परिक्षेत्र में ड्रम का वादन कराएं तथा उसकी एक प्रति अधिकरण की सूचना पटल पर लगवाएं।
16. बिक्री उद्घोषणा / आदेश क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाले अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाए।
17. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन को सुनिश्चित करें तथा उसकी एक प्रति फाइल में लगवायें।

बिक्री उद्घोषणा की सर्विस का शपथ पत्र दाखिल करने तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये मामले में 19.12.2019 को सूचीबद्ध किया जाये।

तिथि: 17.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

(जीतेन्द्र कुमार)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-I, दिल्ली

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	समपन ट्रेडक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	12.3.2013
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	CIN: U70102DL2013PTC249338
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः शॉप नं. 2542, भूतल, गली नं. 7, बेडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली-110005
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30.7.2019 (अंतरिम प्रस्ताव कर्मी को 30.9.2019 को आदेश प्राप्त हुई)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	19.12.2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता ईमेलः rp.sampan@gmail.com; अथवा ajaygupta1969@gmail.com से प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता मानक अधोलिखित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैः http://ibbi.gov.in/webfront/legal_frame work.php
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	3.1.2020
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	13.1.2020
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	18.1.2020
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	28.1.2020
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	18.1.2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36बी (1) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध प्रस्ताव आवेदक(कों) द्वारा गोपनीयता के अंडरटैकिंग को जमा करने के बाद क्लॉज नं. 21 के अंतर्गत दी गई ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	17.2.2020
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	संभावित प्रस्ताव आवेदक(कों) को सर्वप्रथम rp.sampan@gmail.com पर ई-मेल द्वारा अपनी योग्यता मानदंड के समर्थन में दस्तावेजों के साथ अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करना होगा। ईओआई निम्न पते पर डाक/कूरियर द्वारा भी भेजी जा सकती हैः अजय गुप्ता, समपन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में प्रस्ताव कर्मी, फ्लैट नं. 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट, 9वाँ तल, सेक्टर-93ए, नोएडा-201304 उनकी ईओआई पर विचार करने के बाद प्रस्ताव कर्मी द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध संभावित प्रस्ताव आवेदक(कों) को आरपी से प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध की प्राप्ति के बाद प्रस्ताव कर्मी के पास ऊपर वर्णित पते पर ईमेल द्वारा एवं मुहरबंद लिफाफे में भौतिक रूप से/डाक द्वारा ऊपर क्लॉज 16 में वर्णित रूप में प्रस्ताव योजना(ओं) को जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 17.02.2020) को या उससे पूर्व प्रस्ताव योजना जमा करना होगा।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तिथि	13.03.2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	अजय गुप्ता आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	नामः अजय गुप्ता, पताः 7-ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पॉकेट-बी, नई दिल्ली-110014 ईमेलः ajaygupta1969@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	नामः अजय गुप्ता, पताः फ्लैट नं. 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट, 9वाँ तल, सेक्टर-93ए, नोएडा-201304 ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	नामः अजय गुप्ता, प्रस्ताव कर्मी ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	19.12.2019

टिप्पणी: कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीआईआरपी माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के आदेश तिथि 30.7.2019 के माध्यम से शुरू किया गया था, लेकिन आदेश आईआरपी को 30.9.2019 को प्राप्त हुई। अतएव, सीआईआरपी के शुरू होने की प्रभावी तिथि 30.9.2019 है एवं तदनुसार, समय सीमाएं ऊपर निर्दिष्ट है। फिर भी, 30.7.2019 से 30.9.2019 के दिनों के ऐसे एक्सक्लूजन माननीय एनसीएलटी की स्वीकृति के अधीन हैं जो नियत समय पर प्राप्त किये जाएंगे।

हस्ता./-
अजय गुप्ता
समपन ट्रेडेक्स प्रा.लि. (सीआईआरपी के अधीन) के मामले में प्रस्तावकर्मी
IBBI पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
पताः 7ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पॉकेट-बी, नई दिल्ली-110014
ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com, rp.sampan@gmail.com
मो. 09871277445

तिथिः 19.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
मैसर्स रेबेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स रेबेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	15 फरवरी, 2006
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15111DL2006PTC217073
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	मैसर्स रेबेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड डी-301, 302, तृतीय मंजिल, एलएससी प्लॉट नं. 6, चेतन कॉम्पलेक्स, श्रेष्ठ विहार, दिल्ली-110092
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	12 दिसम्बर, 2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	08 जून, 2020 जो कि ऋणशोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तिथि 12.12.2019 से 180 दिन है।
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	श्री विजय कुमार IBBI/IPA-002/IP-N00652/2018-19/12020
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पता: प्लॉट नं. 264, प्लॉट नं. 08, सेक्टर-23, द्वारका, नई दिल्ली-110077 ई-मेल: vk_hv@yahoo.co.in
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	raybancirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	31 दिसम्बर, 2019 जो कि आईआरपी के आदेश दिनांक 17.12.2019 की प्राप्ति से 14वाँ दिन है (माननीय एनसीएलटी दिल्ली दिनांक 12.12.2019)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	आईआरपी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	आईआरपी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	वेब लिंक : दावा प्रपत्र डाउनलोड करने हेतु www.ibbi.gov.in/downloadform.html. आईआरपी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने आदेश सं. (आईबी) सं. 2220/एनडी/2019 दिनांक 12.12.2019 (आईआरपी द्वारा आदेश 17.12.2019 को प्राप्त हुआ) को मैसर्स रेबेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।
मैसर्स रेबेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 31.12.2019 को अथवा इससे पूर्व (अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल की नियुक्ति से चौदह दिन) अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। दावों के प्रमाण भारतीय ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अध्याय IV के अनुरूप जमा की जानी है। दावों के प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रारूपों में जमा किये जाने हैः
प्रपत्र ख: कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर प्रचालन लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र ग: वित्तीय लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र घ: कामगार तथा कर्मचारी द्वारा दावा
प्रपत्र ङ: किसी कामगार या कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावा
प्रपत्र च: वित्तीय लेनदारों तथा प्रचालन लेनदारों के अतिरिक्त लेनदारों द्वारा दावे
प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने हेतु आप उपर्युक्त प्रपत्र वेबसाइट www.ibbi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

श्री विजय कुमार
ऋणशोधन अक्षमता प्रोफेशनल
(अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल)
IBBI/IPA-002/IP-N00652/2018-19/12020

तिथि: 18 दिसम्बर, 2019
स्थान: नई दिल्ली
नोट: हितधारकों से निवेदन है कि वे ई-मेल: raybancirp@gmail.com के माध्यम से सम्पर्क करें।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India
Relationships beyond banking

बीसलपुर शाखा
पताः हरियाली बाजार, 12 पथहर चौराहा, बिसलपुर-262201
Email: bisalpur.ghaziabad@bankofindia.co.in

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1) देखे)

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **04.01.2019** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **श्री कमलेश बाबू पुत्र श्री सुख लाल पता-गांव पुरेना, तहसील-नवाब गंज, बरेली वर्तमान आवासीय पता-बरखेडा कलां, तहसील-बीसलपुल, पीलीभीत और श्री जमुना प्रसाद पुत्र तिलक राम पता- भसाई परवत पुर, बरखेडा जिला पीलीभीत गारंटर** को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रू. 11,55,303.20 (ग्यारह लाख पचपन हजार तीन सौ तीन व बीस पैसे)** + ब्याज और अन्य खर्चों डब्लूईएफ **31.05.2018** सहित को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **13.12.2019** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इण्डिया** को देय धनराशि **रू. 11,55,303.20 (ग्यारह लाख पचपन हजार तीन सौ तीन व बीस पैसे)**+ ब्याज और अन्य खर्चों सहित देना होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पावर के पास भूमि और भवन से मिलकर संपत्ति के सभी भाग और पार्सल जो प्लॉट नम्बर-357, भरखेड़ा कलां, तहसील, बीसलपुर, जिला-पीलीभीत, यूपी जिसका क्षेत्रफल 675.00 वर्ग मीटर जो श्री कमलेश बाबू पुत्र श्री सुख लाल के नाम है।
जिसकी सीमाऐं: उत्तर की ओर: बखेडा कलां पिपरा खास रोड़ दक्षिण की ओर: श्री नारेन की एग्रीकल्चर भूमि, पूर्व की ओर: पी/ओ श्री सुरेश पी/ओ शेरवूड स्कूल श्री सुरेश, पश्चिम की ओर: प्रेम शंकर का प्लॉट

दिनांक: 13.12.2019
स्थान: बीसलपुर

चीफ मैनेजर
और प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

सिंडिकेट बैंक, अशोक विहार
बी-2/11, अशोक विहार, फेज-II, दिल्ली-110052
ई-मेलः br9060@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना
(अधिनियम नियम-8(1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.8.2019 जारी कर ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी, ऋणधारक शर्मा एण्टरप्राईजेज, श्री दीपक शर्मा, स्युरिटी श्री देविन्दर को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 27,28,953.06 (रुपये सत्ताईस लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ तिड़ेपन तथा पैसे छः मात्र) के साथ उस पर आगे की लागत ब्याज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, स्युरिटी/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 28,10,785.57 तथा उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के लिये सिंडिकेट बैंक, अशोक विहार, दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री दीपक शर्मा के स्वामित्व में खसरा नं. 183, 185, 207/184 एवं 208/184, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 में ई-2/198ए में छत के अधिकार के साथ 3रे तल के आवासीय फ्लैट का सभी भाग तथा हिस्सा।
सम्पत्ति की चौहद्दी: उत्तरः ई-2/198, दक्षिणः फ्रान्ट 10 एफआर चौड़ी गली
पूर्वः ई-2/198बी, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति

तिथिः 13.12.2019
स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक

Can Fin Homes Ltd

केन फिन होम्स लि.
पहला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019
CIN No.-L85110KA1987PLC0008699, फोन: 7625079108, 011-26435815, 26430236, ईमेल: delhi@canfinhomes.com

(देखें नियम 8 (1)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.11.2018 जारी कर ऋणधारकोंः 1) श्रीमती बीना, पत्नी अरविन्द सिंह एवं 2) श्री अरविन्द सिंह, पुत्र मोहन सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 9,81,339/- (रुपये नौ लाख इक्यासी हजार तीन सौ उन्तालिस मात्र) तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक 8.11.2018 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 13 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 9,81,339/- तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. एसएफ-4, दूसरा तल, प्लॉट नं. बी-13/11, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र., पिन-201102
उत्तरः प्लॉट नं. बी-13/10, पूर्वः पार्क, पश्चिमः 9 मी. चौड़ा रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. बी-13/12

तिथि: 13.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के वकील काम पर लौटे

जम्मू, 18 दिसंबर (भाषा)। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट और जम्मू क्षेत्र की इसकी अधीनस्थ अदालतों के वकील 40 से अधिक दिन की हड़ताल के बाद बुधवार को काम पर लौट आए। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार संघ की जम्मू शाखा से जुड़े वकील जमीनों की रजिस्ट्री की शक्तियों को अदालतों से छीनकर राजस्व विभाग को सौंपने के सरकार के फैसले के विरोध में एक नवंबर से हड़ताल पर थे।

प्रपत्र – 'जी' (विस्तारित)
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1	कार्पोरेट देनदार का नाम	हिम स्टील प्राइवेट लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03.05.2011
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज दिल्ली
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U27205DL2011PTC218461
5	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** जी-9 श्याम नगर रोहतक रोड, नई दिल्ली -110041 **फैक्टरी :** [illegible]
6	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	15.07.2019
7	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	[illegible] 01.10.2019 [illegible] 05.11.2019 [illegible] 19.12.2019 [illegible]
8	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत आमंत्रण का संदर्भ लें: http://rrinsolvency.com/resource/expression_of_interest.aspx
9	धारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानदंड	निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत आमंत्रण का संदर्भ लें: http://rrinsolvency.com/resource/expression_of_interest.aspx
10	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	03.01.2020
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	04.01.2020
12	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	09.01.2020
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	10.01.2020
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	05.01.2020
15	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	[illegible] irp.himsteel@rrinsolvency.com [illegible]
16	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	06.02.2020 [illegible]
17	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	[illegible] (RFRP) [illegible]
18	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	20.02.2020 [illegible]
19	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**रेशमा मित्तल** IBBI/IPA-00/IP-P00297/2017-18/10541
20	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**रेशमा मित्तल** **पता :** सी-51, आरडीसी, डा. पैथलैब के सामने, राज नगर, गाजियाबाद-201002 **पंजीकृत ईमेल :** careshmamittal@gmail.com
21	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**पता सी-**51, आरडीसी, डा. पैथलैब के सामने, राज नगर, गाजियाबाद-201002 **पत्राचार ईमेल :** irp.himsteel@rrinsolvency.com
22	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत आमंत्रण का संदर्भ लें: http://rrinsolvency.com/resource/expression_of_interest.aspx
23	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	**01.10.2019** को प्रकाशित, जिसका परिशिष्ट 05.11.2019 को और आगे दूसरा परिशिष्ट 19.12.2019 को प्रकाशित

हस्ता/-
रेशमा मित्तल
समाधान पेशेवर, हिम स्टील प्राइवेट लिमिटेड के लिए
IBBI/IPA-00/IP-P00297/2017-18/10541
सी-51 आरडीसी, डा पैथलैब के सामने, राज नगर, गाजियाबाद-201002

तिथि 19/12/2019
स्थान : गाजियाबाद

एचसीएल फाउंडेशन
(कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत एक धारा 8 कम्पनी)
सीआईएन U85100DL2014NPL274786
पंजीकृत कार्यालय: 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फार्म संख्या आईएनसी-19
नोटिस
कम्पनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार

[illegible]

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम या बॉडी कॉर्पोरेट इस आवेदन पर आपत्ति रखता है, तो वह आरओसी को इस नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के अंदर एक पत्र के द्वारा सूचित कर सकता है जो कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा, चौथा तल, आईएफसीआई टॉवर, 61-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को संबोधित होना चाहिए और जिसकी एक प्रति कम्पनी को उनके पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।

कृते एचसीएल फाउंडेशन
हस्ता./-
अमित रॉय
निदेशक

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019
स्थान: दिल्ली

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
क्रॉस लिंक शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

क्र. सं.	विवरण	वर्णन
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	क्रॉस लिंक शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	14 जनवरी, 1993
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1993PTC051733
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : 35ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स-II, कालू सराय, हौज खास, नई दिल्ली-110016
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	16 दिसम्बर, 2019 (आदेश की प्रति 18.12.2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180वाँ दिन अर्थात 13.06.2020
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : श्री राजेश जांगड़ा पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00181/2018-2019/12298
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : ईडी-15 सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ई-मेल आईडी : jangraadvocate@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	द चैम्बर्स ऑफ जांगड़ा एण्ड एसोसिएट्स पता : ईडी-15 सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ई-मेल : crpsslink.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	30 दिसम्बर, 2019
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	शून्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(अ) वेबलिंक : http:// ibbi.gov.in/home/downloads (ब) अप्रयोज्य

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने 16.12.2019 को क्रॉस लिंक शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।
2. क्रॉस लिंक शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 30 दिसम्बर, 2019 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
3. वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

राजेश जांगड़ा
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00181/2018-2019/12298

दिनांक : 18.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

गंगा में अशोधित सीवेज का प्रवाह न रोक पाने पर एनजीटी नाराज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा में अशोधित सीवेज के प्रवाह को रोक नहीं पाने पर बुधवार को अधिकारियों से नाराजगी जताई और जलमल शोधन से संबंधित सभी परियोजनाओं को अगले साल 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने कहा कि निर्देशों के बावजूद उत्तराखंड को छोड़ कर बाकी किसी भी राज्य में नालों के जलमल शोधन का काम शुरू नहीं हुआ है।

अधिकरण ने कहा- उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता पर व डूब वाले मैदानी क्षेत्र में नियमन की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड को छोड़ कर बाकी राज्यों से आई रिपोर्टों में नालों की संख्या और उन्हें रोकने व जलमल शोधन संयंत्रों तक उनका रुख मोड़ने के संबंध में कोई योजना नहीं है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल को औद्योगिक गंदगी के गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में प्रवाह को रोकने का निर्देश भी दिया। अधिकरण ने बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्रों के सीमांकन का भी निर्देश दिया और अधिकारियों से अतिक्रमण रोकने को कहा।

अधिकरण ने बुधवार को एक अन्य आदेश में कहा कि बंगलुरु की बेलंदूर झील में प्रतिदिन 25.67 करोड़ लीटर अशोधित सीवेज का गिरना एक अपराध है और इसे युद्धस्तर पर रोकने की जरूरत है। अधिकरण ने कहा कि बेलंदूर झील में कई पक्षियों, सरीसृप और जलीय जीवों की प्रजातियों का ठिकाना है और अब यह प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित है। झील 130 साल पुरानी बताई जाती है व 9000 एकड़ क्षेत्र में फैली है।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा- इससे भूजल पुनर्भरण भी प्रभावित हुआ है। कचरा डालने से झील के आसपास गंदगी का अंबार है। इसमें झाग बनने का मुख्य कारण खुले नालों से अशोधित जलमल का प्रवाह माना जाता है। समय-समय पर झील से गाद साफ नहीं की गई है और जलाशयों में गिरते जलमल को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। नगर निगम का ठोस कचरा डालने पर भी रोकथाम नहीं लग पाई है।

एनजीटी ने निर्देश दिया कि जलमल शोधन संयंत्र बना कर परियोजनाओं को पूरा करने व सीवरेज नेटवर्क बिछाने की समयसीमा को 30 सितंबर, 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो प्रति महीने प्रति सीवेज शोधन संयंत्र 10 लाख रुपए की दर से मुआवजा देय होगा जो दोषी अधिकारियों से वसूला जाएगा। साथ ही उनके सेवा रिकार्ड में प्रतिकूल उल्लेख के साथ अन्य कार्रवाई की जाएंगी।

प्रदर्शनों पर सरकार ध्यान दे, एनआरसी संविधान विरोधी : द्रमुक

चेन्नई, 18 दिसंबर (भाषा)।

द्रमुक और वाम दलों सहित उनके सहयोगियों की बुधवार को हुई एक बैठक में केंद्र से संशोधित नागरिकता अधिनियम को तुरंत निरस्त करने की मांग की गई। साथ हीदेश भर में प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी को संविधान के विरूद्ध करार दिया गया।

बैठक में पारित एक प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि कानून में किए गए संशोधन में धर्म और जाति का पहलू भी है और इसमें 'ऐलम तमिलों' को नजरअंदाज किया गया है। बैठक में शामिल सभी दलों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिए।

द्रमुक मुख्यालय अन्ना अरिवायलम में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने की। इस बैठक में एमडीएमके प्रमुख वाइको, तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के एस अलागिरी,माकपा के राज्यसचिव के बालकृष्णन और भाकपा के राज्य सचिव आर मुथरासन सहित गठबंधन दलों के नेताओं की उपस्थिति रही।

बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि असम में एनआरसी लागू होने से सिर्फ मुसलमान ही नहीं लाखों हिंदू भी अपने भविष्य को लेकर जूझ रहे हैं। स्टालिन ने बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा, 'हम सभी ने चेन्नई में 23 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में एक विशाल रैली निकालने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा कि द्रमुक और सहयोगी दल श्रीलंका से आने वाले तमिल शरणार्थियों और मुसलमानों को नागरिकता नहीं प्रदान करने के कारण सीएए का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक के 11 और पीएमके के एक सांसद ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में अपना मत देकर इसे लागू करने में सहयोग किया। केंद्र का समर्थन कर उन्होंने तमिलों से विश्वासघात किया है। उन्ह-ें तमिल जनता कभी माफ नहीं करेगी।

संविधान बचाओ-भारत बचाओ मार्च करेगी कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के सभी राज्यों की राजधानियों में 28 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस पर संविधान बचाओ-भारत बचाओ मार्च का आयोजन करेगी।

पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा-कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में इस दिन पार्टी का ध्वज फहराएंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चो के प्रमुख देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में आयोजित मार्च में हिस्सा लेंगे। बयान में कहा गया है कि इस आशय का निर्णय 16 दिसंबर को कांग्रेस महासचिवों एवं प्रभारियों की बैठक में लिया गया था।

वेणुगोपाल ने सूचित किया कि नई दिल्ली में भारत बचाओ रैली की सफलता के बाद विभिन्न राज्यों में ऐसे मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद भाजपा सरकार की जन विरोध नीतियों के खिलाफ मजबूत विरोध दर्ज कराना है। कांग्रेस नेता ने यह आरोप भी लगाया कि राजग सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक मंदी आई है तथा महंगाई एवं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मार्च के दौरान कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून और छात्रों पर बर्बर पुलिस कार्रवाई सहित आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाएगी ।

डंपर से कुचल कर दो लोगों की मौत

ठाणे (महाराष्ट्र), 18 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी शहर में नगर निगम के कचरा ढोने वाले एक डंपर से कुचलने से दो लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे चावींद्र गांव में घटी थी। तेज गति से आ रहा डंपर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे आठ लोगों को रौंदते हुए निकल गया।

उन्होंने बताया कि चालक भारी वाहन से नियंत्रण खो बैठा और आठ लोगों को कुचल दिया।

www.readwhere.com

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालयः रेलवे रोड, ओल्ड फरीदाबाद, फरीदाबाद-121002 (हरि.)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे खाता के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय उसमें वर्णित राशि के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
श्रीमती कृष्णा रानी, पत्नी श्री गोपी राम मित्तल तथा श्री भूषण मित्तल, पुत्र श्री गोपी राम मित्तल पताः मकान सं. 731, सेक.-30, फरीदाबाद-121001	उप-रजिस्ट्रार, फरीदाबाद में बुक 1, वॉल्यूम 39, पेज 55, तिथि 31.07.2002 के बिक्री प्रलेख सं. 3598 के माध्यम से मकान सं. 731, सेक-30, फरीदाबाद, माप 238 वर्ग यार्ड्स के इक्विटैबल मार्टगैज से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। श्रीमती कृष्णा रानी, पत्नी जी.आर. मित्तल इस सम्पत्ति के स्वामी हैं।	11.10.2018 को रु. 3,19,466.00 (रुपये तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ छियासठ मात्र) तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज	1.7.2019 कब्जा की तिथि 13.12.2019

तिथिः 19.12.2019, **स्थानः** फरीदाबाद — **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly सिंडिकेटबैंक SyndicateBank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

शाखा कार्यालयः सेक-21 सी फरीदाबाद, डीएसएस-45-46, सेक 21 सी, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, फरीदाबाद (हरियाणा), ईमेलः br.8299@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता तथा राशि के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा ब्याज के लिये सिंडिकेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) का नाम	अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. के.एस. ट्रेडर्स प्रॉपः श्रीमती पूजा वर्मा गारन्टरोंः 1) श्री तरुण विरमानी पुत्र अशोक कुमार विरमानी 2) मोनिका रानी, पत्नी श्री तरुण विरमारी, 3) सचिन विरमानी, पुत्र श्री अशोक कुमार	1) रु. 62.73 लाख की मूल्य की स्टॉक्स तथा बुक डेब्ट्स का हाइपोथेकेशन 2) श्रीमती मोनिका रानी, पत्नी श्री तरुण विरमानी के नाम में एच.नं. 2/एच/84/रीअर मिड पोर्शन (उत्तर पूर्व), ब्लॉक एच, एनएच 2, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा, माप 166.75 वर्ग यार्ड्स का यू आर ई एम। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः मकान सं. 2-एच/84(भाग), दक्षिणः मकान सं. 2-एच/84 (भाग), पूर्वः रोड, पश्चिमः मकान सं. 2-एच/84 (भाग)	30.6.2019 को रु. 49,70,986.00 (रुपये उन्चास लाख सत्तर हजार नौ सौ छियासी मात्र) तथा 1.7.2019 से ब्याज एवं बैंक द्वारा वहन की गई अनुषांगिक खर्चे	10.7.2019 कब्जा की तिथि 17.12.2019

तिथिः 19.12.2019, स्थानः फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारीः सिंडिकेट बैंक

Arcil Pravesh ARC

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (आर्सिल)

आर्सिल के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत-बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेज लि. I ट्रस्ट आर्सिल-एसबीपीएस-021-III-ट्रस्ट, आर्सिल-एसबीपीएस-025-I-ट्रस्ट, एसबीपीएस-027-I-ट्रस्ट, आर्सिल-एसबीपीएस-034-II-ट्रस्ट

मैसर्स बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेज लिमिटेड (परिसमापनाधीन) से सम्बन्धित वित्तीय आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में सेट अप

आर्सिल कार्यालय : द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुम्बई-400 028. वेबसाइट : www.arcil.co.in

विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) तथा नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल एवं चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबन्धक/बंधक/प्रतिभूत/प्रभारित नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड-प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री 31 मार्च, 2009 तक रु. 1,71,43,00,000/- (रुपये एक सौ इकहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख मात्र) तथा 1 अप्रैल, 2009 से भावी ब्याज तथा व्ययों के लिए मैसर्स बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेज लिमिटेड (परिसमापनाधीन) से एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड को बकाया की वसूली हेतु 10 जनवरी, 2020 को "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 129,07,00,000/- (रुपये एक सौ उनतीस करोड़ सात लाख मात्र) होगी। जमा धरोहर राशि रु. 12,09,00,000/- रुपये बारह करोड़ नौ लाख मात्र) होगी।

लॉट	आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ज.ध.रा.
लॉट 1	साहिबाबाद, साइट IV, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद में स्थित इण्डस्ट्रियल एरिया के भीतर स्थित समस्त प्लॉट भूमि सं. ए-41, ए-42 तथा ए-42/1 भूमि की माप 71,996 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : उत्तर : रेलवे स्टेशन साहिबाबाद, दक्षिण : मेन गेट तथा 150 फीट इण्डस्ट्रियल सड़क, पूर्व : फैक्ट्री ('सी' टाइप प्लॉट), पश्चिम : फैक्ट्री (प्लॉट सं. ए-48) साथ में इस पर सभी भवन तथा संरचनाएँ।	रु. 122,07,00,000/- (रुपये एक सौ बाईस करोड़ सात लाख मात्र)	रु. 12,21,00,000/- (रुपये बारह करोड़ इक्कीस लाख मात्र)
लॉट 2	साहिबाबाद, साइट IV, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद में स्थित इण्डस्ट्रियल एरिया के भीतर स्थित ए-41, ए-42 तथा ए-42/1 पर स्थित कर्जदार की चल सम्पत्तियों का समस्त भाग तथा इसके चल संयन्त्र एवं मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, औंजार एवं अन्य चल वस्तुएँ, वर्तमान एवं भावी सेव तथा बुक डैट को छोड़कर, चाहे संस्थापित हो या न हों तथा चाहे खुली हों या केस में जो अब पड़ी हुई हैं या भण्डारित हैं या कर्जदार की फैक्ट्रियों, परिसरों तथा गोदामों में या इसके आसपास वर्तमान में इसमें भण्डारित या भण्डारित होने वाली वस्तुओं की प्रतिभूति की निरतन्तरता के दौरान समय-समय पर इसके पश्चात पड़ी या भण्डारित या कहीं अन्य हों या किसी पक्ष द्वारा धारित हों या कर्जदार की प्रकृति में या ट्रांजिट के विषय में या खुले सागर में या आदेश पर, सुपुर्दगी, जो भी और जैसे भी भूमि से संलग्न संयन्त्र एवं मशीनरी सहित प्रतिस्थापन या परिवर्द्धन के माध्यम से कर्जदार या अन्य के कब्जे में या भूमि के साथ स्थायी रूप से सम्बद्ध हो।	रु. 7,00,00,000/- (रुपये सात करोड़ मात्र)	रु. 70,00,000/- (रुपये सत्तर लाख मात्र)

मिश्रित लॉट अर्थात संयुक्त रूप से लॉट 1 एवं लॉट 2 हेतु बोली लगाने वाले संविदाकारों को वरीयता दी जायेगी।

*संयन्त्र तथा मशीनरियों/चल सम्पत्तियों के मूल्य पर देय प्रयोज्य वैट/जीएसटी को छोड़कर।

आर्सिल के संज्ञान में ऋण भार :

I. कामगारों का बकाया (स्वीकृत) : रु. 80.2 करोड़ — II. अप्रतिभूत लेनदार-रु. 2.1 करोड़

III. सरकारी दावे-रु. 1.44 करोड़ — IV. ओएल द्वारा दावाकृत व्यय-रु. 0.77 करोड़

परिसमापनाधीन बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेज लि. के पत्र के अनुसार विक्रय कार्यवाहियों का वितरण तथा विधिक बकायों का भुगतान प्रयोज्य कानूनों (अर्थात सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(9) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए) के अनुसार किया जायेगा। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड-प्रतिभूत लेनदार में प्रावधानित लिंक अर्थात http://www.arcil.co.in देखें या आर्सिल के अधिकारी अर्थात मनोज सैयद (+91 9820485425) तथा श्री कमल मिश्रा (+91 9819820760) से सम्पर्क करें)

अधिकृत प्राधिकारी

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 19 दिसम्बर, 2019 — एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank Faithful. Friendly

के-1436/37 रेलवे रोड, बहादुरगढ़ झज्जर (हरियाणा) 124507 टेलीः 01276-230328, ईमेलः synd9257@syndicatebank.co.in

संदर्भ सं. 53866 — तिथिः 1.11.2019

ऋणधारकः श्री धरमवीर सिंह, पुत्र बनारसी दास

एच.नं. 168, डब्ल्यू एन 3, गली नं. 6, लाइन पार, बहादुरगढ़, बहादुरगढ-124507, फोनः 09896980805

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

प्रिय महोदय/महोदया

1. हमने आपके अनुरोध पर रु. 800000/- की कुल राशि के लिये ऋणधारक/ कों को विविध साख सीमायें स्वीकृत की है तथा हम यहां स्वीकृत विविध सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण दे रहे हैंः

क्रम सं.	खाता का प्रकार खाता संख्या	लिमिट	बकाया देयता	एनपीए की तिथि
1.	92579740000062	800000	8,19,541.47	31.10.2019

2. चूंकि आपने देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाताओं को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
3. ऋण दस्तावेजों के स्वीकृत शर्तों के विरुद्ध भुगतान में लगातार चूक को देखते हुए सम्पूर्ण राशि देय हो गया है। अतः 01.11.2019 से ब्याज तथा लागत के साथ रु. 819541.47 (रुपये आठ लाख उन्नीस हजार पाँच सौ इकतालिस एवं पैसे सत्तावन मात्र) की राशि बकाया है।
4. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमें देय सम्पूर्ण बकाया राशि के लिये पुनर्भुगतान के लिये हमारी बार-बार की सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।
5. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत विभिन्न सीमाऐं अधोलिखित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैः
   1. आवासीय भवन, खेवत नं. 291/247, 292, 293/258, खाता नं.-390, 391/247/1 मिन, 392, खसरा नं. 3063 (3-18), 3064/1 (1-6), 3064 (1-0), कमल विहार, लाइन पार, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर (हरियाणा) जो धरमवीर सिंह के स्वामित्व में है। चौहद्दीः उत्तरः श्री भूप सिंह का प्लॉट, दक्षिणः श्री बलवान सिंह का प्लॉट, पूर्वः 18 फीट चौड़ी गली, पश्चिमः अन्य का प्लॉट।
6. ऊपर वर्णित कारणों से हम आपको निर्देश देते है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर हमारे प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के साथ शामिल हैंः
   क) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना,
   ख) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित व्यवसाय के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी प्रकार के स्थानांतरण से अंतरिती को प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में सभी अधिकार उसी तरह से प्राप्त होगा मानो यह अंतरण आप ने ही किया हो।
7. उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से वसूल की गई राशि का सर्वप्रथम उन सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारे विचार में हमारे द्वारा उपयुक्त रूप में वहन किये गये हैं अथवा उससे संबंधित अन्य कोई अनुषांगित खर्चे में वहन किये गये हैं तथा द्वितीयतः उसका प्रयोग की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ उपरोक्त हमारी बकायों के निष्पादन में किया जायेगा तथा शेष धन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
8. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आप इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी रूप से अंतरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा।
9. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
10. कृपया ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण बकाया राशि अथवा उगाही की तिथि तक देय ब्याज तथा लागतों के साथ उसके किसी भाग की वसूली के लिये डीआरटी/सक्षम न्यायालय के समक्ष आप सभी के विरुद्ध जाने के लिये बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

स्थानः बहादुरगढ़ — **प्राधिकृत अधिकारी**

तिथिः 19.12.2019 — **सिंडिकेट बैंक**

www.readwhere.com

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

PRINCE® PIPING SYSTEMS

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Prince Pipes and Fittings Private Limited' on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A (2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently, upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to 'Prince Pipes and Fittings Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu (**"RoC"**) on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled '*History and Certain Corporate Matters*' on page 174 of the red herring prospectus dated December 11, 2019 read with addendum-cum-corrigendum dated December 17, 2019 (**"RHP"**)

Registered Office: Plot No.1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India;
Corporate Office: 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India.
Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 22 66022222; **Facsimile:** +91 22 66022220; **E-mail:** investor@princepipes.com; **Website:** www.princepipes.com
Corporate Identity Number: U26932GA1987PLC006287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION* (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION* (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTES [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

***OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION HAS BEEN REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE IS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.**

QIB Portion: Not more than 50% of the Offer
Retail Portion: Not less than 35% of the Offer
Non-Institutional Portion: Not less than 15% of the Offer

Price Band: ₹ 177 to ₹ 178 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 17.70 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 17.80 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 84 Equity Shares and in multiples of 84 Equity Shares thereafter.

ASBA* | **Simple, Safe, Smart way of Application!!!**

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE **UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs")**.**
Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being Blocked by ASBA Bank.

*ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders.
*For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" beginning on page 380 of the RHP. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchanges in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", and together with BSE, the "**Stock Exchanges**") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.*
***List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. • For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018. For issue related grievance investors may contact: JM Financial Limited - Prachee Dhuri (+91 22 6630 3262) (ppfl.ipo@jmfl.com); Edelweiss Financial Services Limited – Yashraj Shetty (+91 22 4342 8202) (Yashraj.Shetty@edelweissfin.com); Edelweiss Securities Limited – Madhuri Tawde – (+91 22 6826 4903) (Madhuri.Tawde@edelweissfin.com), Link Intime India Private Limited – Shanti Gopalkrishnan (+91 22 4918 6200) (princepipes.ipo@linkintime.co.in). For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and Mail Id: ipo.upi@npci.org.in.*

Risks to Investors:

- **The two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 27 public issues in the past three years out of which 5 closed below the issue price on listing date.**
- **The average cost of acquisition of per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is ₹0.10 for Jayant Shamji Chheda, ₹0.62 for Tarla Jayant Chheda, and ₹0.12 for Parag Jayant Chheda and ₹0.12 for Vipul Jayant Chheda, and the Offer Price at the upper end of the Price Band is significantly high at ₹178 per Equity Share.**

BID/OFFER PROGRAMME

BID/OFFER OPENS ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019

BID/OFFER CLOSES ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019

ADDENDUM — NOTICE TO INVESTORS

With reference to the RHP filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges, and the addendum-cum-corrigendum dated December 17, 2019 ("**Addendum-cum-Corrigendum**"), investors should note the following:

A. Further to the Addendum-cum-Corrigendum and the details of the SPA disclosed therein, our Company has received an intimation dated December 18, 2019 from two of our Promoter Selling Shareholders, Parag Jayant Chheda and Vipul Jayant Chheda ("**Sellers**"), that they have, on December 18, 2019, transferred 2,809,018 Equity Shares for cash, at a price of ₹178 per Equity Share, aggregating to approximately ₹500.00 million, with each of the Sellers transferring 1,404,509 Equity Shares to Oman India Joint Investment Fund II, a trust registered as a Category II-AIF, acting through its investment manager, Oman India Joint Investment Fund-Management Company Private Limited ("**Transfer**").
Pursuant to the Transfer please note the following:

(a) With respect to risk factor number 44 disclosed on page 36 of the RHP, the first sentence of the disclosure shall stand modified to:
"Our Promoters currently own 81,731,398 Equity Shares, which represents 85.15% of the outstanding Equity Shares prior to the Offer."

(b) With respect to the disclosures made on pages 92 and 176 of the RHP, the number of Equity Shareholders as on date shall stand updated to 40 instead of 39;

(c) With respect to the disclosure starting on page 86 of the RHP under the section "2. *History of Equity Share Capital Build-up of our Promoters, Promoters' Contribution and Lock-in of Promoters' Shareholding – a) Build-up of our Promoters' shareholding in our Company*", the equity share capital held by the Sellers in our Company shall include the details in relation to the Transfer and, accordingly, the total number of Equity Shares held by Parag Jayant Chheda, as on date will be 24,392,291 Equity Shares representing 25.41% of the pre-Offer Equity Share capital of our Company, and the total number of Equity Shares held by Vipul Jayant Chheda, as on date will be 24,395,491 Equity Shares, representing 25.42% of the pre-Offer Equity Share capital of our Company, instead of 25,796,800 and 25,800,000 Equity Shares, representing 26.88% and 26.88% of the pre-Offer Equity Share capital of our Company, respectively.

(d) Further, the disclosures starting on pages 88, 91 and 92 of the RHP, in relation to the shareholding of our Promoters and other members of our Promoter Group, our Directors and Key Managerial Personnel, respectively, and the shareholding pattern of our Company, as on date, disclosed in the section "*Capital Structure*" under "*Shareholding of our Promoters and other members of our Promoter Group*", "*Our shareholding pattern*" and "*Shareholding of our Directors and Key Management Personnel in our Company*", respectively will stand modified to reflect that:
   (i) The total number of shares held by the Promoters shall be 81,731,398 Equity Shares, representing 85.15% of the pre-Offer capital of our Company instead of 84,540,416 Equity Shares representing 88.08% of the pre-Offer capital of our Company. Equity Shares held by Parag Jayant Chheda and Vipul Jayant Chheda, as on date, will be 24,392,291 and 24,395,491, representing 25.41% and 25.42% of the of the pre-Offer capital of our Company, respectively, instead of 25,796,800 and 25,800,000 Equity Shares, representing 26.88% and 26.88% of the of the pre-Offer capital of our Company, respectively.
   (ii) The total number of Equity Shares held by the Promoters & Promoter Group shall be 83,633,798 representing 87.14% of the pre-Offer capital of our Company, instead of 86,442,816 representing 90.06% of the pre-Offer capital of our Company.
   (iii) the total number of Equity Shares held by our Directors and Key Management Personnel shall be 56,467,762 Equity Shares, representing 58.83% of the pre-Offer Equity Share capital of our Company, instead of 59,276,800 Equity Shares, representing 61.76% of the pre-Offer Equity Share capital of our Company.
   (iv) the total number of public Shareholders shall be 29 instead of 28 and the total number of Shareholders as on date shall stand increased to 40 instead of 39.
   (v) the total shareholding of the "*Promoter and Promoter Group*" shareholders of our Company shall be 83,633,798 Equity Shares, representing 87.14% of the pre-Offer capital of our Company, instead of 86,442,816 Equity Shares, representing 90.06% of the of the pre-Offer capital of our Company.
   (vi) the total shareholding of the public shareholders of the Company shall be 12,347,018 Equity Shares representing 12.86% of the of the pre-Offer capital of our Company instead of 9,538,000 Equity Shares representing 9.94% of the pre-Offer capital of our Company.

(e) The disclosure on page 89 of the RHP in relation to sales or purchases of Equity Shares or other specified securities of the Company by the Promoters, the other members of the Promoter Group or the Directors or their immediate relatives during the six months immediately preceding the date of the Draft Red Herring Prospectus and until date will be updated to include the below:

Name of the Promoter/member of Promoter Group	No. of Equity Shares purchased	No. of Equity Shares sold*	Date of transaction	Transaction price per Equity Share (in ₹)
Parag Jayant Chheda	-	1,404,509	December 18, 2019	178
Vipul Jayant Chheda	-	1,404,509	December 18, 2019	178

Sold to Oman India Joint Investment Fund II

(f) With respect to the disclosure on page 92 of the RHP, the top 10 Shareholders as on the date of this Addendum, shall stand modified as follows:
"Our top ten Shareholders and the number of Equity Shares held by them as on date are as follows:

Sr. No.	Shareholder#	Number of Equity Shares held	Percentage of pre-Offer Equity Share capital
1.	Tarla Jayant Chheda	25,251,000	26.31
2.	Vipul Jayant Chheda	24,395,491	25.42
3.	Parag Jayant Chheda	24,392,291	25.41
4.	Jayant Shamji Chheda	7,680,000	8.00
5.	South Asia Growth Fund II Holdings LLC	5,926,820	6.18
6	Oman India Joint Investment Fund II, a trust and registered as a Category II-AIF, acting through its investment manager, Oman India Joint Investment Fund-Management Company Private Limited	2,809,018	2.93
7.	VS Family Trust (through its trustee, Jayant Shamji Chheda)	1,200,000	1.25
8.	Vaishali Hitesh Shah	500,000	0.52
9.	Kalpana Ramesh Damani	480,000	0.50
10.	Kishore Jagshi Chheda	360,000	0.38
	Total	**92,994,620**	**96.89**

 # Names of first holders where Equity Shares are held jointly."

B. Further, the BRLMs and SEBI received a complaint dated December 17, 2019 ("**Complaint**") from Rajesh Madhani, director of Montana Developers Private Limited ("**Complainant**"), regarding disclosures made in the Erstwhile DRHP, the DRHP and the RHP. Along with the Complaint, the Complainant, also enclosed a copy of a first information report filed under Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ("**FIR**") dated December 7, 2019 by the Complainant, alleging offences under Section 406, 420 and 120B of the Indian Penal Code, 1860 committed by the partners of M/s Aditya Developers, including Jayant Shamji Chheda, one of the Promoters and the Managing Director of our Company, and Heena Parag Chheda, one of the Promoters of our Company, and others. As on the date of the RHP and until the receipt of the Complaint on December 17, 2019, the Company, Jayant Shamji Chheda or Heena Parag Chheda, and the other partners of M/s Aditya Developers, had not received a copy of the FIR. However, following receipt of the FIR on December 17, 2019, the Company is issuing this Addendum including an update in relation to the FIR.

(a) The following shall be included as Point 3 under "*II. A. Outstanding criminal litigation involving our Directors*" on page 343 of the RHP:
*"On December 7, 2019, Rajesh Madhani filed a first information report under Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ("**FIR**") alleging offences under Section 406, 420 and 120B of the Indian Penal Code, 1860 committed by the partners of M/s Aditya Developers ("**Aditya Developers**"), including Jayant Shamji Chheda, our Promoter and Managing Director and Heena Parag Chheda, one of our Promoters, and Vipul Adhiya of Pruthvi Arch Consultants, an architect and certain others. The FIR was in relation to a joint venture agreement dated December 30, 2010, entered into between Montana and Aditya Developers ("**JV Agreement**"). The FIR alleged, among other things, that the partners of Aditya Developers and Vipul Adhiya, had misrepresented certain facts regarding the land owned by Aditya Developers in Vasai, including non-disclosure of the fact that the land was notified as a coast regulation zone, and that the application for approval of construction on the land had been rejected and non-disclosure of litigation regarding the land involving Aditya Developers. In addition, Rajesh Madhani alleged that, on the basis of these misrepresentations by the partners of Aditya Developers and Vipul Adhiya, and other forged documents, he had made a payment of Rs. 462.50 million as a security deposit, which they had not yet returned. The matter is currently outstanding. For further details in relation to the dispute between Montana and Aditya, please see the sub-section titled "-Other material litigation outstanding against our Directors" on page 343."*

(b) The following shall be included in "*V. Complaints received from Montana and Radon*" on page 345 of the RHP:
*"The BRLMs and SEBI received a complaint dated December 17, 2019 ("**Complaint**") from Rajesh Madhani, director of Montana Developers Private Limited ("**Complainant**"), regarding disclosures made in the Erstwhile DRHP, the DRHP and the RHP. The Complaint has been made, among other things, in relation to outstanding litigations disclosed in the RHP in relation to M/s. Aditya Developers, corporate governance compliance by our Company, changes in restated financial statements, offer size, basis for offer price between the DRHP and the RHP and certain other changes in the disclosures between the DRHP and the RHP. The Complaint also enclosed a copy of a first information report filed under Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ("**FIR**") dated December 7, 2019 by the Complainant, alleging offences under Sections 406, 420 and 120B of the Indian Penal Code, 1860 committed by the partners of M/s Aditya Developers, including Jayant Shamji Chheda, one of the Promoters and the Managing Director of our Company, and Heena Parag Chheda, one of the Promoters of our Company, Vipul Adhiya of Pruthvi Arch Consultants, an architect and certain others and alleged in the Complaint non-disclosure of the same in the RHP. For further details in relation to the FIR, please see the sub-section titled "-Outstanding criminal litigation involving our Directors" on page 343".*

The above notice is to be read in conjunction with the RHP, Offer related advertisements, Bid cum Application Forms, abridged prospectus and the Addendum-cum-Corrigendum, and the RHP will stand updated to the extent above.

All capitalized terms used in this Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning as ascribed in the RHP and the Addendum-cum-Corrigendum.

For **PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 18, 2019

Prince Pipes and Fittings Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares ("**Equity Shares**") and has filed the red herring prospectus dated December 11, 2019 with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The RHP is available or will be made available on the websites of the Securities and Exchange Board Of India ("**SEBI**") at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com as well as on the respective websites of the book running lead managers, i.e., JM Financial Limited at www.jmfl.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "*Risk Factors*" on page 17 of the RHP. Potential investors should not rely on the draft red herring prospectus filed with SEBI for any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**"), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

CONCEPT

नागपुर के महापौर पर गोलियां चलीं

बाल-बाल बचे, मोटरसाइकिल सवार दो हमलावर फरार

नागपुर, 18 दिसंबर (भाषा)।

नागपुर के महापौर संदीप जोशी की कार पर यहां वर्धा रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोलियां चलाईं। इस हमले में वह बाल-बाल बच गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा मंगलवार देर रात करीब 11 बजकर 59 मिनट पर हुआ, जब जोशी अपने परिवार के साथ अपनी शादी की 24वीं सालगिरह का जश्न मना एक रेस्तरां से लौट रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि जोशी के 30 से अधिक दोस्त उस पार्टी में शामिल हुए थे और वे सब 10-15 वाहन से लौट रहे थे। काफिले में जोशी की कार सबसे पीछे थी। जैसे ही उनकी कार बाहरी रिंग रोड और वर्धा रोड के एक जंक्शन पर पहुंची, तब मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उनके वाहन पर तीन गोलियां चलाईं और फरार हो गए। उन्होंने बताया कि एक गोली उनकी कार की चालक की खिड़की पर लगी, एक पीछे की सीट की खिड़की पर और तीसरी गोली कार की पीछे की विंडशील्ड पर लगी।

अधिकारी ने कहा, 'जोशी को कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने तुरंत कार रोक कर पुलिस को घटना की जानकारी दी।' उन्होंने बताया कि बेल्थरा रोड पुलिस थाने के सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने साक्ष्य एकत्र किए। संयुक्त पुलिस आयुक्त रवींद्र कदम भी देर रात मौके पर पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज देख रही है और हमलावरों की बाइक के पंजीकृत नंबर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा, 'दोनों आरोपियों ने हेलमेट पहने थे और पीछे बैठे व्यक्ति ने महापौर के वाहन पर गोली चलाई।' उन्होंने बताया कि इस संबंध में धारा 307 तथा 34 और सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने हमले की निंदा की है।

भाजपा नेता सुधीर मुंगंटीवार ने राज्य विधानसभा में मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, 'यह एक गंभीर मामला है कि नगर के प्रथम नागरिक पर हमला किया गया। यह राज्य में कानून एवं व्यवस्था कायम रख पाने में महाराष्ट्र विकास अघाडी (एमवीए) सरकार की विफलता को दर्शाता है।' अधिकारी ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में जोशी को नागपुर नगर निगम की शिकायत पेट्टी में दो पत्र मिले थे, जिसमें शहर से अतिक्रमण हटाने पर उसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि पिछले महीने उनके आवास से उनका आधिकारिक वाहन भी चोरी हो गया था लेकिन वह अगले दिन ही मिल गया था। कार चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था।

जामिया छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई अवैध और अमानवीय : शिवसेना

मुंबई, 18 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर की गई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बुधवार को अवैध और अमानवीय करार दिया। साथ ही यह जानना चाहा कि ऐसे परिदृश्य में क्या भाजपा के पास सिख विरोधी दंगों के खिलाफ आवाज उठाने का नैतिक अधिकार बचता है।

शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के एक संपादकीय में कहा गया कि जब स्थिति ऐसे मोड़ पर पहुंच जाए जहां, आपको अपने ही देश के छात्रों पर गोलियां चलानी पड़े, तो यह समझ जाना चाहिए कि चीजें नियंत्रण से निकल चुकी हैं। संपादकीय में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान को दोष देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की गई।

शिवसेना की यह टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जामिया के छात्रों पर की गई पुलिसिया कार्रवाई को 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़े जाने के एक दिन बाद आई है। 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया, 'दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई अवैध एवं अमानवीय थी। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में इससे कुछ अलग नहीं किया था।' पार्टी ने पूछा कि क्या भाजपा के पास 1984 के सिख विरोधी दंगों पर बोलने का नैतिक आधार बचता है?

शिवसेना ने कहा कि हिंदुत्व के प्रतीक एवं स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग पर 'घड़ियाली आंसू' बहा रही भाजपा को पहले यह बताना चाहिए कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश में इतनी अशांति क्यों है।

महाराष्ट्र में नए नागरिकता कानून को लागू करने की भाजपा की मांग का मजाक उड़ाते हुए शिवसेना ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि राज्य में सत्ता जाने का मानसिक तनाव है।

पार्टी ने कहा, 'लोगों के सामने और भी कई जरूरी मुद्दे हैं और हम उन्हें सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें सीएए से ज्यादा महाराष्ट्र के करीब 11 करोड़ नागरिकों की चिंता है।'

सात मानसिक रोगी अस्पताल से फरार

त्रिशूर (केरल), 18 दिसंबर (भाषा)।

केरल के त्रिशूर में एक सरकारी मानसिक रोग अस्पताल से सात लोग फरार हो गए जिनमें से छह रिमांड पर चल रहे कैदी थे। इन सभी ने एक पुरुष नर्स को कमरे में बंद कर दिया और सुरक्षाकर्मी पर हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना मंगलवार शाम साढ़े सात बजे की है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्ज़ा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 13, दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहीं नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मोदीपुरम (0902)	श्रीमती गीता पत्नी महेश और श्री महेश पुत्र श्री ओमपाल 090200NC01005301 और 0902009900000483	श्रीमती गीता पत्नी महेश श्री महेश पुत्र श्री ओमपाल पताः मकान नंबर- 7, खसरा नंबर 305, द्वारिका पुरी एक्सटेंशन कॉलोनी, नूर नगर के पास, मेरठ यू. पी. 250001	आवासीय डुप्लेक्स मकान नंबर 07 क्षेत्रफल 108.15 वर्ग मीटर, स्थित प्लॉट नं - 07, द्वारिका पुरी एक्सटेंशन कॉलोनी, खसरा नं. 35 राजस्व गांव नूर नगर, परगना तहसील और जिला मेरठ यूपी संपत्ति श्रीमती गीता पत्नि महेश के नाम। सीमायें:- पूर्वः 22 फीट/अन्य व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिमः 22 फीट/रास्ता 25 फीट चौड़ा, उत्तरः 53 फीट 07 इंच/प्लॉट नंबर 06, दक्षिणः 53 फीट 07 इंच/प्लॉट नंबर 08	05.09.2019 रु. 25,10,713.00 दिनांक 01.08.2019 से ब्याज व अन्य खर्चें	13.12.2019	श्री संजीव शर्मा
2.	मोदीपुरम (0902)	श्री मोनू कुमार पुत्र श्री राम पाल सिंह 090200NC01005417	श्री मोनू कुमार पुत्र श्री राम पाल सिंह पताः मकान नं. -1302/जी, इंदिरा नगर 1,मेरठ, यूपी 250001	आवासीय मकान नगरपालिका संख्या 1758, क्षेत्रफल 62.71 वर्ग मीटर यानी 75 वर्ग गज, खसरा नं 2373, स्थित इंदिरा नगर, तहसील और जिला मेरठ, यूपी संपत्ति श्री मोनू कुमार पुत्र श्री राम पाल सिंह के नाम सीमायें:- पूर्वः 13 फीट 6 इंच उसके बाद श्री प्रताप का मकान, पश्चिमः 13 फीट 6 इंच उसके बाद 14 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः 50 फीट उसके बाद अन्य व्यक्ति की भूमि दक्षिणः 50 फीट इसके बाद श्री जितेंद्र कुमार का मकान	03.10.2019 रु. 8,20,126/- दिनांक 01.08.2019 से ब्याज व अन्य खर्चें	13.12.2019	श्री संजीव शर्मा

दिनांकः- 18.12.2019 स्थानः- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ - I

कब्ज़ा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधिनियम-नियम-8 (1) के अन्तर्गत परिशिष्ट IV

[illegible] **उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।** [illegible]

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग एवं हिस्सों सहित)	डिमाण्ड नोटिस की तिथि / कब्जा नोटिस की तिथि / बकाया राशि
	शाखा- रायबरेली रोड, लखनऊ		
1.	ऋणी-मैसर्स तिवारी ब्रिक फील्ड, प्रोप. संजय कुमार तिवारी [illegible] लखनऊ-226025 प्रोपराइटर- श्री संजय कुमार तिवारी प्लॉट सं. 6 [illegible] लखनऊ - 226029 जमानतकर्ता- श्री सुशील कुमार तिवारी [illegible] लखनऊ - 226014	[illegible] क्षेत्रफल 90 वर्गमी., मालिक: श्री संजय कुमार तिवारी चौहद्दी:- उत्तर: प्लॉट सं. 7 [illegible] दक्षिण: प्लॉट सं. 5 [illegible] पूर्व: 9 मी. चौड़ी रोड, पश्चिम: [illegible]	05.10.2019 / 12.12.2019 / रु. 28,06,383.67 दिनांक 30.11.2019 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे
	शाखा- इन्दिरा नगर, लखनऊ		
2.	ऋणी-1). गौरी शंकर मिश्रा पुत्र गंगा प्रसाद मिश्रा निवासी 11/899 सेक्टर - 11, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016 2). श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी गौरी शंकर मिश्रा निवासी 11/899 सेक्टर - 11, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016 जमानतकर्ता- संतोष कुमार शर्मा पुत्र राम रतन शर्मा निवासी 11/582 इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016	[illegible] मकान सं. 11/899 सेक्टर - 11, इन्दिरा नगर, लखनऊ क्षेत्रफल 41.30 वर्गमी., मालिक: श्री गौरी शंकर मिश्रा तथा श्रीमती संगीता मिश्रा चौहद्दी:- पूर्व: रोड 6 मी., पश्चिम: मकान सं. 11/896, उत्तर: मकान सं. 11/900, दक्षिण: मकान सं. 11/898	25.09.2019 / 12.12.2019 / रु. 2,21,685.40 दिनांक 30.11.2019 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांक : 18.12.2019 स्थान : लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

फॉर्म संख्या आई एन सी-26

सार्वजनिक सूचना

कम्पनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के तहत केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के उपधारा (4) तथा कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खण्ड (ए)

तथा

मेगाटेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एएम-69, शालीमार बाग, दिल्ली नार्थ ईस्ट, दिल्ली - 110052 इंडिया ......याचिकाकर्ता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने 16 **दिसम्बर, 2019** को आयोजित अतिरिक्त सामान्य आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने तथा कम्पनी के एसोसिएशन के ज्ञापन को परिवर्तन को पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन के दिनांक के चौदह दिनों के भीतर अपने विरोध का कारण और हित की प्रकृति जो शपथ-पत्र द्वारा समर्थित हो वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरे या रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को साथ में एक प्रति याचिककर्ता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जो ऊपर विवरणित है पर भेजें।

एएम-69, शालीमार बाग, दिल्ली नार्थ ईस्ट, दिल्ली-110052 इंडिया

के लिए और उनकी ओर से मेगाटेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ताक्षर/- (प्रद्युम्न कुमार गुप्ता) निदेशक डिन : 01208089

दिनांक : 18.12.2019 स्थान : दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण - III, दिल्ली के समक्ष

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 623/2019

बैंक ऑफ इण्डिया आवेदक

बनाम

मैसर्स श्री जीलू ग्लेज प्रा. लिमिटेड प्रतिवादी

सेवा में,

1. मैसर्स श्री जीलू ग्लेज प्रा. लि. एफ-492 व 493, यूपीएसआईडीसी, मसूरी-गुलावठी रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, गाजियाबाद, यू.पी.-201001, **यहाँ भीः** टीए-121, प्रथम तल, तुगलकाबाद एक्सटेंसन, मेन ओखला रोड, नई दिल्ली-110019, **यहाँ भीः** 308, पुरानी तहसील, इंडियन ग्राइस फैक्ट्री के पास, रुड़की-247667, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

2. श्री हरि ओम त्यागी, पुत्र श्री लल्लू सिंह त्यागी (निदेशक/गारंटर), बी-49/98, सेक्टर-3, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी 201005

3. श्री पंकज शर्मा, पुत्र श्री हंसराज दत्त शर्मा, 2/17ए, सेक्टर-2, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी.-201005, **यहाँ भीः** म. नं. एल-14, (जीएफ), लाजपत नगर, साहिबाबाद, यू.पी. 201010, **यहाँ भीः** 13ए, लाजपत नगर, ब्लाक-एल, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. 201005

4. श्री दीपक कुमार त्यागी, पुत्र श्री लल्लू सिंह त्यागी, 2/17, ए, सेक्टर-2, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. 201005, **यहाँ भीः** 123, रामपुर, तहसील, हापुड़, जिला-गाजियाबाद, यू.पी.-201005

5. श्री पारस शर्मा, पुत्र श्री हंसराज दत्त शर्मा, 2/17, ए, सेक्टर-2, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. 201005, **यहाँ भीः** 13ए, लाजपत नगर, ब्लॉक-एल, साहिबाबाद, गाजियाबाद, 201005

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने **रुपये 99,49,229.32/- (रुपये निन्यानवे लाख उनचास हजार दो सौ उनतीस और बत्तीस पैसे मात्र)** की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक वाद मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि साधारण रूप से आपको सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए, इस विज्ञापन के रूप में इस नोटिस द्वारा आपको **दिनांक 06.03.2020 को पूर्वा. 10.30** बजे एल.डी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 11 **दिसम्बर, 2019** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा, सहायक रजिस्ट्रार

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. स. 1025/2018 बिक्री उद्घोषणा दिनांक 30.11.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स जिया जेम्स एंड ज्वेल्स एवं अन्य

सीडी नं, 1 मैसर्स जिया जेम्स एंड ज्वेल्स
प्रोप. प्रकाश जोशी, 2578-79, पहली मंजिल, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

सीडी नं. 2 प्रकाश जोशी (प्रोपराइटर)
आरजेड -31, विष्णु गार्डन, गली नंबर 2, ख्याला, नई दिल्ली -110018

सीडी नं. 3 राधा जोशी (गारंटर)
आरजेड -31, विष्णु गार्डन, गली नंबर 2, ख्याला, नई दिल्ली -110018

जैसा कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा जारी ओए नं. 502/2017 में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके/उसके द्वारा देय **1,45,35,825.58 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ पच्चीस तथा पैसे अट्ठावन मात्र),** उस पर लागत, खर्चें तथा 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रमाण पत्र के अनुसार इस **ओ.ए. यानि 12.06.2017** को दाखिल करने की तारीख से सम्पूर्ण भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में **24.01.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच** (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा **यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" द्वारा वेबसाइटः http://drt.auctiontiger.net के माध्यम से,सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एबीसी प्रोक्योर), ए-201/208, वॉल स्ट्रीट- II, ओरिएंट क्लब के सामने गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006 गुजरात (भारत) दूरभाषः 91 079 61200594/598/568/587/538 के माध्यम से आयोजित की जाएगी।**

अधिक जानकारी के लिए श्री नीतीश झा मोबाइल नं. 7982880393 ईमेलः delhi@Auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से संपर्क करें।

किसी भी प्रश्न और संपत्ति के निरीक्षण के मामले में, इच्छुक क्रेता सीएच बैंक के अधिकारी से संपर्क कर सकता हैः अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंः श्री नीरज रस्तोगी, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल नं.: 9871286176।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपति की होगी तथा उक्त संपति से जुडी देयताएं एवं दावें, जो अब तक सुनिश्चित है, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष रा परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दिए गए है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. संपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य और ईएमडी निम्नानुसार हैंः

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	संपत्ति नंबर 1 और 2, दक्षिणी ओर सुपर क्षेत्र 106.7 वर्ग फीट, प्रत्येक दुकान तीसरी मंजिल पर, बिना छत के अधिकार के, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का हिस्सा, नगरपालिका संख्या 2519-20, गली नंबर 7 वार्ड नंबर XVI, खसरा नंबर 2121-297, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित है।	रु. 21,76,000/- (रुपए इक्कीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) ईएमडीः रु. 2,17,600/- (रुपए दो लाख सत्रह हजार छह सौ मात्र)

2. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
3. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी **रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र)** है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
4. उच्चतम बोली लगाने वाले को क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
5. ईएमडी का भुगतान **22.01.2020 तक रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा सील कवर में रिकवरी ऑफिसर-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास** करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलागी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
6. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल न. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुँच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, **रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली** के पास जमा की जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को अगले कार्य दिवस के **3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 5 में वर्णित विवरणों के अनुसार** उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी **अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान** करना होगा।
8. क्रेता को संपति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को **रु.1000/- तक 2% की दर से तथा रु.1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली** के पक्ष में डीडी के माध्यम से **रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क** का भी भुगतान करना होगा।
9. **संपत्ति दिनांक 17.01.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक** निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
10. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद, संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को चुकाने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
11. संपति की बिक्री **"जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर"** की जा रही हैं।
12. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में संपत्तियों के खिलाफ राजस्व/अतिक्रमण या दावे का कोई विवरण नहीं है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने से पहले, स्वयं से बिजली/पानी/हाउस टैक्स के बिलों या किसी अन्य प्रभार आदि की बकाया राशि के बारे में जानकारी करने की सलाह दी जाती है।
14. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें, जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जाएगी।
15. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दिए गए है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

सीएच बैंक को यहां ऊपर दिए विवरण की सत्यता की जांच तथा प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 30.11.2019 को जारी किया गया।

(अनिल कुमार यादव) वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

वसूली अधिकारी-II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली

आर.सी. स. 82/2019 बिक्री उद्घोषणा दिनांकित : 22.11.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्री सुनील कुमार गुप्ता

सीडी नं. 1. श्री सुनील कुमार गुप्ता, प्रोपराइटर, मैसर्स एस.के. ज्वैलर्स, दुकान नंबर 203, दूसरी मंजिल, 1194, केशव मार्केट, दिल्ली -06। **इसके अलावाः** 154, क्रॉस रोड, मेन मार्केट, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली।

सीडी नं. 2. सुश्री सीमा गुप्ता, 154, क्रॉस रोड, मेन मार्किट, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली।

चूंकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र **ओ.ए. नं. 482/2017/डीआरटी-III दिनांकित 16.01.2019** के अनुसार **₹ 1,59,83,787.22 (रूपए एक करोड़ उनसठ लाख तिरासी हजार सात सौ सत्तासी और पैसे बाईस मात्र)** और वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार देय ब्याज और लागत की राशि आपके/उसके पास बकाया है, जिसका आप भुगतान करने में विफल रहे हैं।

और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणत्र के सापेक्ष में अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की ब्रिकी के आदेश दिये है।

चूंकि **₹ 1,59,83,787.22 (रूपए एक करोड़ उनसठ लाख तिरासी हजार सात सौ सत्तासी और पैसे बाईस मात्र)** की राशि के साथ में आकस्मिक खर्च और उस पर साधारण ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ओ.ए. फाइल करने की तिथि **05.06.2017** से, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, जब तक पूर्ण रूप से इसकी प्राप्ति आपके/सभी सीडी के प्रतिकूल नहीं होती है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में **23.01.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच** (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा **यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" वेबसाइट द्वारा मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, गुड़गांव, पहली मंजिल, हरियाणा - 122015, हेल्प लाइन नंबर +91-124-4302020/21/22/23/24, मोबः 09813887931, ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com के द्वारा की जाएगी।**

संपत्ति के किसी भी प्रश्न और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-III, दिल्ली के रिकवरी सेल से संपर्क कर सकता है।

डपरोक्त नामित प्रतिवादी के नीचे अनुसूचि में वर्णित सम्पति की ब्रिकी की जाएगी और कथित सम्पति पर देनदारियां एवं दावें जिनके बारे में अब तक पता चला है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूचि में विनिर्देशित किया गया हैं।

अनुसूचि में विनिर्देशित सम्पति के लॉट ब्रिकी के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पति के किसी एक भाग की ब्रिकी पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। लॉट को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि ब्रिकी आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (ब्रिकी की कीमत सहित) की वसूली हो जाती है या अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी से पहले प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।

कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी डयूटी ब्रिकी से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पति की ब्रिकी में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा। ब्रिकी आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तो और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आगे की शर्तो का पालन करते हुए की जाएगी।

सलंग्न सूची में विनिर्देशित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा।

1, आरक्षित मूल्य जिससे कम मूल्य पर सम्पति नहीं बेची जाएगी वह इस प्रकार हैंः

क्र.सं.	संपत्ति विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	वाणिज्यिक संपत्ति प्राइवेट नंबर 5 और 6, उत्तरी ओर, प्रत्येक दुकान तीसरी मंजिल पर, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति म्युनिसिपल सं. 2519-20, गली नं. 7, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली -110005	रु. 17,00,000/- ईएमडी रु. 1,70,000/-

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी **रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र)** है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान **21.01.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली** के पास करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलागी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल न. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुँच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें, जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जाएगी।
7 सफल बोलीदाता को अगले कार्य दिवस के **3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार** उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी **अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान** करना होगा।
8. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपति की बिक्री की तिथि से **15वें दिन या उससे पूर्व** तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार है तो **15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस** में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में **अतिम बोली राशि के शेष 75%** का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को **रु.1000/- तक 2% की दर से तथा रु.1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क** का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद, संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को चुकाने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
10. संपति की बिक्री **"जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर"** की जा रही हैं।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

लॉटों की सं.	सह-स्वामियों के नामों के साथ बेचे जाने वाली संपत्ति का विवरण जहां संपत्ति डिफॉल्टर की है और किसी अन्य व्यक्ति को सह-स्वामी के रूप में।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण	दावें, यदि कोई हो, जो संपत्ति के लिए आगे रखा गया है, और कोई भी अन्य ज्ञात विशेष इसकी प्रकृति और मूल्य पर असर डालते हैं
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वाणिज्यिक संपत्ति प्राइवेट नंबर 5 और 6, उत्तरी ओर, प्रत्येक दुकान तीसरी मंजिल पर, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति म्युनिसिपल सं. 2519-20, गली नं. 7, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली -110005	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 22.11.2019 को जारी किया गया।

(अनिल कुमार यादव) वसूली अधिकारी-I, अतिरिक्त प्रभार

इण्डियन ओवरसीज बैंक
असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा

रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेंद्रा प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली -110008, फोन न. 011-25758124, ई मेल : iob1997@iob.in

शुध्दि पत्र

यह 05.12.2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में है, जिसमें एक सुधार निम्नानुसार हैः

1. मैसर्स अनिष्का ज्वैलर्स के खाते को ई-नीलामी से वापस ले लिया गया है जो 20.12.2019 को आयोजित की जानी थी।

नोटः अन्य सभी खाते/विवरण/नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 18.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA 7वां तल, विडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

शुद्धिपत्र

इस पत्र मे 18.12.2019 को पृष्ठ संख्या - 9 पर प्रकाशित हमारे विज्ञापन में हमारा नाम टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड छप गया है जबकि सही नाम टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। त्रुटि के लिए खेद है।

स्थान : फरीदाबाद हस्ता/-

दिनांक 19.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.
अधिकृत प्राधिकारी - श्री अमृतपाल सिंह गिल । सम्पर्क नम्बर : 9999776185

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना।

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व की कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, कर्जदार तथा सहकर्जदार के रूप में दीपक मुंजाल, संजना मुंजाल, आलोक मुंजाल, नीलम मुंजाल, न्यू लाइट रबर इण्डस्ट्रीज, स्व. श्री बलवन्त राय मुंजाल (मरणोपरान्त वैध उत्तराधिकारियों श्रीमती शकुन्तला मुंजाल, दीपक मुंजाल, आलोक मुंजाल) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) का 17.3.2019 तक के बकाये की राशि रु. 5,44,27,480.65/- की वसूली के लिए 07.01.2020 को "जो है यहीं है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 8,35,20,000/- (रुपये आठ करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 83,52,000/- (रुपये तिरासी लाख बावन हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट सं. एफ-90/1, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली का समस्त भाग।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirstbank.com देखें।

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

अधिकृत प्राधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

दिनांक : 17.12.2019

www.readwhere.com

शुद्धिपत्र

प्रेमेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मकान नंबर-12, ... मंजिल, ... नई दिल्ली, साउथ दिल्ली-110017 के लेनदारों का ध्यान दिवालियापन के नियम 6 के तहत "प्रपत्र क", सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड [कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया] विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन) की ओर आकर्षित है, जो इस अखबार में दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित हुआ है तथा जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि गलती से 06/01/1983 प्रकाशित हुई है। कृपया कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि "06/01/1993" पढ़ें।

हस्ता/-
दिनांक : 19 दिसम्बर 2019 पंकज कुमार सिंघल
स्थान : दिल्ली अंतरिम समाधान पेशेवर

पी.के. सेल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

परिसमापक का पता : 202, वर्धमान प्रीमियम मॉल, दीपाली चौक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034,
सम्पर्क : 9310278000 एवं 9810378000 ई-मेल आईडी : liquidator.pksalescompany@gmail.com

शुद्धिपत्र

यह पी.के. सेल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की सम्पत्ति की ई-नीलामी के विरुद्ध 03.12.2019 को आपके समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के सम्बन्ध में है जिसमें सुपर एरिया गलती से 4936 वर्ग फीट के स्थान पर 2962 वर्ग फीट छप गया था। इसे अन्तिम रूप से सुपर एरिया : 4936 वर्ग फीट लगभग पढ़ा जाये। अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

ह./-
राकेश भाटिया
स्थान : नई दिल्ली मैसर्स पी.के. सेल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के परिसमापक
तिथि : 18.12.2019 आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-2018/11608

COURT NOTICE

In the court of Sh Satish Kumar Sharma JMIC Ludhiana
CNR NO :PBLD03-055042-2018
NEXT DATE: 20-01-2020
M/s Crystal Crop Protection Pvt Limited
V/s
Shiv Bhola

Publication Issued To : Shiv Bhola Singh Proprietor, M/s Shiv Hara Krishi Kendra, Rai Bareli Bhai Chohraya Lucknow Road, District Faizabad 224001 U.p.

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ (accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 20-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.

Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.

Given under my hand and the seal of the court. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC LUDHIANA

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
वी.एन. एच.एस. शाखा (8423)
एनएच 3, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

जैसा कि यहां नीचे वर्णित ऋणधारक/ को तथा गारन्टरों को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत केनरा बैंक, वी.एन.एच.एस. शाखा, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी की। डाक द्वारा प्रेषित प्रति सूचना के प्रेषण तथा ऋणधारक/ तथा गारन्टरों के पते से अन्डेलिवर्ड उसके वापस लौट आने के उपरांत इस प्रकाशन के माध्यम से उन्हें निर्देशदिया जाता है कि उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का भुगतान करें जिसमें विफल रहने पर प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक चल एवं अचल सम्पत्तियों का कब्जा करेगा।

विशेष रूप से ऋणधारक/ कों/गारंटरों को तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि चल एवं अचल सम्पत्तियों का व्यवसाय न कर तथा नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया रशि तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज के लिये केनरा बैंक, वी.एन.एच. एस फरीदाबाद के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पता	गिरवी/हाइपोथेकेटेड एवं प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
मै. एसपीएल इंडस्ट्रीज प्रॉप. श्री पवन खारी, पुत्र श्री विश्राम, मकान सं. डीसी-324, गाजीपुर रोड, डबुआ कॉलोनी, पाली-13, फरीदाबाद-121004	1. प्लॉट नं. 10, एमसीएफ नं. 1490/1, न्यू डबुआ कॉलोनी, 27 फीट रोड, फरीदाबाद, माप 100 वर्ग याईस, खेवट नं. 186, खतोनी नं. 223, रेक्ट नं. 37, किल्ला नं. 15(8-0), 16/1 (4-5) 16/2(2-15) 2. मौजा डबुआ, एनआईटी में स्थित प्लॉट नं. 44-45, एमसीएफ नं. डीसी-324, डबुआ कॉलोनी, 15 फीट रोड, फरीदाबाद, माप 100 वर्ग याईस, रेक्ट. नं. 52, किल्ला नं. 4, सम्पत्ति कर भुगतान रसीद तिथि 7.6.2018, सं. 40594	रु. 52,10,563.24/- (रुपये बावन लाख दस हजार पाँच सौ तिड़ेसठ एवं पैसे चौबीस मात्र) तथा ब्याज एवं अन्य चार्जेज आदि	11.12.2019

तिथि: 19.12.2019 स्थान: फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली, 4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा सूचना

आर.सी. नं. 225/18 एचडीएफसी बैंक लि. बनाम पीएमएस बिल्डटेक प्रा. लि.

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38 एवं 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सीडी 1. मै. पीएमएस बिल्डटेक प्रा.लि., डी-8, निम्न भू तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, साथ हीः 842, 1ला तल, सन लाइट कॉलोनी, आश्रम, नई दिल्ली

सीडी 2. श्री शिव कुमार मिश्रा, निदेशक, डी-8, निम्न भू तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, साथ हीः डी-214, 2रा तल, राम प्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद-201011, उ.प्र., साथ हीः सी-64ए, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र., साथ हीः ए-14, अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र., साथ हीः मकान सं. 190 सी, अरावली अपार्टमेन्ट, ब्लॉक डी-1, सेक्टर-52, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.

सीडी 3. श्री मनोज कुमार वर्मा, डी-8, निम्न भू तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, साथ हीः 842, 1ला तल, सन लाइट कॉलोनी, आश्रम, नई दिल्ली, साथ हीः डी-214, 2रा तल, राम प्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद-201011, उ.प्र., साथ हीः डी-21, शिवाजी नगर, कमता, लखनऊ, उ.प्र.-227105

सीडी 4. श्रीमती मुन्नी मिश्रा, डी-8, निम्न भूतल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, साथ हीः डी-214, 2रा तल, राम प्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-227105

सीडी 5. श्रीमती अंकिता प्रियदर्शिनी, डी-8, निम्न भूतल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, साथ हीः डी-214, 2रा तल, राम प्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-227105

सीडी 6. सुश्री सूजा जार्ज, डी-8, निम्न भूतल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, साथ हीः मकान सं. 91, नेशनल पार्क, लाजपत नगर, नई दिल्ली-49

जैसा कि, रु. 1,50,000 की लागतों के साथ वसूली की तिथि तक 11.4.2017 से विलम्बित तथा 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 11,38,88,214/- (रुपये ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख अठासी हजार दो सौ चौदह मात्र) की वसूली के लिये पीठा सीन अधिकारी, ऋण वसूली-I द्वारा ओ.ए. सं. 240/17 तिथि 21.6.2018 में रिकवरी प्रमाणपत्र सं. 225/18 तैयार किया गया है।

2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि, रु. 1,50,000 की लागतों के साथ वसूली की तिथि तक 11.4.2017 से विलम्बित तथा 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 11,38,88,214/- (रुपये ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख अठासी हजार दो सौ चौदह मात्र) बकाया हो गया है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 22.1.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हो, .00 बजे अप. के बाद) 5 मिनट के स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन-लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर होगी।
5. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
6. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
7. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
8. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

7.2 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी लॉट नं. 1 के लिये रु. 75,89,225 (रुपये पचहत्तर लाख नवासी हजार दो सौ पच्चीस मात्र), लॉट नं. 2 के लिए रु. 1,16,69,433/- (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख उन्हत्तर हजार चार सौ तैंतीस मात्र), लॉट नं. 3 के लिये रु. 29,53,100/- (रुपये उन्नतीस लाख तिड़पेन हजार एक सौ मात्र), लॉट नं. 4 के लिये रु. 51,70,356.00 (रुपये इक्यावन लाख सत्तर हजार तीन सौ छप्पन मात्र), लॉट नं. 5 के लिये रु. 51,70,000 (रुपये इक्यावन लाख सत्तर हजार मात्र) है। धरोहर राशि (ईएमडी) लॉट नं. 1 के लिये रु. 7,58,922.50 (रुपये सात लाख अन्ठावन हजार नौ सौ बाईस एवं पैसे पचास मात्र), लॉट नं. 2 के लिये रु. 16,16,943.00 (रुपये सोलह लाख सोलह हजार नौ सौ तैंतालिस एवं पैसे तीस मात्र), लॉट नं. 3 के लिये रु. 2,95,310/- (रुपये दो लाख पचानवे हजार तीन सौ दस मात्र), लॉट नं. 4 के लिये रु. 5,17,035.60 (रुपये पाँच लाख सत्तरह हजार पैंतीस तथा पैसे साठ मात्र) तथा लॉट नं. 5 के लिये रु. 5,17,000/- (रुपये पाँच लाख सत्तरह हजार मात्र) है।

8.2 प्लाट नं. 1 के लिये रु. 7,58,922.50 (रुपये सात लाख अन्ठावन हजार नौ सौ बाईस एवं पैसे पचास मात्र) प्लॉट नं. 2 के लिये रु 16,16,943.30 (रुपये सोलह लाख सोलह हजार नौ सौ तैंतालिस एवं पैसे तीस मात्र), लॉट नं. 3 के लिये रु. 2,95,310/- (रुपये दो लाख पचानवे हजार तीन सौ दस मात्र), प्लॉट नं. 4 के लिये रु. 5,17,035.60/-(रुपये पांच लाख सत्तरह हजार पैंतीस एवं पैसे साठ मात्र) तथा प्लॉट नं. 5 के लिये रु. 5,17,000/-(रुपये पांच लाख सत्तरह हजार मात्र की ईएमडी का इच्छुक बोलीदाता को अधिकतम 20.1.2019 के 4.30 अप. तक रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता आर. सी. नं. 225/18 के पक्ष मे देय पे आर्डर /डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि ईएमडी का भुगतान करना होगा। उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं होगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति पर तत्काल रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I दिल्ली के कार्यालय के प्रत्यक्ष रुप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।

8.3 जो इच्छुक बोलीदाता अधिकतम 20.1.2020 के 4.30 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में पैन कार्ड, पहचान के प्रमाण, आवास के प्रमाण सहित अन्य दस्तावेजों के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 22.1.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

8.4 बोलीदाता रु. 100,000 (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।

8.5 सफल / उच्चतम बोलीदाता को लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा बशर्ते उनके द्वारा बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। अधोहस्ताक्षरी अपनी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अव्यवहारिक एवं उन्हें अपर्याप्त लगता हो।

8.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 225/8" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे इस तरह से भेजना होगा ताकि वह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर रिकवरी के पास पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

8.7 सफल बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के समक्ष रजिस्ट्रार डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 225/18" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

8.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

9. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है आधार**" "**तथा जो भी वहां है आधार**" पर की जाएगी।
10. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लॉट सं.	बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्पत्ति चूककर्ता एवं सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का हो, के नाम के साथ	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
		कोई सूचना प्राप्त नहीं		
	प्लॉट नं. डी- 8, माप 160 वर्ग याईस, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में निर्मित सम्पूर्ण वेसमेन्ट तल, सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्व रोड, पश्चिम पार्क, दक्षिणः प्लॉट नं. डी-9, उत्तरः प्लॉट नं. डी-7			
	ब्लाक ए, सेक्टर अल्फा-1 में प्लॉट नं. 14, माप 280 वर्ग मी. जो ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर उ.प्र. की ले आउट प्लान में स्थित है। सम्पत्ति लीज होल्ड है। चौहद्दी : उत्तर-पूर्व : 18 मी. चौड़ा रोड, उत्तर-पश्चिम : 18 मी. चौड़ा रोड, दक्षिण पूर्व : प्लॉट नं. 15, दक्षिण पश्चिम : प्लॉट नं. 13			
	मकान/फ्लैट नं. 190-सी, ब्लॉक डी-1, सेक्टर 52, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., सम्पत्ति लीज होल्ड है।			
	आवासीय फ्लैट नं. 69-सी, दूसरा तल, ब्लॉक नं. सी, रजत बिहार सेक्टर-62, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., सम्पत्ति लीज होल्ड है।			
	आवासीय फ्लैट नं. 65-सी, दूसरा तल, ब्लॉक नं. सी, रजत बिहार सेक्टर-62, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., सम्पत्ति लीज होल्ड है।			

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 9 दिसम्बर, 2019 को दी गई।

(जीतेन्द्र कुमार)
रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना – सम्पत्तियों की नीलामी सह बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल), भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के अधीन प्राप्त किया जा चुका है। आर्सिल ने निम्नवर्णित वित्तीय आस्तियां बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहीत कर ली हैं और प्रतिभूत लेनदार के अधिकार अर्जित कर लिए हैं। आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण और कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी।

क्र. सं.	ऋण खाता नम्बर/ बैंक / वित्तीय संस्था का नाम	मूल कर्जदार/ सह-कर्जदार/ जमानतदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	सम्पत्ति का प्रकार/ आकार/प्रकृति	कुल बकाया राशि भारतीय रुपए में	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रुपए में	सुरक्षित मूल्य (रु.) भारतीय रुपए में	निरीक्षण की तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जा का प्रकार
1	8803/इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल)	अभिषेक ओझा /सरिता ओझा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो -049-ए-ट्रस्ट	भूमि : लागू नहीं / निर्मित/ फ्लैट : 775 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	69,46,317.67 (12/12/2019 तक)	4,80,000/-	48,00,000/-	02/01/2020	21/01/2020 11:00:00	भौतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नंबर 205, 2 मंजिल, पॉकेट 07, सेक्टर 21, रोहिणी आवासीय योजना दिल्ली रोहिणी दिल्ली पिनकोड 110085										
2	एचएल0031/ एचडीएलएच 00010455/ मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड (एमएफएल)	मनोज कुमार/ नीलम देवी	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो -046-ए-ट्रस्ट	भूमि : 900 वर्ग फीट / निर्मित /फ्लैट : 1820 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	52,75,815.16 (12/12/2019 तक)	7,70,000/-	77,00,000/-	03/01/2020	21/01/2020 12:00:00	भौतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : सम्पत्ति नगर पालिका संख्या सी-24 (डब्ल्यूजेड-243 पुराना), जो कि निर्मित है प्लॉट नं 4 ए, खसरा नंबर 247/610, ग्राम बसई दारापुर जो कि जाना जाता है सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली पिनकोड 110015										
3	121696/सिटी बैंक	संजय साधु / रुचि साधु/ एमएल साधु	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो -048-ए-ट्रस्ट	ग्रुप हाउसिंग फ्लैट कालीन क्षेत्र – 3896 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्र – 2560 वर्ग फुट	36883371.8 (17/12/2019 तक)	8,50,000/-	85,00,000/-	03/01/2020	21/01/2020 12:30:00	भौतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नंबर 1 बी, पहली मंजिल प्लॉट नं. जी एच 01-ए, सेक्टर-गामा-II, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, यूपी 201308										

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

1	नीलामी तिथि	यथा ऊपर वर्णित अनुसार	5	ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटा पहले
2	बोली जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान	द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल, एमओआर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060	6	ईएमडी सहित सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाते हैं	नई दिल्ली
3	नीलामी हेतु वेबसाइट	www.arcil.co.in	7	नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित किया जाना है	नाम प्रत्येक सम्पत्ति के सामने ट्रस्ट कालम में दर्शाया गया है
4	सम्पर्क व्यक्ति तथा फोन नंबर	विक्रम नायर / महामाया चौधरी / कमल सिंह 8860122299 / 9654997601 / 9819820760	8	निरीक्षण का समय	पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक

बोलीदाता, उपरिवर्णित वेबसाइट पते पर ऑफर / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके, अपनी पसंद के अनुसार, नीलामी में ऑनलाइन प्रतिभागिता की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन बिडिंग उपरिवर्णित संस्थान की वेबसाइट पर सम्पन्न होगी तथा निविदा दस्तावेज में दिए गए नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के नियम एवं शर्तें हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा आर्सिल के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया नोट करें कि यह बिक्री बिड दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन तथा बिड / निविदा दस्तावेज में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। प्राधिकृत अधिकारी का बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी बिड्स अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के तहत सूचना भी मानी जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 19-12-2019 असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन : U65999MH2002PLC134884,
Arcil Premier ARC
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन : +91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल, एमओआर लैण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060,
फोन : 011-46370444 www.arcil.co.in

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

[परिशिष्ट- IV ए (नियम 8(6)/9(1) का प्रावधान देखें)]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परंतुक 8 (6)/9 (1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रत्याभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रत्याभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की i) मै. श्री नकोडा जी कॉर्पोरेशन एवं अन्यों से रु. 26133265.62 पैसे मात्र की बकाया राशि के लिये तथा 2) मै. जे.के. जैन गार्मेन्ट्स एवं अन्यों से रु. 54,93,256.12 की प्रतिभूत क्रेडीटर के 30.4.2019 को बकाये रु. 3,16,26,521.74 पैसे की राशि के साथ अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज एवं लागतों की वसूली के लिये 20.1.2020 (**सोमवार**) को "**जैसा है जहां है**", "**जो भी जैसा है**" तथा "**जो कुछ भी वहां है**" आधार पर बिक्री की जायेगी। नीलामी के विवरण इस प्रकार हैं:

प्रत्याभूत क्रेडिटर का नाम, एवं पता प्राधिकरी अधिकारी का विवरण	अचल संपत्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (10%)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शालीमार बाग शाखा, 26/28, डीडीए कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, बीक्यू ब्लॉक, नई दिल्ली-110088	**लॉट 1:** श्री जोगिन्दर कुमार जैन एवं श्री कुलभूषण जैन के नाम में ग्राम सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110031 में आबादी मुखर्जी गली नं. 2, गांधी नगर में स्थित प्लॉट नं. 6, क्षेत्रफल माप 12.40 वर्ग याईस पर कॉमर्शियल शॉप, भूतल से सीलिंग लेवल तक, सम्पत्ति सं. IX/6375 (नया नं.) एवं 590/1 (पुराना नं.)	रु. 1,25,00,000/- रु. 12,50,000/-
श्री पी.एल. मीना (एम) 9604455925 फोन नं.-27115362; 27463217	**लॉट 2:** श्री जसमीत सिंह के नाम में आबादी मोहन ब्लॉक, गली नं. 4, वेस्ट सागरपुर, रघु नगर के निकट, दिल्ली-110046 में स्थित खसरा नं. 24/18 में प्लॉट नं. 16 के भाग में 75 वर्ग याईस की माप में शामिल आवासीय दो मंजिला भवन।	रु. 65,00,000/- रु. 6,50,000/-

बैंक को ज्ञात संपत्ति के बारे में जानकारी का विवरणः **कोई नहीं**,
ऑनलाइन ई-नीलामी वेबसाइटः **www.bankeauctions.com** के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
संपर्क सूत्र – विनोद, मोबाइल सं. +91-9813887931, हेल्प लाइन संपर्क सं. +91-1244302020-24; ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com

ई-नीलामी की तिथिः 20.01.2019 (सोमवार) पूर्वाह्न 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे के मध्य
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 18.01.2019 (शनिवार) या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक

विवरण के नियम और शर्तों के लिए, कृपया दिए गए लिंक का संदर्भ लें., www.unionbankofindia.co.in
इसे उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि को ई-नीलामी के बिक्री के आयोजन के बारे में निम्न कथित ऋण के कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 (6) एवं नियम 9 (1) के अंतर्गत सूचना के रूप में भी समझा जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

NIIT LIMITED

Registered Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji New Delhi - 110 019;
Tel. No.: +91-11-4167 5000; Fax: +91-11-4140 7120; E-mail: investors@niit.com;
Corporate Office: Plot No. 85, Sector 32, Institutional Area, Gurugram - 122 001, Haryana;
Contact Person: Mr. Deepak Bansal, Company Secretary and Compliance Officer;
Tel. No.: +91-124-4293 000; Fax: +91-124-4293 333; E-mail: investors@niit.com; Corporate Identity Number: L74899DL1981PLC015865

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF NIIT LIMITED

This post buyback public announcement (the "**Post Buyback Public Announcement**") is being made in compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "**Buyback Regulations**"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated October 05, 2019, which was published on October 7, 2019 in all editions of (i) Financial Express, an English national daily newspaper and (ii) Jansatta, a Hindi national daily newspaper {except Kolkata edition on account of public holidays, which was published on October 10, 2019} (the "**Public Announcement**") and the letter of offer dated November 13, 2019 (the "**Letter of Offer**"). All Capitalized terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1. NIIT Limited (the "**Company**") had announced the Buyback of up to 26,800,000 (Twenty Six Million and Eight Hundred Thousand) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2 each ("**Equity Shares**"), representing up to 15.998% of the issued and paid-up Equity Share capital of the Company as on June 30, 2019, on a proportionate basis, from the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on October 18, 2019 (the "**Record Date**"), by way of Tender Offer, for cash at a price of ₹ 125 (Rupees One Hundred and Twenty Five only) per Equity Share for an aggregate amount of up to ₹ 3,350,000,000 (Rupees Three Thousand Three Hundred and Fifty Million only) ("**Buyback**"). The Buyback constituted up to 24.59% and 23.00% of the aggregate total issued, paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company as per the audited consolidated and standalone condensed interim financial statements respectively, of the Company as at and for the period ended June 30, 2019, in accordance with section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations.

1.2. The Company had adopted Tender Offer method for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as provided under the Buyback Regulations and circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India ("**SEBI Circulars**"). For the purposes of the Buyback, National Stock Exchange of India Limited was the designated stock exchange.

1.3. The Tendering Period for the Buyback offer opened on Monday, November 25, 2019 and closed on Friday, December 06, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1. 26,800,000 (Twenty Six Million and Eight Hundred Thousand) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹ 125 (Rupees One Hundred and Twenty Five only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buyback was ₹ 3,350,000,000 (Rupees Three Thousand Three Hundred and Fifty Million only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the Buyback such as filing fees, stock exchange fees, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, brokerage, applicable taxes inter alia including buyback taxes, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty and other incidental and related expenses ("**Transaction Cost**")

2.3. The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited ("**Registrar**"), considered 16,385 valid bids for 69,523,157 Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 2.59 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back.

2.4. The details of the valid bids considered by the Registrar, are as follows:

Sr. No.	Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of valid bids received	Total Equity Shares validly tendered	% Response
1.	Reserved category for Small Shareholders	4,020,000	15,276	6,303,824	156.81%
2.	General Category for all Eligible Shareholders other than Small Shareholders	22,780,000	1,109	63,219,333	277.52%
	Total	**26,800,000**	**16,385**	**69,523,157**	**259.41%**

2.5. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection of Bids has been dispatched by the Registrar to the Buyback to the respective Eligible Shareholders.

2.6. The settlement of all valid bids has been completed by Indian Clearing Corporation Limited or NSE Clearing Limited (formerly known as National Securities Clearing Corporation Limited), (together, the "**Clearing Corporation**") on December 17, 2019. The Clearing Corporation has made direct funds payout to respective Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by RBI/the concerned bank, due to any reason, such funds will be transferred to the concerned Stock Broker's settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

2.7. Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company Demat Account on December 17, 2019. The unaccepted Equity Shares were returned to respective Eligible Shareholders by Clearing Corporation on December 17, 2019.

2.8. The extinguishment of 26,800,000 Equity Shares accepted under the Buyback in dematerialized form is currently under process and shall be completed by December 24, 2019.

2.9. *Pursuant to proviso to Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) (the "LODR Amendment") read with Notice No. 20190424-35 issued by the BSE dated April 24, 2019, and Circular No. 51/2019 issued by the NSE dated May 9, 2019, effective from April 1, 2019 and as disclosed in the Letter of Offer, any transfer of equity shares shall not be processed unless such equity shares are held in the dematerialized form with a depository. Therefore, the Equity Shareholders who were holding the Equity Shares in the Physical Form were advised to approach the concerned Depository Participant to have their Equity Shares dematerialized before tendering their Equity Shares in the Buyback.* No Equity Shares were tendered in physical form.

2.10. The Company, and its Board of Directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, before the Buyback i.e., as on Record Date being October 18, 2019 and post Buyback, is as under

Particulars	Pre-Buyback		Post-Buyback[1]	
	No. of Equity Shares	Amount (₹ Lakhs)	No. of Equity Shares	Amount (₹ Lakhs)
Authorized Equity Share Capital	411,000,000	8,220.00	411,000,000	8,220.00
Issued Equity Share Capital[2]	168,314,401	3,366.29	141,514,401	2,830.29
Subscribed and Paid-up Equity Capital	168,308,401	3,366.17	141,508,401	2,830.17

(1) Subject to extinguishment of 26,800,000 Equity Shares bought back.
(2) Includes 6,000 equity shares forfeited

3.2. Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholders	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of number of Equity Shares of Company post Buyback[1]
1.	Reliance Capital Trustee Co Ltd- A/c Reliance India Opportunities Fund - Series	3,261,940	12.17%	2.31%
2.	Thadani Family Trust	2,085,773	7.78%	1.47%
3.	Pawar Family Trust	2,085,532	7.78%	1.47%
4.	SBI Long Term Advantage Fund - Series VI	1,875,969	7.00%	1.33%
5.	Ashish Kacholia	1,225,157	4.57%	0.87%
6.	Suresh Kumar Agarwal	1,064,583	3.97%	0.75%
7.	1729 Capital	925,418	3.45%	0.65%
8.	Abu Dhabi Investment Authority - Behave	674,843	2.52%	0.48%
9.	AKM Systems Private Limited	625,725	2.33%	0.44%
10.	Lizard International Master Fund LP	610,420	2.28%	0.43%
11.	Government Pension Fund Global	320,260	1.20%	0.23%
12.	UTI - Focussed Equity Fund - Series IV (1104 Days)	300,067	1.12%	0.21%
13.	Gam Multistock - Emerging Markets Equity	294,875	1.10%	0.21%

(1) Subject to extinguishment of 26,800,000 Equity Shares bought back.

3.3. The shareholding pattern of the Company before the Buyback i.e. as on Record Date being October 18, 2019 and post Buyback, is as under:

Particular	Pre-Buyback		Post-Buyback*	
	Number of Equity Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Equity Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoters and Promoter Group	52,828,676	31.388	48,604,637	34.348
Foreign Investors (including Non Resident Indians/ Foreign Mutual Funds)	26,502,346	15.746	92,903,764	65.652
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	31,654,276	18.807		
Others (Public, Bodies Corporate, etc.)	57,323,103	34.059		
Total	**168,308,401**	**100.00**	**141,508,401**	**100.00**

**Subject to extinguishment of 26,800,000 Equity Shares bought back.*

4. MANAGER TO THE BUYBACK

JM FINANCIAL

JM FINANCIAL LIMITED
7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg,
Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22 6630 3030; **Fax:** +91 22 6630 3330
Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
Email: niit.buyback@jmfl.com; **Website:** www.jmfl.com
Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784
SEBI Registration Number: INM000010361
Validity Period: Permanent

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of NIIT Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Vijay Kumar Thadani	P Rajendran	Deepak Bansal
Vice Chairman & Managing Director	Joint Managing Director	Company Secretary and
DIN: 00042527	DIN: 00042531	Compliance Officer ACS 11579

Place : New Delhi
Date : December 18, 2019

PRESSMAN

www.readwhere.com

सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा नहीं, चीन पीछे हटा

संयुक्त राष्ट्र, 18 दिसंबर (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा से संबंधित अनुरोध चीन के वापस लेने की खबरों के बीच कम्युनिस्ट देश ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर परिषद में 'चर्चा' चल रही है।

एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि चीन और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है कि वे एजंडा में कश्मीर मुद्दे को शामिल नहीं करेंगे। दिसंबर महीने के लिए सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता चीन और अमेरिका के पास है।

ऐसी सूचना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति का हवाला देते हुए 12 दिसंबर को परिषद् को पत्र लिखा था जिसके बाद इस्लामी देश के सदाबहार मित्र चीन ने 15 सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद् में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। मंगलवार दोपहर को सुरक्षा परिषद के विमर्श कक्ष में अनौपचारिक बैठक के दौरान 'अन्य मुद्दों' के अंतर्गत इस विषय पर भी चर्चा की संभावना थी।

यूएनएससी में चर्चा से पहले के घटनाक्रमों के चलते यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वनियोजित योजना के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। एक यूरोपीय राजनयिक अधिकारी ने सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक से पहले कहा कि कश्मीर पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि चीन ने अपना अनुरोध वापस ले लिया है। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कश्मीर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, इस पर चीनी राजदूत ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं इस विषय पर कुछ और कहने की स्थिति में हूं। हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद को पाकिस्तान के विदेश मंत्री से एक पत्र मिला है जिसमें सुरक्षा परिषद में इस विषय पर चर्चा का अनुरोध किया गया है और वहां इस पर चर्चा हो रही है।'

दमन हांगकांग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन करने पर युवक को दबोचते पुलिस कर्मी।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF KRP INFRASTRAUCTURES & BUILDERS PRIVATE LIMITED

Sl.No.	RELEVANT PARTICULARS	
1	Name of Corporate Debtor	KRP INFRASTRAUCTURES & BUILDERS PRIVATE LIMITED
2	Date of Incorporation of Corporate Debtor	27.10.2009
3	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated / Registered	RoC-Kanpur
4	Corporate Identity Number/Limited Liability Identification Number of Corporate Debtor	U45400UP2009PTC038525
5	Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Regd Off.:-MDH, 4/36, Sector H, Jankipuram, Lucknow, UP-226026 Mumbai Off.:-Office No.4, Ashley Tower, Kanakia Road, Cinemax, Mira Road East, Thane - 401 107
6	Insolvency Commencement Date in respect of Corporate Debtor	17th December 2019
7	Estimated Date of Closure of Insolvency Resolution Process	14th June 2020
8	Name and Registration Number of the Insolvency Resolution Professional acting as Interim Resolution Professional, as Registered with the Board	Name: Mr. Shravan Kumar Vishnoi RegistrationNo.:IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079
9	Address and Email of the Interim Resolution Professional, as Registered with the Board	BCC Tower, 1008, 10th Floor, Sultanpur-Lko Road, Arjun Ganj, near Saheed Path, Lucknow 226002 (UP) Email: shravan.vishnoi@yahoo.com
10	Address and Email to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional, if different from those given at Sl. No. 9	BCC Tower, 1008, 10th Floor, Sultanpur-Lko Road, Arjun Ganj, near Saheed Path, Lucknow 226002 (UP) Email: shravan.vishnoi@yahoo.com
11	Last date for submission of claims	31st December, 2019
12	Classes of Creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of Section 21, ascertained by Interim Resolution Professional	May Be Allotees under a Real Estate Projects
13	Names of Insolvency Professional identified to act as Authorised Representative of Creditors of Class (Three names in each class)	1. Anuj Kumar Tiwari 2. Gyaneshwar Sahai 3. Anupam Tiwari
14	(a) Relevant Forms and (b)Details of Authorised Representatives are available At	a)Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address:Not Applicable b) 1.Anuj Kumar Tiwari IBBI/IPA-002/IP-N00811/2019 -2020/12555 Add.:- C-147 Raja Ji Puram Lucknow, Uttar Pradesh, 226017 Email id:- anujtwarics@gmail.com 2.Gyaneshwar Sahai IBBI/IPA-002/IP-N00130/2017-2018/10546 Add.:- Second Floor , O S-2,The Next Door, Sector-76, Faridabad,Haryana ,121004 Email id:- gyaneshwar.sanaj@gmail.com 3.Anupam Tiwari IBBI/IPA-003/IP-N00018/2017-18/10131 Add. W-37, M.I.G., Keshav Nagar, Juhi Gaushala, Kanpur,Uttar Pradesh Email id:- tiwari.anupam23@gmail.com

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s. KRP Infrastrauctures & Builders Private Limited on 17.12.2019.

The creditors of M/s. KRP Infrastrauctures & Builders Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 01.01.2020 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A Financial Creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

The existing directors and managers of the corporate debtors are requested to ensure compliance of provisions of Section 17 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. All existing Bankers/Financial Institutions maintaining the accounts of Corporate Debtors are requested to ensure compliance of Section 17 (1) (d) of the Code.

Sd/-
CS Shravan Kumar Vishnoi
Interim Resolution Professional
KRP Infrastrauctures & Builders Private Limited
IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079

Date : 18.12.2019
Place : Lucknow

हांगकांग में बस दुर्घटना में पांच की मौत, कई घायल

हांगकांग, 18 दिसंबर (एएफपी)।

हांगकांग में बुधवार को एक डबल डेकर बस की पेड़ से टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटनास्थल की लाइव फुटेज में देखा जा सकता था कि कैसे दमकलकर्मी बस की ऊपरी डेक में फंसे यात्रियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे रहे थे।

पीड़ितों को एक काले रंग के बॉडी बैग में निकाल कर चीन की सीमा से सटे एक इलाके किवु तुंग में सड़क के किनारे एक स्थान पर ले जाया जा रहा था। उस स्थान पर 'अस्थायी शवगृह' का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस ने बताया कि घटना में पांच लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं।

शहर के अस्पताल प्राधिकरण ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद अस्पताल में बड़ी दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन सुविधाओं को सक्रिय कर दिया गया है। हांगकांग दुनिया की सबसे अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले देशों में से एक है। लेकिन ऐसी घातक बस दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

भारी आबादी वाले इस शहर में कई घुमावदार संकीर्ण और खड़ी सड़कें हैं। लेकिन यूनियनों का कहना है कि अधिक काम करने से चालकों का थकना भी आम बात है। पिछले साल हांगकांग में कई बस दुर्घटनाएं दर्ज हुई थीं।

धालीवाल के नाम पर रखा जाएगा रोडवे का नाम

ह्यूस्टन, 18 दिसंबर (भाषा)।

दिवंगत भारतीय-अमेरिकी पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के सम्मान में समुदाय के नेता यहां एक स्थायी स्मारक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। धालीवाल की ड्यूटी पर रहने के दौरान हत्या कर दी गई थी।

हैरिस काउंटी कमिश्नर कोर्ट ने मंगलवार को सैम ह्यूस्टन टोलवे के एक हिस्से का नाम धालीवाल के नाम पर रखने की सिफारिश की। कोर्ट के सदस्यों ने प्रेसिन्कट 2 के आयुक्त एंड्रियन गार्सिया का आग्रह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। उन्होंने टेक्सास 249 और यूएस 290 के बीच रोडवे के एक हिस्से का नाम संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर रखने का आग्रह किया था।

हालांकि इस आग्रह को अभी टेक्सास परिवहन विभाग से मंजूरी लेना बाकी है। इस कदम का स्वागत करते हुए भारत-अमेरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेटर ह्यूस्टन के संस्थापक सचिव जगदीप अहलूवालिया और इसके अध्यक्ष स्वपन धैर्यवान ने कहा कि भारतीय-अमेरिकी नायक को यह सम्मान देना उचित होगा।

यातायात विभाग में तैनात 42 वर्षीय धालीवाल हैरिस काउंटी में शेरिफ के सहायक के रूप में तैनात थे। वे पहले ऐसे सिख अधिकारी थे जिन्हें ड्यूटी पर रहते हुए अपने धार्मिक चिह्नों का इस्तेमाल करने मसलन पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने की इजाजत दी गई थी।

नागरिकता कानून का पूर्वोत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा : संगठन

वाशिंगटन, 18 दिसंबर (भाषा)।

उत्तरी अमेरिका में असम के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन का कहना है कि संशोधित नागरिकता कानून का असम के लोगों और पूर्वोत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में 'असम एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका' (एएएनए) ने आग्रह किया कि 1985 के असम समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाए, जहां संघर्ष की किसी भी स्थिति में असम समझौते को प्राथमिकता मिले।

पत्र में एएएनए ने कहा, 'हाल ही में पारित हुआ संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 2019 हमारे लिए चिंता का कारण बन गया है क्योंकि इसका असम के लोगों और पूर्वोत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।' यह पत्र 14 दिसंबर को लिखा गया था।

पत्र में कहा गया, 'हम इस कानून को असम और पूर्वोत्तर की मूल आबादी की संस्कृति, जनसांख्यिकी और आर्थिक स्थिति पर एक खतरे के रूप में देखते हैं।' एएएनए ने प्रधानमंत्री से अपील की कि 1985 असम समझौते को अविलंब लागू किया जाए।

उसने कहा, 'सीएए और असम समझौते के बीच संघर्ष की किसी भी स्थिति में, असम की मूल आबादी के जन हित की प्रमुखता सुनिश्चित करने के लिए असम समझौते को प्राथमिकता दी जाए।'

एएएनए ने प्रधानमंत्री से 13 अगस्त 2019 को लाए गए असम राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए उसमें आवश्यक सुधार कर उसे बेहतर करने की अपील भी की।

पत्र में कहा, 'नागरिकता प्रदान करने और शरणार्थियों को बसाने के दौरान, असम के मूल निवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।'

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

भदोही शाखा : 102, मुल्ला तालाब, स्टेशन रोड, भदोही - 221401

कब्जा सूचना (स्थावर सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, निम्न उधारकर्ताओं एवं गारंटीकर्ताओं को उनके नाम के सामने दिये गये रकम तथा ब्याज की सूचना जारी करते हुए 60 दिनों के अन्दर उल्लिखित राशि तथा ब्याज के पुन: भुगतान हेतु सूचित किया था।

चूँकि उधारकर्ता इस रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहे, अत: उधारकर्ता/गारंटीकर्ता और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूमि हित का प्रवर्तन (अधिनियम) की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता/गारंटीकर्ता और विशिष्ट रूप से जनसाधारण को इसके द्वारा सावधान किया जाता है कि वह नीचे वर्णित संपत्ति के सम्बन्ध में व्यवहार न करें और संपत्ति में किसी भी प्रकार का व्यवहार इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता का नाम और पता	खाते का विवरण	प्रतिभूतियों के विवरण
मे0 भदोही आयरन ट्रेडर्स, पार्टनर :- 1. सुरेश चन्द पुत्र श्री श्याम लाल, 2. श्रीमती रागिनी गुप्ता पत्नी सुरेश चन्द , ग्राम व बाजार :- रामपुर, तहसील :- मड़ियाहूं, जिला : जौनपुर। गारण्टर/बंधककर्ता : 1. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री श्याम लाल, ग्राम व बाजार:- रामपुर, तहसील: मड़ियाहूं, जिला: जौनपुर, 2. श्रीमती रागिनी गुप्ता पत्नी श्री सुरेश चन्द (पार्टनर), ग्राम व बाजार :- रामपुर, तहसील:- मड़ियाहूं, जिला: जौनपुर।	मांग सूचना दिनांक 20.09.2019 बकाया राशि रु. 42,66,487.92 । ब्याज एवं अन्य प्रभार 31.08.2019 से	तीन मंजिला बिल्डिंग जो कि 0.038 हेक्टेयर 380 वर्ग मीटर (वास्तविक मौजूद 369.29 वर्ग मीटर) पर प्लाट नं. 377, आराजी नं. 881,882 एमआई, 883/1/2, 883/2/2 एमआई व 920, मौजा: रामपुर, परगना: बारसठी, तहसील: मड़ियाहूं, जिला: जौनपुर में श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री श्याम लाल के नाम रक्षित है। चौहद्दी : उत्तर : रोड रामपुर से निगोह, दक्षिण : सरोजा देवी की जमीन, पूर्व : सुखदार तिवारी (प्रशान्त सिनेमा) की जमीन, पश्चिम : सरोजा देवी का मकान।

दिनांक : 18.12.2019 स्थान : भदोही प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

ट्रंप ने पेलोसी से महाभियोग प्रक्रिया रोकने को कहा

वाशिंगटन, 18 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी को एक पत्र लिख कर उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया रोकने को कहा है। यह सुनवाई बुधवार को एक चर्चा के साथ शुरू होने वाली है।

ट्रंप ने पेलोसी को लिखे एक पत्र में कहा, 'महाभियोग डेमोक्रेट सांसदों के शक्ति के अप्रत्याशित एवं असंवैधानिक दुरुपयोग को दर्शाता है। अमेरिकी विधायी इतिहास की लगभग ढाई शताब्दी में कभी ऐसा नहीं हुआ।' हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी द्वारा पेश महाभियोग के अनुच्छेदों को संवैधानिक सिद्धांत, व्याख्या या न्यायशास्त्र के किसी भी मानक के तहत अयोग्य बताते हुए ट्रंप ने कहा कि इसमें किसी अपराध, दुष्कर्म और किसी अपराध का जिक्र नहीं है।

उन्होंने कहा, 'अवैध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर आप अपने पद की शपथ का उल्लंघन करेंगी, आप संविधान के प्रति आपकी निष्ठा को खत्म कर रही हैं और आप अमेरिकी लोकतंत्र में खुलेआम युद्ध की घोषणा कर रही हैं।' ट्रंप ने कहा कि महाभियोग की इस प्रक्रिया की शुरुआत से अभी तक वह बुनियादी संवैधानिक अधिकार से वंचित रहे हैं।

अमेरिकी सांसद बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लाने के लिए ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित मतदान करने वाला है।

नैंसी पेलोसी ने अपने डेमोक्रेटिक साथियों को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा, 'प्रतिनिधि सभा अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के दो अनुच्छेदों को मंजूरी देने के लिए मतदान करके संविधान द्वारा हमें दी गई सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक का उपयोग करेगी।'

उत्तर कोरिया के खिलाफ पाबंदियां हटाने का अमेरिका ने विरोध किया

संयुक्त राष्ट्र, 18 दिसंबर (एपी)।

अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वह चीन और रूस के उस मसविदा प्रस्ताव का विरोध करता है जो उत्तर कोरिया के महत्त्वपूर्ण निर्यातों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को खत्म करने से जुड़ा है।

अमेरिका ने इस प्रस्ताव के समय पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह ऐसे समय लाया गया है जब प्योंगयांग उकसावे वाली कार्रवाई की धमकी दे रहा है और परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से इनकार कर रहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उन वायदों की दिशा में प्रगति करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो उन्होंने जून 2018 में सिंगापुर में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ पहले सम्मेलन में किए थे। दोनों नेताओं ने देशों के बीच संबंधों में बड़े परिवर्तन करने, दीर्घकालिक शांति कायम करने और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था।

उसने कहा कि लेकिन वह अकेला यह नहीं कर सकता। संरा सुरक्षा परिषद सदस्यों को सोमवार रात भेजे गए मसविदा प्रस्ताव के मुताबिक यह उत्तर कोरिया के निर्यातों पर लगाए गए प्रतिबंध खत्म कर सकता है और इसका उद्देश्य वहां के नागरिकों की आजीविका को बेहतर बनाना है।

Edelweiss Asset Reconstruction — ई-नीलामी बिक्री सूचना

ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
CIN:U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय कार्यालय : प्रथम तल, रहेजा सेंटर प्वाइंट, 294 सीएसटी रोड, निकट मुम्बई विश्वविद्यालय, कलीना, मुम्बई 400098
पंजीकृत कार्यालय : ईडेलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098.

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (यहाँ के बाद ''एमएचएफएल/एसाइनर'' वर्णित) की ऋण सुविधाओं को ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी 370 के ट्रस्टी के हैसियत में कार्यरत एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को सौंप दिया गया है जिसका स्पष्ट उल्लेख कॉलम में किया गया है। उक्त एसाइन्मेन्ट के अनुसार ईएआरसी एसाइनर के रूप में तथा प्रतिभूत फ्रेडीटर के अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। प्रतिभूत क्रेडीटर की हैसियत से ईएआरसी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत नियमों के अधीन नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत परिसम्पत्ति प्रतिभूत क्रेडीटर के पक्ष में गिरवी है जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की, ऋणधारकों तथा गारन्टरों से उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य खर्चे/लागतों, ईएआरसी द्वारा प्राप्त कोई धन को घटाकर, के साथ ईएआरसी के नीचे वर्णित बकाये राशि की वसूली के लिये ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

नीलामी की जाने वाली प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण

ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक का नाम	ट्रस्ट का नाम	बैंक खाता का विवरण	15.12.2019 को कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) आईएनआर में	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) (आइएनआर में)	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जा का प्रकार
HL/0035/H/14/100086	1. पवन कुमार 2. पवन ट्रेडिंग कम्पनी, 3 महावीर प्रसाद, 4. महावीर प्रसाद, 5. स्वाती एण्टरप्राईजेज, 6. विमला देवी, 7. सुधीर कुमार, 8. महावीर काटन फैक्टरी, 9. विमल, 10. अनीता रानी, 11. श्याम सुंदर, 12. ललिता रानी, 13. महावीर कॉटन फैक्टरी, 14. महावीर ऑयल मिल, 15. स्वाती एण्टरप्राईजेज	ईएआरसी ट्रस्ट एससी, 370	आईसीआईसीआई बैंक लि. नारीमन प्वाइन्ट 000405118258; ICIC0000004	रु. 14323813/-	रु. 51,20,000/-	रु. 5,12,000/-	6.1.2020 को 12.00 बजे दोपहर में	भौतिक

सम्पत्ति का विवरणः न्यू अनाज मंडी, नवराना, तहसील नरवाना, जिला जिन्द, हरियाणा-12616 में स्थित शॉप नं. 68, सम्पत्ति सं. 219 तथा 219 ए, माप 189 वर्ग यार्ड्स, आकार 20 फीट x 85 फीट का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः प्रवेश/ मंडी पथ, पूर्वः शॉप नं. 67, दक्षिणः रोड 28 फीट, पश्चिमः शॉप नं. 69

नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

1.	सभी डिमांड ड्राफ्ट उपरोक्त ट्रस्ट के नाम में मुम्बई में देय होनी चाहिए	
2.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से 1 दिन पूर्व तक प्राप्त की जाएगी*
3.	बोली जमा करने का स्थान	रिटेल सेन्ट्रल कार्यालय, मुम्बई (ऊपर वर्णित)
4.	नीलामी का स्थान (नीलामी की वेबसाईट)	ई-नीलामी (https://auction.edelweissarc.in)
5.	फोन नं. के साथ सम्पर्क व्यक्ति	श्री अंशुमन मोरे, मोबाईल नं. 7738771766
6.	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व अनुमति के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए ईएआरसी की वेबसाईट अर्थात् https://auction.edelweissarc.in) में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 17.12.2019 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मुम्बई, महाराष्ट्र एडलवीस एसेट रीकन्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के लिए

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

गिरनार स्पिनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(CIN: L17100DL1991PLC171468)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ई-43/1, ओखला फेस-2, नई दिल्ली-110020 में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक वार्षिक आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में बदलने हेतु बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करे अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय ई-43/1, ओखला फेस-2, नई दिल्ली-110020 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते गिरनार स्पिनटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
जीतेन्द्रकुमार गौतमचंद चोपड़ा
(प्रबंध निदेशक)
दिनांक: 19 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 08196887

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. सं. 253/2019 एक्सिस बैंक लि. के मामले में ....आवेदक

बनाम

अनुराग गुलाटी एवं अन्य ....प्रतिवादी

डी-1 श्री अनुराग गुलाटी ए 4 1105, कृष्णा अप्रा गार्डन्स वैभव विहार, रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

साथ ही : अनुराग गुलाटी, डिप्टी जनरल मैनेजर, एयरसेल लि., ए-44, मोहन को-ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 044, साथ ही : अनुराग गुलाटी, 1104, सोलेटेयर, पैरामाउण्ट सिम्फनी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, निकट एबीईएस कॉलेज, गाजियाबाद, उ.प्र.-201 010

डी-2 ममता गुलाटी, ए 4 1105, कृष्णा अप्रा गार्डन्स वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

एच-32/103, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085 साथ ही : ममता गुलाटी, 1104, सोलेटेयर, पैरामाउण्ट सिम्फनी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, निकट एबीईएस कॉलेज, गाजियाबाद, उ.प्र.-201 010

जबकि उपर्युक्त नाम के आवेदक ने आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की सन्तुष्टि तक प्रदर्शित है कि आपको सामान्य ढंग से यह सूचना देनी सम्भव नहीं है, अतः विज्ञापन द्वारा आपको इस अधिकरण में 24.02.2020 को 10.30 बजे प्रातः उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला लिया जायेगा।

03 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित।

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

जापान की पत्रकार ने 'मी टू' केस जीता

तोक्यो, 18 दिसंबर (एएफपी)।

तोक्यो की एक अदालत ने बुधवार को पत्रकार शिओरी इतो को 'मी टू' के हाई प्रोफाइल मामले में 30,000 डॉलर मुआवजा देने का आदेश दिया। पत्रकार ने जापान में चले 'मी टू' अभियान के दौरान टीवी के एक पूर्व रिपोर्टर पर बलात्कार का आरोप लगाया था।

इस दीवानी मामले ने जापान और विदेशों में सुर्खियां बटोरी थीं क्योंकि 2017 के एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक, जापान में बलात्कार पीड़िताओं का अपराध की सूचना पुलिस को देना असाधारण बात है। सर्वेक्षण के मुताबिक, यहां केवल चार फीसद महिलाएं अपने साथ हुए बलात्कार की शिकायत दर्ज कराती हैं।

इतो (30) जापान में 'मी टू' अभियान की मुखर आवाज बन गई थीं जहां यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन को अपनी जमीन बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री शिंजो आबे से नजदीकी संपर्क रखने वाले टीवी के एक पूर्व रिपोर्टर नोरियुकी यामागुची से 1,00,000 डॉलर का मुआवजा मांगा था। इतो का आरोप था कि 2015 में यामागुची ने नौकरी का झांसा देकर उन्हें खाने पर बुलाया और बलात्कार किया था। यामागुची लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे और इतो के खिलाफ उन्होंने जवाबी वाद दर्ज कराया और मुआवजे में 13 करोड़ येन मांगे।

इतो ने अदालत के बाहर कहा, 'हम जीत गए। जवाबी वाद निरस्त कर दिया गया।' उन्होंने हाथ में एक बैनर उठाया हुआ था जिसमें 'जीत' लिखा था।

सूचकांक नए उच्चस्तर पर

मुंबई, 18 दिसंबर (भाषा)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की लिवाली के बीच एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों के बढ़त में रहने से बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के दौरान एक समय 41,614.77 अंक पर चल रहा था। कारोबार की समाप्ति पर यह 206.40 अंक यानी 0.50 फीसद की बढ़त लेकर सर्वकालिक उच्चस्तर 41,558.57 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 56.65 अंक यानी 0.47 फीसद की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड 12,221.65 अंक पर बंद हुआ।सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा में सर्वाधिक 3.37 फीसद की तेजी में रही। इसके बाद सन फार्मा में 2.53 फीसद, एशियन पेंट्स में 1.88 फीसद, आइटीसी में 1.66 फीसद, एचडीएफसी बैंक में 1.58 फीसद और टेक महिंद्रा में 1.51 फीसद की बढ़त दर्ज की गई। इनसे इतर, टाटा मोटर्स में सर्वाधिक 3.05 फीसद की गिरावट आई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएएलटी) ने बुधवार को साइरस मिस्त्री को पुनः टाटा संस का चेयरमैन बनाने का आदेश दिया। उसने कार्यकारी चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध करार दिया। इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई। टाटा समूह की अन्य कंपनियों टाटा पावर, टाटा केमिकल्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेज के शेयर भी 4.14 फीसद तक गिर गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय स्टेट बैंक और येस बैंक के शेयर 1.79 फीसद तक नीचे आए। एनटीपीसी, पावरग्रिड और बजाज फाइनेंस के शेयर भी गिरावट में रहे।

कारोबारियों ने कहा कि चुनिंदा बड़े शेयरों में तेजी के साथ ही एफपीआइ लिवाली जारी रहने से बाजार की धारणा को बल मिला। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक नरमी से उबरने के लिए अन्य उपाय करने की उम्मीद में बाजार ने नया रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। अमेरिका व चीन के बीच व्यापार युद्ध में नरमी से वैश्विक वृद्धि और नए ऑर्डरों में तेजी की उम्मीद से धातु व आइटी शेयरों में तेजी रही। सरकार बजट के नजदीक आने के साथ ही उपभोग बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है। निवेशकों की निगाहें माल व सेवा कर (जीएसटी) परिषद की जारी बैठक पर भी लगी हुई हैं।'

बीएसई के समूहों में धातु, स्वास्थ्य व चिकित्सा, रियल्टी, ईंधन, वाहन और आइटी में 0.84 फीसद तक की तेजी रही।

एनबीसीसी को डीडीए से 'पूर्वी दिल्ली हब' के लिए ठेका मिला

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से राजधानी के कड़कड़डूमा क्षेत्र में 'पूर्वी दिल्ली हब' के विकास का 1,393 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। एनबीसीसी और डीडीए ने इस बारे में 2015 में सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।

एनबीसीसी ने सूचित किया कि डीडीए ने एमओयू की शर्तों में बदलाव किया है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एनबीसीसी ने कहा कि संशोधित एमओयू के तहत डीडीए ने उसे पूर्वी दिल्ली हब के एकीकृत विकास का काम सौंपा है। यह ट्रांजिट आधारित विकास नियमों के अनुरूप है। इसमें एनबीसीसी परियोजना की योजना, डिजाइनिंग और क्रियान्वयन एजंसी के रूप में काम करेगी।

आइडीबीआइ बैंक के साथ कारोबार जारी रखें सरकारी विभाग : वित्त मंत्रालय

मुंबई, 18 दिसंबर (भाषा)।

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभागों को एलआइसी के स्वामित्व वाले आइडीबीआइ बैंक के साथ कारोबार जारी रखने और उसे नए कारोबार मुहैया कराने को कहा है। मंत्रालय का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय व राज्यों के विभाग आइडीबीआइ बैंक से जमा की निकासी कर रहे हैं और उसे नया कारोबार भी नहीं दे रहे हैं। मंत्रालय ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है।

वित्त मंत्रालय ने इन विभागों को भेजे पत्र में उन्हें आइडीबीआइ बैंक द्वारा पहले की ही तरह सेवाएं मुहैया कराते रहने को लेकर आश्वस्त किया। मंत्रालय ने कहा कि आइडीबीआइ बैंक में एलआइसी और सरकार की हिस्सेदारी 97.46 फीसद है। मंत्रालय ने 18 दिसंबर की तारीख वाले इस पत्र में कहा, 'यह विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि एलआइसी द्वारा आइडीबीआइ बैंक की 51 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई विभागों और सरकारी एजंसियों व संस्थानों ने या तो बैंक से जमा की निकासी की है या फिर बैंक को जमा के लिये बोली लगाने के लिए नहीं बुलाया है या बैंक को सरकारी कारोबार मुहैया कराते रहने में असमर्थता जाहिर की है।'

एलआइसी द्वारा जनवरी, 2019 में आइडीबीआइ बैंक की 51 फीसद हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद रिजर्व बैंक ने उसे निजी बैंक की श्रेणी में डाल दिया है। पत्र में मंत्रालय ने कहा कि एलआइसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आइडीबीआइ बैंक में एलआइसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 फीसद है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों के विभाग और सरकारी एजंसियां आइडीबीआइ के साथ कारोबार करते रह सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था आइसीयू में : अरविंद सुब्रमणियन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमणियन ने बुधवार को टिप्पणी की कि भारत गहरी आर्थिक सुस्ती में है। बैंकों व कंपनियों के लेखा-जोखा के जुड़वा-संकट की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था सघन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू)में जा रही है। सुब्रमणियन नरेंद्र मोदी सरकार के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) रहे हैं। उन्होंने पिछले साल अगस्त में इस्तीफा दे दिया था।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के भारत कार्यालय के पूर्व प्रमुख जोश फेलमैन के साथ लिखे गए नए शोध पत्र में सुब्रमणियन ने कहा है कि भारत इस समय बैंक, बुनियादी ढांचा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और रियल एस्टेट-इन चार क्षेत्रों की कंपनियां के लेखा-जोखा के संकट का सामना कर रहा है। इसके अलावा भारत ब्याज दर और वृद्धि के प्रतिकूल चक्र में फंसा है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय विकास केंद्र के लिए तैयार तकनीकी परचे के मसौदे में सुब्रमणियन ने लिखा है- निश्चित रूप से यह साधारण सुस्ती नहीं है। भारत में गहन सुस्ती है और अर्थव्यवस्था ऐसा लगता है कि आइसीयू में जा रही है।

सुब्रमणियन ने दिसंबर, 2014 में दोहरे बही खाते की समस्या के प्रति आगाह किया था। उस समय वे नरेंद्र मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उन्होंने उस समय कहा था कि निजी कंपनियों पर बढ़ता कर्ज बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन रहा है।

अपने नए शोध पत्र को सुब्रमणियन ने दो भागों टीबीएस और टीबीएस-दो में बांटा है। टीबीएस-1 इस्पात, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए बैंक कर्ज के बारे में है। यह कर्ज निवेश में जोरदार तेजी के दौरान 2004-11 के दौरान दिया गया। जो बाद में एनपीए बन गया। टीबीएस-दो नोटंबदी के बाद की स्थिति के बारे में है। इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और रियल एस्टेट कंपनियों के बारे में है।

सुब्रमणियन ने लिखा है, 'वैश्विक वित्तीय संकट से भारत की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार सुस्त पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले दो इंजन निवेश और निर्यात प्रभावित हुए हैं। आज एक और इंजन उपभोग या खपत भी बंद हो गया है। इस वजह से पिछली कुछ तिमाहियों से वृद्धि दर काफी नीचे आ गई है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 4.5 फीसद पर आ गई है।

फिएट क्रिसलर, प्यूजो के बीच करार

मिलान , 18 दिसंबर (एपी)।

फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स और पीएसए प्यूज़ो के निदेशक मंडल ने अपनी कंपनियों का विलय कर नई कंपनी बनाने का पक्का करार करने की बुधवार को घोषणा की। नई कंपनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता कंपनी होगी। दोनों कंपनियों ने संयुक्त बयान में कहा कि नई कंपनी की अगुआई पीएसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कार्लो टेवरेस करेंगे जबकि फिएट क्रिसलर के चेयरमैन जॉन एल्कान उसके चेयरमैन होंगे।

फिएट क्रिसलर के सीईओ माइक मैनले कंपनी में रहेंगे लेकिन अभी उनके पद की घोषणा नहीं हुई है। दोनों कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों टेवरेस और मैनले ने कहा कि नई कंपनी का नाम अभी तय नहीं किया गया है लेकिन दोनों ने जोर देकर कहा यह कोई बहुत जरूरी विषय नहीं है। इस सौदे के तहत बराबर की हिस्सेदारी (50-50) में कारोबार के विलय की घोषणा की गई है। हालांकि, पीएसए को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त सीट मिलेगी और टेवरेस के हाथों में नई कंपनी की कमान होगी। यह दैनिक परिचालन में कंपनी को बढ़त दिलाती है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि उन्हें 12-15 महीने में सौदे के पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद अस्तित्व में आने वाली कंपनी की आय करीब 170 अरब यूरो होगी और सालाना 87 लाख गाड़ियों का उत्पादन करेगी।

जीएसटी मुआवजे का बकाया : राज्यों ने कहा सरकार डिफॉल्ट की राह पर

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

गैर भाजपा शासित राज्यों ने जीएसटी व्यवस्था के तहत राजस्व क्षतिपूर्ति के बकाए को लेकर केंद्र को बुधवार को आड़े हाथ लिया। राज्यों ने कहा कि सरकार डिफॉल्ट (भूगतान में चूक) की राह पर है। केंद्र ने जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में राज्यों के जीएसटी के बकायों का समय पर भुगतान करने की कोई गारंटी नहीं दी। संविधान संशोधन के जरिए राज्यों को केंद्र की तरफ से जीएसटी में राजस्व क्षतिपूर्ति की गारंटी गारंटी दी गई है।

जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई मासिक आधार पर की जाती है। इसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के चलते जीएसटी परिषद में आम सहमति से निर्णय की परंपरा टूट गई। बैठक में निर्णय के लिए मतदान का भी सहारा लिया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस रुख को दोहराया कि केंद्र सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों पंजाब और केरल के वित्त मंत्रियों ने कहा कि वित्त मंत्री स्पष्ट तौर पर यह भरोसा दिलाने में विफल रही हैं कि जीएसटी मुआवजे का भुगतान समय पर किया जाएगा।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि यह एक दुखद दिन है। केंद्रीय वित्त मंत्री इस बात का आश्वासन नहीं दे पाईं कि राज्यों को मुआवजे का भुगतान समय पर किया जाएगा या नहीं।

राजकोषीय घाटे को सीमित करने के लक्ष्य में ढील देने की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

बुधवार को कुछ राज्यों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण से खपत बढ़ाने के लिए राजकोषीय घाटे को सीमित करने के लक्ष्य में ढील देने और उसे सकल घरेलू उत्पाद के 4 फीसद के स्तर तक जाने देने को कहा। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ राजस्व संग्रह में नरमी को देखते हुए राज्यों ने यह सुझाव दिया है।

वित्त मंत्री ने जुलाई में अपने बजट भाषण में 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.4 फीसद से घटाकर 3.3 फीसद कर दिया। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में की गई घोषणा के अनुसार कर्ज योजना पर कायम है। यह स्थिति तब है जब सरकार ने कंपनी कर में कटौती की है। कंपनी कर में कटौती के कारण सरकार के राजस्व पर 1.45 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व विचार विमर्श के दौरान कुछ राज्यों ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती दूर करने के लिए खपत बढ़ाने को लेकर राजकोषीय घाटे का दायरा बढ़ाने की वकालत की। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बजट-पूर्व बैठक के बाद ट्विटर पर लिखा, 'वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व चर्चा के दौरान बिहार और केरल ने राजकोषीय घाटा सीमा बढ़ाकर 4 फीसद करने का सुझाव दिया। इस पर कई राज्यों ने सहमति जताई। चालू वर्ष में राज्यों का वास्तविक व्यय कम होगा। नरमी के समय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह नतीजा आ रहा है।'

कुछ विशेषज्ञ पहले ही यह अनुमान जता चुके हैं कि राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर जीडीपी के 3.6 से 3.8 फीसद तक जा सकता है। इसका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धि और कंपनी कर में उल्लेखनीय कटौती के कारण राजस्व संग्रह में नरमी है। देश का राजकोषीय घाटा अक्तूबर में 2019-20 के 7.2 लाख करोड़ रुपए बजटीय अनुमान का 102.4 फीसद पहुंच गया। राजकोषीय घाटा या व्यय और राजस्व के बीच अंतर अक्तूबर 309 में 7,20,445 करोड़ रुपए पहुंच गया।

आरबीआइ के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत कई अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि भारत उच्च मुद्रास्फीति और निम्न वृद्धि या वृद्धिहीन मुद्रास्फीति के चक्र में फंस सकता है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर महीने में बढ़कर 5.54 फीसद पहुंच गई। जो तीन साल का उच्च स्तर है।

वहीं औद्योगिक उत्पादन में अक्तूबर में 3.8 फीसद की गिरावट आई। यह लगातार तीसरा महीना है जब औद्योगिक उत्पादन घटा है। यह अर्थव्यवस्था में नरमी का संकेत देता है। देश की आर्थिक वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.5 फीसद रही जो छह साल का न्यूनतम स्तर है।

चीनी उत्पादन 15 दिसंबर तक 35 फीसद गिरकर 45.8 लाख टन पर : इस्मा

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

देश का चीनी उत्पादन चालू विपणन सत्र में 15 दिसंबर तक 35 फीसद गिरकर 45.8 लाख टन पर आ गया है। इसकी वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन में तेज गिरावट है। चीनी का विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर है। निजी चीनी मिलों के शीर्ष संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने बुधवार को यह बात कही। विपणन वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में चीनी उत्पादन 70.5 लाख टन था।

इस्मा के मुताबिक 15 दिसंबर, 2019 तक 406 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई चल रही है जबकि 15 दिसंबर, 2018 तक 473 मिलें पेराई कर रही थीं। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में मिलों ने 15 दिसंबर तक 21.2 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 18.9 लाख टन था। हालांकि, महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन में तेज गिरावट दर्ज की गई है। यहां चीनी मिलें 15 दिसंबर, 2019 तक 7.66 लाख टन चीनी का ही उत्पादन कर सकी हैं। इसकी तुलना में 15 दिसंबर, 2018 तक 29 लाख टन का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। इसी प्रकार, तीसरे सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में 15 दिसंबर, 2019 तक उत्पादन गिरकर 10.6 लाख टन रह गया। एक साल पहले की इसी समय यह 13.9 लाख टन था। इस्मा ने बयान में कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम है। इसकी वजह दोनों राज्यों में मिलों का देर से काम शुरू करना है। इसके अलावा, गन्ने की पेराई से चीनी निकालने में भी पिछले साल के मुकाबले कमी आने की सूचना है।

कर धोखाधड़ी मामले को निपटाने के लिए आठ लाख डॉलर देगी इंफोसिस

वाशिंगटन/नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

देश की दिग्गज आइटी कंपनी इंफोसिस कर धोखाधड़ी और विदेशी कर्मचारियों के गलत वर्गीकरण के आरोपों को निपटाने के लिए 8,00,000 डॉलर (करीब 5.6 करोड़ रुपए) का भुगतान करने के लिए तैयार हो गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा ने कहा कि इंफोसिस अपने ऊपर लगे आरोपों को निपटाने के लिए आठ लाख डॉलर का भुगतान करेगी। आरोपों में कहा गया था कि 2006 से 2017 के बीच कंपनी के करीब 500 कर्मचारी एच-1 बी वीजा की जगह बी-1 वीजा पर राज्य में काम कर रहे थे। इस गलत वर्गीकरण के चलते इंफोसिस कैलिफोर्निया पेरोल करों का भुगतान करने से बच गई। इसमें बेरोजगारी बीमा, विकलांगता बीमा और रोजगार प्रशिक्षण कर शामिल हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि एच-1 बी वीजा में नियोक्ता को कर्मचारियों को मौजूदा स्थानीय वेतन का भुगतान करना जरूरी होता है। बेसेरा ने कहा, 'इंफोसिस ने कर्मचारियों को कम भुगतान करने और करों से बचने के लिए उन्हें गलत वीजा पर लाया।' हालांकि, इंफोसिस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी। सूचना में कहा कि वह कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के साथ समझौते पर पहुंच गई है। इंफोसिस ने कहा कि वह 13 साल से ज्यादा पुराने आरोपों पर समय, खर्च और लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए समझौते पर पहुंची है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

ROSSARI
making you more competitive

ROSSARI BIOTECH LIMITED

Our Company was initially incorporated as "Rossari Labtech" on March 6, 2003, as a partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932, pursuant to a certificate of registration dated June 22, 2003, issued by the Registrar of Firms, Mumbai. The name of the partnership firm was changed to "Rossari Biotech" on December 5, 2003 and further the firm converted into a joint stock company on August 10, 2009, under part IX of the Companies Act, 1956 as "Rossari Biotech Limited" with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC"). We received our certificate of commencement of business on August 13, 2009. For details of the change in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 169 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 18, 2019 ("DRHP").

Corporate Identity Number: U24100MH2009PLC194818
Registered and Corporate Office: 201 A - B, 2nd Floor, Akruti Corporate Park, L.B.S. Marg, next to GE Gardens, Kanjurmarg (W), Mumbai 400 079, India
Tel: (+91 22) 6123 3800; Contact Person: Ms. Parul Gupta, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: (+91 22) 6123 3800
E-mail: cs@rossarimail.com; Website: www.rossari.com

OUR PROMOTERS: MR. EDWARD WALTER MENEZES AND MR. SUNIL SRINIVASAN CHARI

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("EQUITY SHARES") OF ROSSARI BIOTECH LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,500.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 10,500,000 EQUITY SHARES (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 5,250,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY MR. EDWARD MENEZES AND UP TO 5,250,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY MR. SUNIL CHARI (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" OR THE "SELLING SHAREHOLDERS"), (THE "OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMs"), MAY CONSIDER A PRIVATE PLACEMENT OF EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,000.00 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO THE FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE RoC ("PRE-IPO PLACEMENT"). IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE FRESH ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT, SUBJECT TO THE OFFER CONSTITUTING AT LEAST [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

(1) THE PRICE BAND WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BRLMs; AND (2) THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMs, AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF THE [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL NEWSPAPER), [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED MARATHI NATIONAL NEWSPAPER, MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MUMBAI, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE" AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 2 EACH AND THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

In case of a revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band subject to the Bid/Offer Period not exceeding a total of 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the other members of the Syndicate and the Sponsor Bank.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended, (the "SCRR") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations"), and the Offer constitutes [•]% of the post-Offer paid-up equity share capital of our Company. The Offer is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, where not more than 50% of the Offer will be Allotted on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Category"), provided that our Company in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors, on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors. Further, 5% of the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. If at least 50% of the Offer cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer through the Application Supported by Block Amount ("ASBA") process, and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID for Retail Individual Investors using UPI Mechanism) in which the Bid Amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, specific attention is invited to "Offer Procedure" on page 335 of the DRHP.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations. The Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on December 18, 2019.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for the period of at least 21 days, from the date of such filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and the websites of the BRLMs, i.e. Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in and ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com.

We invite the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI. Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 27 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP shall be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been registered with the RoC and must be solely based on the RHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

AXIS CAPITAL
Axis Capital Limited
1st Floor, Axis House
C-2, Wadia International Centre, P.B. Marg
Worli, Mumbai 400 025, Maharashtra, India
Tel: (+ 91 22) 4325 2183
E-mail: rbl@axiscap.in
Website: www.axiscapital.co.in
Investor grievance E-mail: complaints@axiscap.in
Contact person: Ms. Simran Gadh
SEBI Registration No.: INM000012029

ICICI Securities
ICICI Securities Limited
ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate
Mumbai 400 020, Maharashtra, India
Tel: (+91 22) 2288 2460
Email: rossari.ipo@icicisecurities.com
Website: www.icicisecurities.com
Investor Grievance E-mail: customercare@icicisecurities.com
Contact person: Mr. Arjun A. Mehrotra / Mr. Rupesh Khant
SEBI Registration No: INM000011179

REGISTRAR TO THE OFFER

LINKIntime
Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park
Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West)
Mumbai 400 083
Maharashtra, India
Tel: (+91 22) 4918 6200
Email: rossaribio.ipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
Contact Person: Ms. Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For ROSSARI BIOTECH LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 18, 2019

ROSSARI BIOTECH LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an initial public offer of Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP shall be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and is available at the respective websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in and ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 27 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

CONCEPT

नई दिल्ली

DETAILED PUBLIC STATEMENT

IN TERMS OF REGULATIONS 13(4) AND 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

M. B. PARIKH FINSTOCKS LIMITED

Registered Office: 705, Galav Chambers, Sayajigunj, Baroda, Vadodara, Gujarat- 390005, India; Tel: +91 265 2362909; Fax: NA; Email: corporate@mbpfin.com; Website: www.mbpfin.com; Corporate Identification Number: L65910GJ1994PLC021759

OPEN OFFER ("OFFER") FOR ACQUISITION OF UP TO 7,80,000 (SEVEN LAKHS EIGHTY THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING UPTO 26% OF THE TOTAL VOTING SHARE CAPITAL OF M. B. PARIKH FINSTOCKS LIMITED ("TARGET COMPANY") ON A FULLY DILUTED BASIS, AS OF THE TENTH WORKING DAY FROM THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OFFER ("TOTAL VOTING SHARE CAPITAL") (DEFINED BELOW), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY FOR CASH AT OFFER PRICE (DEFINED BELOW) BY MR. DENIS DESAI ("ACQUIRER").

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ("DPS") IS BEING ISSUED BY SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER ("MANAGER"), FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER IN COMPLIANCE WITH REGULATION 13(4) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, ("TAKEOVER REGULATIONS"), PURSUANT TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT ("PA") FILED WITH BSE LIMITED ("BSE") ("STOCK EXCHANGE") ON DECEMBER 16, 2019, IN TERMS OF REGULATIONS 3(1) AND 4 OF THE TAKEOVER REGULATIONS. THE PA WAS FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") AND SENT TO THE TARGET COMPANY ON DECEMBER 17, 2019 BY WAY OF LETTERS DATED DECEMBER 16, 2019, IN TERMS OF REGULATION 14(2) OF THE TAKEOVER REGULATIONS.

For the purposes of this DPS, the following terms have the meanings assigned to them below:

a) ***"Total Voting Share Capital"*** means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as of the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period for this Offer.

b) ***"Identified Date"*** means the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the letter of offer in relation to this Offer ("Letter of Offer") shall be sent.

c) ***"Public Shareholders"*** shall mean all the public shareholders of the Target Company, other than (i) the Acquirer, (ii) the parties to the SPA (defined below for the sale of equity shares of the Target Company and (iii) persons deemed to be acting in concert with parties at (i) and (ii) above, in compliance with the provisions of Regulation 7(6) of the Takeover Regulations.

d) ***"Sellers"*** shall mean, all the members of the promoter and promoter group of the Target Company, namely, Mr. Digant Parikh, Mrs. Monalisa Parikh, Mrs. Sudhaben Kapadia and Parikh Shares and Stocks Pvt. Ltd.

e) ***"Tendering Period"*** has the meaning ascribed to it under the Takeover Regulations.

f) ***"Working Day"*** means any working day of the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**).

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

1. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER

A. MR. DENIS DESAI ("Acquirer")

(a) Mr. Denis Desai, aged 39 years, S/o Mr. Bhupendra Desai, is residing at 3402, 34th Floor, Raheja Odyssey, Raheja Reflections -2, Off Western Express Highway, Village Magathane, Borivali (East), Mumbai- 400066, Maharashtra, India; Tel: +91 9819062464; Email: denisdesai@gmail.com.

(b) Acquirer has completed his Masters of Management Studies from University of Mumbai in the year 2004. He has an overall experience of more than 13 years as a Strategic Advisor in the field of Real Estate and Education.

(c) Acquirer doesn't belong to any group.

(d) Acquirer is holding a Permanent Account Number- AGRPD9017H.

(e) The details of the ventures promoted/controlled/managed by the Acquirer is given hereunder:

Sr. No.	*Name of the Entities*	*Nature of Interest*	*Percentage stake/holding*
1	Arudha Traders Private Limited	Director & Shareholder	50.00
2	Arunis Sidhant Realties Private Limited	Director & Shareholder	50.00
3	Arunis Financial and Management Consultant Private Limited	Director & Shareholder	50.00
4	Nirmala Memorial Educations	Director & Shareholder	50.00

(Source: www.mca.gov.in).

(f) Except as mentioned under point (e) above, Acquirer confirms that he does not hold directorships in any other company, including a listed company.

(g) Acquirer hereby undertakes and confirms that the entities mentioned under point (e) above are not participating or interested or acting in concert in this Offer.

(h) Acquirer hereby undertakes and confirms that the entities mentioned in point (e) above are not appearing in the willful defaulters list of Reserve Bank of India and are not debarred by SEBI from accessing capital markets as on date.

(i) The Net worth of Acquirer as on November 15, 2019 is ₹ 5,91,08,334 (Rupees Five Crore Ninety One Lakhs Eight Thousand Three Hundred and Thirty Four only) and the same is certified by Mr. Ashwin Jain, Partner of Sanjay & Vijay Associates, Chartered Accountants (Membership No. 145156); FRN No. 120123W having office at 23, Kesar Building, 2nd Floor, Opp. Geeta Bhawan Hotel, 201/211, Princess Street, Marine Lines, Mumbai-400002; Email id: ashwin@cavijay.in, vide certificate dated December 07, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19145156AAAAFT8614.

(j) Acquirer confirms that he has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or under any other Regulation made under the SEBI Act.

(k) Acquirer undertakes not to sell the Equity Shares of the Target Company held by him during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the Takeover Regulations.

(l) There are no Persons Acting in Concert ("**PAC**") along with Acquirer in relation to the Offer within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the Takeover Regulations.

(m) Acquirer has confirmed that currently there are no pending litigations pertaining to securities market where he is made party to.

(n) Acquirer has confirmed that he is not related to the Promoters, Directors or key employees of the Target Company in any manner.

(o) Acquirer has confirmed that he is not categorized as a "willful defaulter" in terms of Regulation 2(1) (ze) of the Takeover Regulations.

(p) Acquirer does not hold any Equity Shares of the Target Company as on the date of this DPS.

(q) He has signed a Share Purchase Agreement ("SPA") dated December 16, 2019 with the Sellers to acquire 20,34,968 Equity Shares constituting 67.83 % of the Total Voting Share Capital of the Target Company.

(r) Acquirer has not entered into any non-compete arrangement and/or agreement with the Sellers.

(s) Acquirer has confirmed that he has not been declared a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

2. INFORMATION ABOUT THE SELLERS

Sr. No.	Name, PAN and Address of the Sellers	Whether part of Promoter and Promoter Group	Details of shares/voting rights held by the Sellers			
			Pre Transaction		Post Transaction	
			Number	%	Number	%
Seller 1	Mr. Digant Parikh PAN: AAFPP7379G Address: Flat No: 602, Phalguni, Sarojini Road, Santacruz West, Mumbai- 400054, Maharashtra.	Yes	17,86,158	59.54	NIL	NIL
Seller 2	Mrs. Monalisa Parikh PAN: ACYPP2909H Address: Flat No: 602, Phalguni, Sarojini Road, Santacruz West, Mumbai- 400054, Maharashtra		2,48,010	8.27		
Seller 3	Mrs. Sudhaben Kapadia PAN: AQZPK2907M Address: A-9, Aishwarya Bunglows, Near Reva Park Garden, Waghodia Road, Vadodara- 390019, Gujarat.		600	0.02		
Seller 4	Parikh Shares and Stocks Pvt. Ltd. PAN: AACCP1820A Registered Office: 705, Galav Chambers, Sayaji Gunj, Baroda, Gujarat- 390005, India		200	0.01		
	Total		**20,34,968**	**67.83**		

a) Accordingly, upon the completion of the sale and purchase of the Sale Shares (as defined below) under the SPA, Sellers will not hold any Equity Shares in the Target Company and shall cease to be the Promoters of Target Company and relinquish the management control of the Target Company in favor of the Acquirer. The Acquirer will acquire control of the Target Company, and be classified as the new promoter in accordance with the provisions of Regulation 31A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("**SEBI LODR Regulations**").

b) Sellers confirm that they have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended or under any other regulation made under the SEBI Act, 1992.

c) Seller 4 is a Private Limited Company and is not listed on any recognized stock exchange. There has been no change in the name of Seller 4.

3. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY

M. B. Parikh Finstocks Limited ("Target Company")

3.1 The Target Company was originally incorporated as "M. B. Parikh Finstocks Private Limited" as a private company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated April 08, 1994 issued by Registrar of Companies, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli. Subsequently, the name of the Target Company was changed to "M. B. Parikh Finstocks Limited" vide a name change certificate dated October 26, 1994 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli. The registered office of the Target Company is situated at 705, Galav Chambers, Sayajigunj, Baroda, Vadodara, Gujarat- 390005, India; Tel: +91 265 2362909; Email: corporate@mbpfin.com; Website: www.mbpfin.com.

3.2 Corporate Identification Number of the Target Company is L65910GJ1994PLC021759. (*Source: www.mca.gov.in*).

3.3 Target Company made its maiden public issue in the year 1995 pursuant to which its Equity Shares were listed on BSE Limited ("**BSE**") w.e.f. May 03, 1995, Ahmedabad Stock Exchange Limited ("**ASE**") w.e.f. April 25, 1995 and Vadodara Stock Exchange Limited ("**VSE**") w.e.f. April 20, 1995. Upon exit of ASE and VSE, the Equity Shares of the Target Company remained listed only on BSE having Scrip Code: 526935 and Symbol: MBPARIKH.

3.4 The ISIN of Equity Shares of Target Company is INE377D01018. (*Source: www.bseindia.com*)

3.5 There has been no change in the name of the Target Company during the last three years.

3.6 The total authorized share capital of the Target Company is ₹ 7,50,00,000 comprising of 75,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid up capital of the Target Company is ₹ 3,00,00,000 comprising of 30,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each.

3.7 The Target Company was engaged in the business of stock broking business and was a member of National Stock Exchange of India Ltd ("NSE") in equity segment and derivative segment, however the Target Company has surrendered its membership for all segments in the year 2017. Presently there is no business activity in the Target Company.

3.8 As on the date of this DPS, there are no outstanding partly paid up shares of the Target Company.

3.9 The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on BSE. *(Source: www.bseindia.com)*.

3.10 Target Company has paid listing fees to BSE for the financial year 2019-20.

3.11 Target Company confirmed that the trading in the Equity Shares of the Target Company was never suspended on BSE.

3.12 As on the date of the DPS, the Board of Directors of the Target Company consists of Mr. Lalit Dalal (Non - Executive - Independent Director having DIN: 00013914), Mr. Govind Rathi (Non - Executive - Independent Director having DIN: 00288705), Mrs. Monalisa Parikh (Chairperson and Managing Director having DIN: 00294485) and Mr. Jitendra Sharma (Non - Executive - Independent Director having DIN: 02640342).

3.13 The brief audited financial information of the Target Company for the financial years ended March 2017, 2018, 2019 and unaudited financials for the six months period ended September 30, 2019 are as under:

(₹ in Lakhs, except Earnings Per Share)

Particulars	*For the period ended September 30, 2019*	For the year ended March 31,		
		2019	*2018*	*2017*
Total Revenue (Revenue from Operations + Other Income)	11.12	43.52	147.97	97.82
Profit/(Loss) After Tax	3.71	(17.60)	54.06	20.49
Earnings Per Share (₹)	0.12	(0.53)	1.75	0.68
Shareholders Fund / Net worth	510.24	510.91	526.78	474.17

(Source: www.bseindia.com)

3.14 None of the directors of the Target Company represents the Acquirer as on the date of this DPS.

4. DETAILS OF THE OFFER

4.1 Acquirer is making this Offer to all the Public Shareholders of the Target Company to acquire up to **7,80,000** Equity Shares of face value ₹ 10/- (Rupees Ten only) each, representing **26%** of the Total Voting Share Capital of the Target Company.

4.2 This Offer is being made at a price of ₹ **15**/- (Rupees Fifteen only) (the "**Offer Price**") per fully paid up Equity Share of face value ₹ 10/- (Rupees ten only) each of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the Takeover Regulations.

4.3 This Offer is not conditional on any minimum level of acceptance and is not a competing offer in terms of Regulations 19 and 20 respectively of the Takeover Regulations.

4.4 The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

4.5 The consummation of the sale and purchase of the Sale Shares (as defined below) by the Acquirer, as envisaged under the SPA, is subject to the terms and conditions mentioned therein.

4.6 The Manager does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of DPS. The Manger to the Offer further declares and undertakes that it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager till the expiry of 15 days from the date of closure of this Offer.

4.7 The Acquirer does not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, within two years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot in terms of Regulation 25 (2) of Takeover Regulations.

4.8 The acquisition of 26% of the Total Voting Share Capital under this Offer will result in the public shareholding in the Target Company falling below the level required for continuous listing. To the extent the post-Offer holding of the Acquirer in the Target Company exceeds the maximum permissible non-public shareholding under Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, and subsequent amendments thereto (the "SCRR"), the Acquirer undertakes to reduce his shareholding to the level stipulated in the SCRR within the time and in the manner specified in the SCRR and the SEBI (LODR) Regulations.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. On December 16, 2019, the Acquirer entered into Share Purchase Agreement ("**SPA**") with the Sellers for acquisition of up to 20,34,968 Equity Shares (**"Sale Shares"**) representing 67.83% of the Total Voting Share Capital at a price of ₹ 15/- (Rupees Fifteen Only) per Sale Share payable in cash aggregating upto ₹ **3,05,24,520** (Rupees Three Crore Five Lakhs Twenty Four Thousand Five Hundred Twenty Only). The purchase of the Sale Shares under the SPA is referred to as the **"Transaction"**.

2. Upon completion of Transaction under the SPA and relinquishment of control by the Promoter and Promoter Group of the Target Company, the Acquirer will acquire management control of the Target Company.

3. **The important clauses including some of the conditions precedent to consummating the underlying Transaction, as mentioned in the SPA are as follows:**

a) *The Acquirer intends to buy from the Sellers and the Sellers intends to sell to the Acquirer* 20,34,968 *(Twenty Lakhs Thirty Four Thousand Nine Hundred Sixty Eight) fully paid-up Equity Shares constituting 67.83% of the total Voting Share Capital of the Target Company for an aggregate sale consideration of ₹ 3,05,24,520 (Rupees Three Crore Five Lakhs Twenty Four Thousand Five Hundred Twenty Only) (**"SPA Consideration"**) through an off - market transaction;*

b) *The Sellers confirm that the Sale Shares are fully paid up and the said shares are free from all liens, charges, encumbrances and the Sellers shall hand over the said confirmation letter to the Acquirer along with the letter received from the Target Company.*

c) *The Sellers confirm that the Sale Shares are not under lock-in and the Sellers shall hand over the said confirmation letter to the Acquirer along with the letter received from the Target Company.*

d) *From the date of entering into this Agreement till the date of the Closing, the Sellers shall not, except with the prior consent of the Acquirer, sell, transfer, gift, exchange or dispose of or any way deal in the equity shares of the Target Company or create any right, interest or encumbrance over the Sale Shares.*

e) *On Closing (as defined in SPA), the Parties shall take all steps necessary for fulfilling their respective obligations under the SPA and for Closing of the transaction envisaged in the SPA.*

4. The objective of the proposed acquisition is substantial acquisition of Equity Shares/ voting rights accompanied by control over the Management of the Target Company. Further, the Acquirer continues the same business activities of the Target Company, he shall hire people with necessary industry acumen and conduct business.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed equity shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Acquirer	
	Number of Equity Shares	% to the Total Voting Share Capital
Shareholding as on the PA date:	NIL	
Shareholding after completion of acquisition of Equity Shares under SPA requiring an Offer to be made in accordance with Takeover Regulations	20,34,968	67.83
Equity Shares acquired between the PA date and the DPS date	NIL	
Equity Shares proposed to be acquired in the Offer *(assuming full acceptance)*	7,80,000	26.00
Post Offer Shareholding (On diluted basis on 10th working day after closing of Tendering Period)	**28,14,968**	***93.83**

** To the extent the post-Offer holding of the Acquirer in the Target Company exceeds the maximum permissible non-public shareholding under Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, and subsequent amendments thereto (the "SCRR"), the Acquirer undertakes to reduce his shareholding to the level stipulated in the SCRR within the time and in the manner specified in the SCRR and the SEBI (LODR) Regulations.*

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE only.

2. The annualized trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month of PA (December 01, 2018 to November 30, 2019) is as given below:

Stock Exchange	*Total no. of Equity Shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA*	*Total no. of listed Equity Shares*	*Annualized trading turnover (as % of Equity Shares listed)*
BSE	24,306	30,00,000	0.81%

(Source: www.bseindia.com)

3. Based on the information provided in point above, the Equity Shares of the Target Company are **infrequently traded** on the BSE in terms of the Takeover Regulations.

4. The Offer Price of ₹ **15**/- (Rupees Fifteen only) per Equity Share is justified in terms of regulation 8 of the Takeover Regulations, **being the highest of the following**:

a)	Highest negotiated price per share for acquisition under the agreement attracting the obligations to make a public announcement for the offer;	₹ 15/-
b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition(s), whether by the Acquirer or by any person(s) acting in concert, during the fifty two weeks immediately preceding the date of public announcement;	Not Applicable
c)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by any person(s) acting in concert, during the twenty six weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Not Applicable
d)	The volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period.	Not Applicable
e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Open Offer taking into account valuation parameters per Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares	#₹ 13.96
	Other Financial Parameters as at March 31, 2019	
	Return on Net worth (%)	(0.03)
	Book Value per share (₹)	17.03
	Earnings per share- Diluted (₹)	(0.53)
f)	the per share value computed under sub-regulation (5) of Regulation 8 of Takeover Regulations, if applicable	Not Applicable

#Mr. Rajesh Shah, Proprietor of S R R & Co., Chartered Accountants (Membership No. 104961), Firm Registration No. 119254W, having office at 102 Sai Astha, 29, Ashok Nagar, Cross Road No.1 Kandivali (East), Mumbai - 400101; Email id: ca.rrshah@gmail.com, vide certificate dated December 13, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19104961AAAACI1609 has certified that he has in terms of Supreme Court decision in the case of Hindustan Lever Employee Union V/s. Hindustan Lever Limited (1995) (83 Companies Cases 30), considered different methods for the purpose of arriving at the fair value for the Equity Shares of the Target Company. A weight of 70% has been assigned to the value arrived under Net Asset Method, weight of 15% has been assigned to the value arrived under Earnings Capitalization Method and a weight of 15% has been assigned to the value arrived under the Market Price Method. As per the certification given, the Fair Value has been arrived at ₹ 13.96/- per Equity Share.

5. In view of the above parameters considered and in the opinion of the Acquirer and Manager, the Offer Price of ₹ 15/- per Equity Share is justified in terms of regulation 8 of the Takeover Regulations.

6. There have been no corporate actions undertaken by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters.

7. There has been no revision in the Offer Price or to the size of this Offer as on the date of this DPS.

8. An upward revision in the Offer Price or to the size of this Offer, if any, on account of competing offers or otherwise, will be done at any time prior to the commencement of the last one working day before the commencement of the Tendering Period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the Takeover Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall (i) make corresponding increase to the escrow amount, as more particularly set out in paragraph V of the DPS; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which the DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, BSE and the Target Company at its registered office of such revision.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Assuming full acceptance in the Offer, the total funds required to meet this Offer is ₹ 1,17,00,000 (Rupees One Crore Seventeen Lakhs only).

2. Acquirer has adequate resources to meet his financial obligations for the Offer. The Net worth of Acquirer as on November 15, 2019 is ₹ 5,91,08,334 (Rupees Five Crore Ninety One Lakhs Eight Thousand Three Hundred and Thirty Four only) and the same is certified by Mr. Ashwin Jain, Partner of Sanjay & Vijay Associates, Chartered Accountants (Membership No. 145156; FRN No. 120123W having office at 23, Kesar Building, 2nd Floor, Opp. Geeta Bhawan Hotel, 201/211, Princess Street, Marine Lines, Mumbai-400002; Email id: ashwin@cavijay.in, vide certificate dated December 07, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19145156AAAAFT8614.

3. In accordance with the provisions of Regulation 17(1) of the Takeover Regulations, the Acquirer has opened an Escrow Account in the name and style of "M B PARIKH FINSTOCKS OPEN OFFER - ESCROW ACCOUNT" with ICICI Bank Limited ("Escrow Bank"), a banking company duly incorporated under the Companies Act, 1956 and registered as a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara-390007, Gujarat, India and acting for the purpose of this agreement through its branch situated at ICICI Bank Limited, Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 and have made a cash deposit of ₹ 1,17,00,000 (Rupees One Crore Seventeen Lakhs only) in the Escrow Account. The cash deposited in Escrow Account represents 100% of the total consideration payable to the Equity Shareholders under this Offer. Escrow Bank vide email dated December 16, 2019 has confirmed the credit balance of ₹ 1,17,00,000 (Rupees One Crore Seventeen Lakhs only). The Acquirer has authorized the Manager to the Open Offer to realize the value of the Escrow Account in terms of Regulation 17 of the Takeover Regulations

4. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirer, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.

5. The funds required in relation to the Offer have been met from the own funds of the Acquirer.

6. Based on the above, Saffron Capital Advisors Private Limited, Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to implement the offer in full accordance with the Takeover Regulations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As of the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Acquirer at a later date before the expiry of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such statutory approvals.

2. If any of the Public Shareholders of the Target Company that are not resident in India (such NRIs, OCBs and FIIs) require any approvals inter alia from the RBI, the Foreign Investment Promotion Board or any regulatory body for the transfer any Equity Shares to the Acquirer, they shall be required to submit such approval along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approval is not submitted, the Acquirer reserves the right to reject the Equity Shares tendered by such Public Shareholders that are not resident in India. Subject to the receipt of statutory and other approvals, if any, the Acquirer shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 working days from the date of expiry of the Tendering Period to those equity shareholders who have validly tendered Equity Shares in the Offer and are accepted for acquisition by the Acquirer.

3. The Acquirer shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 working days from the date of expiry of the Tendering Period to those Equity Shareholders whose share certificates and/ or other documents are found valid and in order and are accepted for acquisition by the Acquirer.

4. In case of delay in receipt of any statutory approval, the SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirer or the failure of the Acquirer to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the Takeover Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the Takeover Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.

5. In terms of Regulation 23(1) of the Takeover Regulations, if the approvals mentioned in paragraph VI are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirer has a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two (2) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which the DPS has been published and such public announcement will also be filed with SEBI, BSE and the registered office of the Target Company.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Activity	Day and Date
PA	Monday, December 16, 2019
Publication of DPS in the newspapers	Monday, December 23, 2019
Filing of the draft letter of offer with SEBI	Tuesday, December 31, 2019
Last date for a competitive bid	Tuesday, January 14, 2020
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Tuesday, January 21, 2020
Identified Date*	Thursday, January 23, 2020
Letter of Offer to be dispatched to shareholders	Thursday, January 30, 2020
Last date for revising the Offer price/ number of shares	Wednesday, February 05, 2020
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Tuesday, February 04, 2020
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	Wednesday, February 05, 2020
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Thursday, February 06, 2020
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Thursday, February 20, 2020
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Friday, March 06, 2020

** The Identified Date is only for the purpose of determining the equity shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed. It is clarified that all the equity shareholders of the Target Company (except the Acquirer, Sellers and promoter group shareholders of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of this Offer.*

VIII. ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE OFFER AND PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All Public Shareholders holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time during the Tendering Period for this Offer. Please refer to section titled "Procedure to be followed by shareholders who are holding Equity Shares in physical form" below of this part, for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.

2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the Register of Members/ List of Beneficiaries of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

3. The Offer shall be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE in the form of separate window ("**Acquisition Window**") as provided under the Takeover Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by the SEBI.

4. For implementation of the Offer, the Acquirer has appointed Choice Equity Broking Private Limited as the Buying Broker (the "**Buying Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Offer would be made by the Acquirer. The contact details of the Buying Broker are as follows:

Name: Choice Equity Broking Private Limited

Address: Shree Shakambhari Corporate Park, Plot No. 156-158, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400099

Contact Person: Mr. Jeetender Joshi **Tel.:** +91 22 6707 9999/ 9832 **E-mail:** jeetender.joshi@choiceindia.com; compliance@choiceindia.com

5. All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stock broker (**"Selling Broker"**) during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.

6. The Acquisition Window provided by BSE shall facilitate placing of sell orders. The Selling Brokers can enter orders only for demat Equity Shares.

7. The cumulative quantity tendered shall be displayed on the BSE website throughout the trading session at specific intervals by BSE during Tendering Period.

8. Public Shareholders can tender their Equity Shares only through a broker with whom they are registered as client (KYC Compliant).

9. In the event Seller Broker of any Public Shareholder is not registered with BSE then that Public Shareholder can approach the Buying Broker as defined in the Point 4 above and tender the Equity Shares through the Buying Broker after submitting the details as may be required by the Buying Broker to be in compliance with the SEBI Regulations.

10. Procedure to be followed by the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form:

a. As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations (as amended by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from April 01, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository.

b. The Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.

X. OTHER INFORMATION

1. Acquirer accepts the full and final responsibility for the information contained in the DPS and for the obligations of the Acquirer laid down in the Takeover Regulations.

2. The PA, the DPS and the Letter of Offer shall also be available on the SEBI website: www.sebi.gov.in.

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
SAFFRON energising ideas	
SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059; **Tel. No.:** +91 22 4082 0914/906; **Fax No.:** +91 22 4082 0999; **Email id:** openoffers@saffronadvisor.com; **Website:** www.saffronadvisor.com; **Investor Grievance:** investorgrievance@saffronadvisor.com; **SEBI Registration Number:** INM000011211 **Validity**: Permanent **Contact Person:** Amit Wagle/ Gaurav Khandelwal	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra; **Tel. No.:** +91 22 – 62638200; **Fax No.:** +91 22-62638280; **E-mail:** openoffer@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com; **SEBI Registration Number:** INR000001385 **Validity**: Permanent **Contact Person:** Arvind Tandel

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

ACQUIRER

Sd/-

Mr. Denis Desai

Address: 3402, 34th Floor, Raheja Odyssey, Raheja Reflections -2, Off Western Express Highway, Village Magathane, Borivali (East), Mumbai- 400066, Maharashtra, India; **Email:** denisdesai@gmail.com

Place: Mumbai

Date: December 18, 2019

www.readwhere.com

भारत-अमेरिका 'टू प्लस टू' वार्ता में रक्षा संबंधी बड़े करार संभव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 दिसंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के वर्जीनिया में नॉरफॉक स्थित नौसैन्य हवाई अड्डे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वाणिज्यिक विमान प्रदर्शनी और बोईंग लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन भी देखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच जो 'मजबूत रक्षा संबंध' हैं, वह निकट भविष्य में और मजबूत होंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होगी।

सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार (अमेरिकी समयानुसार) को दूसरी 'टू प्लस टू' वार्ता के लिए अमेरिका आए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उनकी अगवानी की। इस वार्ता में महत्त्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स (आइएसए) समझौते पर दस्तखत होने हैं, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां भारत में निजी कंपनियों के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन क्षेत्र में काम करेंगी।

सिंह ने ट्वीट किया, 'अमेरिका के नॉरफॉक में नौसेना के हवाई अड्डे ओशियाना का दौरा किया और अत्याधुनिक वाणिज्यिक विमान प्रदर्शनी और लड़ाकू व हमलावर विमान 18 ई का प्रदर्शन देखा।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'नॉरफॉक के नौसैन्य अड्डे पर मुझे निमिट्ज श्रेणी के यूएसएस विमान वाहक 'ड्वाइट डी आइजनहावर' में सवार होने का अवसर मिला। हमने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को प्रदर्शित किया।' रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह दौरा अमेरिका और भारत के बीच रक्षा साझेदारी की गहराई को और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच करीबी संबंधों को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्री के साथ यहां अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला, रक्षा सचिव अजय कुमार, भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व सैन्य अधिकारी भी पहुंचे हैं।

बयान में कहा गया कि भारत और अमेरिका सैन्य अभियानों, रक्षा व्यापार, आधिकारिक दौरों और आदान-प्रदान समेत दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी नौसैन्य अड्डे के इस दौरे के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत बना रहे हैं। वायुसेना अड्डे पर सिंह का दौरा खास माना जा रहा है कि क्योंकि इससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि भारत वायुसेना और नौसेना के लिए लड़ाकू विमान के संबंध में इन विकल्पों को भी गंभीरता से देख रहा है।

एफ/ए-18 ई (सुपर हॉर्नेट) के उत्पादक बोइंग ने इन लड़ाकू विमानों की ब्लॉक तीन श्रेणी का प्रस्ताव दिया है। 'बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी' की एक शाखा 'स्ट्राइक, सर्विलांस एंड मोबिलिटी, ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग' के उपाध्यक्ष थॉम ब्रेकेनरिज के मुताबिक, सुपर हॉर्नेट में फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत और जर्मनी समेत कई देशों की दिलचस्पी है।

नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 17 दिनों में उम्रकैद की सजा

जयपुर, 18 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान के चुरू जिले में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने त्वरित सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा अपराध के घटित होने के 17 दिन में ही सुना दी गई है।

विशेष पॉक्सो अदालत ने इस मामले में मंगलवार को आरोपी दयाराम मेघवाल (21) को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोप था कि दयाराम ने 30 नवंबर को चार वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसे अगले ही दिन आइपीसी और पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।

आग के हवाले की गई लड़की की मौत

मुजफ्फरपुर (बिहार), 18 दिसंबर (भाषा)।

मुजफ्फरपुर में करीब एक सप्ताह से जीवन के लिए संघर्ष कर रही एक पीड़िता ने दम तोड़ दिया। करीब एक सप्ताह पहले युवती के पड़ोसी ने कथित तौर पर बलात्कार की कोशिश की थी और नाकाम रहने पर युवती को आग के हवाले कर दिया था।

अहियापुर पुलिस थाने के प्रभारी विकास राय ने बताया कि आठ दिसंबर को पीड़िता 50 फीसद तक झुलस गई थी, जिसके बाद उसे मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था और हालत बिगड़ने पर दो दिन बाद उसे पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। पीड़िता ने सोमवार सुबह पटना के अस्पताल में दम तोड़ दिया और यह खबर उसके गांव नजीरपुर में पहुंचने के बाद गुस्साए लोगों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी रवि राय पिछले तीन साल से युवती को परेशान कर रहा था, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे आरोपी की हिम्मत बढ़ती गई और उसने लड़की को घर में अकेला पाकर बलात्कार की कोशिश की और विफल रहने पर उसे आग लगा दिया। आरोपी को प्राथमिकी दर्ज होने के तत्काल बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तेजी से न्याय और दोषी को मौत की सजा देने की मांग की है।

जयपुर बम धमाकों में चार आरोपी दोषी करार

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 18 दिसंबर।

जयपुर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को यहां फैसला सुनाया। अदालत ने पांच आरोपियों में से चार को दोषी करार दिया और एक को बरी कर दिया है।

जयपुर में उस दिन परकोटे में आठ जगह बम धमाके हुए थे जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 जख्मी हुए थे। विशेष अदालत ने मोहम्मद शैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया है। अदालत ने एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत शुक्रवार को दोषी करार दिए गए अपराधियों को सजा सुना सकती है। बम धमाकों के आरोप में पुलिस ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से तीन आरोपी अब तक फरार हैं और तीन हैदराबाद और दिल्ली की जेल में अन्य आरोपों में बंद हैं। बाकी बचे दो गुनाहगार बटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।

बम धमाकों के दोषियों ने जिन जगहों और दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थी, उन्होंने आरोपियों की पहचान की थी। जयपुर में 13 मई, 2008 को शहर के परकोटे के मंदिर और प्रमुख बाजारों में 15 से 20 मिनट के अंतराल में सिलसिलेवार आठ धमाके हुए थे। पुलिस ने बम धमाके के मामले में कुल आठ केस दर्ज किए थे। इस मामले में अदालत में 1293 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। बम धमाकों के करीब साढ़े 11 साल बाद विशेष अदालत का फैसला आया है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखा था। मामले के अनुसार आरोपियों ने छदम नामों से जयपुर के साइकिल दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थी। सभी आरोपी घटना वाले दिन दिल्ली से राजस्थान रोडवेज की बसों से जयपुर आए थे। आरोपियों ने पहले से चिन्हित जगहों पर साइकिलों पर विस्फोटक लगे बैग टाइमर सेल के साथ लगा दिए थे। बम धमाकों के अगले दिन 14 मई को धमाकों की जिम्मेदारी लेने का एक ईमेल इंडियन मुजाहिदीन के नाम से जारी हुआ था। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद की एक कंप्यूटर जाब वर्क की दुकान से यह ईमेल जारी किया गया था। इसके बाद ही पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया।

आरोप लगाने पर दलित युवती को गोली मारी

सासाराम, 18 दिसंबर (भाषा)।

बिहार के रोहतास जिले के राजपुर थाना अंतर्गत एक गांव में अनुसूचित जाति की एक युवती द्वारा चार युवकों पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाए जाने के दो दिन बाद अज्ञात हमलावरों ने युवती को गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिह ने बुधवार को बताया कि पीड़िता के साथ गत रविवार को बलात्कार की कोशिश करने के आरोपी चारों युवकों जाफर खान, फारूक खान, शरबूख खां और आज़ाद खां को गिरफ्तार कर लिया गया था और तनाव समाप्त करने के लिए पुलिस टीम गांव में डेरा डाले हुई थी।

विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस अधिकारी राजकुमार ने बताया, 'परिवार के सदस्यों के अनुसार चार लोगों ने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया और परिजनों से कहा कि वे पीड़िता का साक्षात्कार लेना चाहते हैं। चार में से दो ने स्वयं को मीडियाकर्मी बताया। घर का दरवाजा खोल कर बाहर निकलने पर उन हमलावरों में से एक ने पीड़िता पर गोली चला दी।'

हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव व डीजीपी को दिया समन

प्रयागराज, 18 दिसंबर (भाषा)।

बिजनौर में 17 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुए हमले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में अदालत परिसरों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना के बारे में अवगत कराने के लिए प्रदेश के अपर मुख्य गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुधवार को समन जारी किया। दूसरी ओर इस मामले में 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।बिजनौर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुए हमले में एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि अदालत का एक कर्मचारी घायल हो गया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की और इन दोनों अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एक विशेष पीठ गठित की जिसने यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा, 'ऐसा लगता है कि इस राज्य में अदालत परिसरों के भीतर कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। अति अक्षम पुलिस कर्मचारियों को अदालत परिसरों की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। क्या सरकार अदालत की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। क्या शीर्ष अधिकारी इन घटनाओं से अवगत हैं जो हाल के दिनों में प्रदेश की विभिन्न अदालतों में घटी हैं।' पीठ ने अपर महाधिवक्ता से कहा अगर राज्य सरकार अदालत परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो हम केंद्र सरकार से इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए कहेंगे।

पीठ ने कहा, 'हाल ही में तीन हमलों- एक मुजफ्फरनगर में आरोपी पर हमला, दूसरा आगरा में एक महिला वकील पर हमला और अब बिजनौर में हमला यह प्रदर्शित करता है कि प्रदेश में अपराधी इतने निडर हो गए हैं कि वे अब अदालतों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं।'

दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बुधवार को यहां बताया कि मंगलवार को अदालत में हुई गोलीबारी को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर समेत 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें पांच महिला पुलिसकर्मी और 12 पुरुषकर्मी शामिल हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: 2/14, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **18/04/2018** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स मनोहर लाल एण्ड मोहिन्दर पाल, एवं श्री मोहिन्दर पाल पुत्र श्री निरन्जन दास, गारण्टर: श्री मनोहर लाल, पुत्र श्री निरन्जन दास, श्री सतपाल पुत्र श्री निरन्जन दास, श्री जितेन्दर पाल पुत्र श्री निरन्जन दास, श्री हरबंस लाल अरोड़ा पुत्र श्री निरन्जन दास एवं श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री निरन्जन दास,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.61,83,317/- (इकसठ लाख तिरासी हजार तीन सौ सत्रह रूपये मात्र)** प्लस ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर को चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 17 दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.36,77,567/- (छत्तीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ सड़सठ रूपये मात्र) और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चों के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

(1) मनोहर लाल, गुलशन कुमार, मोहिन्दर पाल संयुक्त मालिक के नाम पर दुकान नं. 71, कृष्णा क्लोथ मार्केट, चांदनी चौक, दिल्ली-110006, भूमि परिमाप 6'-3" * 8'-9" जो कि बिल्डिंग नं. 473 (पुराना) 886 (नया) कुच्चा काबुल अतर वार्ड नं. 2, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 का भाग है।

(2) सत पाल, हरबंस लाल, जितेन्दर पाल संयुक्त मालिक के नाम पर दुकान नं. 73, कृष्णा क्लोथ मार्केट, चांदनी चौक, दिल्ली-110006, भूमि परिमाप 6'-3" * 8'-9" जो कि बिल्डिंग नं. 473 (पुराना) 886 (नया) कुच्चा काबुल अतर वार्ड नं. 2, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 का भाग है।

स्थान: दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 17.12.2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

भारत सरकार
Government of India

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बारे में गलत सूचना से भ्रमित न हों।

अधिनियम से जुड़ी कई प्रकार की अफ़वाहें और गलत सूचना फैलायी जा रही हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से सच नहीं हैं। सीएए से जुड़े वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं।

अफ़वाह	CAA CITIZENSHIP AMENDMENT ACT VS	सच
सीएए का उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीनना है।		सीएए किसी भी धर्म के मौजूदा भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करता है। यह 2014 तक भारत में रह रहे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से संबंधित है, न कि किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीनता है।
सीएए भारतीय मुस्लिमों को प्रभावित कर सकता है।		यह एक झूठ है। सीएए तीन देशों - पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों पर लागू होगा। यह मुसलमानों सहित किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता। इसलिए इससे भारतीय मुसलमानों के किसी भी तरह से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है।
ऐसे दस्तावेज़ जिनसे नागरिकता प्रमाणित होती हो, उन्हें अभी जुटाने होंगे अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा।		गलत। किसी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है। अगर कभी इसकी घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में नियम और निर्देश ऐसे बनाए जाएंगे ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को परेशानी न हो।

नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी क्षेत्र के भारतीय नागरिक या किसी धर्म विशेष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

davp 22202/13/0031/1920

नई दिल्ली

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का आइलीग मैच स्थगित

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच कोलकाता में होने वाला आइलीग मैच बुधवार को स्थगित कर दिया गया। इसके आयोजक राज्य पुलिस से सुरक्षा का आश्वासन नहीं ले पाए थे। यह मुकाबला 22 दिसंबर को होना था और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) ने उसका उचित कारण नहीं बताया है कि उन्हें सुरक्षा आश्वासन क्यों नहीं मिला। उसके सूत्रों के अनुसार 'यह संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ चल रहे विरोध से संबंधित है।'

पुलिस ने पत्र में साल्टलेक स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। इस मैच में स्टेडियम खचाखच भरे रहने की संभावना थी। एआइएफएफ ने बयान में कहा कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच रविवार 22 दिसंबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में होने वाले बहु प्रतीक्षित आइलीग मैच के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त बिधाननगर ने मोहन बागान को पत्र लिखकर कहा है कि सभी हितधारकों के लिए पूरे स्तर पर मैच का आयोजन करना चुनौतीपूर्ण होगा। पत्र में बागान से बिक्री के लिए रखे गए टिकटों की संख्या सीमित करने का आग्रह किया गया है जिसके बारे में एआइएफएफ का मानना है कि इस तरह के बहु प्रतीक्षित मामले में यह संभव नहीं है।

रोहित और राहुल की रेकार्ड साझेदारी, वेस्ट इंडीज को 107 रन से हराया

कुलदीप की फिरकी में फंसा विंडीज

विशाखापत्तनम, 18 दिसंबर (भाषा)।

सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और लोकेश राहुल के शतक के बाद कुलदीप यादव की हैट्रिक से भारत ने दूसरे एकदिवसीय में वेस्ट इंडीज को 107 रन से हराया। तीन मैचों की शृंखला में उसने 1-1 से बराबर की। भारत के 388 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज सलामी बल्लेबाज शाई होप (78) और निकोलस पूरन (75) के बीच चौथे विकेट की 106 रन की साझेदारी के बावजूद 43.3 ओवर में 280 रन ही बना सका।

102
रन बनाने के साथ राहुल ने रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 227 रन की साझेदारी की

भारत की ओर से कुलदीप (52 रन पर तीन विकेट) और मोहम्मद शमी (39 रन पर तीन विकेट) ने तीन-तीन जबकि रविंद्र जडेजा (74 रन पर दो विकेट) ने दो विकेट चटकाए।

इससे पहले रोहित शर्मा और लोकेश राहुल के शतक व दोनों के बीच रेकार्ड साझेदारी से भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय में पांच विकेट पर 387 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह भारत का दूसरा जबकि कुल आठवां सर्वोच्च स्कोर है। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही इंदौर में दिसंबर 2011 में पांच विकेट पर 418 रन का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था। रोहित ने 138 गेंद में 17 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 159 रन की पारी खेलने के अलावा राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 227 रन की साझेदारी की। भारतीय टीम अंतिम सात ओवर में 100 रन जोड़ने में सफल रही। श्रेयस अय्यर (53 रन) और ऋषभ पंत (39 रन) ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ चार ओवर में 73 रन की साझेदारी करके भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वेस्ट इंडीज के कप्तान किरेन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसे राहुल और रोहित ने गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ने सतर्क शुरुआत के बाद खुलकर शॉट खेले। तेज गेंदबाज शेल्डन कोटरेल ने पहले ओवर में रोहित को परेशान किया लेकिन इस सलामी बल्लेबाज ने उनके अगले ओवर में चौका जड़ा। राहुल ने भी इस ओवर में चौका मारा और फिर जैसन होल्डर पर पारी का पहला छक्का जड़ा। राहुल ने पियरे पर छक्के और फिर एक रन के साथ सिर्फ 46 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

शतकीय साझेदारी के दौरान रोहित शर्मा और लोकेश राहुल।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ सर्वोच्च साझेदारी

वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की ओर से पहले विकेट की यह सर्वोच्च साझेदारी है। रोहित और राहुल ने सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा जिन्होंने नवंबर 2002 में राजकोट में 196 रन की साझेदारी की थी। भारत की सलामी जोड़ी ने छठी बार 200 या इससे अधिक रन की साझेदारी करते हुए दूसरे स्थान पर मौजूद आस्ट्रेलिया की बराबरी की।

2011 में 418 रन का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ

159 रन की पारी खेली रोहित शर्मा ने

वनडे में दो हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने कुलदीप

कुलदीप यादव एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो या अधिक हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय और दुनिया के छठे गेंदबाज बन गए हैं। कुलदीप ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में बुधवार को शाई होप, जैसन होल्डर और अलजारी जोसेफ को आउट करके हैट्रिक पूरी की। इससे पहले उन्होंने 21 सितंबर 2017 को आस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में हैट्रिक बनाई थी। इस कारनामे से यह चाइनामैन गेंदबाज दो या अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में भी शामिल हो गया है। श्रीलंका के लसिथ मलिंगा तीन हैट्रिक लेकर इस सूची में शीर्ष पर हैं।

कतर टी-10 लीग में भ्रष्टाचार निरोधक जांच शुरू करेगी आइसीसी

दुबई, 18 दिसंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कतर टी-10 लीग की भ्रष्टाचार निरोधक जांच शुरू करेगी क्योंकि इसमें कई जाने पहचाने सटोरियो की मौजूदगी का पता चला है। एक साल पहले आइसीसी से मंजूरी पाने वाली इस लीग में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला समेत कई रिटायर्ड खिलाड़ियों ने भाग लिया।

कतर टी-10 लीग का आयोजन सात से 16 दिसंबर तक कतर क्रिकेट संघ ने किया था। *टी-10* लीग में छह टीमों ने भाग लिया जिनमें 24 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों ने भाग लिया।

आइसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई आयोजकों के साथ मिलकर लीग पर नजर रखे हुए थी। आइसीसी इंटीग्रिटी जीएम एलेक्स मार्शल ने एक बयान में कहा कि आयोजकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आइसीसी ने इस लीग को एक साल पहले मंजूरी दी थी।

उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट से ठीक पहले टीम के मालिकों और आयोजकों में बदलाव ने खतरे की घंटी बजा दी। हमने इसके लिए अतिरिक्त जांच का इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि हमने पाया कि कई जाने माने सटोरिए लीग के दौरान मौजूद थे और सुनियोजित ढंग से उन्होंने काम को अंजाम दिया। इस वजह से आइसीसी एसीयू टीम ने कई नई जांच शुरू की।

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच बने कैलिस

जोहानिसबर्ग, 18 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के महान हरफनमौला जैक कैलिस को अगले सत्र के लिए टीम का बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने ट्विटर पर कहा कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला जैक कैलिस को टीम का बल्लेबाजी सलाहकार बनाया गया है। वह बुधवार से टीम से जुड़ेंगे। कैलिस ने सभी प्रारूपों में 519 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर 25534 रन बनाए हैं और 577 विकेट लिए हैं। उन्होंने 166 टैस्ट, 328 वनडे और 25 टी-20 मैच खेले हैं। पांच साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके कैलिस के नाम टैस्ट में 45 और वनडे में 17 शतक हैं। वह आइपीएल में केकेआर के बल्लेबाजी सलाहकार रह चुके हैं। इससे पहले मार्क बाउचर को पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका का मुख्य कोच बनाया गया।

डीडीसीए ने बंटू सिंह को बनाया चयनसमिति का अध्यक्ष

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

अतुल वासन को क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया।

अतुल वासन को बुधवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह पूर्व बल्लेबाज बंटू सिंह को नियुक्त किया गया।

दिलचस्प बात यह है कि डीडीसीए के लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) बाबर दुरेज अहमद ने अभी किसी भी समिति में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया था लेकिन संघ ने इसके बावजूद तीन सदस्यीय चयन पैनल को बदल दिया।

गुजरात जाइंट्स का बांबे बुलेट्स पर पलड़ा भारी

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा)।

विश्व रजत पदक विजेता अमित पंघल की अगुआई में गुजरात जाइंट्स गुरुवार को बिग बाउट (आइबीएल) सेमी फाइनल में बांबे बुलेट्स के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। दूसरा सेमी फाइनल शुक्रवार को नार्थ ईस्ट राइनोज और पंजाब पैंथर्स टीमों के बीच होगा। गुजरात जाएंट्स की कमान अमित पंघल के हाथों में है जबकि राइनोज की कमान निकहत जरीन और पैंथर्स की छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम संभाल रही हैं।

लीग स्तर पर बुलेट्स ने गुजरात जाएंट्स को 4-3 से हराया था लेकिन उस मैच में पंघल और पूर्व विश्व चैंपियन सरिता देवी नहीं खेली थीं। साथ ही 57 किग्रा वर्ग में बुलेट्स ने चिराग को ब्लॉक कर दिया है।

MARUTI SUZUKI ARENA

5 बेहतरीन कारण,
इस दिसंबर में अपनी मारुति सुज़ुकी कार घर लाने के.

- क़ीमतें बढ़ने से पहले ख़रीदें
- 100% ऑन-रोड फाइनेंस#
- सर्वश्रेष्ठ एक्सचेंज क़ीमत
- साल के बेहतरीन ईयर-एण्ड ऑफर्स^
- साल के बेहतरीन ईयर-एण्ड एक्सचेंज बोनस^

सीमित समय के लिए
ऑफर्स स्टॉक रहने तक मान्य है

	WAGONR	ALTO (P)	VITARA BREZZA (D)	DZIRE (P)	DZIRE (D)	SWIFT (P)	SWIFT (D)	CELERIO (P)	EECO (5/7 SEATER)
कंज्यूमर ऑफ़र*	₹20 000	₹40 000	₹40 000 + 5 Yr. Warranty	₹40 000	₹30 000 + 5 Yr. Warranty	₹35 000	₹25 000 + 5 Yr. Warranty	₹30 000	₹15 000
एक्सचेंज ऑफ़र*	₹20 000	₹15 000	₹20 000	₹20 000	₹20 000	₹20 000	₹20 000	₹15 000	₹20 000
कॉर्पोरेट ऑफ़र*	₹5 000	₹5 000	₹10 000	₹5 000	₹10 000	₹5 000	₹10 000	₹5 000	₹5 000
अधिकतम बचत*	₹45 000	₹60 000	₹91 200	₹65 000	₹79 100	₹60 000	₹72 700	₹50 000	₹40 000

WAGONR ALTO S-PRESSO ERTIGA VITARA BREZZA DZIRE SWIFT CELERIO EECO

E-book today at www.marutisuzuki.com or visit your nearest Maruti Suzuki dealership | For bulk orders, mail at: anindya.sarkar@maruti.co.in (NCR); abhinav.verma2@maruti.co.in (Delhi)

NORTH DELHI: Krish (GT Karnal Road) 9999149577; Fairdeal (Budh Vihar) 7290009371; Saya (Azadpur) 47088888; DD Motors (Narela) 9873563171; T.R. Sawhney (Saraswati Vihar) 9582263509; D.D. Motors (Peeragarhi) 25963535; T.R. Sawhney (Badli) 9999324333; Rana Motors (Prashant Vihar) 9711507777; D.D. Motors (Wazirpur) 27153999; Krish (Pitampura) 9999159577; Rana Motors (Tis Hazari) 9873477744
SOUTH DELHI: Rohan (Mathura Road) 9560036262; T.R. Sawhney (Amar Colony) 9999563333; Competent (Lajpat Nagar) 8377007979; AAA Vehicleades (Malviya Nagar) 9971500011; Prem Motors (Mahipalpur) 8745887458; Rohan (Chhatarpur Metro Station) 011-66764444; D.D. Motors (Okhla Ph-1) 40523000; Bagga Link (Kotla) 8826892666
CENTRAL DELHI: Rana Motors (Safdarjung) 26712222; Magic Auto (Karol Bagh) 9650699556; Competent (C.P) 9582797749; T.R. Sawhney (I.P Station) 9999399157
WEST DELHI: Rana Motors (Janakpuri) 011-47911111; D.D. Motors (Mayapuri) 41845000; Magic Auto (Sec-20, Dwarka) 9560677777; T.R. Sawhney (Rajouri Garden) 9873781333; Competent (Najafgarh) 9582797763; Magic Auto (Dwarka Sec-13) 9818444481; AAA Vehicleades (Mundka) 9650445555; Competent (Dwarka) 9582797879; Magic Auto (Palam Dabri Road) 47777777; TR Sawhney (Naraina) 9999137164; Competent (Shivaji Marg) 9582797748
EAST DELHI: Bagga Link (Patparganj) 9818199370; T.R. Sawhney (Gokulpuri) 9999399150; Magic Auto (Preet Vihar) 011-49077777
NOIDA: Fairdeal (Bhajanpura) 7290009372; Fair Deal Cars (Shahdara) 9910894050; Competent (Gazipur) 8377007977; Fairdeal Cars (Sec-10) 9999700944; Rohan (Sec-1) 9873501288; Vipul (Sec-18) 8800091555; Vipul (Sec-63) 0120-4824000
GREATER NOIDA: Rohan (Udyog Vihar) 9971910523
GURGAON: Competent (Sec-12) 9582797711; Prem Motors (32nd Milestone) 8750487504; Rohan (Sec-54) 4845400; Prem Motors (JMD Sikanderpur) 8750987509; Vipul (UdyogVihar) 4395700; Pasco (Sec-18) 4012000; Competent (Islampur Sohna Road) 9582797739; Rana Motors (SCO Plot No-322 Sec-29) 4260000; Pasco (Silverton Sec-50) 7835003300
FARIDABAD: Vipul (Ballabgarh) 9717073300; Rohan (Palwal) 01275-304100
NAWESHR: Fairdeal Cars (Piyali Chowk) 9582139824; Vipul (Mathura Road) 9999994707; TCS Autoworld (Neelam Chowk) 0129-4252525; Auto Nation (Mathura Road) 9899596002
GHAZIABAD: Platinum Motocorp (Farrukhnagar) 9205192634; Platinum Motocorp (Pataudi) 9953345311; Platinum Motocorp (Narnaul) 9053088437; Platinum Motocorp (IMT Chowk) 9953345312; Regent Auto (Meerut Road) 7065191234; Rohan (Hapur) 0122-2313204; Motorcraft (Modi Nagar) 8057692222; Rohan (Mukund Nagar) 9650100045; Motorcraft (Sahibabad) 9650972222; T.R. Sawhney (Mohan Nagar) 9582263544
SOHNA: Pasco (Alipur) 8683000956
REWARI: Auto Vibes (Kosli) 01259-275300; Auto Vibes (Bawal) 7082100280
BHARUKHAR: Auto Vibes 7082010000; Rohan (Delhi Road) 05732-281900

*Terms & conditions apply. All offers are brought to you by Maruti Suzuki dealers. Offers may vary from city to city and variant to variant for all models. Corporate Offer value is maximum offer value and same is applicable to selected corporates for select model variants only. For diesel variants, warranty amount calculated is of highest variant. 5 years warranty includes 2 years standard + 3 years extended warranty. ^ Best year-end offers and Best year-end exchange bonus would not be applicable on Vitara Brezza & Celerio. Offer is not applicable on S-Presso & Ertiga. #Loan is subject to sole discretion of the financier. Scheme is for select cusomers only. Offer valid till stock lasts. Accessories shown may not be part of standard equipment. Color shown may vary from actual body color due to printing on paper. Images used are for illustration purpose only. All offers are valid till 31st December 2019. This article is released in Business Standard hindi.

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 32, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली

www.readwhere.com